वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2014-15

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड

राँची – 834 031

CIN: U14292JH1975GOI 001223

Website : www.cmpdi.co.in

विजन

बढ़ते भू–संसाधन के क्षेत्र तथा संबंधित क्रिया–कलापों में वैश्विक बाजार का नेतृत्व करना

मिशन

भारत तथा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में प्रमुख परामर्शदाता के रूप में कोयला गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा प्रदान करना

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डरों के लिए सामान्य नोट

सीएमपीडीआई की वार्षिक लेखा जाँच के लिए मुख्यालय में रखा रहेगा तथा कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयर होल्डर के माँगने पर जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहेगा।

विषय – सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1.	2014–2015 के दौरान प्रबन्धन	1
2.	01.05.2015 के अनुसार निदेशक – मंडल के सदस्य	2
3.	बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय	3
4.	40 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	4
5.	अध्यक्ष का कथन	6
6.	उपलब्धि : एक नजर में	13
7.	वित्तीय सांख्यिकी एवं पर्यवेक्षण	14
8.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट	22
9.	निदेशक–मंडल की रिपोर्ट की परिशिष्ट	100
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र	105
11.	निगमित शासकीय प्रमाण–पत्र	116
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर तथा सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर	121
13.	धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन के उत्तर	124
14.	समझौता संलेख पर अंकेक्षकों की टिप्पणी	126
15.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	144
16.	कैशफ्लो विवरण के साथ लेखे पर टिप्पणी	177
17.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा खण्डवार विवरण सहित लेखे पर टिप्पणी	180

निदेशक मंडल

श्री ए. के. देबनाथ
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री डी. के. घोष

श्री आर. के. चोपड़ा

श्री शेखर सरन

श्री वी. के. सिन्हा

श्री एन. कुमार

श्री डी.एन. प्रसाद

श्री राकेश कुमार मित्तल

वर्ष 2014–2015 के दौरान प्रबंधन

श्री अमल कुमार देबनाथ	:	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (19.02.2013 से)

कार्यकारी निदेशक

श्री दिलीप कुमार घोष	:	निदेशक (तकनीकी) (13.10.2011 से)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी) (13.01.2012 से)
श्री शेखर सरन	:	निदेशक (तकनीकी) (1.06.2013 से)
श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी) (08.01.2014 से)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय (27.1.2010 से)
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड (29.02.2012 से)

स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

श्री राकेश कुमार मित्तल	:	निदेशक (01.11.2013 से)

स्थायी आमंत्रित सदस्य :

श्री शरद घोड़के	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

श्री पी लाजर	:	उप महाप्रबंधक(वित्त)/कम्पनी सचिव (01.04.2011 से)

1.5.2015 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक :

श्री अमल कुमार देबनाथ	:	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक
श्री दिलीप कुमार घोष	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री राजेश कुमार चोपड़ा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री शेखर सरन	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार(परियोजना), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक(तकनीकी),कोल इंडिया लिमिटेड

स्वतंत्र निदेशक

श्री राकेश कुमार मित्तल	:	स्वतंत्र निदेशक

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री शरद घोड़के	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

श्री पी लाजर	:	, उप महाप्रबंधक(वित्त)/कम्पनी सचिव

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय :

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
केनरा बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
यू.को. बैंक
सिंडिकेट बैंक

अंकेक्षक

मेसर्स के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
1, न्यू अनन्तपुर, राँची, 834002 (झारखंड)

निबंधित कार्यालय :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड,राँची– 834 031, झारखण्ड, भारत

CIN : U14292JH1975GOI001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

40 वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना

संदर्भ सं. : सीएमपीडीआईएल/सीएस/एजीएम–40/2015/3979 **दिनांक :** 04.06.2015

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सभी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए कम्पनी की 40 वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी के निबंधित कार्यालय, गोन्दवाना प्लेस, कॉके रोड, रॉची में 22 जून, 2015 दिन सोमवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित की जाएगी :

क. सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2015 के अनुसार अंकेक्षित तुलन–पत्र, इसी तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा के साथ–साथ सांविधिक रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक–मंडल की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना।
2. श्री डी.एन.प्रसाद (डीआईएन–00119593) जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) चक्रानुक्रम (रोटेशन) की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य है, अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।
3. श्री डी.के.घोष (डीआईएन–05133720) जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) चक्रानुक्रम (रोटेशन) की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं तथा जो पुनर्नियुक्ति के योग्य है, अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।

ख. विशेष कार्य

1. निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में विचार करना और यदि उपयुक्त पाया गया तो इसे संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के पारित करना।

   "संकल्प किया जाता है कि दिनांक : 22.05.2015 को आयोजित अपनी 186वीं बैठक में कॉस्ट ऑडिटर मेसर्स आर. राजन एंड कंपनी को वर्ष 2015–16 के लिए अनुमोदित पारिश्रमिक 98,438 रूपये प्रतिवर्ष एवं अंकेक्षण के लिए लागू सेवाकर एवं कॉस्ट ऑडिट की 50 प्रतिशत तक की सीमा तक जेब खर्च मिलेगा। इसे एतद् द्वारा अनुसमर्थित किया जाता है।

   ऊपर दिए गए विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

निदेशक – मण्डल के आदेशानुसार
वास्ते सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

ह/–
(पी.लाजर)
उप महाप्रबंधक (वित्त)/कम्पनी सचिव

ध्यातव्य :

1. वैसा सदस्य जो बैठक में भाग लेने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले बैठक में भाग लेने तथा मत डालने के लिए किसी एवजी या एवजियों को नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इसे लागू करवाने के लिए विधिवत् भरा हुआ एवजी (प्रॉक्सी) फार्म वार्षिक आम बैठक होने की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के निबंधित कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधान के अनुसार अल्पकालीन सूचना पर बैठक आयोजित करवाने की अपनी सहमति दें।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में तथा 26 सितम्बर, 2002 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के संकल्प (डिटरमिनेशन) के अनुसार निदेशक मंडल को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत निर्धारित करता है।

प्रति :
सभी शेयर धारक,
कम्पनी के सभी निदेशकगण ,
अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष,
कंपनी के सांविधिक अंकेक्षक
कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक वक्तव्य

वर्ष 2014–15 के लिए कॉस्ट आडिटरों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी (कॉस्ट आडिट रिपोर्ट) नियम 2011 को 3 जून, 2011 को अधिसूचित किया गया है। इसे कंपनी अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकार के अनुपालन में निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। एमसीए में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अनुपालन रिपोर्ट तथा वर्ष 2012–13 एवं इसके बाद से कॉस्ट आडिट रिपोर्ट भरना अनिवार्य कर दिया गया है।

सीएमपीडीआई की यह कॉस्ट एकाउन्टिग नीति कोल इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण कास्ट आडिटिंग नीति का भाग रहा है।

10.5.2013 को आयोजित सीएमपीडीआई की 172वीं बैठक में सीएमपीडीआई के बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक अंकेक्षण समिति की अनुशंसा पर कॉस्ट आडिटिंग करने के लिए मेसर्स आर. राजन एंड कंपनी को नियुक्त किया गया।

मेसर्स आर. राजन एंड कंपनी ने वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के लिए कॉस्ट आडिटिंग की है तथा उनका कार्य निष्पादन संतोषप्रद रहा है। निदेशक मंडल ने कि मेसर्स आर.राजन एंड कंपनी की पृष्ठभूमि, अनुभव तथा कार्य निष्पादन को देखते हुए वर्ष 2015–16 के लिए मेसर्स आर.राजन एंड कंपनी को कॉस्ट आडिटर के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। इस आम बैठक में कॉस्ट आडिटर मेसर्स आर.राजन एंड कंपनी, राँची की नियुक्ति वर्ष 2015–16 के लिए 98,4,38, रू. की दर से पारिश्रमिक तथा लागू सेवा कर एवं कॉस्ट आडिट फी का 50 प्रतिशत तक उपरी खर्च के अनुसमर्थन के अनुसार होगा।

कंपनी (आडिट एंड आडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कंपनी, अधिनियम की धारा 148 के अनुसार दिनांक : 22.5.2015 को आयोजित 186वीं बोर्ड मिटिंग में कास्ट आडिटर के रूप में मेसर्स आर. राजन की नियुक्ति को कंपनी की आम बैठक में अनुसमर्थित किया जाना है।

संकल्प में किसी निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का कोई संबंध या हित निहित नहीं है।

यह बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की अनुशंसा करता है।

अध्यक्ष का कथन

श्री अमल कुमार देबनाथ
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआई की 40वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1. विकास की रूप–रेखा :

भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआई की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाली संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। आपकी कंपनी कोयले के गवेषणा, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, क्षेत्र सेवाएँ इत्यादि के क्षेत्रों में सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों को घरेलू परामर्शी सेवा प्रदान करती रही है। सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के अलावे धात्विक खनन (मेटल माइनिंग) क्षेत्रों के ग्राहकों को भी इस तरह की सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय को भी गैर सीआईएल ब्लॉक, सीबीएम एवं शेल गैस इत्यादि से संबंधित इसी प्रकार की सेवाएँ भी दे रहा है।

सीएमपीडीआई के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाया गया। इसके कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त, कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा स्थापित कर आधारभूत सुविधा का निर्माण कर सीएमपीडीआई ने अपने कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढाया है। इन सब उपायों ने सीएमपीडीआई को खनिज एवं खनन के क्षेत्र में संपूर्ण समाधान करने वाली अद्वितीय कंपनी बना दिया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल (दक्ष) श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी। कुल मिलाकर, बदलते व्यावसायिक परिदृश्य तथा इसके परिणामस्वरूप देश के अंदर तथा विदेशी खनन क्षेत्र में हुए बदलाव के कारण मुख्यतः 2000 के बाद विशेषज्ञों के निर्गमन में और वृद्धि हो गई। तथापि, कुछ हद तक आईएसओ के समावेश एवं कम्प्यूटराइजेशन के साथ–साथ खनन उद्योग से संबंधित साफ्टवेयर के प्रयोग तथा खास कर, कोयला गुण निर्धारण, पर्यावरण सुविधा से संबंधित उपकरणों में की गई वृद्धि के बावजूद कंपनी अपनी सेवाओं तथा सुविधाओं के संपूर्ण उन्नयन तथा दक्षता को उत्कृष्ट स्तर तक लाने में कुछ पीछे रह गई।

सीएमपीडीआई के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिसमें भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है , ने लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) के आस–पास थी तथा टर्न ओवर लगभग 150 से 200 करोड़ रूपये (2004–05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रूपए) था। विशेषज्ञता, तकनीकी सुविधाओं तथा सहायता सुविधाओं का विकास और कोयला उद्योग को कंपनी द्वारा दी जा रही सेवाओं को उच्च स्तर तक लाने में प्रगति न होने के कारण निकट भविष्य में कोयला उद्योग के हित के लिए कंपनी की विशिष्टता को संपूर्णरूप से सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि कोयला क्षेत्र में अंगीकृत नई प्रौद्योगिकी अपनाने तथा रणनीति बनाने में सीएमपीडीआई अग्रदूत रहा है।

यह परिकल्पना की गई कि सीएमपीडीआई को न केवल अपनी श्रमशक्ति की कुशलता तथा आधारभूत सुविधाओं में बेहतरी करने की आवश्यकता है, बल्कि गवेषण एजेंसी, सलाहकार तथा तकनीकी सेवा प्रदाता और अनुसंधान एवं विकास संस्थान के रूप में अपनी भूमिका में पर्याप्त विस्तार करने की भी जरूरत है। इसके लिए उपयुक्त उपाए थे गवेषण क्षमता में वृद्धि करना, वर्तमान सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति के उपयोग को युक्तिसंगत बनाना, अधिकारी श्रमशक्ति का समावेशन, कोयला से इतर खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण के नवीन क्षेत्रों में विविधिकरण, मूल्य के हिसाब से बाहरी कार्य (गैर–सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग के जरिए इन्वेन्टरी कन्ट्रोल और ड्रिलिंग सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मानिटरिंग प्रणाली की स्थापना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पित स्रोत का विकास आदि।

2. वित्तीय उपलब्धि :

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आपकी कंपनी ने कर के पहले 39.33 करोड़ रू. लाभ के साथ–साथ 726.72 करोड़ रू. का अधिकतम टर्न ओवर हासिल किया है। आपकी कंपनी का निबल मूल्य (नेटवर्थ) 31.3.14 के अनुसार 155.88 करोड़ रू. से बढ़कर 31.3.2015 के अनुसार 178.06 करोड़ रू. हो गया। इस वित्तीय वर्ष में प्रति शेयर उपार्जन 1028 रू. से बढ़कर 1315 रू. हो गया।

3. ड्रिलिंग उपलब्धि :

आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 के दौरान की गई 5.97 लाख मी. ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2014–15 में विभागीय संसाधन तथा आउटसोर्सिंग के जरिए गत वर्ष की ड्रिलिंग में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 8.28 लाख मी. ड्रिलिंग की है। वर्ष 15–16 के लिए लक्ष्य में पर्याप्त वृद्धि कर इसे 15 लाख मीटर कर दिया गया है, (विभागीय गवेषण क्षमता बढ़कर 4 लाख मीटर के स्तर तक कर दिया गया है)। इसके कारण ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त संख्या में कोयला ब्लॉक के आउटसोर्सिंग पर बल देना आवश्यक हो गया है।सीएमपीडीआई ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रतिवर्ष एक लाख मीटर गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है। वर्ष 2014–15 से वार्षिक सीमा 2.5 लाख मीटर पुनः बढ़ा दिया गया है। सीएमपीडीआई तथा एमईसीएल के बीच एमओयू के जरिए ड्रिलिंग क्षमता पुनः बढ़ा कर 4.00 लाख मीटर करने के उपाय किए जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक 9 दौर की निविदा की जा चुकी है तथा 50 ब्लॉकों में 17.17 लाख मीटर के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

4. आईसीआरआईएस :

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमेदित '' समेकित कोयला संसाधन सूचना प्रणाली (आसीआरआईएस)'' नामक परियोजना के भाग के रूप में सभी कोलफील्ड्सों में डाटा बेस बनाने के लिए देश के कोयला संसाधन डाटा को डिजिटल रूप में स्टोर किया गया है। ब्लॉकों/क्षेत्रों के भू–वैज्ञानिक मॉडेल के डीजीपीएस सर्वेक्षण तथा मैप डाटा को डब्ल्यूजीएस–84 में बदलने का कार्य जारी है। सीएमपीडीआई के गवेषण विभाग द्वारा सतत् विभागीय कार्य के रूप में माडलिंग कार्य नियमित रूप से जारी रखा गया है। विभिन्न कोलफील्डों के ब्लॉक से संबंधित सूचना को एकत्र करने के लिए विभिन्न स्तर के प्रयोक्ता इस साईट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

5. परियोजना रिपोर्ट :

12वीं योजना के लिए 126 परियोजनाओं की पहचान की गई, परिणामस्वरूप लगभग 473 एमटी क्षमता में वृद्धि हुई जिसके मुकाबले 366 एम टी अतिरिक्त क्षमता वाली 96 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। विवेच्य

वर्ष के दौरान लगभग 116 मी.ट. क्षमता वृद्धिवाली 30 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। 12वीं योजना के आने वाले वर्षों में 107 मी.ट. क्षमता वृद्धिवाली शेष 30 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 1.4.2013 के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लासीफिकेशन (यूएनएफसी) के आधार पर खानों/ब्लॉकों के लिए कोयला भंडार/संसाधन का वर्गीकरण किया गया।

6. प्रयोगशालाओं का उन्नयन :

सीएमपीडीआई की अधिकतर प्रयोगशालाओं का उन्नयन कर दिया गया है। परिष्कृत आयातित उपकरणों से रासायनिक तथा पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को सुसज्जित कर इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–1 तथा क्षेत्रीय संस्थान–4 की पर्यावरण प्रयोगशाला को उन्नत किया गया है तथा क्षेत्रीय संस्थान–5 में इस तरह की प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जबकि क्षेत्रीय संस्थान–6 की पर्यावरण प्रयोगशाला को उन्नत किया जा रहा है। क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर तथा क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद में नई पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। सीएमपीडीआई पहले से ही स्थापित अपनी स्टेट आफ दि आर्ट सीबीएम प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने की कार्रवाई कर रहा है, इस प्रयोगशाला को शैल गैस की संभावना की मूल्यांकन के लिए टीओसी उपकरण की सुविधा से युक्त कर दिया गया है। सीएमपीडीआई की सीबीएम प्रयोगशाला में रॉक इवॉल एनालाइजर की स्थापना की गई है। उप कार्यान्वयक एजेंसी एआरआई (यूएसए) ने झरिया तथा इस्ट बोकारो कोलफील्ड के अध्ययन वाले क्षेत्र में शैल गैस की संभावना का मूल्यांकन तथा सीमुलेशन किया है।

7. श्रमशक्ति की भर्ती :

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं की श्रमशक्ति की आवश्यकता पर विचार किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न विधाओं (डिसिप्लिन) के 40 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को सीएमपीडीआई में बहाली एवं स्थानांतरण के जरिए पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों से 675 कर्मचारियों (गैर–अधिकारी) को मँगाया गया है तथा श्रमशक्ति को और बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है।

8. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तथा भू–उपयोग/ वनस्पति आच्छादन :

वर्ष 2008 से प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला+ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह निगरानी प्रणाली की शुरूआत की गई है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर प्रतिवर्ष 5 मिलियन घन मीटर से कम उत्पादन क्षमता वाली कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों की भी भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान हाई रिज्योल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 86 खुली खान परियोजनाओं की भूमि पुनरूद्धार मानिटनिंग की जा चुकी है। वनाच्छादन/भू–उपयोग पैटर्न पर कोयला खनन के कारण पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के लिए उपग्रह आँकड़े पर आधारित/कोयला क्षेत्र जैसे राजमहल, रानीगंज, मांद रायगढ़, सोहागपुर, ईब घाटी, पेंच कन्हान तथा उमरेर का वनाच्छादन मानचित्रण कार्य पूरा किया जा चुका है।

9. कोल वाशरी की स्थापना में सहायता :

आपकी कंपनी कोयला वाशरियों की स्थापना, खासकर रन ऑफ माइन (रोम) कोयले के परीक्षण, प्लानिंग, वाशरियों के निर्माण एवं इसकी स्थापना, बोली प्रक्रिया का प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को सहायता देती आ रही है। यह उम्मीद की जाती है कि देश में धुलित कोयले की बड़े पैमाने पर आवश्यकता को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा दी जा रही सेवाओं में और वृद्धि होगी । इसको ध्यान में रखकर क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित (ख्याति प्राप्त) संस्थानों से अभियंताओं की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त, धोवन क्षमता परीक्षण आदि की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नए उपकरण लगाकर कोयला परिष्करण प्रयोगशाला को उन्नत किया गया है।

10. पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2014–15 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को दी जा रही पर्यावरणिक सेवा में 16 फार्म–1 की तैयारी तथा 33 ड्राफ्ट ईएमपी का निर्माण शामिल है। आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयन्त, तालचर, ईब घाटी तथा राँची स्थित 9 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 314 परियोजनाओं/संस्थानों की

पर्यावरणिक मानिटरिंग (वायु, हवा एवं ध्वनि) की गई। कोयला मंत्रालय द्वारा 2013 में जारी संसोधित दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई द्वारा विवेच्य वर्ष के दौरान 7 माइन क्लोजर प्लान तैयार किए गए। तथापि, भावी पर्यावरणिक सेवाओं की आवश्यकता तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से और अधिक कड़े शर्तों की संभावना पर विचार करते हुए हमारे द्वारा दी जा रही पर्यावरणिक सेवाओं के लिए सतत आधार पर क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

11. कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत :

कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधन के व्यावसायिक विकास को आसान बनाने के लिए सीएमपीडीआई ने अपना प्रयास जारी रखा और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर व्यावसायिक तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। सीएमपीडीआई की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार है :

ओएनजीसी तथा सीआईएल के कंसोर्टियम को आवंटित दो ब्लॉकों झरिया तथा रानीगंज नार्थ में सीबीएम के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों का अनुसरण कर रहा है तथा प्रशासनिक तथा संविदात्मक एवं परिचालानात्मक जैसे अन्य मुद्दों पर कोल इंडिया लिमिटेड को सहायता दे रहा है।

कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में सीएमएम के विकास की गति को और तेज करने के लिए कई प्रोएक्टिव कदम उठाए गए तथा कोल इंडिया लिमिटेड के पाँच चिह्नित क्षेत्रों में सीएमएम के विकास हेतु औपचारिक दिशा–निर्देश जारी करने के लिए उचित सरकारी स्तर पर मामले को उठाया गया। कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में सीएमएम के विकास के क्षेत्र को और बढ़ाने के लिए "कोल इंडिया के अधिकार वाले क्षेत्रों में सीएमएम की संभावना का मूल्यांकन" पर अध्ययन किया जा चुका है।

सीएसआरआई, आस्ट्रेलिया के सहयोग से वीएएम के प्रशमन एवं उपयोग के लिए एक परियोजना तैयार की गई है, जिसे एनसीईएफ तथा सीआईएल आरएंडडी कोष के तहत शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

सीएमपीडीआई वैश्विक (ग्लोबल) प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए उनके अवार्ड के लिए संभावित सीबीएम ब्लॉकों की पहचान से संबंधित कार्य करने पर विचार कर रहा है। डाटा डोजियर्स तैयार करने के लिए ब्लॉकों के निर्धारण हेतु डीजीएच के साथ विचार–विमर्श जारी है। यह कार्य राष्ट्रीय हित में भी है।

सीएमपीडीआई ने मेसर्स एआरआई (एडवांस रिसोर्स इंटरनेशनल), यूएसए, ईयूआरसी (यूरोपियन यूनियन रिसर्च कमिशन) तथा आईआईटी, खड़गपुर जैसे ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर सीबीएम, सीएमएम तथा शेल गैस के क्षेत्र में 3 अनुसाधन एवं विकास परियोजनाएँ भी पूरी की है।

सीएमपीडीआई में एक आधुनिकतम (स्टेट आफ दि आर्ट) सीबीएम प्रयोगशाला काम कर रहा है, जो सीबीएम के संसाधन तथा उत्पादन क्षमता मूल्यांकन करने के लिए इस तरह की विविध क्षमता वाली कोल इंडिया लिमिटेड में एक मात्र तथा भारत में कुछ ही प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला सीबीएम तथा शेल गैस से संबंधित अध्ययन करने के लिए अपेक्षित उपकरण से पूर्णतः सुसज्जित है। यह सीबीएम तथा आंतरिक शेल गैस से संबंधित सभी पारामेट्रिक डाटा तैयार करने का कार्य भी कर रहा है। यह अपेक्षित अध्ययन करने के लिए जीएसआई को भी अपनी सेवाएँ दे रहा है। सीबीएम से संबंधित कार्य करने वालों द्वारा डाटा जेनरेशन हेतु प्रयोगशाला सेवा का उपयोग करने के लिए सीएमपीडीआई से पूछ–ताछ की जा रही है।

12. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

आपकी कंपनी कोयला मंत्रालय तथा सीआईएल बोर्ड के एसएंडटी अनुदान के तहत वित्त प्रदत अनुसंधान कार्यों को समन्वित करने वाली नोडल एजेंसी है। विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान के आरएंडडी कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआई अपने सुसज्जित प्रयोगशाला की सहायता से खनन, कोल बेड मिथेन सहित कोयला गवेषण, कोल माइन मिथेन (सीएमएम), शेल गैस मूल्यांकन, कोयला परिष्करण एवं उपयोग तथा खान पर्यावरण से संबंधित मुद्दो जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान कर रहा है।

विगत 40 वर्षों से इनमें से कई परियोजनाओं के परिणामस्वरूप संगठन में सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भरपूर लाभ मिला है। जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं का उद्योग पर सीधे प्रभाव पड़ा है, कुछ अन्य हैं, जिनसे चालू खानें तथा भावी खनन पर्यावरण परियोजनाओं दोनों के लिए अपेक्षित खनन योजना, डिजाइन तथा तकनीकी सेवाएँ और सशक्त हुई है। खासकर, भारतीय भू–खनन स्थितियों के लिए विकसित डिजाइन टूल्स, भूमिगत कोल पिलर डिजाइन, रूफ कैविटी का विश्लेषण, भू–तल धँसान का पूर्वानुमान, भिन्न–भिन्न शैल (रॉक) स्थितियों के अनुकूलतम विस्फोटन डिजाइन, खुली खदान का ढाल स्थायित्व आदि जैसे अनेक प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए अब उपलब्ध है।

वर्ष 2014–15 के दौरान 8 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ पूरी की गई। इनमें कुछ बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजनाओं में डम्प ट्रकों के बीच हेड से लेकर टेल तक कोलिजन को रोकने के लिए समेकित डम्पर कोलिजन एव्याडेंस प्रणाली, डम्पर एवं अदृश्य (ब्लाइंड) वस्तुओं के बीच टक्कर को रोकने के लिए प्रोक्सिमीटी वार्निंग सिस्टम तथा खुली खदानों में ओवर बर्डेन डम्प से डम्पर को गिरने से रोकने के लिए रिवर्स सेफ्टी सिस्टम, डिपिलरिंग कार्य के दौरान संस्तर के बचाव के लिए गोफ एज में लकड़ी का चॉक्स एवं पोब्स खड़ा करनें में लगने वाला समय तथा श्रम की अधिकता को कम करने के लिए सेल्फ एवांसिंग (मोबाइल) गोफ एज सपोर्ट का विकास, एससीसीएल की खानों के लिए 3डी न्यूमेरिकल माडलिंग द्वारा धँसान पूर्वानुमान हेतु साफ्टवेयर का विकास, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के खानों के विशिष्ट खनन उपकरणों को घिसाव से बचाव के लिए कस्टमाइज्ड आर्गेनिक कोटिंग का विकास तथा गहराई में स्थित कोयला एवं शेल संसाधन से सीबीएम की प्रति को सुनिश्चित करने के लिए कुछ भारतीय कोयले की स्वेलिंग श्रिंकेज गुण का अध्ययन, गोन्दवाना के बेसिन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन आदि शामिल है। सीएमपीडीआई अधिक से अधिक अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करने का हरसंभव प्रयास कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, रेडियोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग कर कोयला परिष्करण परियोजना, एक्सपेंसन फोम एजेंट का प्रयोग कर भूमिगत खानों में आग लगने की स्थिति में क्विक सेटिंग स्टॉपिंग का निर्माण, भूमिगत कोयला खानों के लिए होलिरोबोटिक तथा रिमोट ऑपरेशन टेक्नोलॉजी का विकास, भारतीय कोयला खानों के लिए सीबीएम भंडार का आकलन, स्थानीय समुदाय के लाभ के उद्देश्य से दीर्घकालिक स्थायी आय सृजन करने तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए परित्यक्त कोयला क्वारियों में मछली पालन संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी माइन व्यायड एक्वा इको सिस्टम का विकास कार्य अन्य संगठनों से साथ मिलकर किया जा रहा है।

अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत, सीएमपीडीआई के कार्यालय भवन की छत पर सोलर फोटोवेल्टैक पावर्ड माइक्रोग्रिड सिस्टम की स्थापना की गई है। संयंत्र की कुल संस्थापित क्षमता लगभग 1.191 किलो वाट है।जब यूटिलिटी ग्रीड (जेएसईबी) की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है तब आंतरिक ग्रिड (सीएमपीडीआई) को आपूर्ति करने के लिए ग्रिड इन्टरोक्टिव इन्वर्टर के जरिए पीवी सोलर सिस्टम तथा डीजी सेट से कन्वेन्शन ग्रिड (यूटिलीटी सप्लाई) को जोड़ दिया जाता है। इससे जेनरेटर चलाने में होने वाली डीजल की खपत में काफी कमी आई है।

13. ई–प्राप्ति तथा संविदा प्रबंधन :

सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा 6 राज्यों में फैले अपने क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा किए जा रहे सभी संविदाओं में ई–प्राप्ति पद्धति (ईपीएस) के कार्यान्वयन के प्रारंभिक उद्देश्य से सीएमपीडीआई में ई–प्राप्ति तथा संविदा प्रबंधन विभाग बनाया गया है। सीएमपीडीआई ने ड्रिलिंग आउटसोर्सिंग, सिविल संविदा तथा सामानों की खरीद से संबंधित संविदाओं में ईपीएस का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है।

सीएमपीडीआई के लिए यह गर्व का विषय है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के इतिहास में पहली बार इलेक्ट्रोनिक मोड के जरिए एनसीएल की जयंत परियोजना में कोल हैण्डलिंग संयंत्र के निर्माण के लिए टर्न की निविदा शुरू की गई है। अन्य कार्यों एवं सेवाओं से सबंधित निविदा के अतिरिक्त यथासमय कोल हैंडलिंग प्लांट तथा कोयला वाशरी से संबंधित सभी तरह की निविदाएँ ईपीएस के जरिए की जाएँगी।

सीएमपीडीआई ने एमसीएल पोर्टल पर अपलोड की जा रही निविदाओं के लिए ऑनलाइन रिसिप्ट तथा अग्रधन जमा (ईएमडी) का ऑटोरिफंड तथा समायोजन प्रणाली चालू किया है। इस नए मॉड्यूल से कागजी काम कम करने, मानवीय हस्तक्षेप कम करने तथा असफल बिडरों को ईएमडी का अपेक्षाकृत जल्द भुगतान करने में मदद मिलेगी। कोल इंडिया लिमिटेड में एमसीएल के बाद सीएमपीडीआई दूसरी कंपनी है जिसमें ऑन लाइन ऑटोरिसिप्ट इएमडी की वापसी तथा समायोजन का कार्य शुरू किया है।

14. सामाजिक निगमित दायित्व तथा सस्टेनेब्लिटी :

आपकी कंपनी ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सीएसआर कार्य के जरिए आसपास के समुदायों तथा व्यापक समुदायों के साथ भी मजबूत सहभागिता बनाई है। सीएमपीडीआई द्वारा सीएसआर एवं सस्टेनेब्लिटी के तहत टिकाऊ विकास कार्यान्वित करने पर बल दिया गया। वर्ष 14–15 के दौरान किए गए कार्यों में रामकृष्ण मिशन सेनेटोरियम,टिपूदाना, राँची, झारखंड को कम्प्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी से युक्त हाई फ्रिक्वेंसी वाला 100 एमए एक्स–रे मशीन की स्थापना तथा एक बेड के रख–रखाव के लिए वित्तीय सहायता, केसी राय मेमोरियल चेरिटेबल अस्पताल को वित्तीय सहायता, क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर में पारंपरिक लाइट को बदल कर ऊर्जा संरक्षण वाला लाइट लगाने तथा सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली में रेन वाटर हारवेस्टिंग आदि शामिल हैं।

15. गुणता आश्वासन के क्षेत्र में परामर्शी सेवा :

सीएमपीडीआई के दिशा–निर्देश में विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानक के लिए 78 ईकाइयों (18 नए प्रमाणित ईकाई) का प्रमाणन तथा पुनः प्रमाणन प्राप्त किया गया। सीएमपीडीआई ने अपने मुख्यालय में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर सितम्बर, 14 में आईएसओ 27001 प्राप्त किया। विभिन्न खुली खदानों तथा भूमगत खदानों, अस्पतालों, वाशरी, प्रशिक्षण संस्थानों आदि के लिए अन्तराष्ट्रीय मानक– आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001 तथा आईएसओ 17025 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों को प्रमाणानोत्तर सहायता सेवाएँ दी गई। इसके अतिरिक्त, सीसीएल तथा एनसीएल को कंपनी स्तर पर समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस इंटिग्रेटिंग आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, तथा ओएचएसएएस 19001) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने तथा रखरखाव करने में सुविधा दी गई तथा ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल के लिए कंपनी स्तर पर आईएमएस कार्य शुरू किया गया। सीएमपीडीआई ने उनके आईएसओ 9001 की दिशा में कार्य करने के लिए सहायता एवं दिशा–निर्देश दिया, जिससे अक्टूबर 2014 में भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ 9001 लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिली।

16. कोल इंडिया से इतर कम्पनियों को परामर्शी सेवाएँ :

वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 22संगठनों को 29 परामर्शी सेवाएँ दी गई। इनमें कुछ प्रमुख संगठन है : नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, महान कोल लिमिटेड, कर्नाटका पावर कारपोरेशन लिमिटेड आदि।

वर्तमान में स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एमओआईएल लिमिटेड, टाटा स्टील, उड़ीसा इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलपमेंट कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, ओड़िसा माइनिंग कारपोरेशन, ओडीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, बैतरनी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जैसे 16 संगठनों के कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 26 कार्य हाथ में है।

सीएमपीडीआई को मेसर्स एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा अपने तीन लौह अयस्क खानों के बड़े हेवी अर्थमूविंग उपकरण की कार्य निष्पादन समीक्षा का गौरवशाली कार्य दिया गया है। सीएमपीडीआई लौह अयस्क खानों के लिए इस तरह का अध्ययन पहली बार करेगा हलांकि यह कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खानों के लिए इस तरह का कार्य प्रतिवर्ष कर रहा है।

वर्ष 2014–15 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 19संगठनों से 11.63 करोड़ रूपए का कार्य प्राप्त किया गया है।

17. मान्यता एवं पुरस्कार :

भारत सरकार ने सीएमपीडीआई के योगदान एवं महत्व को पहचाना है तथा मई, 2009 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के प्रावधान के अनुरूप इसे मिनी रत्न कंपनी (कैटगरी–2) से नवाजा है। लोक उद्यम विभाग के निर्देश में लोक उपक्रमों को अधिक प्रभावी तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए नीतिगत उद्देश्य के रूप में लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (लोक उपक्रमों) को अधिक स्वायत्तता तथा शक्ति (अधिकार) स्वीकृत करने हेतु प्रावधान किया गया है। 2007–08 से 2009–10 तक ''एक्सेलेंट एमओयू कंसीस्टेन्शी रेटिंग'' प्राप्त करने में सीएमपीडीआई की उपलब्धि (कार्यनिष्पादन) प्रतिबिम्बित हुई तथा एमओयू रेटिंग के अनुसार वर्ष 2008–09 के लिए इसे ''कोल इंडिया लिमिटेड की सर्वोत्कृष्ट कार्य निष्पादक कंपनी माना (निर्णय दिया) गया। सीएमपीडीआई ने 2011–12 तथा 12–13 के लिए उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्राप्त किया है। वर्ष 2013–14 के लिए सीएमपीडीआई को उत्कृष्ट (1.395) का दर्जा दिया गया है।

क्यूसीआई द्वारा सीएमपीडीआई को मान्यता : भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्तों के अनुसार क्वालिटी काउसिल ऑफ इंडिया (कयूसीआई), नई दिल्ली द्वारा सीएमपीडीआई को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईआईए/ईएमपी) के लिए परामर्शदाता संगठन के रूप में मान्यता दी गयी है। क्यूसीआई ने मार्च 2014 में सीएमपीडीआई का निगरानी मूल्यांकन किया तथा इसका परिणाम 23 अगस्त, 2014 को घोषित किया। सीएमपीडीआई ने थर्मल पावर के क्षेत्र में क्वालीफाई कर एक और उपलब्धि हासिल है।

सीएमपीडीआई को अपनी पर्यावरण प्रयोगशाला सेवा के लिए ओएचएसएएस–18001 हेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन प्रयोगशाला (एनएबीएल) हेतु हाल ही में नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड की मान्यता मिली है।

18. निगमित शासन :

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश की शर्तों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों को सीएमपीडीआई द्वारा पूरा किया गया है। कारपोरेट गवर्नेंस पर एक पृथक धारा तथा कंपनी के सांविधिक अंकेक्षकों से प्राप्त कॉर्पोरेट गवनेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण–पत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आभारोक्ति :

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों तथा आफिसर्स असोसिएशन के सदस्यों के हार्दिक सहयोग के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भविष्य में कार्य के प्रति समर्पण के लिए दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने के प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर शेयर होल्डरों के समर्पित प्रतिबद्धता एवं कार्य निष्पादन से चुनौतियों एवं आकांक्षओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालय तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों तथा विक्रेताओं (बेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

ह/0

स्थान : राँची (ए.के.देबनाथ)

दिनांक : 22.06.2015 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक)

कार्य – निष्पादन : एक नजर में

	विवरण	इकाई	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री)	करोड़ रू. में	726.72	647.43	601.05	524.03	429.09	453.53	329.82
2	कर पूर्व लाभ	करोड़ रू. में	39.33	34.60	29.77	30.79	23.69	19.61	6.74
3	कर पश्चात् लाभ	करोड़ रू. में	25.04	19.57	25.05	19.61	15.32	11.46	4.84
4	धारित लाभ	करोड़ रू. में	25.04	19.57	25.05	19.61	15.32	11.46	4.84
5	नेट ब्लॉक	करोड़ रू. में	80.83	72.11	75.72	78.55	72.45	68.06	58.23
6	नेट वर्थ	करोड़ रू. में	178.06	155.88	134.89	110.92	87.92	73.78	67.49
7	चालू परिसंपत्तियाँ	करोड़ रू. में	688.82	629.85	580.21	466.93	409.67	417.88	315.48
8	चालू देयताएँ	करोड़ रू. में	548.26	491.13	446.06	347.72	319.66	317.26	221.09
9	कार्यशील पूंजी [(7) - (8)]	करोड़ रू. में	140.56	138.72	134.15	119.21	90.01	100.62	94.39
10	नियोजित पूंजी	करोड़ रू. में	221.39	210.83	209.87	197.76	162.46	168.68	152.62
11	सकल मार्जिन	करोड़ रू. में	49.90	44.09	42.61	36.67	26.51	27.30	11.33
12	कर्मचारियों की संख्या	नंबर	3634	3135	3142	3129	3102	3156	3065
13	नियोजित रिटर्न पूंजी	करोड़ रू. में	17.77	16.41	14.18	15.57	14.58	11.63	4.42
14	प्रति शेयर फेस वैल्यू	रू. में	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
15	प्रति शेयर अर्जन	रू. में	1315.00	1028.00	1316.00	1030.00	805.00	602.00	254.00

निबल मूल्य = प्रदत्त पूंजी + आरक्षित एवं अधिशेष – संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय

नियोजित पूंजी = नेट ब्लॉक + कार्यशील पूंजी

ग्रास मार्जिन = नेट प्राफिट + मूल्य ह्रास + ब्याज + पीपी समायोजन + कर व्यय

टिप्पणी : वर्तमान अवधि के साथ कम्परेबुल बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यकता हो, गत वर्ष के आंकड़े को पुनर्व्यवस्थित/री–ग्रुप/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

विगत 10 वर्षो के दौरान श्रमशक्ति

वर्ष	अधिकारी	कर्मचारी	कुल
1.4.2005 के अनुसार	830	2460	3290
1.4.2006 के अनुसार	807	2427	3234
1.4.2007 के अनुसार	774	2353	3127
1.4.2008 के अनुसार	760	2288	3048
1.4.2009 के अनुसार	772	2293	3065
1.4.2010 के अनुसार	824	2332	3156
1.4.2011 के अनुसार	811	2291	3102
1.4.2012 के अनुसार	855	2274	3129
1.4.2013 के अनुसार	957	2185	3142
1.4.2014 के अनुसार	970	2165	3135
1.4.2015 के अनुसार	934	2695	3629

वित्तीय सांख्यिकी

₹ करोड़ रू.में

	31.3.2015 के अनुसार		31.3.2014 के अनुसार		31.3.2013 के अनुसार		31.3.2012 के अनुसार		31.3.2011 के अनुसार		31.3.2010 के अनुसार		31.3.2009 के अनुसार	
निधि के स्रोत														
-														
इक्विटि एवं देयताएँ														
शेयर होल्डर का निधि														
ए) शेयर पूंजी	19.04		19.04		19.04		19.04		19.04		19.04		19.04	
बी) आरक्षित एवं अधिशेष	159.02		136.84		115.85		91.88		68.88		54.74		48.45	
		178.06		155.88		134.89		110.92		87.92		73.78		67.49
गैर चालू देयताएँ														
ए) दीर्घकालीन उधारी	-		-		-		-		-		-		-	
बी) आस्थगित कर देयता (निबल)	-		-		-		-		-		-		-	
सी) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	-		-		-		-		-		-			
डी) दीर्घकालीन प्रावधान	183.29		183.51		182.11		170.40		141.71		154.83		139.02	
		183.29		183.51		182.11		170.40		141.71		154.83		139.02
चालू देयताएँ														
ए) अल्पकालीन उधारी	-		-		-		-		-		-		-	
बी) पेशागत देय	50.47		45.80		32.43		33.45		22.95		39.87		28.42	
सी) अन्य चालू देयताएँ	238.41		222.99		215.18		161.43		125.39		166.17		187.44	
डी) अल्पकालीन प्रावधान	259.38		222.34		198.45		152.84		171.32		111.22		5.23	
		548.26		491.13		446.06		347.72		319.66		317.26		221.09
कुल		**909.61**		**830.52**		**763.06**		**629.04**		**549.29**		**545.87**		**427.60**
निधि के उपयोग														

गैर चालू परिसंपत्तियाँ														
ए) अचल परिसंपत्ति														
i) टेंजिबुल परिसंपत्ति–सकल ब्लॉक	195.92		181.60		182.39		187.85		176.05		167.54		153.08	
घटाकर : मूल्य ह्रास इम्पेयरमेंट एवं प्रावधान	119.62		109.49		106.67		109.30		103.60		99.48		94.85	
नेट कैरिंग मूल्य		76.30		72.11		75.72		78.55		72.45		68.06		58.23
ii) इनटेंजिबुल परिसंपत्ति–सकल ब्लॉक	7.55		2.21		5.61		5.20		4.05		2.23		3.59	
घटाकर : मूल्य ह्रास इम्पेयरमेंट एवं प्रावधान	3.02		2.21		5.61		5.20		4.05		2.23		3.59	
नेट कैरिंग मूल्य		4.53		-		-		-		-		-		-
iii) चालू पूंजीगत कार्य		29.44		24.93		10.83		11.03		5.14		2.08		8.99
iv)विकासाधीन इनटेंजिबल परिसंपत्तियाँ		-		-		-		-		-				-
बी) गैर चालू निवेश		-		-		-		-		-				-
सी)आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)		106.43		101.59		95.54		71.67		59.91		54.51		43.57
डी) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम		4.07		2.02		0.74		0.84		2.10		3.32		1.31
ई) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02
चालू परिसंपत्तियाँ														
ए) चालू निवेश	-		-		-		-		-		-		-	
बी) निवेश	6.10		5.77		6.04		6.77		6.77		6.29		3.99	
सी) पेशागत प्राप्ति	236.36		198.34		323.80		246.92		190.46		275.87		249.68	
डी) नकद एवं नकद तुल्यमान	85.92		109.18		117.89		61.21		61.04		69.24		47.14	
ई) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	360.39		316.51		132.43		151.98		151.35		66.43		14.32	
एफ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.35	
		688.82		629.85		580.21		466.93		409.67		417.88		315.48
कुल		909.61		830.52		763.06		629.04		549.29		545.87		427.60

वित्तीय सांख्यिकी

₹ करोड़ रू.में

	31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लिए आँकडें	31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए आँकडें	31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिए आँकडें	31.3.2012 को समाप्त वर्ष के लिए आँकडें	31.3.2011 को समाप्त वर्ष के लिए आँकडें	31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिए आँकडें	31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए आँकडें
आय							
कोयले की बिक्री							
घटाकर :– एक्साइज डयूटी							
अन्य लेवी							
परिचालन से राजस्व	726.72	647.43	601.05	524.03	429.09	453.53	329.82
अन्य आय	5.48	5.01	4.16	4.68	4.78	2.88	2.21
कुल राजस्व	732.20	652.44	605.21	528.71	433.87	456.41	332.03
व्यय							
खपत की गई सामग्री	21.43	19.99	15.28	16.67	15.77	12.37	11.18
फिनिस्ड गुडस वर्क इन प्रोग्रेस तथा स्टॉक इन ट्रेड के इनभेंट्रिज में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
कर्मचारी लाभ पर व्यय	402.73	378.05	384.27	341.45	277.98	298.24	262.56
बिजली एवं इंधन	2.97	3.11	2.10	2.24	2.07	2.30	1.91
सीएसआर व्यय	1.68	1.82	1.06	0.50	0.57	0.09	0.03
मरम्मती	15.22	14.25	13.58	9.61	11.11	13.53	8.30
संविदात्मक व्यय	191.09	152.27	114.13	93	76.55	77.16	18.16
वित्तिय लागत	0.24	0.17	0.09	0	0.03	0.26	0.50
मूल्य ह्रास/एमोरटाइजेशन/इम्पेयरमेंट	10.32	9.83	7.56	6.73	5.48	4.84	4.03
प्रावधान	(0.07)	-0.19	0.39	-0.46	(2.90)	0.33	(0.49)
बट्टे खाते डाला गया	-	-	0.00	0.08	0.43	-	0.00

ओवर बर्डेन रिमुवल समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यय	47.25	39.05	31.79	28.95	25.78	25.09	19.05
कुल व्यय	692.86	618.35	570.25	498.77	412.87	434.21	325.23
अपवादात्मक एवं असाधरण मद एवं कर पूर्व लाभ/हानि	39.34	34.09	34.96	29.94	21.00	22.20	6.80
अवधिपूर्व समायोजन (शुल्क/आय)	0.01	(0.51)	5.19	(0.85)	(2.69)	2.59	0.06
अपवादात्मक मद							
असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ / (हानि)	39.33	34.60	29.77	30.79	23.69	19.61	6.74
असाधारण मद (शुल्क/ (आय))	-	-	-	-	-	-	
कर पूर्व लाभ/(हानि)	39.33	34.60	29.77	30.79	23.69	19.61	6.74
घटाकर :- कर व्यय							
-चालू वर्ष	19.13	19.15	28.58	22.97	13.22	21.04	25.01
-आस्थगित कर	(4.84)	(6.05)	(23.86)	(11.76)	(5.40)	(10.93)	(23.08)
- पूर्व वर्ष	-	1.93	-	(0.03)	0.55	(1.96)	(0.03)
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	25.04	19.57	25.05	19.61	15.32	11.46	4.84
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन							
(1000/- प्रति शेयर के फेस वैल्यू) (में)							
(1) बेसिक (रू. में)	1315.00	1028.00	1316.00	1030.00	805.00	602.00	254.00
(2) डायल्यूटेड (रू. में)	1315.00	1028.00	1316.00	1030.00	805.00	602.00	254.00

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

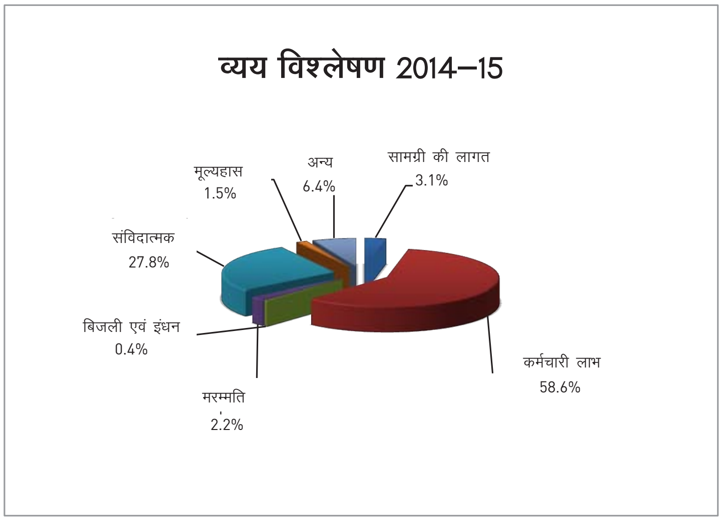

व्यय	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष (करोड़ रू. में)
वस्तु का मूल्य	21.43
कर्मचारियों का लाभ	402.73
विद्युत एवं ईंधन	2.97
ह्रास	10.32
संविदात्मक व्यय	191.09
मरम्मत	15.22
विविध	43.63
कुल खर्च	687.39

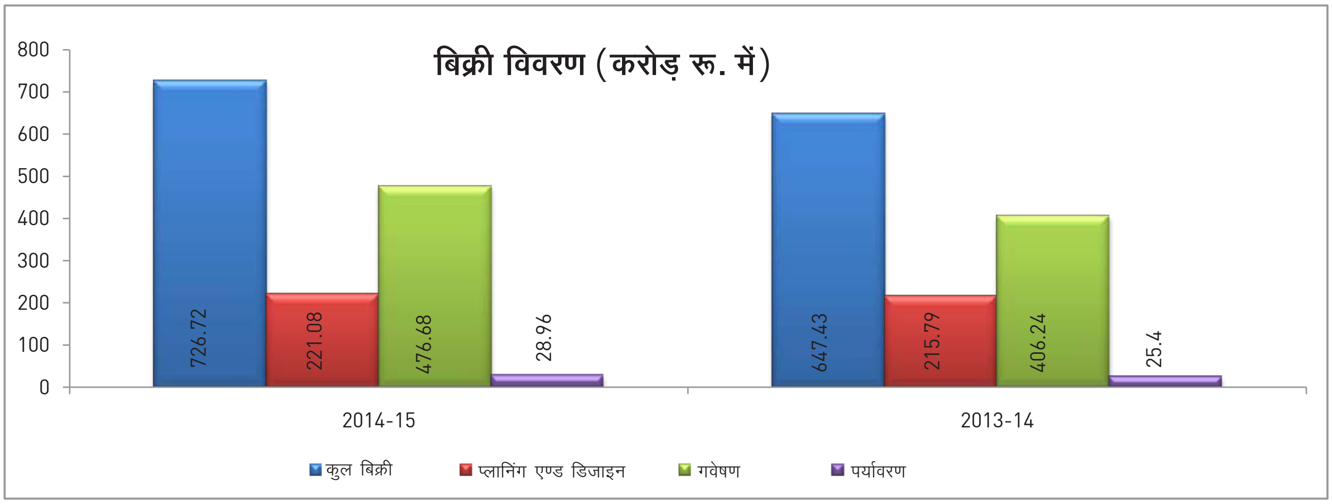

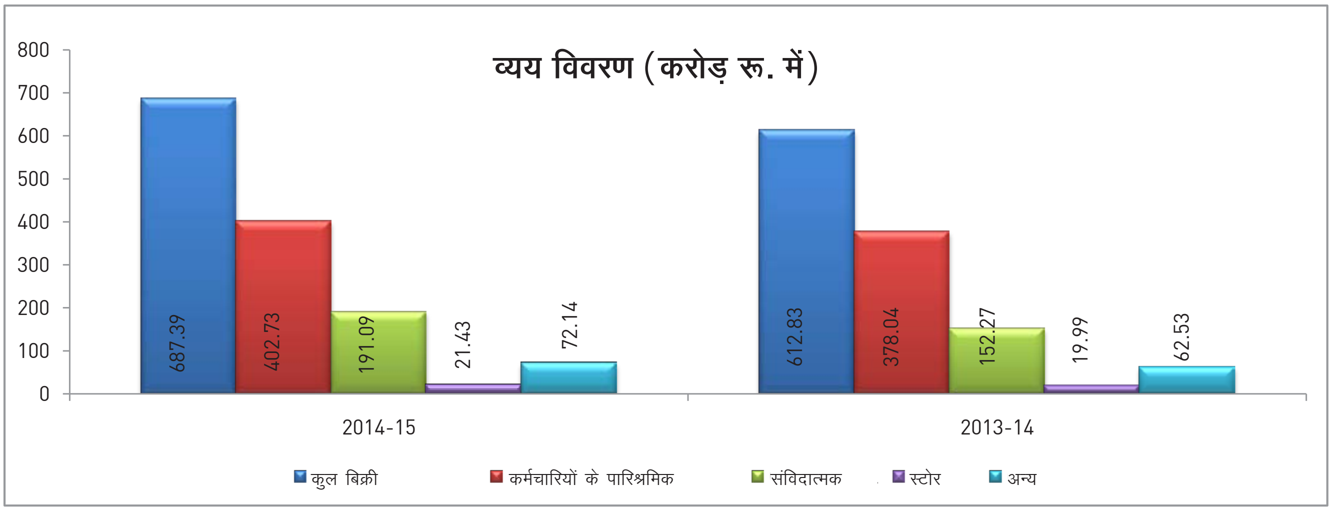

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

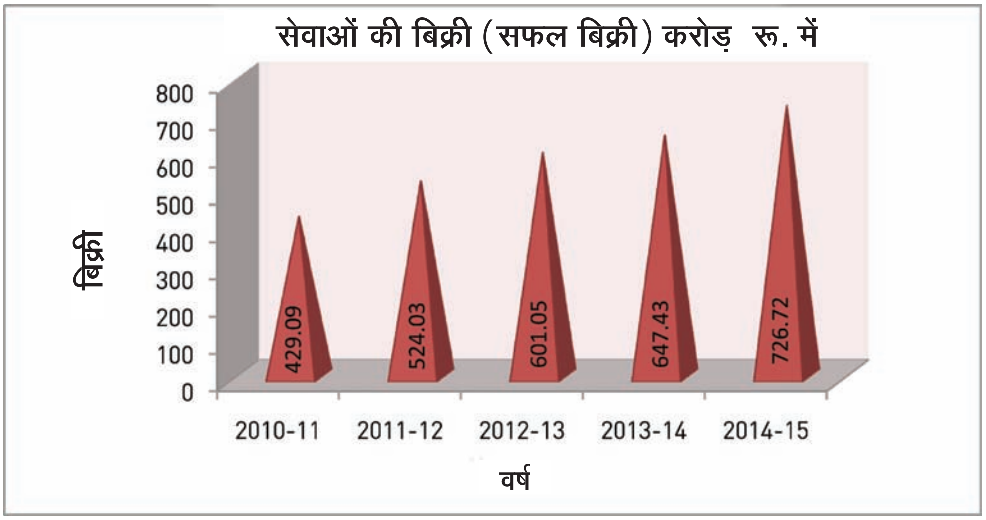

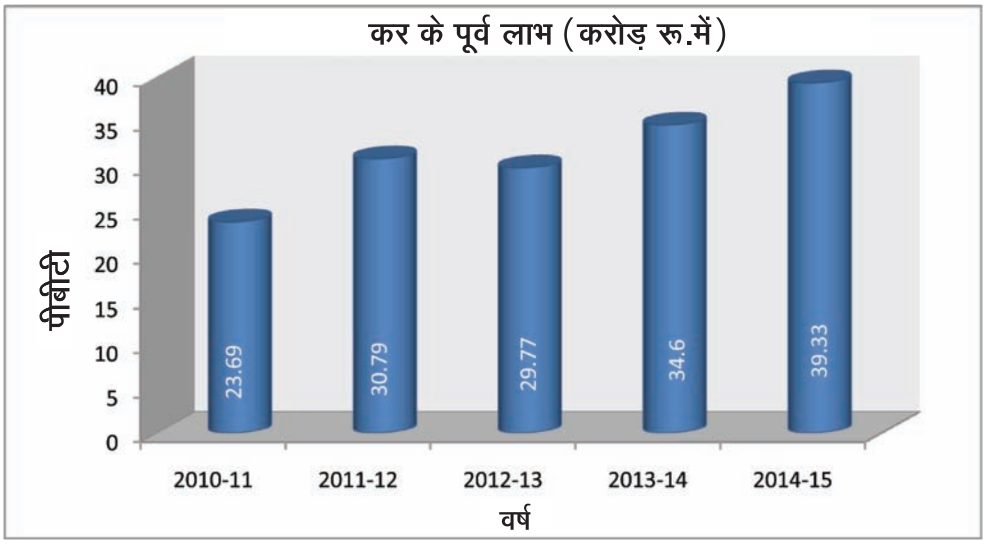

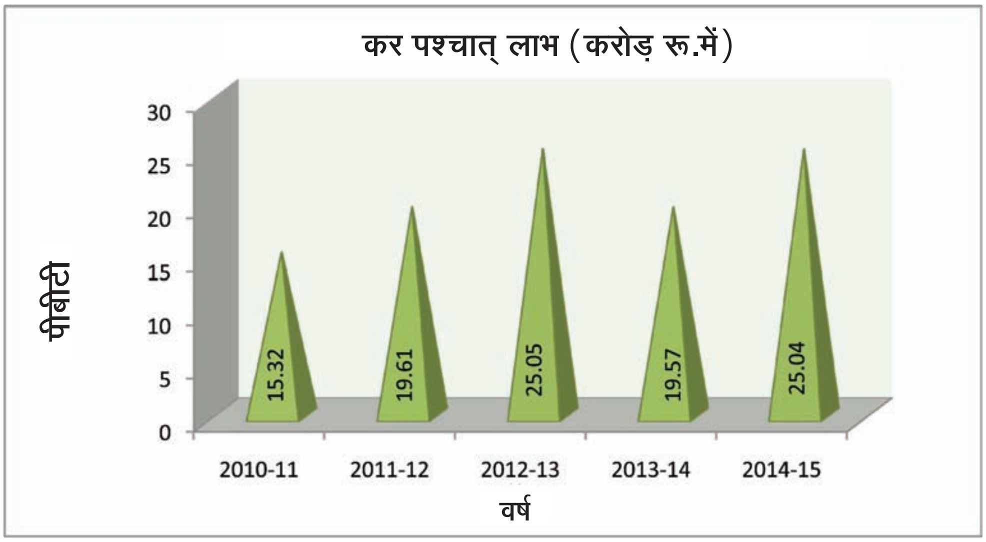

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

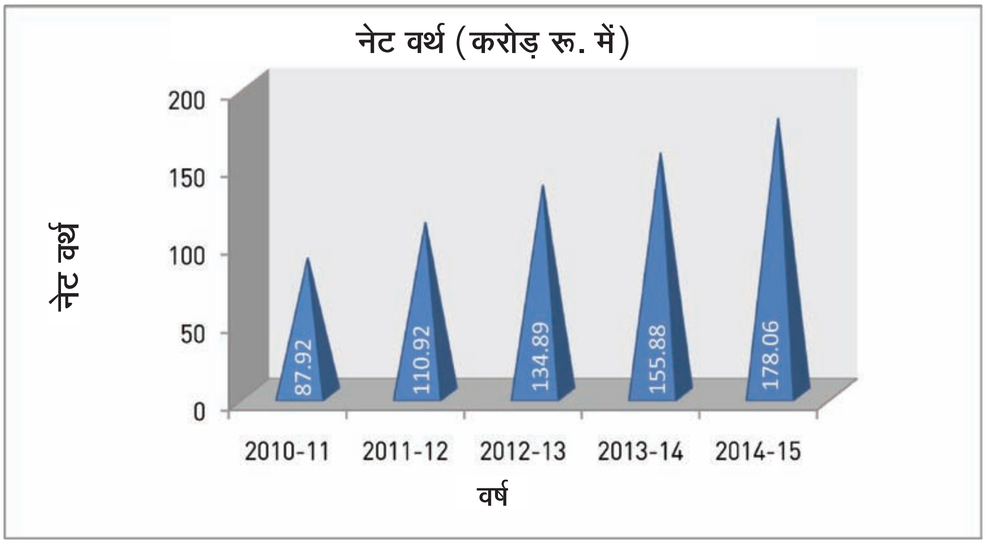

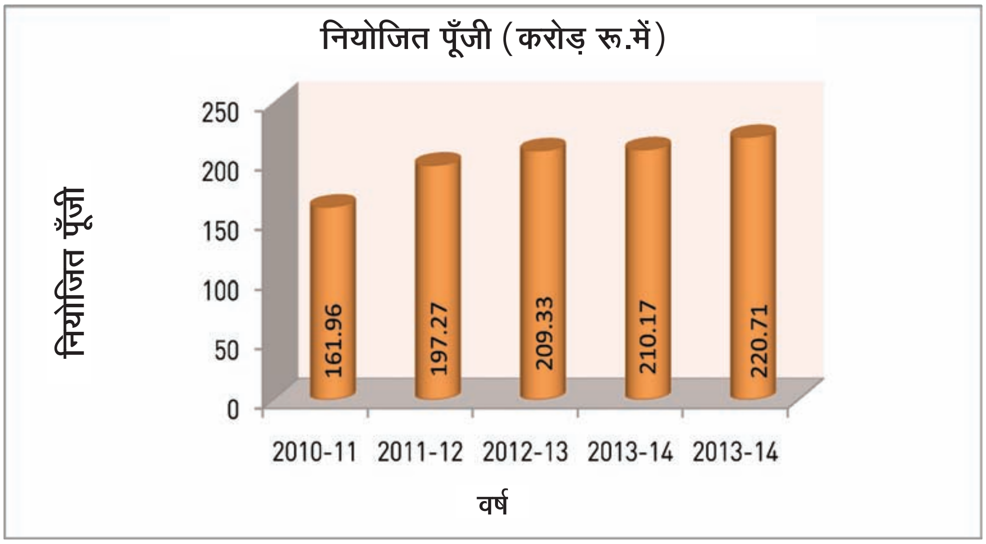

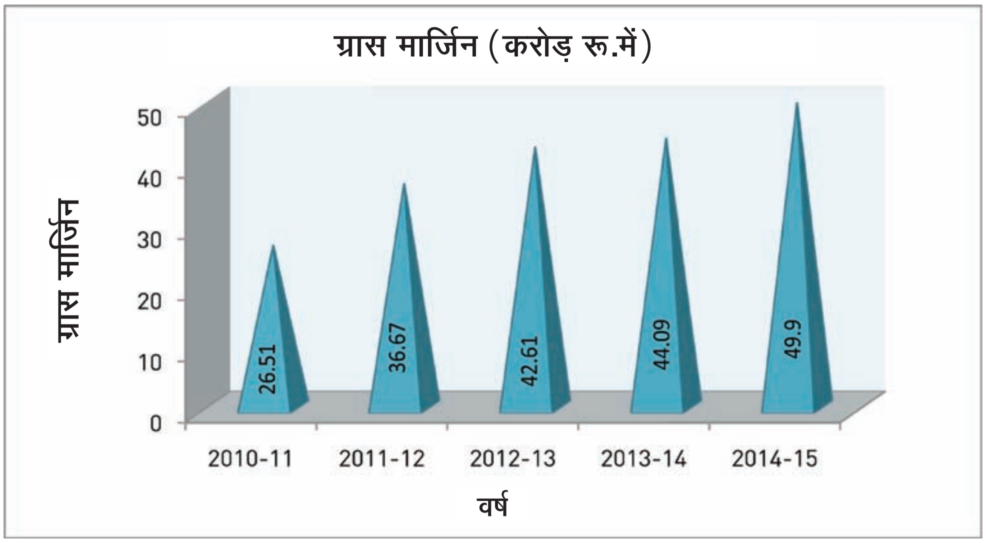

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

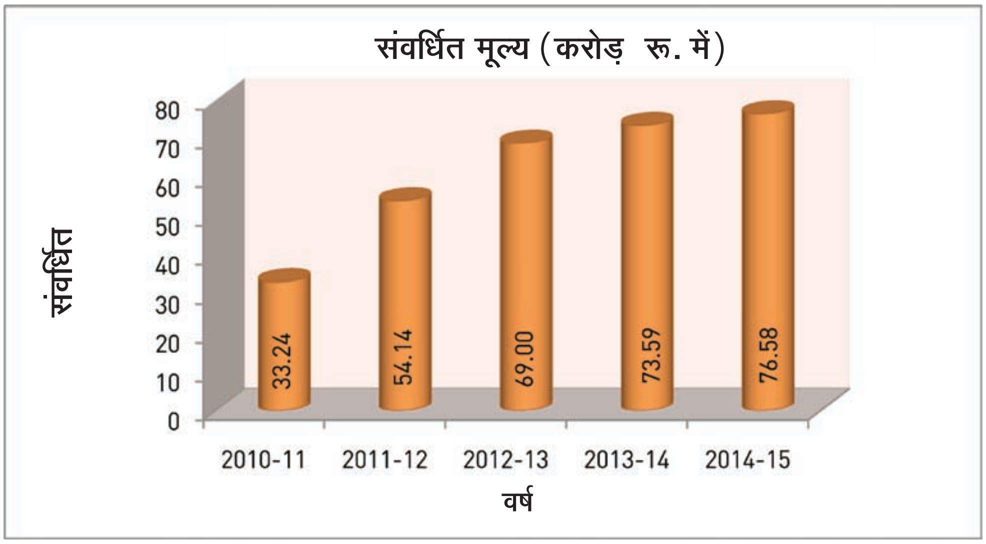

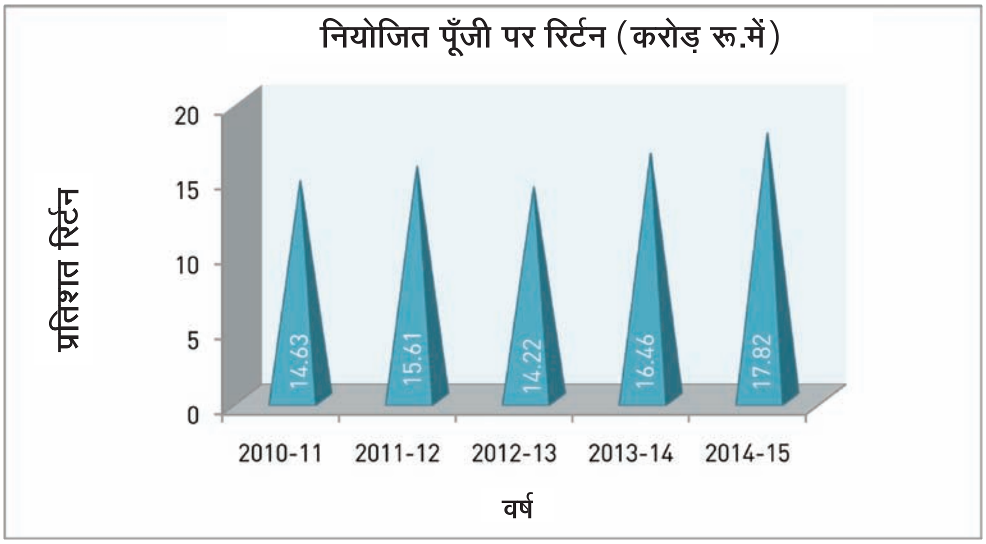

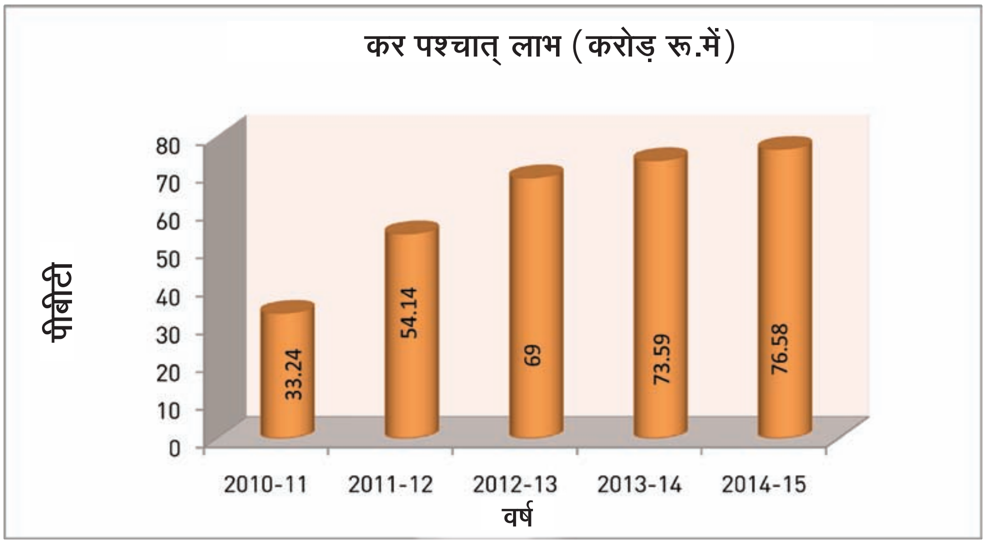

निदेशक – मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारक,

सज्जनों,

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया–कलापों पर आधारित 40वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग–क

1.0 निगमित पर्यवलोकन :

आपकी मिनी रत्न(कैट–।।) कंपनी (गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातो क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी। सातो क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान–1 से क्षेत्रीय संस्थान–7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.–1) बीसीसीएल (क्षे.सं.2), सीसीएल (क्षे.सं.3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.–4), एसईसीएल (क्षे.सं.5), एनसीएल (क्षे.सं.–6) तथा एमसीएल, भुवनेश्वर, (क्षेत्रीय संस्थान–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही।

सीएमपीडीआई मुख्यालय से मुख्यतः कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय, एनईसी एवं कोल इंडिया लिमिटेड के बाहरी ग्राहकों जैसे हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय, मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नेशनल अल्यूमिनियम कं. लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि., नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि., जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड, एससीसीएल, डीबीसी, उड़ीसा माइनिंग कापोरेशन, उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरशन लिमिटेड, उड़ीसा इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डबलपमेंट कारपोरेशन, वैतरनी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड आदि को परामर्शी सेवाएँ दी गई। इन परामर्शी सेवाओं के अतिरिक्त सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय द्वारा दिए गए विशिष्ट कार्यो को भी करता है ।

वर्त्तमान में स्टील आथरिटी ऑफ इंडिया लि., एन ओआईएल लिमिटेड, टाटा स्टील, उड़ीसा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (आईडीसीओ), नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, उड़ीसा, माइनिंग कारपोरेशन, उड़ीसा, पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि. बैतरनी वेस्ट कोल कंपनी लि., नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि., नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन आदि जैसे 16 संगठनों के 26 आउट साइड सीआईएल कंसलटेंसी कार्य हाथ में है। वर्ष 14–15 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 19 संगठनों से प्राप्त 11.63 करोड़ रू. का कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 27 कार्य प्राप्त किए गए।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ :

- **भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग :**

  विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक एवं भू–अभियांत्रिकी डाटा तैयार करने तथा खनन परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वस्थाने (इन–सिटु) कोयला भंडार का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय तौर पर (रिजनली) गवेषित ब्लॉकों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण, मल्टी प्रोब जिओफिजिकल लॉगिंग के जरिए भू–भौतिक सर्वेक्षण, हाई रिज्योल्यूशन सिसमिक सर्वेक्षण, जल–भू–वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कोल बेड मिथेन संसाधन की पहचान के लिए विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन :**

  भूमिगत एवं खुली खदानों के लिए संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा विस्तृत इंजीनियरिंग ड्राईंग, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोयला एवं खनिज परिष्करण तथा उपयोग संयंत्र, कोल हैंडलिंग प्लांट, कर्मशाला तथा अन्य आनुषंगिक इकाइयों तथा निवेश निर्णय के लिए विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत संरचनाओं की तैयारी।

- **अभियंत्रण सेवाएँ :**

  खानों, परिष्करण तथा उपयोग संयंत्रों, कोल हैंडलिंग संयंत्रों, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, कर्मशालाओं एवं अन्य इकाइयों, वास्तुशिल्पीय (आर्किटेक्चरल)प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए प्रणाली एवं उप-प्रणाली का विस्तृत डिजाइन।

- **अनुसंधान एवं विकास :**

  कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजनाओं तथा कोल इंडिया लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा वित्त प्रदत सभी अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के लिए नॉडल एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करना। खनन, परिष्करण, उपयोग, पर्यावरण, गवेषण आदि के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास का कार्य भी सीएमपीडीआई खुद करता है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ :**

  पूर्णतः सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला द्वारा खान की गैसे, कोयला कोर नमूने, एनडीटी, वायु, जल, कोयले की धोवन क्षमता गुण, संस्तर की भौतिक एवं यांत्रिक क्षमता, पेट्रोग्राफी आदि का गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण किया जा रहा है।

- **पर्यावरणिक सेवाएँ :**

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी तथा क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के जरिए इसके कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग और इन-हाउस (घरेलू) सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण। भूमि उपयोग की मॉनीटरिंग के लिए सुदूर संवेदन सेटेलाइट डाटा का उपयोग कोल इंडिया के सभी खानों में भी शुरू किया है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ**
  - रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण
  - नियंत्रित विस्फोटन
  - नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - खान थम्हाल का डिजाइन, रॉक मास रेटिंग(आरएमआर)
  - अनाशक परीक्षण(एनडीटी)
  - प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 25.04 करोड़ रूपए (आस्थगित कर के बाद) निबल लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया जा रहा है :

(करोड रू. में)

विवरण	31.3.15 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित) (करोड रू. में)	31.3.15 को समाप्त वर्ष (अंकेक्षित) (करोड रू. में)
बिक्री	726.72	652.44
घटाकरः कुल निबल व्यय	687.38	618.35
पीपी समायोजन एवं कर के पहले लाभ	39.34	34.09
घटाकरः पूर्व अवधि (पीपी) समायोजन	0.01	(-)0.51
[डेबिट (+)/क्रेडिट(-)]		
कराधान के पहले लाभ	39.33	34.60
घटाकरः चालू अवधि के लिए जोड़करः आस्थगित कर के लिए पूर्व के वर्ष के लिए	19.13 (-)4.84 -	19.15 (-)6.05 1.93
कर के बाद निबल लाभ	25.04	19.57

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट का प्रबंधन कंपनी के कार्यनिष्पादन एवं दृष्टिकोण के

साथ–साथ महत्वपूर्ण विभिन्न विषयों को शामिल कर अपनी विवेच्य तथा विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

1.3.1 कंपनी का विजन :

विस्तृत होती हुई भू–सम्पदा क्षेत्र तथा सम्बद्ध व्यावसायिक क्रिया–कलाप में वैश्विक मार्केट लीडर बनना।

1.3.2 सीएमपीडीआई का मिशन :

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्र में संपूर्ण परामर्शी सेवा देना।

1.3.3 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य की ओर अग्रसर होना (स्थापित करना)।

सीएमपीडीआई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है :

1. कोयला एवं खनिज गवेषण के साथ–साथ भू–वैज्ञानिक भू–भौतिक, जल–भू–वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक डाटा तैयार करने में परामर्शी सहायता देना।
2. अनुकूलतम खनन योजना (माइन प्लानिंग) के लिए उच्चतरीय गवेषण मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्तर प्रदान कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाना।
3. निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधन की उत्पादकता में सुधार लाकर, अपव्यय/बर्बादी को रोककर तथा पर्याप्त बाहरी संसाधन लगाकर पर्याप्त एवं अनुकूल संसाधन तैयार करना।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा उपयोग संयंत्रों आदि के लिए परियोजना आयोजना (प्लानिंग) एवं डिजाइन।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. सूचना नेटवर्क के जरिए प्रौद्योगिकी संबंधित जानकारी (सूचना) आत्मसात करना तथा प्रसारित करना।
7. कोयला खनन तथा संबद्ध परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा माइन क्लोजर प्लान बनाना।
8. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग, पर्यावर्णिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मानचित्रण, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस के चयन सहित आधारभूत संरचना का आयोजन तथा वाशरी स्थल आदि के लिए सुदूर संवेदन सेवाओं में वृद्धि।
9. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
10. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त इससे इतर के संगठनों का परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.4 सीएमपीडीआई के क्रिया–कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआई के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(क) भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा: स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का यह कोर फंक्शन कर रहा है, जो खनिज भंडारों के लिए निम्नलिखित सेवा देता है :

- प्लानिंग तथा गवेषण का क्रियान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

(ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ– स्थापना काल से ही सीएमपीडीआई का दूसरा प्रमुख कार्य होने के नाते यह खनन, परिष्करण, उपयोग तथा अन्य आधारभूत सुविधा एवं अभियंत्रण परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन के लिए निम्नलिखित सेवाएँ देता है :

- अवधारणात्मक (कंसेप्चुअल)/पूर्व संभाव्यता/संभाव्यता अध्ययन, परियोजना रिपोर्ट तथा मूलभूत और विस्तृत अभियंत्रण डिजाइन निर्माण और/या मूल्यांकन।
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

(ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ– 1992 से अब तक प्रस्ताव के तहत, इसमें आयोजना (प्लानिंग) एवं परिचालन सहित माइन क्लोजर प्लानिंग, प्रयोगशाला एवं परीक्षण सहायता के दौरान पर्यावरण प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग चहुमुखी सहायता शामिल है। 5 मि.घ. मी. (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी बड़ी कोयला खानों में उपग्रह सर्वलांस द्वारा वार्षिक आधार पर भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग की जा रही है।

(घ) प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ : 1997 से प्रस्ताव के तहत इसमें मानक प्रबंधन प्रणाली के सृजन, कार्यान्वयन तथा प्रमाणन के लिए संपूर्ण परामर्शी सेवा तथा सहायता सेवा शामिल है। इस प्रबंधन प्रणाली में आईएसओ 9001 गुणता प्रबंधन प्रणाली तथा इसका उद्योग के अनुसार रूपांतरण, आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसएएस 18001 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन तथा एसए 8000 सामाजिक दायित्व प्रबंधन आदि शामिल है।

(ङ.) मानव संसाधन विकास : 1976 से इस प्रस्ताव के तहत बाजार के खासकर खनिज एवं खनन क्षेत्र के ग्राहकों को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी, प्रबंधकीय तथा प्रबंधन प्रणाली शामिल है।

(च) विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ : सुदूर संवेदन, खानों में गैस संवातन एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, ओबीआर आदि की मॉँप सहित जियोमेटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाएँ भी दी जा रही है।

1.3.5 उद्योग की संरचना तथा विकास :

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक 2015 द्वारा किए गए आकलन के अनुसार जीडीपी के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 7वीं सबसे बड़ी तथा हाल के विश्व बैंक रैकिंग के अनुसार क्रय शक्ति के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1991 में बाजार आधारित आर्थिक सुधार के बाद भारत एक सबसे बड़ा उभरता हुआ अर्थव्यवस्था बन गया है।

भारत में खनन एक सबसे बड़ा आर्थिक कार्य है जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए आकलन के अनुसार खनन एवं खदान (क्वारी) क्षेत्र का भारत के कुल डीजीपी में 2.5 प्रतिशत का योगदान है। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को उर्जा सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से जुझना पड. रहा है। और 12वीं योजना के दौरान कोयले का उत्पादन सीएजीआर पर लगभग 5.8 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है।

विश्व की लगभग 40 प्रतिशत बिजली की आवश्यकता कोयले द्वारा पूरी की जा रही है। वास्तव में तेल के बाद कोयला ही ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कोयला उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ने वाली ऊर्जा स्रोत रहा है यह विश्व में तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा तथा विद्युत उत्पादन का स्रोत है। वैश्विक कोयला खपत में वृद्धि मुख्यतः चीन एवं भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में है।

उभरती बाजारू अर्थव्यवस्था में वृद्धि, जो धीमी पड़ गयी थी, अब गति पकड़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014–15 में 7.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि की तुलना में 2015–16 में 7.9 प्रतिशत तक होने का अनुमान किया है। ऊर्जा मिश्रण का कोयला एक मुख्य ईंधन है और चूंकि आर्थिक विकास तथा ऊर्जा उपयोग का एक दूसरे से अत्यधिक आपसी संबंध है, इसलिए निकट भविष्य में कोयले की मांग में और वृद्धि होने में की संभावना है। कोयला मंत्रालय की 12वीं योजना (2012–17) दस्तावेज (मार्च 2012) से 12वीं योजना के अंतिम वर्ष यानि 2016–17 में 7.09 सीएजीआर की दर से 980.50 कोयले की मांग का पता चलता है।पूरे भारत में अनुकूल स्थिति में वर्ष 2016–17 में घरेलू कोयला उत्पादन 185.5 एमटी होने का अनुमान है। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में 12वीं योजना अवधि के बाद भी डिमांड रिस्ट्रीक्शन्स के कारण निकट भविष्य में देश में कोयला उत्पादन की भरपाई की जाने की संभावना नहीं है।

यद्धपि, एक तरफ कोयले की भारी मांग से देश में कोयला उत्पादकों का विकास होगा, दूसरी ओर 80 के दशक में 70 एमटी से 2014–15 में 494 एमटी तक कोयला में वृद्धि करने में देश में 81 प्रतिशत कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की भूमिका को रेलवे का खराब इवैक्यूरशन लौजिस्टीक जिसके कारण पर्याप्त पीट हेड स्टाक

रहने के बावजूद देश भर में फैले अनेक विद्युत संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने में बाधा उत्पन्न होती है, के साथ–साथ समय पर वन क्लियरेंस न मिलना, पुनर्वास एवं पुन : स्थापन तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या की विपरीत स्थिति सहित आधारभूत सुविधा जैसे – बाधाओं को दूर न होने के कारण उत्पादन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखे बिना विद्युत क्षेत्रों में होने वाली कोयले की कमी के लिए प्रायः कोल इंडिया लिमिटेड को समीक्षा के दायरे में रखा जाता है।यहाँ तक की कार्य निष्पादित न करने तथा कैप्टिव कोयला उत्पादकों को पर्याप्त कोयला भंडार आवंटित किए गए हैं, के अपर्याप्त एवं गैर–निष्पादन के लिए भी प्रायः कोल इंडिया लिमिटेड की आलोचना की जाती है।

12वीं योजना अवधि के लिए निर्धारित ड्रिलिंग लक्ष्य 54.46 लाख मीटर को ध्यान में रखकर वर्ष 2014–15 के विस्तृत ड्रिलिंग में पर्याप्त वृद्धि की गई है तथा वर्ष 14–15 के दौरान प्राप्त 8.28 लाख मीटर की उपलब्धि से 15.0 लाख मीटर के स्तर और अंततः वर्ष 15–16 में 15लाख मीटर तथा 4.0 लाख मीटर विभागीय ड्रिलिंग क्षमता सहित निर्धारित किया गया है। ड्रिलिंग क्षमता के निर्माण के लिए सीएमपीडीआई को अतिरिक्त श्रमशक्ति (अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों) तथा संयंत्र एवं मशीनरी से सुसज्जित कर शक्तिशाली बनाया जा रहा है।

विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया की परामर्शी कंपनी होने के कारण सीएमपीडीआई को इसके त्वरित विकास के लिए गवेषण, प्लानिंग एवं डिजाइन तथा संबंधित सेवाएँ देने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं की माँग सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों जगह है। घरेलू आपूर्ति से कोयले की मांग पूरा करने में कोयला कंपनियाँ खासकर कोल इंडिया लिमिटेड की प्रगति सीएमपीडीआई की सेवाओं की तेजी में निहित है।

योजना आयोग द्वारा वर्ष 14–15 के लिए 787.03 एमटी कोयले की मांग का अनुमान लगाया गया है। कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना 2014–15 में देश में लगभग 630.25 एमटी कोयले का उत्पादन तथा 643.75 एमटी आफटेक/आपूर्ति पर विचार किया गया है। कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य 507 मि.ट. था जिसके मुकाबले यह 494.23 मि.ट. ही उत्पादन लक्ष्य हासिल कर सका। कोकिंग तथा गैर–कोकिंग कोयले दोनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 200 एमटी कोयले का आयात किया गया।

इसके अलावा ऊर्जा आवश्यकता को संभव सीमा तक पूरा करने के लिए कोल बेड मिथेन/कोल माइन मिथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) तथा कोयला तरलीकरण आदि जैसे कोयला आधारित गैर–नवीकरणीय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। सीबीएम संसाधन बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय के प्रमोशनल रीजनल एक्सप्लोरेशन (पीआरई) के तहत सीएमपीडीआई सीबीएम का डाटा तैयार कर रहा है।

सीएमपीडीआई डीलिनिएशन ब्लॉकों में सीबीएम से संबंधित डाटा तैयार करने, डाटा डोजियर्स बनाने आदि में अपनी सेवाएँ दे रहा है। सीएमपीडीआई ने डीजीएच द्वारा प्रदत्त कार्य के लिए शेल गैस ब्लॉकों पर डाटा डोजियर्स तैयार कर सौंप दिया है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा सृजन परामर्शी कार्य के क्षेत्र में सीएमपीडीआई की सेवाओं की मांग का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कोयला क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उभरता क्षेत्र सीएमपीडीआई को अतिरिक्त मौका दे रहा है तथा आगामी वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद है।

कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से सीएमपीडीआई सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र के दो ब्लॉकों कैथा ब्लॉक, सीसीएल तथा थेसेगोरा 'सी' ब्लॉक, डब्ल्यूसीएल में भूमिगत कोयला गैसीकरण के व्यवसायिक विकास के लिए डेवलॉपर के चयन की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस उद्देश्य के वैश्विक निविदा पर विचार किया जा रहा है। भारत में व्यावसायिक आधार पर यूसीजी के विकास के लिए इस तरह की पहली निविदा है और इससे भारत में उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी लाने में सुविधा होगी।

हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा माँगी गई सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं से इसकी मांग में तेजी आई है। केप्टिव कोल ब्लॉक के आवंटन में सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय को सहायता देता आ रहा है। सीएमपीडीआई ने प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के जरिए ऑक्शन तथा आवंटन हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा चिह्निनत गवेषित कोयला ब्लॉकों के मूल्यांकन के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। सीएमपीडीआई ने चिन्हित कोयला खनिखंडों के लिए फ्लोर प्राइस, रिजर्व प्राइस, अपफ्रॉट पेमेंट आदि, जहाँ लागू है, का आकलन भी किया है।

1.3.6 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति :

खनिज, खनन तथा सम्बद्ध सेवाओं में ज्ञान की गहराई तथा बाजार में स्थान के कारण सीएमपीडीआई उपर्युक्त निगमित उद्देश्यों तथा विजन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति एवं व्यावसायिक योजना अपना रहा है :

1. अतिरिक्त श्रमशक्ति, संयंत्र एवं मशीनरी आदि को शामिल कर गवेषण क्षमता में वृद्धि करना।
2. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण लाना।
3. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना।
4. देश के भीतर एवं विदेशों दोनों के रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई–अप।
5. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।
6. परिचालनात्मक दक्षता तथा कार्य की गुणवत्ता बढ़ाना।
7. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार।
8. कोयला उद्योग को सतत् प्लानिंग एवं विशेषज्ञ सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति का युक्तिसंगत उपयोग तथा अधिकारी वर्ग के कर्मियों की भर्ती।
9. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा
10. कोयला आधारित उर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा शेल गैस का विकास।

1.3.7 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

वास्तव में सीएमपीडीआई शायद अपनी तरह का एक मात्र बहुआयामी (मल्टी डिसिप्लिनरी) संगठन है, जो खनन से पूर्व, खनन कार्य के दौरान तथा खनन के बाद एक ही छत के नीचे प्रायः सभी तरह की सेवाएँ देता है।

- रणनीतिक रूप से स्थित क्षेत्रीय संस्थानों के माध्यम से यह कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों को उनके दहलीज पर ही सेवा देता है।
- इसके पास कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के कोलफील्डस के अनुसार/खान के अनुसार मजबूत डाटा बेस है।
- इसके पास 1300 से अधिक बहुआयामी (मल्टीडिसिप्लिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।
- इसके पास 1300 से अधिक समेकित कोयला परियोजना रिपोर्ट, 70 एमटीवाई तक की अलग–अलग परियोजना क्षमता वाली 1000 से अधिक खनन परियोजना रिपोर्ट, बड़ी संख्या में आधारभूत सुविधा आदि कार्यान्वित करने का समृद्ध अनुभव है।
- इसके पास 8 राज्यों में फैले भू–भौतिकी के लिए कोयला गवेषण (विस्तृत गवेषण के लिए देश में सबसे बड़ी ड्रिल फ्लिट) प्रयोगशाला सुविधा बेस लाइन डाटा सृजन क्षमता आदि के लिए सबसे बड़ा आधारभूतसुविधा उपलब्ध है।

कमजोरियाँ (कमियाँ)

- अधिकारी तथा कर्मचारी संवर्ग में कुशल एवं योग्य कार्मियों की कमी।
- कंपनी छोड़ने का दर अधिक होना (नव–नियुक्त कर्मी प्रशिक्षित होने के बाद कंपनी छोड़ दे रहे हैं)

1.3.8 अवसर एवं आशंकाएँ अवसर :

- कोयले की माँग तथा आपूर्ति के बीच का अंतर और बढ़ने की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआई को सेवा देने का और अधिक अवसर मिलेगा।
- कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।
- गैर कोयला क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।
- सीबीएम / सीएमएम / यूसीजी / शेल गैस, जियोमेटिक्स, एनडीटी आदि से संबंधित विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ :

- क्षेत्रीय (रिजनल) गवेषण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में 12वीं योजना के बाद 15 लाख मीटर (प्रस्तावित) विस्तृत वेधन क्षमता प्राप्त करना कठिन लगता है।
- अपेक्षित संख्या में बोर होल डेंसिटी के साथ ड्रिलिग कार्य करने हेतु वन क्लियरेंस प्राप्त करने में अपेक्षित देरी ।
- वन क्षेत्र में गवेषण के प्रतिबंध के कारण विस्तारण कार्यक्रम में कठिनाई हो सकती है।

- विभिन्न राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब रहने के कारण गवेषण कार्य में व्यवधान आ सकता है।
- कोयला क्षेत्र को और अधिक खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के साथ बाजार अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो सकता है।
- कंपनी का वर्तमान हाई एज प्रोफाइल भविष्य में नुकसानदेह हो सकता है

1.3.9 मूल्य निर्धारण :

गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं का मूल्य निर्धारण ग्राहकों की श्रेणी के आधार पर किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों को पीएंडडी के लिए दी जाने वाली सेवाओं का मूल्यनिर्धारण लागत + 10 प्रतिशत सेवा कर तथा विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत की दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। पर्यावरण मानिटरिंग कार्य का मूल्य निर्धारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीपी) की दर पर किया जाता है। अन्य प्रतिभागियों के साथ गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण परामर्शी सेवाओं में और वृद्धि कठिन हो गया है। इस स्थिति में उपर्युक्त मूल्य निर्धारण प्रणाली 2014–15 में भी जारी रहेगी।

1.3.10 बाजार नीति :

सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर, जब और जहाँ जरूरत हो, सभी संभव क्षेत्रों में परामर्शी सेवा देता है। तथापि, सीएमपीडीआई बाहर से भी कार्य प्राप्त करता है तथा महत्वपूर्ण एवं के रणनीतिक मूल्यों पर विचार करते हुए जहाँ कहीं भी इस तरह का कार्य किया जा सकता है, करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1.3.11 सीएमपीडीआई की दृष्टि एवं तैयारी :

सीएमपीडीआई का गवेषण कार्य 11वीं योजना अवधि तथा 12वीं योजना के पहले वर्ष में काफी तेजी से बढ़ा है। आउटसोर्सिंग तथा विभागीय ड्रिलों के जरिए सीएमपीडीआई 10वीं योजना अवधि (2002–07) के दौरान किए गए लगभग 10 लाख मीटर की तुलना में 11वीं योजना अवधि (2007–12) में 19.41 लाख मीटर ड्रिलिंग किया। 11वीं योजना यानि 2007–08 के प्रारंभ में किए गए 2.09 लाख मीटर की तुलना में विभागीय तथा आऊटसोर्सिंगके जरिए 2012–13 में 5.63 लाख मीटर तथा 2013–14 में 6.97 तथा 2014–15में 8.28 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया। सीएमपीडीआई की ड्रिलिंग क्षमता में वृद्धि का मुख्य कारण विभागीय ड्रिलों का आधुनिकीकरण, नए यांत्रिक एवं हाइड्रोलिक ड्रिलों की प्राप्ति तथा इसकी तैनाती, उच्च क्षमता वाली बिट के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि,मड पम्प तथा ट्रक सहित ड्रिलिंग सामग्रियों की कारगर व्यवस्था रही।

वर्ष 2015–16 के लिए लक्ष्य को बढ़ाकर 15 लाख मीटर कर दिया गया (विभागीय गवेषण क्षमता बढ़ाकर 4 लाख तक किया गया)। इसके लिए ड्रिलिंग हेतु पर्याप्त संख्या में कोयला ब्लॉक के आउटसोर्सिंग पर बल देने की आवश्यकता है। विभिन्न कोयला ब्लॉकों में एमईसीएल को प्रति वर्ष 1 लाख मीटर तक गवेषणात्मक ड्रिलिंग करने के लिए सीएमपीडीआई ने 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है।

वर्ष 2014–15 से वार्षिक सीमा 2.5 लाख मीटर बढ़ा दी गई है। एमईसीएल के साथ एमओयू के जरिए 4.00 लाख मीटर ड्रिलिंग लक्ष्य बढ़ाया गया है। वर्ष 2007–08 से 2014–15 तक के नौ दौर में 17.17 लाख मीटर के 50 ब्लॉकों के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हैं।

12वीं योजना के लिए कुल 126 परियोजनाओं की पहचान की गई जिसके परिणामस्वरूप लगभग 473 मि.ट. क्षमता वृद्धि हुई,जिसके मुकाबले लगभग 366 मिलियन टन क्षमता वृद्धि वाली 96 परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। विवेच्य अवधि के दौरान लगभग 116 मि.ट. क्षमता वृद्धि वाली 30 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। लगभग 107 मि.ट. अतिरिक्त क्षमता वाली शेष 30 परियोजना रिपोर्ट 12वीं योजना के बाद वाले वर्षों में तैयार की जाएगी।

सीएमपीडीआई की अधिकांश प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। आयातित उपकरणों को शामिल कर रासायनिक तथा पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को उन्नत कर इसकी क्षमता बढ़ा दी गई है। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थान–1 एवं क्षेत्रीय संस्थान–4 के पर्यावरणिक प्रयोगशाला को उन्नत किया गया है तथा क्षेत्रीय संस्थान–5 में प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जबकि क्षेत्रीय संस्थान–6 की पर्यावरण प्रयोगशाला को उन्नत किया जा रहा है। क्षेत्रीय संस्थान–7,

भुवनेश्वर तथा क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद में नई पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है।

सीएमपीडीआई को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की शर्त (अनुबंध) के अनुसार क्वालिटि काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई), नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईआईए/ईएमपी) के लिए परामर्शी संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। क्यूसीआई ने मार्च, 2014 में सीएमपीडीआई का सर्विलांस मूल्यांकन किया तथा इसका परिणाम 28 अगस्त, 2014 को घोषित किया गया। क्यूसीआई ने खनन (भूमिगत एवं खुली खनन दोनों) तथा कोयला वाशरी के अनुमोदित सेक्टरों में ईआईए/ईएमपी परामर्शी कार्य जारी रखने की अनुमति दी है। सीएमपीडीआई ने थर्मल पावर के अतिरिक्त सेक्टर में योग्यता हासिल कर ली है।

वर्ष 2014–15 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को पर्यावरणिक सेवाएँ दी गई। इनमें 49 पर्यावरण प्रबंधन (16 फार्म–1 सहित) तैयार करने का कार्य शामिल है। आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत, तालचर, ईब घाटी तथा राँची स्थित नौ पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 314 परियोजनाएँ/संस्थापनाओं की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग (वायु, जल एवं ध्वनि) की गई। कोयला मंत्रालय द्वारा 2013 में जारी संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार विवेच्य वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की खानों के लिए सीएमपीडीआई नें 7 माइन क्लोजर योजना बनाई है।

सीएमपीडीआई पहले से ही स्थापित अपनी स्टेट आफ द आर्ट सीबीएम प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ाने की कार्रवाई कर रहा है। इसे सेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए टीओसी की सुविधा से युक्त कर दिया गया है। रॉक इवाल पाईरोलाइसिस उपकरण को सीएमपीडीआई के सीबीएम प्रयोगशाला में चालू कर दिया गया है। सब इम्पिलमेंटिंग एजेंसी एआरआई ने झरिया और ईस्ट बोकारों कोयला क्षेत्र के अध्ययन क्षेत्र में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन तथा सिमुलेशल किया है। 24 दिसम्बर, 2014 को आयोजित कोल इंडिया की अनुसंधान एवं विकास की शीर्ष समिति की बैठक में मूल्यांकन रिपोर्ट पेश की गयी, जिसकी प्रशंसा भी हुई। शैल गैस के विश्लेषणात्मक जरूरत को पूरा करने के लिए इस उपकरण को प्राप्त करने के बाद सीबीएम प्रयोगशाला टेक्नोलॉजिकली ड्राइवेन इस्टूमेंट से सुसज्जित किया गया है। सीएमपीडीआई ने एडजार्बसन आइसोथर्म परीक्षण के लिए सुविधाएँ बढ़ा दी हैं, जिससे 20 एमपीए प्रेशर (लगभग 2000 मीटर की गहराई तक का प्रेशर) तक कोल सीम के एडर्जाप्सन क्षमता का परीक्षण करने में सक्षम है। संभवतः भारत में ऐसी क्षमता वाला यह इस तरह का पहला उपकरण है। रेसिन तथा सीमेंट कैपसूल परीक्षण करने के लिए खनन प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला को सक्षम बना दिया गया है। भौतिक यांत्रिक गुण का निर्धारण करने के लिए 2000 के एन क्षमता वाला एक हेवी ड्यूटी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन (यूटीएम) प्राप्त कर स्थापित कर दिया गया है।

गवेषण, आयोजन एवं अभिकल्पन के साथ–साथ सम्बद्ध अभियांत्रिकी सेवाओं के लिए श्रमशक्ति पर ध्यान दिया गया है।

वर्ष 2014–15 में बहाली एवं स्थानांतरण पर 40 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को सीएमपीडीआई में पदस्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार, अन्य अनुषंगी कंपनियों से 675 कर्मचारियों को मँगाया गया है तथा अतिरिक्त श्रमशक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है।

सरकार तथा कोयला उद्योग दोनों के लिए सीएमएम का व्यवसायिक विकास प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है। बीसीसीएल की मुनिडीह खान में प्रदर्शन परियोजना के सफलतापूर्वक प्रदर्शन से इसकी क्षमता प्रमाणित हुई है तथा कोल इंडिया के खनन लीज होल्ड वाले क्षेत्रों में उपयुक्त 5 सीएमएम ब्लॉक की पहचान की गई है। कोयला मंत्रालय ने सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है। उपर्युक्त के आलोक में 5 चिन्हित खनिखंडों (बीसीसीएल–3 तथा सीसीएल–2) में सीएमएम के व्यवसायिक विकास के लिए कोल इंडिया/कोयला कंपनियों की ओर से सीएमपीडीआई द्वारा व्यवसायिक विकास का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोल इंडिया के कोयला खनन के अधिकार वाले क्षेत्र में सीएमएम के व्यवसायिक विकास के परिचालन (आपरेशन लाइजेशन) के मेकनिज्मि (तरीकों पर) पर सरकारी स्तर पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में एक औपचारिक सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके बाद भी सीएमएम के विकास तथा दोहन के लिए सीएमपीडीआई/कोल इंडिया द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

वर्ष 2008 से सीएमपीडीआई द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खदानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए उपग्रह निगरानी का कार्य किया जा रहा है। 5 मिलियन घन मीटर (कोयला+ओबी)

तथा इससे अधिक उत्पादन करने वाली 50 खुली खान परियोजनाओं/खानों तथा 5 मिलियन टन या इससे कम उत्पादन करने वाली (कोयला+ओबी) 113 खुली खानों/परियोजनाओं की क्रमशः वार्षिक तथा तीन वर्षों के अंतराल पर मानिटरिंग की जा रही है। वर्ष 2014–15 के दौरान, हाई रिज्योल्यूशन सैटेलाइट आँकड़े पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 86 खुली खनन परियोजनाओं की भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग की गई। इसके अतिरिक्त, उपग्रह आँकड़े पर आधारित 7 कोलफील्डों जैसे राजमहल, रानीगंज, माण्द रायगढ़, सोहागपुर, ईब घाटी, पेंच कन्हान तथा उमरेर का भू–उपयोग/वनस्पति आच्छादन का कार्य पूरा किया जा चुका है।

कोल इंडिया लिमिटेड तथा बाहरी एजेंसियों की विभिन्न कोयला खानों के लिए कोल हैंडलिंग संयंत्र के प्लानिंग एवं डिजाइन के बारे में सीएमपीडीआई के पास परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए रोम कोल रिसिविंग, क्रसिंग, स्टोरिंग, रेलवे वैगन में तेजी से लदाई सुविधा से युक्त सीएचपी के मौलिक ले–आउट की तैयारी सहित सीएचपी में प्रयुक्त विभिन्न पीएंडएम के विस्तृत विनिर्देशन तथा व्यावसायिक नियम एवं शर्त की तैयारी, निविदा प्रक्रिया, टर्न की आधार पर सीएचपी के लिए निविदा मूल्यांकन तथा एल–1 बिडरों का निर्धारण, डिजाइन/ड्राईंग संवीक्षा तथा लेखकों के पर्यवेक्षण आदि के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है। सीएमपीडीआई द्वारा ब्लॉक बी सीएचपी (3.5 एमटी वाई) के लिए जारी ई निविदा के आधार पर अगस्त, 13 में एनसीएल द्वारा कार्य आवंटित कर दिया गया है। निगाही चरण–2 तथा खादिया चरण–3 सीएचपी के लिए निविदा जारी की गई है।

यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन (यूएनएफसी) के आधार पर 1.4.2013 के अनुसार सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र में खानों/ब्लॉकों के लिए कोयला भंडार/संसाधन का वर्गीकरण कर दिया गया।

सीएमपीडीआई के दिशा–निर्देश में विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों के लिए 78 इकाइयों (18 नई प्रमाणित इकाई सहित) का प्रमाणन/पुनः प्रमाणन प्राप्त किया गया। सीएमपीडीआई को अपने मुख्यालय में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आईएसओ 27001 प्रमाणन सितम्बर, 2014 में मिला। इसके अलावे, कंपनीवाईज समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस इन्टीग्रेटिंग आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएस 18001) को लागू करने तथा सफलतापूर्वक जारी रखने के लिए एमसीएल एवं एनसीएल को सुविधा प्रदान की गई तथा ईसीएल, बीसीसीएल एवं सीसीएल के लिए आईएमएस से संबंधित कार्य शुरू किए गए। सीएमपीडीआई कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को आईएसओ 9001 के प्रति कार्य करने के लिए सहायता तथा दिशा–निर्देश दे रहा है, जिससे उन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से अक्टूबर, 2014 में आईएसओ 9001 का लाइसेंस प्राप्त करने में सफलता मिली।

1.3.12 सीएमपीडीआई तथा कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू :

भौतिक तथा वित्तीय कार्य–निष्पादन के पारामीटर के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करता है। इस उपलब्धि को 1–5 पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है, ग्रेड 1.0 से 1.5 तक उत्कृष्ट तथा 4.51 से 5.0 तक खराब।वर्ष 2013–14 के लिए सीएमपीडीआई को उत्कृष्ट (1. 395) श्रेणी में रखा गया है।

1.3.13 जोखिम एवं चिन्ताएँ :

- बोरहोल संख्याओं की सघनता में वृद्धि सहित वन क्षेत्रों में ड्रिलिंग के लिए अनुमोदन प्राप्त करना तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्या ड्रिलिंग के रास्ते में सबसे बड़ी रूकावट है।
- क्षेत्रीय (रिजनल) गवेषण में आनुपातिक (अनुकूल) उन्नयन की कमी के कारण 12वीं योजना के बाद 15 लाख मीटर (प्रस्तावित) विस्तृत ड्रिलिंग क्षमता कायम रखना कठिन प्रतीत होता है। इसके बाद वन क्षेत्र में गवेषण में प्रतिबंध से विस्तारण कार्यक्रम में समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तरराष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारू–प्रतिस्पर्धा हो सकती है।
- कंपनी में वर्तमान अधिक उम्र प्रोफाइल भविष्य में हानिकारक हो सकता है।

1.3.14 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :

- सीएमपीडीआई के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- सहज रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा तैयार करने हेतु दिशा–निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।
- अनुभवी कर्मियों द्वारा आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है।
- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन की–कन्ट्रोल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- विसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.15 मानव संसाधन में महत्वपूर्ण विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण इसके कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी एवं अन्य लाभ भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह निर्धारण कोयला कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों के लिए 10 वर्ष में एक बार होता है। सीएमपीडीआई अपने कर्मचारियों, मध्यम एवं वरीय स्तर के प्रबंधन अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षुओं को निरंतर प्रशिक्षण तथा विकास का मौका देता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की भी व्यवस्था करता है। इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट इसके संबंधित भाग में दी गई है।

1.3.16 परिचालन कार्यनिष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार विमर्श :

कंपनी की कुल आय में प्रथमतः कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय, दूसरी आय, प्राप्त व्याज से होती है। गतवर्ष 652.44करोड़ रूपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15में कुल आय 732.20 करोड़ रूपए हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 12.22 प्रतिशत अधिक है। कुल व्यय 687.39 करोड़ रूपए हुआ, जिसमें मुख्यतः कर्मचारियों के लाभ, बिजली एवं ईंधन, कल्याणकारी खर्च, संविदात्मक व्यय, मरम्मति, वित्तीय लागत, मूल्यहास एवं प्रावधान आदि शामिल है।

आयकर खर्च में वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय और यथा संशोधित आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधान के अनुसार परिकलित जमा शामिल है। वर्तमान कर के प्रावधान की पहचान आयकर अधिनियम के अनुसार भत्ता एवं छूट हेतु आकलित कर के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर देयताओं की पहचान समय के अंतर के कारण भावी कर के लिए की जाती है। तुलन पत्र की तिथि तक लागू कर दर तथा कर प्रावधान का उपयोग कर इनकी मात्रा निर्धारित की जाती है। कर में बदलाव के कारण पड़ने वाले प्रभाव की पहचान दर के बदलाव के संबंधित वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण में की जाती है। चली आ रही (आगे लाई गई) हानि के संबंध में आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की पहचान इस सीमा तक की जाती है कि यह वास्तविक सत्य है कि पर्याप्त भारी कर योग्य आय उपलब्ध रहेगा, जिसके लिए इस तरह के आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को वसूल किया जाएगा

गत वर्ष कर के पूर्व लाभ 34.60 करोड़ रू. की तुलना में 4.73 करोड़ बढ़कर वर्तमान वर्ष में 39.33 करोड़ रूपए है। कर के बाद लाभ गत वर्ष 19.57 की तुलना में 5.47 करोड़ रूपए बढ़ कर 25.04 करोड़ रूपया हो गया है।

1.4 सीएमपीडीआई की वित्तीय समीक्षा :

विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने 25.04 करोड़ (आस्थगित कर के बाद) रू. का निबल लाभ कमाया। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के कार्य परिणाम का सारांश इस प्रकार है :

योग्यता मानदण्ड		सीएमपीडीआई की स्थिति		
		2012-13	2013-14	2014-15
1.	कर के पूर्व लाभ(करोड़ रू. में)	29.77	34.60	39.33
2.	कर के बाद लाभ (करोड़ रू. में)	25.05	19.57	25.04
3.	निबल मूल्य (करोड़ रू. में)	134.89	155.88	178.06
4.	निबल मूल्य पर निबल लाभ (प्रतिशत)	18.57	12.55	14.06
5.	टर्न ओवर (करोड़ रू. में)	605.21	652.44	726.72
6.	टर्न ओवर पर कर के पूर्व लाभ (प्रतिशत में)	4.92	5.30	5.21

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट और प्रत्येक क्वालिफिकेशन पर बोर्ड का स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी सांविधिक अंकेक्षक तथा कंपनी सचिव के द्वारा किए गए रिजर्वेशन अथवा विपरीत टिप्पणी को रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को अपने वित्तीय विवरण में दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी पाने (लेने) वाले द्वारा उपयोग किए जाने के लिए ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्देश्य आदि को सदस्यों को बताया जाना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई लोन नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी का प्रदत्त शेयर कैपिटल 50 करोड़ रू. के आथराइज्ड पूँजी की तुलना में 19.04 करोड़ रूपये है। पूंजीगत भंडार 9.73 करोड़ रू., सामान्य रिजर्व में 5.77 करोड़ रू. तथा पी/एल लेखा में सरप्लस 143.48 करोड़ रू. तथा शेयर होल्डर निधि 158.98 करोड़ रू. है। गैर–चालू देयता 183.29 करोड़ रू. तथा चालू देयता 545.27 करोड़ रू. है।

कंपनी की अपनी निबल अचल परिसंपत्ति 110.35 करोड़, आस्थगित कर परिसंपत्ति 106.40 करोड़, दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम 4.07 करोड़ रू., अन्य गैर चालू परिसंपत्ति 0.02 करोड़ तथा चालू परिसंपत्ति 685.74 करोड़ रू. है।

परिचालन से कुल राजस्व एवं अन्य आय 731.97 करोड़ रू. तथा बैठक के बाद सभी व्यय एवं कर के बाद निबल लाभ 25.04 करोड़ रू. है। प्रतिशेयर (प्रतिशेयर फेस वैल्यू 1000.20) अर्जन 1313 रू. है।

1.4.4 यदि कोई राशि को किसी रिजर्व में डालने का प्रस्ताव हो

किसी प्रकार की कोई राशि किसी रिजर्व में डालने का प्रस्ताव नहीं है।

1.4.5 यदि किसी राशि की अनुशंसा डिविडेंड भुगतान के लिए की गई हो तो

कंपनी के शेयर होल्डरों को डिविडेंड के रूप मे देने के लिए किसी राशि की अनुशंसा नहीं की गई है। कंपनी का संचालन तथा सेवाओं का प्रावधान लागत जोड़ सेवा शुल्क के आधार पर दिया जाता है। जैसा कि कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को घरेलू सेवा प्रदाता के रूप में दिया जाता है। नीतिगत मामलों में कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों को घरेलू सेवा प्रदाता अर्थात् कंपनी से शेयर होल्डर कोई डिविडेंड की माँग नहीं कर सकता।

1.4.6 31.03.2015 के बाद हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन

परिवर्तन वित्तीय वर्ष के अंत में और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन/कमीटमेंट नहीं सामने आया है, जिससे वित्तीय विवरण का संबंध हो।

1.5.0 निगमित शासन :

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह सिद्धांत, प्रक्रिया तथा संरचना उपलब्ध कराता है, जिसके जरिए कंपनी का उद्देश्य प्राप्त करने का साधन तथा कार्य निष्पादन की मानिटरिंग की पद्धति भी निर्धारित की जाती है।

मूल निगमित शासन का उद्देश्य शेयर होल्डरों के महत्व को बढ़ाना तथा अधिकतम करना, सभी संघटकों के बीच भरोसा एवं आत्मविश्वास का वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से ग्राहकों, कर्मचारियों तथा विस्तृत समाज जैसे अन्य स्टेकहोल्डरों की हितों की रक्षा करना है।

कंपनी का दर्शन :

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, कानून, विनियमन तथा दिशा–निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता, एकता, उतरदायित्व, गोपनीयता, नियंत्रण, सामाजिक दायित्व, स्पष्टीकण (डिसक्लोजर) तथा रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

निगमित शासन प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित को शामिल कर कंपनी ने सुस्पष्ट नीति फ्रेमवर्क तैयार किया है :

- निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)
- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग को रोकने के लिए आचार संहिता
- विसिल ब्लोअर पालिसी
- जोखिम प्रबंधन योजना

1.5.2 निदेशक–मंडल :

कंपनी के व्यवसाय का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर का होना जरूरी नहीं है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक पदेन निदेशक और गैर–कार्यकारी अंशकालिक पदेन निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उनको कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत निर्धारित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं।

(क) निदेशक–मंडल का आकार :

कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसियेशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम से कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हो सकते हैं। यह पूर्णकालिक/कार्यकारी निदेशक/ कार्यकारी अंशकालिक निदेशक/गैर कार्यकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

(ख) निदेशक–मंडल का कोटिवार गठन (कम्पोजिशन) :

31 मार्च, 2015 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में आठ (8) निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक, दो (2) अंशकालिक कार्यकारी निदेशक तथा एक (1) अंशकालिक गैर–कार्यकारी निदेशक हैं।कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमल कुमार देबनाथ इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तीन वर्ष पूर्व नियुक्त निदेशकों के पद से मुक्त होने के बाद कोयला मंत्रलाय, भारत सरकार द्वारा शेष तीन निदेशक नियुक्त किए जाने हैं। वास्तव में, बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन पर दिशा–निर्देश कोयला मंत्रालय/सीआईएल द्वारा स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति के साथ ही अनुसरण किया जा सकता है।

31 मार्च, 2015 के अनुसार निदेशक–मंडल का गठन निम्नानुसार है :

1. पूर्णकालिक निदेशक

(क) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

1. श्री अमल कुमार देबनाथ

(ख) कार्यकारी निदेशक

2. श्री डी.के.घोष
3. श्री आर.के.चोपड़ा
4. श्री शेखर सरन
5. श्री वी.के.सिन्हा

2. सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री नागेन्द्र कुमार
2. श्री देवुलापल्ली नरसिम्हा प्रसाद

3. गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक

1. श्री राकेश कुमार मित्तल

(ग) निदेशक मंडल की संख्या और बैठक की तिथि

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बाडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के सम्पूर्ण कार्यो की देख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आठ (8) बैठकें आयोजित की गई थी।

क्र.सं.	दिनांक	दिन	स्थान
1.	22.04.2014	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
2.	10.05.2014	शनिवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
3.	28.07.2014	सोमवार	नई दिल्ली
4.	26.09.2014	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
5.	30.10.2014	वृहस्पतिवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
6.	17.12.2014	बुधवार	नई दिल्ली
7.	06.02.2015	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल,राँची
8.	03.03.2015	मंगलवार	सीएमपीडीआईएल,राँची

(घ) 1. निदेशक–मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड बैठक में उपस्थिति की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

प्रत्येक निदेशक द्वारा कुल बोर्ड बैठक में उपस्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक	कार्यावधि में हुई बोर्ड मिटिंग की संख्या	बोर्ड की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यकारी निदेशक				
1.	श्री अमल कुमार देबनाथ	8	8	हाँ
2.	श्री डी.के.घोष	8	8	हाँ
3.	श्री आर.के.चोपड़ा	8	6	हाँ
4.	श्री शेखर सरन	8	8	हाँ
5.	श्री वी.के.सिन्हा	8	8	हाँ
अशंकालिक सरकारी निदेशक				
7.	श्री डी.एन.प्रसाद	8	5	नहीं
8.	श्री नागेन्द्र कुमार	8	6	नहीं
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक				
9.	श्री राकेश कुमार मित्तल	8	8	हाँ

श्री डी.एन.प्रसाद, श्री आर.के.चोपड़ा तथा श्री एन.कुमार, सीएमपीडीआई के अंकेक्षण समिति के सदस्य हैं तथा श्री आर.के.मित्तल सीएमपीडीआई के अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं।

(2) रूचि का प्रकटीकण

क्र.सं.	निदेशक	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रूचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक, सचिव
कार्यकारी निदेशक			
1.	श्री अमल कुमार देबनाथ	कोल इंडिया लिमिटेड, आईएसएम, धनबाद	स्थायी आमंत्रित बोर्ड सदस्य
2.	श्री डी.के.घोष	–	–
3.	श्री आर.के.चोपड़ा	–	–
4.	श्री शेखर सरन	कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा	सीआईएएल बोर्ड में निदेशक
5.	श्री वी.के.सिन्हा	–	–
अशंकालिक सरकारी निदेशक			
6.	श्री डी.एन.प्रसाद	सिंगरैनी कोलियरिज कम्पनी लिमिटेड	सरकारी नामित निदेशक

7.	श्री नागेन्द्र कुमार	कोल इंडिया लिमिटेड एसईसीएल बीसीसीएल आईसीवीएल सीआईएएल	निदेशक अध्यक्ष(अतिरिक्त)प्रभार अंशकालिक निदेशक निदेशक अध्यक्ष
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक			
8.	श्री राकेश कुमार मित्तल	–	–

(ड.) बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना

कंपनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल है :

- पूँजीगत एवं राजस्व बजटें।
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- कंपनी के कार्य निष्पादन की आवर्ती संवीक्षा।
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की आवर्ती/आवधिक समीक्षा।
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवर्ती रिपोर्ट।
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट इत्यादि।
- अंकेक्षण समिति, सस्टेनेबुल कमेटि तथा सीएसआर कमेटि का कार्यवृत।
- बड़ी संवीदा/अनुबंध (कॉंट्रेक्ट/एग्रीमेंट) देना।
- निदेशकों को अन्य कंपनियों में उनके द्वारा लिए गए डारेक्टरशीप और स्थान का प्रकटीकरण।
- श्रमशक्ति बजट
- कोई अन्य भौतिक रूप से (मैटेरियली) महत्वपूर्ण सूचना।

(च) निदेशकों का संक्षिप्त विवरण :

होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) जो विश्व भर में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है, के पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत अनुषंगी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) के वर्तमान समय में अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री ए.के. देबनाथ,(59) हैं।

श्री अमल कुमार देबनाथ : भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद, भारत से माइनिंग इंजीनियरिंग (1976) में स्नातक किया है। उन्होंने डीजीएमएस से फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी का प्रमाण पत्र हासिल किया है। कोयला खनन क्षेत्रों में उनका साढ़े तीन दशकों से भी ज्यादा का कार्यानुभव है। जिसमें सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और सीएमपीडीआई में उत्पादन और आयोजन तथा प्रबंधन में अपनी विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, सीएमपीडीआई में क्षेत्रीय निदेशक के रूप में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (एसईसीएल) को पूर्णरूपेण गवेषण और प्लानिंग सपोर्ट देते हुए अपनी सेवाएँ दी हैं।

श्री देबनाथ सीएमपीडीआई में निदेशक (तकनीकी/आयोजन एवं अभिकल्पन) के रूप में भी कार्यरत रहे हैं तथा पर्यावरण की विभिन्न गतिविधियों, भूमिगत खान प्लानिंग एवं डिजाइन, परियोजना मूल्यांकन विभाग, गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति एवं ओपेनकास्ट डिविजनों की देख–रेख करते रहे हैं।

वे कोल इंडिया से बाहर के ग्राहकों के साथ–साथ कोल इंडिया के खानों के लिए परियोजना रिपोर्टों, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), पर्यावरणिक प्रबंधन योजना (ईएमपी), संचालन योजना और अन्य विशेषीकृत रिपोर्टों की तैयारी के लिए उत्तरदायी रहे हैं। उनकी देख–रेख में 50 मी.ट.प्र. कुल क्षमता के लिए कुसमुण्डा हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई जो अब तक की सबसे बड़ी खान योजना है। श्री देबनाथ कंटीन्यूअस माइनर, शार्टवाल, लो कैपेसिटी कंटीन्यूअस माइनर आदि जैसे हाईवाल माइनिंग, मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के

लिए वैश्विक बिड (बोली) की तैयारी एवं स्थलों के चयन में सहायक रहे हैं। उन्होंने कोयला निपटान संयंत्रों एवं अन्य परियोजनाओं के अद्योपांत कार्य निष्पादन के लिए कार्य देने के साथ–साथ तकनीकी और व्यवसायिक मूल्यांकन के लिए विभिन्न निविदा समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उनके नेतृत्व में मैंगनीज ओर (इंडिया) लि., हिन्दुस्तान कॉपर लि. हुटटी गोल्ड माइन्स इत्यादि के लिए मेटल माइनिंग सेक्टर में वृहद परामर्शी कार्य भी शुरू किया गया। वे माइनिंग जियोलॉजिकल एंड मेटॉलर्जिकल इंस्टीच्यूट आफ इंडिया (एमजीएमआई) के सदस्य भी हैं।

श्री ए.के.देवनाथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस/सिम्पोजियम/सेमिनारों में बड़ी संख्या में तकनीकी पेपर प्रस्तुत किये हैं। उन्होंन यूएसए, यूके, चीन, जर्मनी, स्वीडेन, साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, पोलैंड, तुर्की आदि अनेक देशों की व्यापक यात्राएँ की हैं। वे भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद के बोर्ड मेम्बर हैं तथा कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड के स्थाई आमंत्रित सदस्य हैं।

श्री दिलीप कुमार घोष (59), माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और वर्त्तमान में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत हैं। सीएमपीडीआई में कार्यग्रहण (ज्वाइनिंग) से पूर्व वे कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। श्री घोष ने अपने बल पर अनेक विशिष्ट उपलब्धियाँ पाई। उन्हें पाथरखेरा क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के पीके–।। माइन में वर्ष 1993–94 में बेस्ट मैनेजर के रूप में पुरस्कृत किया गया। इनके कार्यावधि के दौरान वर्ष 2005–06 में नौ भूमिगत खानों के साथ पाथरखेरा क्षेत्र को "डब्ल्यूसीएल का सर्वोत्तम भूमिगत क्षेत्र घोषित किया गया जहाँ वर्ष 2006–07 के दौरान 33.11 लाख टन कोयला का उत्पादन अधिक हुआ, और क्षेत्र की एलएचडी उत्पादकता डब्ल्यूसीएल में सबसे ज्यादा अर्थात 189 टीपीडी थी। इसके बाद इन्होंने बैकुण्ठपुर क्षेत्र, एसईसीएल का पदभार सम्हाला जहाँ सिर्फ उसी तरह के यंत्रीकरण (मैकेनाइजेशन) वाली भूमिगत खदान है। उनके कार्यकाल के दौरान यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष सभी क्षेत्र में उन्नति कराता रहा। वर्ष 2009 में चुरचा इस्ट तथा वेस्ट को मिला दिया गया एवं दो एमटीवाई की मेगा भूमिगत परियोजना में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्घाटन 2009 में माननीय कोयला मंत्री ने किया। इस परियोजना में दो सेट कंटीन्यूअस माइनर लगाया गया है। वर्ष 2008–09 के लिए इस क्षेत्र को अपने ग्रूप में सर्वोत्तम क्षेत्र माना गया। वर्ष 2009–10 में छमाही आधार पर इस क्षेत्र को अपने ग्रूप में एक बार पुनः सर्वोत्तम क्षेत्र माना गया। वर्ष 2009–10 के अंत तक 25 मि.ट. प्रतिवर्ष क्षमता वाली एक मेगा खुली खान परियोजना दिपका क्षेत्र में 2 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज करते हुए 24 मिलियन टन उत्पादन किया। 45000 टन प्रतिदिन क्षमता वाला उपकरण भाड़े पर लेकर सर्फेस माइन टेक्नोलाजी लगाया गया। जून, 2010 में 42 घन मीटर शॉवेल तथा 240 टी डम्पर का बड़ा एचईएमएम पैकेज शामिल किया गया। दिपका क्षेत्र को वर्ष 2009–10 के लिए अधिकतम उत्पादकता हेतु पुरस्कृत किया गया। चिरिमिरी क्षेत्र में पदभार सम्हालने के बाद श्री घोष द्वारा फोमिंग एजेंट सहित नाइट्रोजन प्रक्षालन के लिए आग के कारण पूर्व में बंद किए गए दो खदानों को खोलने की कार्रवाई की गई।

श्री राजेश कुमार चोपड़ा : श्री राजेश कुमार चोपड़ा (59) निदेशक(तकनीकी/पीएंडडी) माइनिंग इंजीनियरिंग (1977) के बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। इन्होंने अपना कैरियर 1977 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड से की। उन्होंने 1982 में कोल इंडिया लिमिटेड/सीएमपीडीआई से जुड़े। इन्हें एडवांस कोल माइनिंग मैथर्ड में एक वर्ष के प्रशिक्षण (जर्मनी) के लिए चुना गया। सीएमपीडीआई में 20 वर्षों से अधिक की सेवा–अवधि में उन्होंने सीसीएल, एसईसीएल तथा एमसीएल की विभिन्न वृहद और बड़ी खनन परियोजनाओं की प्लानिंग की। ये कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली में महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक (खनन) भी रहे हैं। वहाँ उन्होंने कोयला अनुसंधान एवं संरक्षण, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, कोल बेड मिथेन, कोल गैसीकरण, सीटीएल, कोयला गवेषण, कोल प्रोजेक्ट मानिटरिंग एंड एपरेजल, नीति, दिशा–निर्देश आदि जैसे विषयों में अपना सहयोग दिया। इन्होंने अनेक देशों का दौरा किया तथा भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी रहे। और राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फोरम पर कई आलेख प्रस्तुत किया। वर्तमान में ये निदेशक (तकनीकी) सीएमपीडीआईएल हैं और खुली खदान तथा भूमिगत परियोजनाओं की प्लानिंग एवं डिजाइन का कार्य सम्हाल रहे हैं।

श्री शेखर सरन : (53) डिपार्टमेंट आफ माइनिंग इंजीनियरिंग, इन्स्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से 1981 बैच के इंजीनियरिंग स्नातक हैं, तथा 1 जून, 2013 को निदेशक (तकनीकी) में सीएमपीडीआई, राँची में पदभार ग्रहण किया है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण इन्हें एमजीएमआई से राबर्टन मेडल के साथ–साथ बीएचयू से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने जेट के रूप में सोहागपुर, हसदेव तथा विश्रामपुर क्षेत्र, एसईसीएल में कार्य किया। उसके बाद सब एरिया मैनेजर के रूप में कुनुस्तोरिया, सतग्राम तथा सोदेपुर एरिया, ईसीएल तथा सीजीएम के रूप में कार्य किया और अंत में ईसीएल, मुख्यालय में मुख्य महाप्रबंधक (पीएंडपी) के रूप में कार्य किया। इनके पास विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदानों एवं भूमिगत खानों के प्रबंधन करने का गहरा अनुभव है। जब वे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग/स्टील सपोर्ट को लागू कर बहुत सारे मैनुअल भूमिगत खानों को यंत्रीकृत खानों में बदला। इन्होंने विभिन्न सेमिनारों/कार्यशालाओं में अनेक तकनीकी आलेख प्रस्तुत किया है। ये 26 वर्षों से अधिक से रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे हैं और विभिन्न बचाव दल में भाग लिया है एवं भूमिगत खानों में रिकवरी आपरेशनों में शामिल भी रहे हैं।

अपनी सेवा अवधि में उन्होंने यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड तथा यूएसए आदि देशों का कई बार दौरा किया है। ये एनसीसी प्रमाण धारक तथा अच्छे स्पोर्टसमैन भी हैं।

वर्तमान में 1.6.2013 से ये निदेशक (तकनीकी) सीएमपीडीआई के रूप में कार्यरत हैं और कोयला संसाधन विभाग सम्हाल रहे हैं।

श्री विनोद कुमार सिन्हा, निदेशक (तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी,) सीएमपीडीआई उम्र 57वर्ष (2.7.1957) भारतीय खनि विद्यापीठ धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। इन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

इन्होंने वर्ष 1978 में जेट के रूप में सीसीएल में पदभार सम्हाला तथा 2001 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने परियोजना अधिकारी/एजेंट के रूप में बीसीसीएल में पदभार ग्रहण किया तथा कुसुण्डा क्षेत्र में अपर महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। उसके बाद वर्ष 2006 से 2008 के दौरान वेर्स्टन झरिया एरिया, महुदा के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया तथा 2008–09 से ईर्स्टन झरिया एरिया, सुदामडीह, बीसीसीएल के महाप्रबंधक के रूप में रहे। मुनिडीह में एमएल 4 पावर सपोर्ट रिकमिसंड करने में विशेष योगदान दिया और खानों के विस्तार के लिए भू–अर्जन जैसे चुनौती भरे कार्य में सहयोग किया। इन्हें मुरलीडीह 20/21 पीट में साइड डिस्चार्ज लोडर, एसडीएल शामिल करने का भी श्रेय प्राप्त है। बीसीसीएल में मुख्य महाप्रबंध (विक्री एवं विपणन) के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान नई कोयला वितरण के तहत कोल आफर तथा आवंटन में सुधार तथा नियमितीकरण के कार्य में काफी योगदान दिया है। ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए), कोयले के एंड यूज में सुधारात्मक कार्य तथा नन–कोल सेक्टर उपभोक्ताओं के मामले में रिफंड मैकेनिज्म तथा उसके बाद उपभोक्ताओं सहित स्टेक होल्डरों के लिए वैल्यू को बढ़ाने में इनका काफी योगदान रहा है।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व ये बीसीसीएल में सीजीएम (कंट्रक्ट एंड मैनेजमेंट सेल) के पद पर थे। विभिन्न करारों का समय पर निष्पादन करने में अपनी मूल्यवान सेवाएँ प्रदान कीं। इन्होंने जर्मनी तथा फ्रांस जैसे देशों का भी दौरा किया है।

श्री नागेन्द्र कुमार (57) ने वर्ष 1980 में भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद में माइनिंग इंजीनियरिंग (बीटेक–माइनिंग) में ग्रेजुएशन किया। श्री नागेन्द्र कुमार ने कनीय कार्यकारी प्रशिक्षु (जुनियर एक्जीक्यूटिव ट्रेनी) के रूप में वर्ष 1980 में सीसीएल में ज्वाइन किया। सीसीएल में कार्यरत रहते हुए प्रथम 20 वर्षों में उन्होंने 6 वर्ष मैनेजर तथा 7 वर्ष परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2001 में इनका स्थानांतरण इसी पद पर ईसीएल में कर दिया गया और वर्ष 2004 में महाप्रबंधक तथा 2007 में मुख्य महाप्रबंधक का पद सम्हाला। श्री कुमार ने अपने कैरियर का अधिकांश समय कठिन भूमिगत और खुली खदानों के पुनर्गठन (रिभाइविंग) में बिताया। उन्होंने लांगवाल उपकरण के स्वदेशीकरण में सक्रिय भागीदारी निभाई और इसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर कई पेपर प्रस्तुत किए। उनकी हाल ही की सबसे बड़ी उपलब्धि उत्पादन और सुरक्षा विश्व स्तर के अनुरूप झरिया क्षेत्र में कंटीन्यूवस

माइनर का सफलतापूर्वक संचालन है। श्री कुमार एमजीएमआई, आईएमएमए और इंस्टीच्यूट आफ इंजीनियर्स के सदस्य हैं। उन्होंने साऊथ अफ्रीका और चीन, फ्रांस, इटली तथा जर्मनी जैसे देशों का दौरा किया है। श्री कुमार को क्रिकेट, पुस्तक, पुराने गाने और रवीन्द्र संगीत का शौक है। उन्होंने दिनांक 01.02.2012 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का प्रभार ग्रहण किया है। इसके अलावा वे कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा के अध्यक्ष हैं एवं वे आईसीवीएल तथा बीसीसीएल में निदेशक भी रह चुके हैं एवं सीएमपीडीआई में निदेशक का पद सम्हाल रहे हैं। इसके अलावा वे एसईसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सम्हाले हुए हैं।

श्री डी.एन.प्रसाद (58): उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज आफ इंजीनियरिंग से पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम क्षेणी से पास किये हुए हैं, तथा वे फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स आफ कंपीटेंसी धारक भी हैं। साथ ही उन्होंने यूके से एमबीए किया है तथा भारत के कोयला एवं ऊर्जा सेक्टर में लगभग 36वर्षों का अनुभव उनके पास है। उनको पब्लिक सेक्टर कोल कंपनियों, कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरैनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड का 11 वर्षों का अनुभव प्राप्त है, और लगभग 21 वर्षों का अनुभव प्लानिंग कमीशन एंड मिनिस्ट्री आफ कोल भारत सरकार के ऊर्जा डिवीजन में एनर्जी, फ्यूअल कोल एंड लिग्नाइट के लिए डेवलपमेंट पॉलिसी प्लानिंग में है। वर्त्तमान में वे कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में एडवाइजर (प्रोजेक्टस) के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें निवेश निर्णय, पूंजीगत बजट बनाने, कोयला और लिग्नाइट, सीबीएम, सीएमएम के गवेषण के लिए कोल माइनिंग प्रोजेक्ट का तकनीकी आर्थिकी मूल्यांकन, कोयला खान परियोजनाओं के विकास का व्यापक अनुभव है, साथ ही उनके पास जलवायु परिवर्त्तन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन करना, कोयला और लिग्नाइट के लिए संभावित योजनाओं का विकास, कोल वाशिंग सहित क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का विकास, कोयला गैसीकरण, यूसीजी, सीटीएल, कोयला निष्कर्षण के लिए आधारभूत संरचना का विकास आदि का भी अनुभव है। उन्होंने कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न कमिटियों में योजना आयोग एवं कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया है तथा आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके, आदि देशों का दौरा व्यावसायिक कार्य के सिलसिले में किए हैं। श्री प्रसाद विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला से संबंधित क्षेत्र में पॉलिसी और मुद्दे पर पेपर प्रस्तुत किए हैं। वे इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइन्स मेटल एवं जियोलाजिकल इंस्टीच्यूट आफ इंडिया (एमएमजीआई) आदि जैसे व्यावसायिक निकायों के सदस्य भी हैं। वे एससीसीएल में निदेशक भी रहे हैं।

श्री राकेश कुमार मित्तल : श्री राकेश कुमार मित्तल का जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर पुरकाजी, जिला– मुजफ्फरनगर में रक्षा बंधन के दिन अगस्त, 1949 में हुआ था। वर्ष 1970 में रूढ़की विश्वविद्यालय (वर्तमान में आईआईटी) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री के पूर्व उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके अपने गृह नगर तथा जिला, मुख्यालय में हुई। अंतिम परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया। उन्हें विभिन्न खेल–कूदों तथा अन्य गतिविधियों में भी रूचि थी। परिणामस्वरूप सत्र 1969–70 के दौरान सभी क्षेत्रों में सर्वोत्तम छात्र के लिए अनेक अन्य पुरस्कारों के साथ–साथ इन्हें चांसलर्स गोल्ड मेडल से नवाजा गया।

कुछ वर्षों तक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नाम करने के बाद श्री मित्तल ने 1975 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) ज्वाइन कर यूपी कैडर प्राप्त किया। उन्होंने अपनी सेवा के लंबे कैरियर के अनेक पदों पर कार्य किया तथा सेवा के उच्च स्तर के पद तक पहुँचे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ इस प्रकार हैं :

जिला मजिस्ट्रेट बस्ती, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज यूपी, प्रबंध निदेशक यूपी हैंडलूम कॉरपोरेशन, प्रबंधक निदेशक यूपी, एक्सपोर्ट कारपोरेशन, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स यूपी के निदेशक; सचिव, पंचायती राज; सचिव, चिकित्सा शिक्षा, हाउसिंग कमीशनर यूपी, सचिव, हार्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेरिंग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटरिएट एडमिनिस्टेशन, प्रिंन्सिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी(वन),प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिजन्स, लखनऊ डिवीजन के आयुक्त, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडूकेशन, सामाजिक कल्याण आयुक्त तथा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमीशनर। श्री मित्तल ने स्टील मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में पाँच वर्षों तक कार्य भी किया। इन सभी पदों पर श्री मित्तल ने काफी समर्पित भाव से कार्य किया तथा ईमानदारी के साथ–साथ अपनी योग्यता के लिए नाम कमाया है। श्री मित्तल 31 जुलाई, 2009 को आईएएस से सेवा–निवृत हुए।

श्री मित्तल अपने सेवा के प्रारंभिक वर्षों से ही अध्यात्म के प्रति जिज्ञासु रहे। यह अध्यात्म का गुण उन्हें विभिन्न प्रकार की अच्छी पुस्तकों को पढ़ने तथा व्यक्तियों एवं संगठनों के संपर्क में आने के कारण मिला। वर्ष 1991 में वे केरल के स्वामी भूमानन्दा तीर्था के सम्पर्क में आये और उनके अनुयायी बन गये। इसके परिणामस्वरूप उनमें दूरदर्शिता का व्यापक विस्तार हुआ और उनकी सोच बहुत ही स्पष्टवादी रही। यथासमय उन्होंने अपने आप को भारतीय विद्या भवन, सर्वेन्ट आफ द पिपुल सोसायटी, बह्मा कुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, शांतिकुज, द आर्ट आफ लिविंग फाउण्डेशन, भारत विकास परिषद्, चिन्मय मिशन आदि जैसे बहुत सारे बेहतर संस्थानों से जोड़ा। सेक्यूलर सोच होने के कारण वे अन्य धर्मों के विभिन्न संगठनों से काफी निकट से जुड़े रहे। वे घुमक्कड़ प्रकृति के हैं तथा विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों के दौरे के साथ–साथ भारत के भीतर भी व्यापक रूप से यात्राएँ की हैं। वे अगस्त, 2000 में यूएनओ द्वारा न्यूर्याक में आयोजित ''वर्ल्ड पीस समीट'' में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में भी भाग लिया।

वे संत कबीर, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से काफी प्रभावित रहे। श्री मित्तल ने अपने जैसे सोच रखने वाले दोस्तों की सहायता से वर्ष 1990 में ''कबीर पीस मीशन'' की स्थापना की।यह संस्था वर्तमान में भारत तथा विदेश में 35 से अधिक केंद्रों में 2200 से अधिक आजीवन सदस्यों सहित व्यापक रूप से फैला है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है, जिससें शांति और सदभाव कायम रहे। अपने अनुभवों को अन्य के साथ बांटने के लिए श्री मित्तल ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में लगभग 16 पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से कुछ हैं – पोजिटिव थौट्स, पोजिटिव माइण्ड पावर, पाजिटिव माइंड थेरापी, 21 लॉ आफ पोजिटिव लिविंग, थिंक पोजिटिव एंड थिक्स विल गो राईट, द पावर आफ पोजिटिव मैनेजमेंट, द पावर आफ पोजिटिव वर्डस, द पावर आफ पोजिटिव एनेक्डाट्स एंड नूगेट्स आफ विजिडम। इनमें से अधिकांश पुस्तकें हिन्दी में भी लिखी गई हैं। इनमें से कुछ पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।

श्री मित्तल को द आर्ट आफ लिविंग फाउण्डेशन, भारत विकास परिषद्, भारतीय ज्योति जैसे अनेक अन्य संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें यूपी के तत्कालीन राज्यपाल श्री विष्णुकांत शास्त्री द्वारा अक्टूबर, 2002 में आल इंडिया कांफ्रेंस आफ इन्टीलेक्चूयल्स द्वारा '' उत्तर प्रदेश रत्न'' से नवाजा जा चुका है। आईएएस से सेवानिवृत्ति के पश्चात् श्री मित्तल बहुत सारे कल्याणकारी गतिविधियों में विशेषकर ''कबीर पीस मीशन'' के जरिए लगे हुए हैं। वे बहुत सारे शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों के बोर्ड में भी हैं। अपने व्याख्यानों, पुस्तकों और विचार–विमर्शों के द्वारा दूसरे को प्रेरित करना उनका शौक है। सौभाग्य से उन्हें ऐसा करने का सुअवसर प्राप्त होता रहा है तथा वे उन्हें नम्रता के साथ–साथ बड़ी सादगी से स्वीकार भी करते हैं। वे अच्छे लोगों, खुशहाल और शांतिपूर्ण समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने और समस्याओं का एक संजाल (नेटवर्क) बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। श्री मित्तल वर्ष 2012 तथा 2013 में लखनऊ मैनेजमेंट असोसियेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एलएमए ताप मैनेजमेंट असोसियेशनों में से एक है, जो आल इंडिया मैनेजमेंट असोसियेशन से सम्बद्ध है।

1.5.3 सेक्शन 149 के सब–सेक्शन (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिया गया घोषणा पर विवरण

श्री राकेश मित्तल कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक हैं। पूरे वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई। श्री मित्तल ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 149 के सब–सेक्शन (6) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के मानदंड (क्राइटेरिया) को पूरा करते हैं।

1.5.4 (क) अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति आंतरिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, संविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार–विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

(ख) विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार है तथा भारी उद्योग

मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट–गवर्नेंस पर आधारित दिशा निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलुओं को कवर करेगा।

1. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।
2. आंतरिक प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।
3. शासकीय अंकेक्षण तथा संविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।
4. मानक परामीटरों के साथ–साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।
5. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।
6. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।
7. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।
8. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

(ग) अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।
2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।
3. सांविधिक अकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन है।
4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।
   (क) कंपनी अधिनियम 2013 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के खंड 2 एए) की धारा 134(3) तथा 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।
   (ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्त्तन हो तो उसका कारण।
   (ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविष्टी (इन्ट्री)।
   (घ) अंकेक्षण निष्कर्ष से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   (ड़) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ)का अनुपालन।
   (च.) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा
   (छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।
5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल हेडिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो, तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।
8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।
9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।
10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कामनसेंसस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।
11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।

12. सीएंडएजी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।
14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समित एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।
16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाए तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।
17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया–कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्व निष्कर्षों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा समीक्षा करना।
18. डिपोजिटर्स, डिबेचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।
19. पब्लिक अडरटेकिंग्स (कोपू) आफ द पार्लियामेंट पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।
20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

(घ) अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

1. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।
2. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना
3. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।
6. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।
7. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

(ड.) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की सवीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगीः

1. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।
3. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।
4. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

(च) गठन :

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है।

1.	अध्यक्ष	श्री आर.के.मित्तल	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक
2.	सदस्य	श्री डी.एन.प्रसाद	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3.	सदस्य	श्री एन.कुमार	निदेशक (तकनीकी)
4.	सदस्य	श्री आर.के.चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी)

स्वतन्त्र निदेशक श्री आर.के.मित्तल अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं तथा तीन सदस्य कोयला मंत्रालय, कोल

इंडिया लिमिटेडएवं सीएमपीडीआई से होते हैं, जबकि पिछले तीन वर्षों में नियुक्त स्वतन्त्र निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शेष तीन स्वतन्त्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है। अंकेक्षण समिति से संबंधित कारपोरेट गवर्नेंस,पर निशा–निर्देश का अनुसरण स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर की जा सकती है।

(छ) बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान छह बैठकें आयोजित की गई। ये बैठके क्रमशः दिनांक : 22.4.2014, 10.5.2014, 28.7.2014,26.9.2014, 30.10.2014 तथा 6.2.2015 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	अंकेक्षण समिति के सदस्यगण	स्थिति	आयोजित बैठक	भाग ली गई बैठक
1.	श्री आर.के.मित्तल	अध्यक्ष	6	6
2.	श्री एन. कुमार	सदस्य	6	4
3.	श्री आर.के.चोपड़ा	सदस्य	6	5
4.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य	6	4

1.5.5 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पे पुल तथा विहित सीमा के अन्तर्गत अधिकारियों से उपर तथा असंगठित (नन–युनियनाइज्ड) पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण की नीति होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई है, जिसमें (कोल इंडिया लिमिटेड) पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनी होने के कारण अधिकारियों तथा नन–यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार विनियमित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 178 के संदर्भ में मनोनयन और पारिश्रमिक समिति का गठन तीन या उससे अधिक गैर–र्कायकारी निदेशकों को शामिल कर किया जाना चाहिए जिसमें स्वतंत्र निदेशकों की संख्या आधी से कम नहीं होनी चाहिए।

सीएमपीडीआई बोर्ड के रौल में बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के अनुसार ऐसी समिति का गठन मानक का उल्लंघन है, और इसीलिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कोल इंडिया से प्राप्त दिशा–निर्देशों तक ऐसी समिति का गठन का इंतजार किया जा रहा है।

1.5.6 सीएसआर कमिटी :

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के लिए वचनबद्धता है, जिसमें कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, ग्राहक, सिविल सोसायटी ग्रुप, सरकार तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस में बोर्ड स्तर की एक समिति होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेबिलिटि, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इसी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने दिनांक 10.5.2013 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में सीएसआरएंड सस्टेनेबिलिटी कमिटि का गठन किया है।

गठन :

सीएसआर एंड सस्टेनेबिलिटि कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं।

1.	अध्यक्ष	श्री आर.के.मित्तल	गैरसरकारी अंशकालिक निदेशक
2.	सदस्य	श्री डी.के.घोष	निदेशक (तकनीकी/ईएस)
3.	सदस्य	श्री आर.के.चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी)

बैठक एवं उपस्थिति :

वर्ष 2014–15 में दिनांक 28.7.2014 तथा 5.2.2015 को दो बैठकें आयोजित की गईं। स्टेटेनेबुल डेवलापमेंट कमिटि की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही :

सीएसआर तथा सस्टेनेबुल कमिटि के सदस्य	पद	आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
श्री आर.के.मित्तल	अध्यक्ष	2	2
श्री डी.के.घोष	सदस्य	2	2
श्री आर.के.चोपड़ा	सदस्य	2	1

1.5.7 निदेशकों का पारिश्रमिक :

सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशकों का अनुबंध एवं शर्त तथा पारिश्रमिक कंपनी/कोल इंडिया लिमिटेड के संस्था संलेख (आर्टिकल आफ असोशिएशन) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(क) कार्यकारी निदेशक :

कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

नाम	पदनाम	छुट्टी नकदीकरण सहित कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	एचआरए	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान	पीआरपी की अग्रिम	कुल	एलटीसी एवं चिकित्सा खर्च
श्रीए.के.देबनाथ	अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक	1899732.00	443152.00	0.00	263394.00	0.00	2606278.00	184035.00
श्री शेखर सरन	निदेशक (तकनीकी)	1754925.00	391500.00	0.00	244521.00	0.00	2390946.00	75339.00
श्री वी.के.सिन्हा	निदेशक (तकनीकी)	1611023.00	343073.00	0.00	209776.00	0.00	2163872.72	214691.00
श्री डी.के.घोष	निदेशक (तकनीकी)	1780512.00	396995.00	0.00	247020.00	0.00	2424527.00	102314.00
श्री आर.के.चोपड़ा	निदेशक (तकनीकी)	1755345.00	408000.00	0.00	245745.00	0.00	2409090.00	21601.00

(ख) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण :

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्री डी.एन.प्रसाद, सलाहकार (परियोजना) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनित सदस्य तथा श्री एन.कुमार, निदेशक (तकनीकी) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता से मनोनित सदस्य हैं एवं उनका पारिश्रमिक का भुगतान क्रमशः भारत सरकार तथा कोल इंडिया लिमिटेड से किया जा रहा है।

(ग) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक :

कंपनी के गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्रमांक	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया सीटिंग फिस		कुल रूपये
		बोर्ड की बैठक (रूपए)	समिति की बैठक (रूपये)	
1.	श्री आर.के.मित्तल	120000.00	120000.00	240000.00

1.5.8 (1) वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	वर्ष 2011–12 37वीं एजीएम	वर्ष 2012–2013 38वीं एजीएम	वर्ष 2013–2014 39वीं एजीएम
तिथि	21.5.2012	22.5.2013	10.6.2014
समय	10.30 पूर्वाह्न	10.30 पूर्वाह्न	11.00 पूर्वाह्न
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड
विशेष प्रस्ताव	शून्य	शून्य	शून्य

1.5.8 (2) असाधारण आम बैठक

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15
तिथि			27.3.2015
समय			11.00 पूर्वाह्न
स्थान	–	–	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची, झारखंड–834031
विशेष संकल्प			हाँ

1.5.8 (3) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार 9.5.2013 को राँची में स्वतन्त्र निदेशकों की बैठक आयोजित की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान केवल एक स्वतंत्र निदेशक के रोल में होने के कारण कोई बैठक आयोजित नहीं हो सकी।

1.5.9 प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर):

- **पार्टी ट्राँजेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण मामले**

कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से (मेटेरियली सिग्नीफिकेंट) में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

संबंधित पार्टी के लेन–देन संबंधी नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनी के बीच ट्रांजेक्शन में छूट है।

- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून के अनुपालन का विस्तृत विवरण :**

कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिटरिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी आथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्त्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरित मामला नहीं है।

- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच**

यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाघड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुंच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन :**

निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि जैसे दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनी होने के कारण यह सीएमपीडीआईएल के लिए लागू नहीं है। कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ संलग्न है। सभी चारों निदेशकों का निदेशक पद दिनांक : 23.12.2013 के समाप्त हो जाएगा तथा उनमें से एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एमओसी द्वारा दिनांक : 1.11.2013 को तीन वर्षों के लिए की गई थी। शेष तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एमओसी द्वारा किया जाना है। सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया/एमओसी को स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति की स्थिति से अवगत करा दिया है। उपयुक्त के आलोक में निदेशकों से संबंधित प्रावधान निगमित शासन के दिशा–निर्देश तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार (दोनों), इसे लागू नहीं किया जा सका।

- **इन्टीग्रिटी पैक्ट एवं आइईएम :**

कंपनी के पास अपने व्यापार ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पादर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रिटि पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटि पैक्ट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाहय मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सर्पोट है।

- **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण :**

कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक (वित्त) द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर को "सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण" प्रदान कर दिया है जिसे डाईरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड आफ कंडक्ट) :**

कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियेां के लिए आचरण संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का ब्यौरा :**

बुक आफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो व्यवसाय के उद्देश्य

के लिए नहीं है तथा किसी भी वैसे व्यय को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक–मंडल (बोर्ड आफ डायरेक्टर) तथा शीर्ष प्रबंधन पर खर्च किया गया है।

- **राष्ट्रपति का निर्देश :**

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

- **वार्षिक रिटर्न**

वार्षिक रिटर्न नियमित रूप से आरओसी के पास जमा किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक रिटर्न आरओसी के पास दिनांक 29.7.2014 को भरा गया तथा वर्तमान वर्ष 2014–15 का आरओसी के पास जमा किया जा रहा है। फार्म नंबर एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का सारांश इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

1.5.10 संचार के साधन :

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका ''संपदा'' माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.inij उपलब्ध कर दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.5.11 अंकेक्षण योग्यता :

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है। 31 मार्च, 2015को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दी गई है। 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी भी इसके साथ संलग्न की गई है।

1.5.12 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। कंपनी में नव–नियुक्त निदेशकों को कंपनी के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेटमेंट, मुख्य क्रिया–कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा–निर्देश के विस्तृत प्रेजेन्टेशन, विचार–विमर्श हुई आदि के माध्यम से पूर्वतः अवगत कराया जाता है।

1.5.13 व्हिसिल ब्लोअर नीति :

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितो को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआई में 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8. 11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया।

यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2011 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ–साथ ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी अपेक्षा (रिक्वायरमेंट) प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकण से अलग हो, के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया गया कि अंकेक्षण समिति के समक्ष पहुँच से व्हिसिल ब्लोअर को रोका नहीं गया।

1.5.14 जोखिम प्रबंधन योजना :

रणनीतिक व्यापार नीति के भाग के रूप में जोखिम पहचान की प्रक्रिया, संगठन के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रशामक नियंत्रण एवं मूल्यांकन पर पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। बाहरी एवं आंतरिक कारकों के कारण अंतर्निहित जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा जोखिम से कारगर तरीके से निपटने के लिए नीतियों एवं पद्धति/प्रणाली के जरिए आवश्यक प्रशामक उपाए किए गए हैं। सीएमपीडीआई 2011 का जोखिम प्रबंधन योजना को दिनांक : 13.1.2012 को आयोजित 164वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। यह योजना सीएमपीडीआई में लागू है तथा जोखिम प्रबंधन योजना को सीएमपीडीआई के वेब साइट के इंट्रानेट पर डाल दिया गया है।कोल इंडिया एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए जोखिम प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1.5.15 आंतरिक प्रक्रिया संहिता तथा इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचरण :

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया हेतु कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआई द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिग्नेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति में डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिग्नेट कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआई के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.5.16 निदेशकों का दायित्व :

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा–निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआई के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ मेंसेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''क्राइटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना की जाती है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.5.17 निगमित शासनके अनुपालन की त्रैमासिक रिपोटिंग पद्धति :

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआई द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.5.18 की–मैनेजेरियल पर्सनल :

कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित कार्मिक, मैनेजेरियल कार्मिक हैं :
श्री अमल कुमार देबनाथ– सीईओ
श्री डी.के.राव, मुख्य वित्त अधिकारी

1.6.0 सीएमपीडीआई में सीएसआर तथा सस्टेनेबुल डेवलपमेंट :

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के

अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध–सुविधायुक्त तबको की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है। कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 135 तथा उसके तहत बने नियम तथा कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए निर्मित सीएसआर नीति का कंपनी अनुसरण करती है।

सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलॉपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएमपीडीआई दैनिक कार्य व्यापार में सामाजिक तथा पर्यावरणिक चिन्ताओं को शामिल कर सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआई में ''टू–टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटि'' का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआई ने वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्रिया–कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग ''ख'' में देखा जा सकता है।

1.7.0 वार्षिक रिटर्न का सार

धारा 92 (3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार विस्तृत विवरण के साथ फार्म सं.–9 में कंपनी निबंधक (आरओसी) के पास जमा किया जा रहा है, जिसे इस रिपोर्ट की परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट– ।।।)

1.8.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट– ।)

1.9.0 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य–निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूँजी 25 करोड़ रू. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा–134 (3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि, इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूँजी 19.04 करोड़ रू. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तद्नुरूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन तथा अपना तथा अपना एवं प्रत्येक निदेशकों का कार्य निष्पादन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के तीन महीने से अधिक की अवधि तक नियुक्ति न होने के कारण नहीं किया जा सका। हलाँकि, नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।

भाग–ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन :

भूवैज्ञानिक गवेषण एवं वेधन :

1.0.1 सीएमपीडीआई ने वर्ष 20114–15 में भी मुख्यतः कोल इंडिया तथा गैर कोल इंडिया/कैप्टिव ब्लॉकों में अपने कोयला गवेषण क्रिया–कलाप जारी रखा। सीआईएल के ब्लॉकों में गवेषण कार्य इसकी अनुषंगी कंपनियों की परियोजना आयोजन/उत्पादन सहायता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया, जबकि गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉकों में गवेषण कार्य कैप्टिव खनन के लिए संभावित उद्यमियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन सुलभ करने के लिए किया गया।

1.0.2 सीएमपीडीआई ने XI (ग्यारहवीं) तथा XII (बारहवीं) योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता लगातार विकसित की है। सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2007–08 में 2.09 लाख मीटर ड्रिलिंग के मुकाबलें वर्ष 2011–12 में 4.98 लाख मीटर तथा वर्ष 2012–13 में 5.63 तथा 13–14 में 6.97 लाख मीटर और 2014–15 (19 प्रतिशत वृद्धि) में लगभग 8.28 लाख मीटर ड्रिलिंग (वृद्धि–24 प्रतिशत) का कार्य पूरा कर लिया है। विभागीय ड्रिलों के आधुनिकीकरण के जरिए क्षमता बढ़ाने हेतु 39 नए मैकेनिकल ड्रिल तथा 4 हाई–टेक हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल प्राप्त किये गए जिनमें से 10 को अतिरिक्त ड्रिल के रूप में और 33 को पुराने ड्रिलों के बदले में आपूर्ति आदेश जारी कर दिया गया है। सीएमपीडीआई ने विगत 6 वर्षों में 38 मड पम्प तथा 74 ट्रकों को बदला है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में 8 हाईटेक हाईड्रोस्टेटिक ड्रिल का कार्यादेश दिया गया, जिसमें से 3 ड्रिल प्राप्त कर मार्च, 2015 में कार्य में लगा दिया गया है।बढ़े हुए कार्य भार को कम करने के लिए वर्ष 2008–09 में कैम्पस साक्षात्कार/खुली परीक्षा के माध्यम से 225 भू–वैज्ञानिक 32 भूभौतिविद् तथा 20 यांत्रिकी अभियंता की नियुक्ति की गई थी। गैर–अधिकारी वर्ग के 879कर्मचारियों को गवेषण कार्य में लगाया गया है। इनमें से 42 भूवैज्ञानिक, 5 भू–भौतिकी 5 यांत्रिक अभियंता तथा 11 गैर–अधिकारी वर्ग के कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया।

1.0.3 वर्ष 2008–09 से आउटसोर्सिंग के द्वारा 50 ब्लाकों में 17.17 लाख मी. ड्रिलिंग का कार्य निविदा के माध्यम से दिया गया, जिसमें से 24 ब्लाकों में ड्रिलिंग की गईं। स्थानीय समस्याओं (कानून एवं व्यवस्था) के कारण दो ब्लाकों में काम शुरू नहीं किया जा सका तथा 6 चालू ब्लॉकों में काम रोक दिया गया। वन क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण 11 ब्लाकों में काम रोक दिया गया। वन क्लियरेंस नहीं मिलने तथा कानून एवं व्यवस्था की विपरीत स्थिति के कारण वर्ष 2014–15 में आउटसोर्सिंग ब्लाकों में लगभग 3.67 लाख मीटर ड्रिलिंग नहीं किया जा सका। वर्ष 14–15 में आउटसोर्सिंग के जरिए कुल 4.72 लाख मीटर ड्रिलिंग (27 प्रतिशत वृद्धि) किया गया जिसमें से निविदा के द्वारा 2.45 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा एमईसीएल के साथ एमओयू के जरिए 2.20 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया तथा 0.07 लाख मीटर राज्य सरकार द्वारा किया गया।

1.0.4 ड्रिलिंग में बढ़ोत्तरी के कारण कोयला कोर विश्लेषण की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सीएमपीडीआई तथा सीआईएमएफआर प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। सीएमपीडीआई तथा सीएसआईआर के बीच (कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से) क्षमता में वृद्धि के लिए हस्ताक्षर किया गया है। कार्य प्रगति की ओर है।

1.1 वर्ष 2014–15 में ड्रिलिंग निष्पादन/उपलब्धि :

1.1.1 सीएमपीडीआई ने सीआईएल/गैर–सीआईएल प्रोमोशनल ब्लाक में गवेषण के लिए विभागीय ड्रिलों को लगाया, जबकि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों ने केवल सीआईएल ब्लॉकों में संसाधन लगाएं। इसके अतिरिक्त आठ (8) अन्य संविदात्मक एजेंसियों ने कोल इंडिया लिमिटेड/गैर–सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत ड्रिलिंग/गवेषण के लिए संसाधन को लगाया। वर्ष 2014–15 में कुल 140 से 160 ड्रिल लगाए गए हैं,जिनमें 57–61 विभागीय ड्रिल है।

इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र (सीआईएल एवं एससीसीएल) के 7 ब्लाकों में एमईसीएल द्वारा लिए गए प्रोमोशनल गवेषण के कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण करना जारी रखा तथा जीएसआई में 9 तथा डीजीएम (नागालैंड) में 2 तकनीकी पर्यवेक्षण करना जारी है। लिग्नाइट सेक्टर से 8 ब्लॉक एवं जीएसआई के 4 ब्लॉकों में एमईसीएल द्वारा प्रमोशनल गवेषण का कार्य शुरू किया गया।

वर्ष 2014–15 के दौरान कोयला (0.71 लाख मी.) एवं लिग्नाइट (0.69 लाख मी.) में कुल 1.40 लाख मी. प्रमोशनल ड्रिलिंग किया गया।

1-1-2 वर्ष 2014–15 में सीएमपीडीआई तथा इसके संविदात्मक एजेंसियों ने 6 राज्यों में स्थित 22 कोयला क्षेत्र के 93 ब्लाकों/खानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग शुरू किया। ये कोयला क्षेत्र है :

रानीगंज (6ब्लाक/खान), बजोरा (1), ब्राह्मनी (1), राजमहल (3), झरिया (3 ब्लाक/खान), वेस्ट बोकारो (2), रामगढ़ (2), साउथ कर्णपुरा (5), नार्थ कर्णपुरा (7), काम्पटी (8), नन्द बंदेर (2), वर्धा वैली (5), सोहागपुर (11), मांद रायगढ़ (11), कोरबा (6), विश्रामपुर (2), सोनहाट (1), टाटापानी–रामकोला (4), सिंगरौली (4), तालचर (10), तथा ईब वैली (6)। इन 100 ब्लाकों/खानें में से 30 गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लाकों तथा 63 सीआईएल ब्लाक/खदान हैं। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों द्वारा 57 ब्लाक/खदानों में गवेषणात्मक वेधन किया गया। जबकि संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 36 ब्लाकों/खानों में वेधान का कार्य किया गया।

1.1.3 प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत एमईसीएल ने 9 कोयला क्षेत्र खनिखंडों (मांद रायगढ़ 3,विश्रामपुर–2, सिंगरौली–2,एवं गोदावरी वैली–2), जीएसआई ने 11 ब्लाकों (रानीगंज सीएफ–2, तालचर सीएफ–2, ईब वैली–2, सोहागपुर–3 तथा टाटापानी रामकोला–2) एवं डीजीएम (नागालैंड) तथा डीजीएम (असम) 1 ब्लाक (नार्दर्न खार–1) एवं करबियंगलॉग में प्रोमोशनल ड्रिलिंग की है।

वर्ष 2014–.2015 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की विस्तृत उपलब्धि नीचे दी गई है :

(आँकड़े लाख मी. में)

एजेंसी	वर्ष 2014–15 का लक्ष्य (मीटर)	वर्ष 2014–15 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की उपलब्धि			गत वर्ष 2013–14 में प्राप्त उपलब्धि (मीटर)	वृद्धि :
		उपलब्धि (मीटर)	उपलब्धि (प्रतिशत)	+/– (मीटर)		
(क) सीएमपीडीआई द्वारा किया गया विस्तृत वेधन कार्य (प्रोमोशनल ड्रिलिंग)						
(1)विभागीय	3.50	3.56	102%	0.06	3.25	10%
(2) आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	0.10	0.07	69%	–0.03	0.06	15%
एमईसीएल(एमओयू)	2.15	2.20	102%	0.05	1.71	29%
निविदा (सीआईएल ब्लॉक)	3.74	1.59	43%	–2.15	1.56	2%
निविदा (गैर–सीआईएल ब्लाक)	2.51	0.85	34%	–1.66	0.38	123%
कुल आउटसोर्सिंग	8.50	4.72	55%	–3.78	3.71	27%
सकल योग(क)	12.00	8.28	69%	–3.72	6.97	19%
(ख) एमईसीएल, जीएसआई तथा डीजीएम (नागालैंड) एवं डीजीएम (असम) द्वारा किया गया प्रोमोशनल ड्रिलिंग कार्य 1. कोयला क्षेत्र						
जीएसआई	0.165	0.189	115%	0.024	0.156	21%
एमईसीएल	0.700	0.503	72%	–0.197	0.468	8%
डीजीएम, नागालैंड	0.005	0.004	85%	–0.001	0.007	&41%
डीजीएम, असम	0.005	0.000	0%	–0.005	0.001	&100%
सीएमपीडीआई	0.030	0.010	35%	–0.019	0.000	&
कुल कोयला	0.905	0.707	78%	–0.198	0.632	12%
2 लिग्नाईट क्षेत्र						
जीएसआई	0.135	0.085	63%	–0.050	0.074	15%
एमईसीएल	0.610	0.603	99%	–0.007	0.614	&2%
कुल लिग्नाईट	0.745	0.688	92%	–0.057	0.688	0%
सकल योग	1.650	1.395	85%	–0.255	1.320	6%

'वर्ष 2014–15 में सीआईएल ब्लॉकों में 5.45लाख मीटर तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 2.83 लाखा मीटर ड्रिलिंग किया गया।

वर्ष 2014–15 में सीएमपीडीआई ने अपने विभागीय तथा संपूर्ण ड्रिलिंग लक्ष्य क्रमशः 102 प्रतिशत तथा 68 प्रतिशत हासिल की है। विभागीय ड्रिलिंग की उपलब्धि गत वर्ष की उपलब्धि से 10 प्रतिशत बेहतर बरही तथा परिचालन ड्रिल उत्पादकता 514 मी./ड्रिल/माह दर्ज की गई। जंगल वाले क्षेत्रों में गवेषण की अनुमति नहीं मिलने के कारण आउटसोर्सिंग ड्रिलिंग की उपलब्धि प्रभावित हुई। जंगल संबंधी समस्या के कारण एमईसीएल कोयला क्षेत्र में प्रोमोशनल ड्रिलिंग का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा सीएमपीडीआई ने विस्तृत ड्रिलिंग में प्राथमिकता के कारण प्रोमोशनल ड्रिलिंग को नहीं प्राप्त कर सका। कोल इंडिया अफ्रिकाना एलडीए के सुपरविजन में लाइसेंस क्षेत्र संख्या 3450 एल एवं 3451 एल, मोआटिज् कोल क्षेत्र, टेटे प्रोविंस, मोजाम्बिक में लगभग 8848 मी. गवेषात्मक ड्रिलिंग की गई।

1.1.4 गैर–सीआईएल/कैप्टिव खनिखंडों में वेधन (ड्रिलिंग) :

बारहवी पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए संरक्षण हेतु कोयला एवं लिग्नाईट के वर्किंग ग्रूप द्वारा 974.69 करोड़ रूपये की आवश्यक निधि (विभागीय स्रोतों एवं आउटसोर्सिंग दोनों) के जरिए कोयला में 20.13 लाख मीटर (एनईआर सहित) की व्यौरेवार ड्रिलिंग (वेधन) करने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2014–15 में गैर सीआईएल ब्लाकों में कुल 4.16 लाख मीटर ड्रिलिंग (विभागीय 0.65 लाख मीटर एवं आउटसोर्सिंग द्वारा 3.51 लाख मीटर) करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस लक्ष्य को तुलना में कुल 2.83 लाख मी. में से सीएमपीडीआई की विभागीय ड्रिलों द्वारा 0.61 लाख मी. ब्लॉकों में 2.22 लाख मीटर की गवेषणात्मक ड्रिलिंग किया गया, जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2.22 लाख मीटर की ड्रिलिंग उपलब्धि प्राप्त की गई।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावे सीएमपीडीआई ने आबंटन के उद्देश्य से वर्तमान कैप्टिव खनन ब्लॉकों की प्रारंभिक भू–वैज्ञानिकी सूचना एमओसी को उपलब्ध करवाई है। सीएमपीडीआई ने कैप्टिव खनिखंड के संभावित उद्यमियों को अपने अंतिम उपयोग के लिए उपयुक्त ब्लॉकों के चयन को सक्षम बनाने हेतु वर्तमान जीआर की प्रति उपलब्ध करवाई है। आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गवेषण के कुल मूल्य के भुगतान पर आवंटियों को मूल भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी।

1.2 जल भू–विज्ञान :

1.2.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन तथा ईएमपी क्यिरेंस के लिए 'भूगर्भ जल समाशोधन आवेदन तैयार करने हेतु कई खनन परियोजनाओं/खानों का जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल एवं एसईसीएल में 31 खनन परियोजना/खानों/कलस्टर आफ माइन्स के लिए भू–वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.2.2 सीएमपीडीआई डब्ल्यूसीएल क्षेत्र में वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं (65 खान) तथा बीसीसीएल क्षेत्र में खानों के 15 कलस्टर का भू–जल प्रबंधन कर रहा है। ईसीएल, सीसीएल, एसईसीएल, एनसीएल तथा एमसीएल को अन्य क्षेत्रों में जल स्तर प्रबोधन का कार्य भी प्रगति पर है।

1.2.3 विवेच्य वर्ष के दौरान पीआर जीआर, तथाउत्पादन सहयोग आदि के भाग के रूप में 10 डब्ल्यूसीएल, 3 एमसीएल एवं 10 एसईसीएल परियोजनाओं की भूमिगत जल स्थिति पर जल भू–वैज्ञानिक नोट पूरा कर लिया गया। बराकर तथा कमाठी फोर्मेशन में अलग से लंबी अवधि के लिए एक्वाफायर परफार्मेंस टेस्ट करने तथा कुंओं की निर्माण के सुपरविजन सहित डब्ल्यूसीएल की 1 परियोजना में खान जल के बहाव का आकलन करने के लिए जल भूवैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया।

1.2.4 खदानों, कॉलोनियों तथा गाँवों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल की 8 परियोजनाओं में जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.2.5 एनटीपीसी के लिए जगन्नाथ खुली खान रिक्ति तथा साउथ बलांडा खुली खान रिक्ति में राख के निपटान हेतु हाइड्रोजियोलॉजिकल अन्वेषण पर अंतिम रिपोर्ट पेश की जा चुकी है।

1.3 भू–वैज्ञानिकी रिपोर्ट

1.3.1 वर्ष 2014–15 में विगत वर्षों में किए गए विस्तृत गवेषण के आधार पर कुल 16 भू–वैज्ञानिकी रिपोर्ट तैयारी गई। इसके अतिरिक्त 8 संशोधित भू–वैज्ञानिक रिपोर्टें तैयार की गई। तैयार भू–वैज्ञानिक रिपोर्टों से 3.6 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला संसाधन 'प्रमाणित' श्रेणी में आया है।

1.3.2 प्रोमोशनल गवेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत जीएसआई तथा एम ई सी एल ने खासकर 'निर्दिष्ट' श्रेणी में विशेष मुटाई वाले 4.0 बिलियन टन कोयला भण्डार संसाधन आकलित कर कोल ब्लॉक पर 13 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी है।

1.4 भू–भौतिकी सर्वेक्षण

1.4.1 **भू–भौतिकीय लागिंग** गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए ड्रिल किये गए बोर होलों में मिले विभिन्न संस्तरों के स्वस्थाने (इनसीटू) जानकारी प्राप्त करने के लिए भू–भौतिक रूप से लौग किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान इस उद्देश्य के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी पारामेट्रिक भू–भौतिकी लागिंग उपकरण की सहायता से कुल 234614 गहराई मीटर भू–भौतिक लागिंग की जा चुकी है। इसमें से 61143 गहराई मीटर लागिंग, 4 विभागीय भू–भौतिकी लागिंग इकाई द्वारा की गई तथा 173471 मीटर लागिंग संविदात्मक एजेंसियों द्वारा की गई।

1.4.2 **भू–तल भू–भौतिकी सर्वेक्षण** सीएमपीडीआई द्वारा कोयला सीमों के इनक्रॉप डाईफ की रूप–रेखा निर्धारण तथा भूमिगत जल का अन्वेषण के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विद्युत प्रतिरोधक तथा चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2014–15 में कुल 311 लाइन किलो मीटर प्रतिरोधक प्रोफाइलिंग, 121 अनुलम्ब विद्युतीय (वर्टिकल इलेक्ट्रिीकल) विद्युतीय गुंजामान/ ध्वनि (बीईएस) तथा 6509 नं. स्टेशन चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है। 48 चैनल सिग्नल इनहांसमेंटसिस्मोग्राफ की सहायता से रेंकी ब्लॉक, कोरबा कोयला क्षेत्र, पुंडी ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र, मोहनपुर साउथ एवं इससे सटा हुआ (इसको जोड़ने वाले) ब्लॉक, रानीगंज कोयला क्षेत्र में कुल 104.4 लाइन किलोमीटर हाई रिजोल्यूशन शैलो सिस्मिक सर्वेक्षण किया गया।

1.4.3 **रिपोर्ट:** वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 21 भू–भौतिकीय रिपोर्ट सुपुर्द की जा चुकी है।10 भू–भौतिकीय लॉगिंग पर, 2 रिपोर्ट प्रतिरोधकता सर्वेक्षण पर, 2 चुम्बकीय सर्वेक्षण पर तथा एच आर एस एस सर्वेक्षण पर 1 रिपोर्ट शामिल है।

1.5 भू–प्रणाली:

1.5.1 सरकारी निधि प्राप्त परियोजना ''समेकित कोयला संसाधन सूचना प्रणाली (आईसीआरआईएस)''का जोन लेवल मॉडलिंग जारी है तथा इनमें से 38 जोन मॉडलों को आईसीआरआईएस के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जोन मॉडलिंग के बदले योजनाकारों की आवश्यकतानुसार मॉडल लेने का निर्णय किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया के नये टोपोशिट के अनुसार डब्ल्यूजीएस 84 डेटम को बदलने तथा डीजीपी के सर्वेक्षण तथा/इच्छित सूचना सहित कोल इंडिया/ अतिरिक्त कोल इंडिया ब्लॉक के रेसनलाइजेशन सहित कोल इंडिया/ एडिशनल कोल इंडिया ब्लॉक के बाउण्डरी में सुधार का कार्य शुरू कर दिया गया है। पुराने हार्ड वेयर को बदलने के लिए नये हार्ड वेयर प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

1.5.2 सीईएमपीजीईओडीओसी एण्ड एसएसएलआईएनटी :

भू–वैज्ञानिक आँकड़ा संसाधन के लिए इन हाउस (घरेलू) विकसित साफ्टवेयर सीईएमपीजीईओडीओसी तथा जीसीबी कम्यप्यूटेशन जैसे वांछित आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न टेक्सचुअल/ग्राफिक आउटपुट का निर्माण तथा विकास किया जा रहा है।

जियोफिजिकल लॉग से प्रोक्सिमेट एनालाइसिस डाटा की व्याख्या तथा लिथेलॉजिकल के लिए इन–हाउस विकसित सॉफ्टवेयर तथा ग्राफिक आउटपुट का निर्माण एवं मोजाम्बिक डाटा सहित कार्यान्वयन के स्तर का परीक्षण जारी है एवं विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों के कुछ ब्लॉकों में परीक्षण किया जा रहा है।

1.6 कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/ कोल माइन मिथेन (सीएमएम)

1.6.1 कोल इण्डिया एवं ओएनजीसी के कंसोर्टियम द्वारा झरिया एवं रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सीबीएम का सहयोगात्मक व्यावसायिक विकास

सरकार ने सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए मनोनयन के आधार पर ओएनजीसी एवं कोल इंडिया के कंसोर्टियम को मुख्यतः झरिया कोयला क्षेत्र में झरिया सीबीएम ब्लॉक तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक को 2002 में आवंटित किया है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया की तरफ से

परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। ओएनजीसी दोनों सीबीएम ब्लॉकों का आपरेटर है तथा सरकार के साथ हुए संविदा करार के अनुसार कार्य को संपादित कर रहा है।

सीएमपीडीआई द्वारा वर्क प्रोग्राम के सीआईएल पार्ट तथा ओएनजीसी द्वारा पूरित (सप्लीमेंटेंट) एप्रेजल एक्टिविटि का परिणाम है ओएनजीसी जैसे आपरेटर द्वारा क्षेत्र विकास योजना (एफडीपी) का निर्माण (सूत्रीकरण)/ दोनों सीबीएम ब्लॉक के लिए एफडीपी को भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2013 में अनुमोदित किया गया, यद्यपि आज की तिथि तक पेट्रोलियम माइनिंग लीज (पीईएल)तथा पर्यावरणिक स्वीकृत के अभाव में एफडीपी का कार्यान्वयन नहीं हो सका। इसी बीच, आपरेटर ने वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के प्रस्तावित वर्क प्रोग्राम के लिए बजटीय अनुमोदन मांगा है, जिसमें रानीगंज सीबीएम ब्लॉक में 2डी सिस्मिक सर्वेक्षण सहित झरिया सीबीएम ब्लॉक तथा रानीगंज सीबीएम ब्लॉक में वर्तमान कुँओं के रखरखाव एवं दो नए कुँओं की खुदाई भी शामिल है।

प्रस्तावित वर्क प्रोग्राम तथा वर्ष दर वर्ष वर्क प्रोग्राम के बजट एवं संबंधित सीबीएम ब्लॉक के लिए एफडीपी में बनाए गए वित्तीय प्रावधान हेतु पत्र व्यवहार को देखते हुए कोल इंडिया ने इसके अनुमोदन में अपनी असमर्थता जताई है तथा एफडीपी की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। कंसोर्टियम पार्टनरों के बीच कुछ ऑपरेशनल और संविदात्मक मुद्दों के निपटारे के लिए अध्यक्ष/कोल इंडिया तथा अध्यक्ष/ओएनजीसी के बीच 11फरवरी, 2015 कोलकाता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई तथा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के सहज संचालन के लिए संबंधित क्रिया–कलापों में तेजी लाई जाए।

1.6.2 12 वीं योजना के दौरान उन्नयक (प्रोमोशनल) गवेषण के तहत सीबीएम तथा शैल गैस से सम्बन्धित अध्ययन

1.6.2.1 सीबीएम से सम्बन्धित अध्ययन

सीएमपीडीआई पीआरई के कोष के तहत उन्नायक गवेषण (12वीं योजना अवधि) के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होलों के जरिए ''भारतीय कोयला क्षेत्र/लिग्नाइट क्षेत्र में कोल बेड मिथेन गैस इन प्लेस संसाधन का मूल्यांकन'' कर रहा है। 12वीं योजना अवधि के दौरान कुल 60 बोरहोल (सीएमपीडीआई द्वारा 40 तथा जीएसआई द्वारा 20) पर अध्ययन शुरू किया जाना है। योजना अवधि के लिए सीएमपीडीआई द्वारा 24 बोर होल तथा जीएसआई द्वारा 11 बोर होल पर अध्ययन पूरा किया गया। अप्रैल, 2014–मार्च, 2015 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 8 बोर होल का अध्ययन पूरा किया गया। अप्रैल, 2007 से कुल 8 रिपोर्ट सौंप दी गयी है।

विवेच्य वर्ष के दौरान सीबीएम से सम्बद्ध अध्ययन पर आधारित निम्नलिखित तीन रिपोर्टें पेश की गई हैः–

क) गर्जनबहल ब्लॉक, ईब घाटी कोयला क्षेत्र का डीप साइड

ख) भालू मुडा ब्लॉक, मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र

ग) माण्डवा ब्लॉक, बंदेर कोयला क्षेत्र

1.6.2.2 शैल गैस से सम्बन्धित अध्ययन

सीएमपीडीआई पीआरई के कोष के तहत उन्नायक गवेषण (12वीं योजना अवधि) के तहत ड्रिल किए जा रहे बोर होलों के जरिए ''भारतीय कोयला क्षेत्र/लिग्नाइट क्षेत्र के शैल गैस इन प्लेस का मूल्यांकन'' से सम्बन्धित अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन शैल गैस की सम्भावना के मूल्यांकन के लिए आंकड़ा का सृजन करेगा तथा शैल गैस के विकास के लिए अधिक खनिखंडों के डिलीनिएशन को आसान बनाएगा। सीएमपीडीआई के द्वारा पीआरई निधि के तहत 12वीं योजना अवधि के दौरान 25 बोर होल में शेल गैस स्पेसिफिक डाटा का सृजन किया गया। योजना अवधि के लिए सीएमपीडीआई द्वारा 15 बोर होलों में शेल गैस का अध्ययन किया गया। अप्रैल, 2014–मार्च, 2015 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 5 बोर होलों का अध्ययन किया गया।

1.6.3 कोल माइन मिथेन (सीएमएम) का व्यावसायिक विकास

सीएमएम का व्यावसायिक विकास सरकार और कोयला उद्योग स्तर दोनों के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। बीसीसीएल की मूनीडीह खान में प्रदर्शन परियोजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन ने प्रक्रिया की दक्षता को पहले से ही प्रमाणित किया है। कोल इण्डिया के खनन वाले लीज होल्ड एरिया के भीतर पांच उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर ली गई। मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है।

कोल इंडिया के कोयला खनन के कमांड क्षेत्रों में सीएमएम के व्यावसायिक विकास के ऑपरेशन लाइजेशन के मेकेनिजम (तरीकों) पर सरकार के स्तर पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में औपचारिक सूचना प्राप्त करने की प्रतीक्षा की जा रही है। उसके बाद सीएमएम के विकास तथा दोहन के सीएमपीडीआई/कोल इंडिया द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

व्यावसायिक विकास के लिए तथाकथित बैकग्राउण्ड, एक्शन के तहत कार्य प्रारम्भ किया गया तथा 5 चिन्हित ब्लॉकों (बीसीसीएल में 3, सीसीएल में 2) में सीएमएम के व्यावसायिक विकास के लिए कोल इण्डिया/सम्बद्ध कोयला कंपनियाँ की ओर से सीएमपीडीआई द्वारा कार्य शुरू किया गया। कोल इंडिया के क्षेत्रों में सीएमएम के विकास की संभावना को विस्तार देने के लिए ''कोल इंडिया के कमांड क्षेत्र में सीएमएम की संभावना का मूल्यांकन'' नामक परियोजना शुरू की गइ है जिसे कोल इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है।

1.6.4 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस

17 नवम्बर 2008 को कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए के तत्वावधान में सीएमपीडीआई, रॉची में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई। यह क्लियरिंग हाउस देश से सम्बद्ध सीएमएम/सीबीएम की जानकारी को संग्रह करने और आदान–प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है और सार्वजनिक/निजी भागीदारी, प्रौद्योगिकीय सहयोग और वित्तीय निवेश का अवसर लाकर भारत में सीएमएम के व्यावसायिक विकास में मदद कर रहा है।

कोयला मंत्रालय तथा यूएसईपीए की ओर से कोल इण्डिया लिमिटेड के वित्तीय सहयोग से इस क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई है। इण्डिया क्लियरिंग हाऊस का एक वेबसाइट http.\www.cmmclearinghouse@cmpdi.co.in जिसपर सीएमएम, बीएएम आदि के विकास के लिए वर्तमान अवसर से सम्बन्धित सूचना (जानकारी) के अतिरिक्त सभी महत्वपूर्ण सूचना (जानकारी) जैसे ईओआई अधिसूचनाएं, न्यूज लेटर आदि डाला गया है। नवम्बर 2011 में आरम्भिक 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद यूएसईपीए ने कोयला मंत्रालय के अनुमोदन पर अतिरिक्त तीन वर्षों की मियाद बढ़ाने के प्रस्ताव नवम्बर, 2015 तक का अनुमोदन कर दिया है।

यूएस इनवायमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने दिनांक 9–10 दिसम्बर, 2014 को सीएमपीडीआई का दौरा किया। जीएमआई इनिसिएटिव के तहत स्वांग भूमिगत खान, ईस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र के लिए पूर्व संभाव्यता अध्ययन प्री माइन मिथेन ड्रेनेज फिजिबिलिटी पर कोल बेड मिथेन आऊटरिच प्रोग्राम के तहत यूसेपा कंसलटेंट द्वारा किया गया। इंडिया सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाऊस के लिए दौरे के दौरान इसकी समीक्षा की गई तथा प्रशंसा भी की गई। यूसेपा ने आगे और तीन वर्षों की अवधि के लिए अपनी सहायता बढ़ाने पर सहमति दी।

1.6.5 कोल इण्डिया के कमांड वाले क्षेत्र में भूमिगत कोयला गैसीकरण का व्यावसायिक विकास

सीसीएल के कैथा ब्लॉक तथा डब्ल्यूसीएल के थेसागोरा ब्लॉक में ''भूमिगत कोयला गैसीकरण के व्यावसायिक विकास हेतु डेवलपर'' के चयन के लिए कोल इंडिया/सीएमपीडीआई द्वारा वैश्विक निविदा पर विचार किया जा रहा है।

1.6.6 डीजीएच के लिए डाटा डोजियर्स की तैयारी एवं रूपरेखा निर्धारण

डीजीएच ने संभावित सीबीएम ब्लॉकों पर डाटा डोजियर्स तथा डिलिनिएशन का परामर्शी कार्य सौंपा है। वर्ष 2013–14 के लिए डीजीएच को चिन्हित 8 सीबीएम ब्लॉकों के लिए राउण्ड वी ''डाटा डोजियर्स'' सौंप दिया है। सीएमपीडीआई ने शैल गैस के विकास के लिए कदम उठाया है। डीजीएच ने गोन्दवाना बेसिन में सम्भावित 6 शेल गैस ब्लॉकों की रूप–रेखा निर्धारण तथा डाटा डोजियर तैयार करने के लिए सीएमपीडीआई को परामर्शी कार्य सौंपा है। वर्ष 2013–14 के दौरान रानीगंज, झरिया, बोकारो, साउथ कर्णपुरा, नॉर्थ कर्णपुरा तथा सोहागपुर बेसिन पर अन्तिम डाटा डोजियर तथा सिस्टमेटिक अध्ययन कर रिपोर्ट डीजीएच को सौंप दी गयी है।

1.6.7 अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

कोल बेड मिथेन पर परियोजनाएँ

1.6.7.1 ''भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम भंडार का आकलन'' पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

''भारतीय कोयला क्षेत्रों (प्रोजेक्ट कोड # सीई (ईओआई)/31) के लिए सीबीएम भंडार के आकलन'' से संबंधित 2069.91 लाख रू. की लागत वाली एक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना का अनुमोदन कोल एसएंडटी परियोजना के इओआई के तहत एमओसी के पत्रांक : 34012/1/2014–सीआरसी–1 दिनांक 25 फरवरी, 2014 के द्वारा मिल चुकी है। इस परियोजना में आईआईईएसटी/बीईएसयू, शिबपुर प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी तथा सीएमपीडीआई, रांची, टीसीई, कोलकाता एवं एनजीआरआई, हैदराबाद उप–कार्यान्वयन एजेंसी है। परियोजना 24 मार्च, 2014 के प्रभाव से तीन वर्षों की अवधि का है। अनुमोदित परियोजना के अनुसार साउथ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में कार्य जारी है।

1.6.7.2 ''गहराई में अवस्थित कोयला संसाधन से सीबीएम की प्राप्तिक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कुछ भारतीय कोयले के श्रिंकेज स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक पर अध्यय'' नामक सीआईएल आर एण्ड डी परियोजना :

''गहराई में अवस्थित कोयला संसाधन से सीबीएम की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ भारतीय कोयले के श्रिंकेज स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक पर अध्ययन (परियोजना कोड # सीआईएल/आरएंडडी/1/53/2013)'' नामक सीआईएल आरएंडी परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हो चुकी है। परियोजना की शुरूआत 1 मार्च, 2013 को की गई तथा दिनांक 27 फरवरी, 2015 को इसकी समापन रिपोर्ट सौंपी गई।

1.6.7.3 ईयू द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान परियोजना ''कोयला खान तथा अखनन योग्य कोल बेड से ग्रीन हाऊस गैस की प्राप्ति तथा ऊर्जा में परिवर्तन (जीएसजी2ई)''

सीएमपीडीआई ''कोयला खान तथा गैर–खनन योग्य कोयला संस्तरों से ग्रीन हाउस गैस की प्राप्ति तथा ऊर्जा संरक्षण'' नामक बहुराष्ट्रीय/बहु सांगठनिक (पाँच देशों के 12 पार्टनर) सहयोगात्मक परियोजना में भारत से आईआईटी, खड़गपुर सहित एक सहयोगी संगठन है। यह परियोजना यूरोपियन यूनियन रिसर्च कमीशन के आंशिक फंडिंग योजना के तहत 42 महीनों की अवधि के लिए अनुमोदित किया जा चुका है। शेष राशि कोल इण्डिया अनुसंधान विकास योजना के तहत उपलब्ध कराई गई हैं। परियोजना का उद्देश्य कोल माइन मीथेन की प्राप्ति की मॉडलिंग तथा स्वच्छ ऊर्जा के रूप मे इसका उपयोग एवं अध्ययन है। मुनिडिह खान में दो हॉरिजेंटल इन–सीम बोरहोल में फील्ड डिजॉर्पसन अध्ययन पूरा किया जा चुका है। परियोजना की प्रगति समीक्षा बैठक तथा कार्यशाला दिनांक 7–10 जुलाई, 2014 को बीजिंग (चीन) एवं 8–10 दिसम्बर, 2014 को कोलकाता में हुई, जिसमें क्रमशः निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी) एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सीएमपीडीआई के नेतृत्व में सीएमपीडीआई के अधिकारियों के साथ–साथ सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। सीएमपीडीआई ने अपना कार्य पूरा कर लिया है तथा इम्पीरियल कॉलेज ऑफ माइनिंग, यूके द्वारा समेकित रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

शैल गैस पर परियोजनाएँ

1.6.7.4 '' कोल इंडिया के क्षेत्रों (परियोजना कोड–सीआईएल/आरएंडडी/1/46/11) के लिए विशेष संदर्भ में गोंदवाना बेसिन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन'' नामक कोल इंडिया आरएंडडी परियोजना

'' कोल इंडिया के क्षेत्रों (परियोजना कोड–सीआईएल/आरएंडडी/1/46/11) के लिए विशेष संदर्भ में गोंदवाना बेसिन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन'' नामक कोल इंडिया आरएंडडी परियोजना पूरी कर ली गई है। कुल आर्गेनिक कार्बन एनालाइज : टीओसी एनालाइजर–मॉडल मल्टी,एन/सी2100 बीयू–मेक एनालाइटिक जेना (फ्रांस), तथा रॉक एवल एनालइजर–रॉक एवल : आरई–अप, मॉडल टुर्बो, मेक विंसी टेक्नोलॉजी (फ्रांस) को सीबीएम प्रयोगशाला में चालू कर दिया गया है। उप कार्यान्वयनक एजेंसी एआरआई (यूएसए) ने झरिया तथा ईस्ट बोकारो कोयला क्षेत्रों के अध्ययन क्षेत्रों में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन तथा सिमूलेशन कार्य पूरा कर लिया है। मूल्यांकन रिपोर्ट को दिनांक 24 दिसम्बर, 2014 को आयोजित सीआईएल आरएंडडी एपेक्स कमिटि की बैठक में पेश किया गया तथा इसकी काफी प्रशंसा की गई। समापन कार्यक्रम के अनुसार परियोजना दिसम्बर, 2014 में पूरी कर ली गई।

1.6.7.5 '' भारत के दामोदर घाटी के बेसिन में शेल गैस की संभाव्यता'' नामक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

''भारत के दामोदर बेसिन में (परियोजना कोड–सीई(ईओआई/30) शेल गैस की संभाव्यता''1686.84 लाख रू. लागत वाली एक एसएंडटी परियोजना कोयला मंत्रालय के एसएंडटी योजना

के तहत पत्रांक 34012/3/2012–सीआरसी–1, दिनांक : 30 अक्टूबर, 2012 तथा 12 दिसम्बर, 12 के द्वारा अनुमोदन मिल चुका है। एसएसआरसी ने अपने पत्रांक : सीएमपीडीआई/एसएंडटी/022 एवं सीई(ईओआई) 30/499–504, दिनांक 24 मार्च, 2015 के द्वारा अतिरिक्त एसएंडटी अनुदान 351.25 लाख रूपए का अनुमोदन किया है। कुल अनुमोदित परियोजना लागत 2038.09 लाख रूपए की है। वर्तमान में परियोजना समापन की अवधि नवम्बर, 2015 है। एनजीआरआई, हैदराबाद परियोजना का मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है तथा सीएमपीडीआई, राँची एवं सीआईएनएफआर, धनबाद उप कार्यान्वयक एजेंसी है। परियोजना का कार्यान्वयन,समेकित भूभौतिकीय, भूवैज्ञानिक, भू–रासायनिक तथा पेट्रोफिजिकल अन्वेषण (जाँच) के जरिए दामोदर बेसिन के शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। '' आटोमेटिक पोरोसिमीटर कम परमीएमीटर'' उपकरण को प्राप्त करने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा दिनांक– 25 फरवरी, 2015 को मेसर्स विन्सी टेक्नोलॉजी इंक फ्रांसको आपूर्ति आदेश जारी किया जा चुका है। एनजीआरआई के 3डी सिस्मिक सर्वेक्षण के आधार पर सीएमपीडीआई अपने कमिटेड एक्टीविटि के पार्ट के रूप में बोर होलों के वेधन का कार्य शुरू करेगा।

2.0 परियोजना आयोजन एवं अभिकल्पन :

कोल इण्डिया की अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के अनुरूप 116 मी.ट.प्र.व. की अतिरिक्त कोयला उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान नए/विस्तारित/पुनर्गठित खानों हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। नई परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों/ लागत प्राक्कलन के पुनरीक्षण का कार्य भी शुरू किया गया। चिन्हित वशवर्ती कोयला खनिखंडों के मूल्यांकन के लिए 12वीं योजना के चिन्हित परियोजनाओं के रिपोर्टों की तैयारी पर प्रमुखता से बल देकर तैयार किया गया। अपफ्रांट पेंमेंट, रिजर्व प्राइस, सिलिंग प्राइस, एडिसनल रिजर्व प्राइस का आकलन तथा प्रतिस्पर्धी डाक बोली के जरिए ऑक्शन हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा चिन्हित 110 कोयला ब्लॉकों के लिए ''माइन डोजियर की तैयारी का कार्य भी वरीयता (प्राथमिकता) के आधार पर शुरू किया गया''।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्य भी शुरू किए गए :

- कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान
- कोयला वाशरियों के लिए डाक बोली दस्तावेज का कस्टमाइजेशन तथा आरएफपी दस्तावेज एवं आरएफक्यू का मूल्यांकन एवं तैयारी तथा संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी
- बड़ी खुली खदान खानों के लिए परिचालन योजनाएं
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)
- खुली खदान तथा भूमिगत खदानों की खनन योजनाएं एवं माइन क्लोजर प्लान
- कोल इण्डिया की भूमिगत एवं खुली खदान खानों का खान क्षमता मूल्यांकन
- खुली खदान एवं भूमिगत खदानों के संचालन से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी अध्ययन
- कोल इण्डिया के खुली खदान खानों में एचईएमएम संचालन का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- कोल इण्डिया की भूमिगत खानों के लिए वैश्विक डाक बोली दस्तावेजों की तैयारी
- एफबीसी पर आधारित थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
- विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग, एनआईटी, निविदा जॉच आदि।

वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों को पर्यावरण प्रबंधन तथा मॉनिटरिंग, सुदूर संवेदन, ऊर्जा अंकेक्षण (डीजल एवं इलेक्ट्रिकल), डीजल एवं इलेक्ट्रिकल खपत का बेंच मार्किंग एवं खुली खदान तथा भूमिगत खानों में डीजल तथा इलेक्ट्रिकल खपत के नार्म्स का निर्धारण, धंसान अध्ययन, संस्तर नियंत्रण, अनाशक परीक्षण, नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन और विस्फोटकों का उपयोग, भूमिगत खानों का संवातन/गैस सर्वेक्षण, खनन इलेक्ट्रॉनिकस, पेट्रोग्राफी तथा कोयला नमूनों का क्लीट अध्ययन, कोल कोर संसाधन एवं विश्लेषण, धोवनक्षमता परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, मैनराइडिंग प्रणाली, भू–क्षरण अध्ययन, स्लोप स्थायित्व अध्ययन, बहिस्राव/सीवरेज उपचार संयंत्र, खानों में बालू भराई के लिए बालू भराई की नार्मेटिव लागत का मूल्यांकन आदि के लिए विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएं भी मुहैया कराई गई।

वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इण्डिया तथा इसकी सहायक कंपनियों के लिए कुल 269 रिपोर्टें तैयार की जा चुकी हैं।

तैयार की गई रिपोर्टों का विवरण इस प्रकार हैः–

रिपोर्ट	संख्या
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	16
परियोजना रिपोर्ट	30
अन्य अध्ययन	174*
प.प्र.यो. का मसौदा (26 फॉर्म– 1 सहित)	49
कुल	269

*इनमें वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र एवं सिंगरौली कोयला क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तथा बड़ी खुली खदान खानों के 3 परिचालन योजनाओं की तैयारी भी शामिल है।

वर्ष 2014–15 के दौरान तैयार किए गए रिपोर्टों का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा हैः–

परिशिष्ट–1

पूरी की गई रिपोर्टों की सूची 2014–15

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट		
क्षे.सं.–I	1	नन्दी सेक्टर
	2	बंसरा वेस्ट
	3	माधवपुर
क्षे.सं.–III	1	पुन्डी साउथ
	2	रामगढ़ ब्लॉक–1
क्षे.सं.–IV	1	भंसुली
	2	गौरी सेंट्रल
क्षे.सं.–V	1	तुलसी ब्लॉक सी (मजीरा)
क्षे.सं.–VII	1	सुभद्रा वेस्ट
	2	सामलेश्वरी का डीप साइड
	3.	प्रजापारा
	4	प्रजापारा डीप एक्टेंशन
मुख्या.(कन्ट्रै. क्युएल)	1	मोरगा साउथ (गैर–सीआईएल)
	2	बरजोरा साउथ
	3	सयांग ईस्ट ए (गैर–सीआईएल)
	4	चिरा एनई ए (गैर–सीआईएल)

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
परियोजना रिपोर्ट		
क्षे.सं.–I	1	मदनपुर भू.ग.
	2	झांझरा भू.ग. पीएसएलडब्ल्यू हेतु
	3	आरपीआर
	4	चित्रा वि. ओसी सिदुली भू.ग. रिका.
क्षे.सं.–II	1	कल्याणेश्वरी ओसी
	2	ब्लॉक–VII ओसीपी
क्षे.सं.–III	1	गोविंदपुर चरण–IIविस्तार ओसी
	2	नॉर्थ उरिमारी विस्तार ओसी
	3	गोडो ओसी
	4	कोनार विस्तार ओसी
	5	मगध विस्तार ओसी
	6	भैरवी (रामगढ ब्लॉकIII) ओसी
क्षे.सं.–IV	1	दिनेश (मकरधोकरा– III) ओसी (संशोधित)
	2	पेनगंगा ओसी (संशोधित)
	3	तावा– III यूजी रिकास्ट
	4	जमुनिया भू.ग. रिकास्ट
	5	सिलोरी ओसी
	6	अडासा यूजी से ओसी
	7	शक्तिगढ़ यूजी

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे.सं.–V	1 2 3 4 5	कंचन विस्तार ओसी विजय वेस्ट ओसी बतुरा यूजी हाई वाल शिवानी भूगर्भ विस्तार केतकी भूगर्भ आरपीआर
क्षे.सं.–VI	1	जयंत वि.
क्षे.सं.–VII	1 2	समेकित लखनपुर–बेलपहार–लिलारी ओसीपी की पीआर का पुनर्निमाण। गोपालजी–कनिहा वि. ओसीपी
मुख्यालय	1 2 3	महामाया ओसीपी, एसईसीएल डोंगरीताल भूगर्भ एनसीएल नटराज आरपीआर भूगर्भ, एमसीएल
परिचालन योजना		
क्षे.सं.–II क्षे.सं.–III	1 1	ब्लॉक–2 ओसीपी कथारा ओसीपी (क्वारी–1)
क्षे.सं.–VII	1	भरतपुर ओसीपी
अन्य रिपोर्टें		
क्षे.सं.–I	1	चापापुर कोलियरी के 10 नं. क्वारी में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।
	2	कालिदासपुर परियोजना में विस्फो. टकों का उपयोग किए बिना कोयला परिष्करण पर संभाव्यता रिपोर्ट ।
	3	दालुरबंद ओसी पैच का वैचारिक रिपोर्ट
	4	बहुला ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।
	5	राजमहल ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।
	6	खास कजोरा कोलियरी का ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट।
	7	केन्दा एरिया के अधीन सोनेपुर ओसीपी के लिए एनेक्सिंग चोरा ब्लॉक का संभाव्यता अध्ययन।

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	8	सीएच धेमो ओसी पैच का तकनीकी आर्थिक अध्ययन।
	9	बेलबैद में पीआर हेतु जीआर ।
	10	मोहनपुर में पीआर हेतु जीआर ।
	11	सीएल जामबाद ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।
	12	राजमहल सीएचपी के रूपान्तरण की योजना।
	13	केन्दा ओसी हेतु यूसीई
	14 15	झांझरा भू.ग. में लो–हाइट् कन्टिन्यूआस माइनर हेतु यूसीई नंदी सेक्टर के लिए संषोधित जीआर
क्षे.सं.–II	16 17 18 19 20 1	क्यादा चौधर गरियापानी के पीआर के लिए जीआर तिलाबोनी भू.ग. के लिए पीआर का यूसीई सोनपुर बजारी ओसीपी में कोल हेन्डलिंग प्लांट सहित रेपिड लोडिंग सिस्टम पर योजना । बेलबैद ओसीपी में कम्पन अध्ययन। बंकोला कोलियरी का ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट। मुनिडीह परियोजना के सीबीएम हेतु संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी।
	2	बरारी कोलियरी (X एवं XI सीम) में उत्पादन बढ़ाने के लिए संशोधित योजना के लिए फोरक्लोजर रिपोर्ट ।
	3	ब्लॉक–VII ओसीपी के लिए संशोधित जीआर
	4 5 6 7	कतरास छोटूडीह कोलियरी (री–ओप. निंग) के लिए माइन क्लोजर प्लान। गोलकडीह (एनसी) ओसीपी के लिए समापन रिपोर्ट। खरखरी माइन के ग्लोबल बिड दस्तावेज की तैयारी । बगदिगी एगुमेन्टेशन आरपीआर का फोरक्लोजर रिपोर्ट

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे.सं.–III	1	आरा ओसीपी का यूसीई
	2	गोविंदपुर चरण–2 ओसीपी का यूसीई
	3	अशोका ओसीपी का यूसीई
	4 5 6 7 8	राजहरा ओसीपी का संभाव्यता रिपोर्ट। केडीएच वि. ओसीपी का खनन योजना शिडूल–2 एवं 3 माइन का एनपीभी कैलकुलेशन राजहरा ओसीपी का खनन योजना छह कोयला खनिखंडों का ईंट्रिंसिक वैल्यू का रिपोर्ट
क्षे.सं.–IV	1	दामुआ ओसी , कन्हान एरिया के लिए योजना।
	2	पउनी–II ओसी का यूसीई
	3	काम्पटी भू.ग. से ओसी, इंदर भू.ग. से ओसी, गोंदेगांव ओसी एवं काम्पटी डीप ओसी के लिए खनन योजना।
	4	पउनी ओसी तथा गैरी 1 एवं 2 (ए) ओसी की खनन योजना
	5	निलजई साउथ ओसी की योजना।
	6	दमुआ एवं दुर्गापुर (सेक्टर–5) की योजना ।
	7	भंडक वेस्ट की पीआर के लिए जीआर ।
	8	जमुनिया के पीआर हेतु जीआर।
	9	बंदेर का पी.आर के लिए जीआर।
	10	काम्पटी डीप ओसी का यूसीई
	11	सास्ती ओसी में ओबी के रिहैण्डलिंग हेतु योजना।

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	12 13 14 15 16 17 18 19	न्यू माजरी सेक्टर–1 ए और 2 ए वि.ओसी न्यूमाजरी भू.ग. से ओसी, धुपतला (सस्ती भू.ग. से ओसी) एवं चिनचोली ओसी का यूसीई। पिम्पलगांव ओसी के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (डीजल) के साथ बेंचमार्किंग। स्टैण्डर्ड सीआईएल वैश्विक डाक बोली दस्तावेज के अनुसार तावा–2 भू.ग. के लिए वैश्विक डाक बोली। पदमापुर डीप ओसी का यूसीई। पिम्पलगांव ओसी की योजना। वर्द्धा वैली कोल फील्ड के लिए मास्टर प्लान धाऊ नॉर्थ यूजी का यूसीई छत्तरपुर यूजी के लिए बेंचमार्किंग सहित ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट (इलेक. ट्रीकल)
क्षे.सं.–V	1	राजनगर आरओ भू.ग. माइन में बालू भराई हेतु वैज्ञानिक अध्ययन।
	2	शिवानी भू.ग. का पम्पिंग रिऑर्गेनाइजेशन पर रिपोर्ट।
	3	महान ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन।
	4	महान–2 ओसी का आरसीई
	5	पेल्मा ओसी (15मी.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई ।
	6	मदन नगर ओसी (12मी.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई ।
	7	महान–2 ओसीएम में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन।
	8	दुर्गापुर ओसी (6 मी.ट.प्र.वर्ष) का यूसीई ।
	9	माणिकपुर ओसीपी में नियंत्रित वस्फोटन अध्ययन।
	10	कटकोना 1 एवं 2 खान में मैनराइडिंग हेतु योजना।

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	11	चिरिमिरी ओसीएम में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन।
	12	सिंघाली भू.ग. खान में भूमिगत विस्फोटन के कारण सतह पर होने वाले प्रकम्पन अध्ययन।
	13	मालचुओ और राजनगर ओसीपी हेतु यूसीई।
	14	बतुरा वेस्ट वि. ओसी में हाईवाल माइनर हेतु संभाव्यता अध्ययन।
	15	अमृतधारा, अमाडाड़ एवं बतुरा वेस्ट वि. ओसी का यूसीई।
	16	नवापारा भू.ग. में भू.ग. ब्लास्टिंग के कारण सरफेस का कम्पन अध्ययन
	17	कल्याणी भू.ग. माइन में भू.ग. ब्लास्टिंग के कारण सरफेस का कम्पन अध्ययन।
	18	दिपका ओसी, हरदी, गेवरा ओसी, पोनरी, नराइबोध–1 एवं 2 (संयुक्त) के लिए संशोधित जी आर।
	19	अमेरा ओसी का आरसीई ।
	20	चिरिमिरी ओसीपी में ड्रेगलाइन विस्फोटन के लिए नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन।
	21	आमगांव ओसी का आरसीई
	22	वेस्ट झरिया ओसी हेतु योजना/टीईएफआर
	23	कटकोना 3 एवं 4 खान के लिए मेन राइडिंग योजना
	24	सेंट्रल वर्कशॉप, कोरबा का आरपीआर
	25	बरोद ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
क्षे.सं.–VI	1	सिंगरौली कोलफील्ड्स के लिए मास्टर प्लान।
	2	जयंत ओसीपी का पीआर रिकास्ट
	3	एनसीएल में विद्यमान सीएचपी में अतिरिक्त क्षमता का संस्थापन के लिए योजना ।
	4	अमलोरी ओसीपी का डिजल अंकेक्षण एवं बेंच मार्किंग
	5	कृष्णशीला ओसीपी का डिजल अंकेक्षण एवं बेंच मार्किंग

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे.सं.–VII	1	गरजानबहल ओसीपी का यूसीई।
	2	गरजानबहल ओसीपी की खनन योजना।
	3	समेकित लखनपुर बेलपहार – लिला. री ओसीपी के पीआर हेतु यूसीई।
	4	लिंगराज ओसीपी के प्रस्तावित बाहय डम्प के रि–ऑरगेनाइजेषन पर रिपोर्ट ।
	5	अरखापाल–ए ब्लाक पर वैचारिक टिप्पणी।
	6	बीजी एरिया का आधारभूत संरचना का मास्टर प्लान
	7	कुल्दा एक्स ओसी का खनन योजना
	8	गोपालजी–कनिहा एक्स ओसीपी का खनन योजना
	9	ओरिएंट यूजी खान सं. 1 एवं 3 तथा खान सं. 3 के लिए माइन क्लोजर प्लान
मुख्यालय	1	कुनुस्तोरिया कोलियरी (आर–5 सीम) तथा कोटाडीह कोलियरी (आर–2/3, आर–4 (टॉप), आर–5 तथा आर–6 सीम), ईसीएल के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट।
	2	लाजकुरा ओसीपी, एमसीएल का स्लोप स्टेबिलिटी अध्ययन।
	3	कोनार वाशरी में आरओएम कोल के परीक्षण सहित वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी।
	4	हिंगुला वाशरी एमसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/अच्छादन मानचित्रण।
	5	न्यू सेठिया ओसीपी डब्ल्यूसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/अच्छादन मानचित्रण।
	6	अशोका ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।
	7	राजुर खान से सिलेवारा खान, डब्ल्यूसीएल का इलेक्ट्रीकल वाइन्डर का पुनः स्थापना पर तकनीकी संभाव्यता अध्ययन।

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	8	धोरी (के) कोलियरी, इन्क्लाइन सं. 4,5,6,7 एवं 8 कारो स्पेशल (सीम–3), सीसीएल तथा तालचर कोलियरी (सीम सं.–1) एमसीएल का आ. रएमआर अध्ययनों पर रिपोर्ट।
	9	हुरा 'सी' ओसीपी, ईसीएल का रिकास्ट पीआर।
	10	झांझरा खान, ईसीएल का संवातन सर्वेक्षण।
	11	धाउ नार्थ ब्लॉक, डब्ल्यूसीएल का धँसान पूर्वानुमान रिपोर्ट।
	12	तापिन साउथ ओसीपी, सीसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आ. च्छादन मानचित्रण।
	13	बीना–ककरी ओसीपी, एनसीएल का ढ़लान स्थायित्व अध्ययन।
	14	लिंगराज ओसीपी, एमसीएल का स्लोप स्टेबिलिटी अध्ययन।
	15	नरसामुंडा कोलियरी, ईसीएल का गैस सर्वेक्षण।
	16	सीसीएल के जारंगडीह कोलियरी का संवातन सर्वेक्षण
	17	कोनार ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन ।
	18	समलेश्वरी ओसीपी, एमसीएल में ढ़ाल स्थायित्व (स्लोप स्टेबिलीटी) अध्ययन।
	19	तिराप ओसीपी, एनईसी में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।
	20	पुंडी ओसीपी, सीसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।
	21	विसापुरी ओसीपी, डब्ल्यूसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण ।
	22	तिराप ओसीपी, एनईसी का रिकास्ट पीआर।

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	23	उरिमारी भू.ग. खान(3 एवं 4 इन्क्लाइन) (बांसगढ़ा–सीम–3), सीसीएल के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट।
	24	तापिन पीक एवं झारखंड पीक ओसीपी, सीसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।
	25	जारंगडीह बालु खान परियोजना, सीसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।
	26	उमरेर कोयला क्षेत्र का वनाच्छादन मानचित्रण।
	27	कुजु ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।
	28	शंकरपुर ओसी पैच (चरण–4)हेतु योजना ।
	29	भुवनेश्वरी ओसीपी, एमसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन।
	30	सारूबेरा कोलियरी, सीसीएल के सीम–1 का गैस सर्वेक्षण।
	31	लोअर केन्दा कोलियरी (दोबराना आर–5 सीम), चोरा 7 एवं 9 पीट (चोरा–आर–6सीम), चोरा ब्लॉक इन्क्लाइन (बोनबहल टॉप आर–7 सीम) तथा कालीपहाड़ी (आर) कोलियरी । (कुशाडंगा सीम), ईसीएल के आरएमआर अध्ययन की रिपोर्ट।
	32	हिन्दुस्तान लालपेट तथा पारसोदा ओसीपी, डब्ल्यूसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।
	33	स्वांग तथा गोविन्दपुर सान खान परियोजना सीसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।
	34	राजमहल कोलफील्ड, ईसीएल में वनाच्छादन मानचित्रण।

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	35	राजरप्पा ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन।
	36	आकाश किनारी कोलियरी बीसीसीएल का इलेक्ट्रीकल एनर्जी ऑडिट तथा बेंचमार्किंग।
	37	वर्ष 2014–15 के लिए कोल इंडिया की भूमिगत खानों का खान क्षमता मूल्यांकन।
	38	परेज ओसीपी, सीसीएल के बफरजोन का भू–उपयोग / भू–आच्छादन मानचित्रण ।
	39	दामोदर नदी घाटी, ईसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/ भू–आच्छादन मानचित्रण ।
	40	पेंच–कान्हा–तावा कोयला क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के बफर जोन में वना. च्छादन मानचित्रण।
	41	2013–14 के दौरान कोल इंडिया की सभी खुली खदानों की क्षमता तथा क्षमता उपयोग का मूल्यांकन।
	42	जगन्नाथ वाशरी , एमसीएल के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी।
	43	जगन्नाथ ओसीपी, एमसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन।
	44	अजय रिवर बेड ईसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।
	45	मदनपुर भू.ग. ईसीएल के बफर जोन का भू–उपयोग/भू–आच्छादन मानचित्रण।
	46	2013–14 के दौरान कोल इंडिया लि0 की खुली खदान खानों के एचईएमएम का कार्य निष्पादन।
	47	राजरप्पा ओसीपी, सीसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग।
	48	अमलाई ओसीपी, एसईसीएल के ईटीपी हेतु अन्तिम योजना।

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	49	रामगढ़, सीसीएल के लिए एफबीसी आधारित टीपीपी पर प्रत्यात्मक (कन्सेप्चुएल) रिपोर्ट।
	50	ईसीएल के धेमोमैन इन्क्लाइन, नरसामुण्डा कोलियरी, जेके नगर को. लियरी एवं निमचा कोलियरी में मैन राइडिंग सिस्टम के लिए आयोजन (प्रिपरेशन) की योजना।
	51	बिना ककरी डिशेलिंग प्लांट एनसीएल के लिए संभाव्यता रिपोर्ट।
	52	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 3 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	53	ईसीएल द्वारा चिन्हित चिन्हित 9 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	54	एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	55	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	56	एनसीएल द्वारा चिन्हित 8 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	57	सीसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग।
	58	रामगढ़ सीसीएल के लिए एफबीसी आधारित टीपीपी पर वैचारिक रिपोर्ट।
	59	2013–14 के दौरान कोल इंडिया की सभी खुली खदानों में डीजल, विद्युत ऊर्जा एवं विस्फोटकों की वास्तविक खपत पर रिपोर्ट।
	60	मांड रायगढ़ एवं सोहागपुर कोयला क्षेत्र में वनाच्छादन मानचित्रण
	61	भानेगांव ओसीपी एमसीएल का ढ़लान स्थायित्व अध्ययन
	62	गेवरा ओसीपी एमसीएल का ढ़लान स्थायित्व अध्ययन।
	63	बलकुदरा ओसीपी, सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन ।
	64	जागुन ओसीपी एनईसी का यूसीई

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	65	1.4.2015 के अनुसार सीआईएल प्रोजेक्शन की खुली खदान खानों के क्षमता का मूल्यांकन
	66	लैंडसेट–8/ओएलआई सेटेलाइट डाटा के थर्मल इन्फ्रारेड बैंड पर झरिया, रानीगंज, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो तथा कर्णपूरा कोयला क्षेत्र के अग्नि मानचित्रण
	67	ईब घाटी कोयला क्षेत्र, एसईसीएल का वनाच्छादन मानचित्रण
	68	स्वांग ओसीपी, सीसीएल का विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग
	69	पिपरवार ओसीपी, , सीसीएल का विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग
	70	अमलोरी ओसीपी, एनसीएल का विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग
	71	खादिया ओसीपी एनसीएल का विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग
	72	पिपरवार ओसीपी सीसीएल में नियंत्रित विस्फोटन
	73	तापिन नार्थ ओसी एवं बिरसा ओसी, सीसीएल का सॉयल इरोजन
	74	रोहिणी ओसीपी, सीसीएल का टाप सॉयल मैनेजमेंट
	75	अम्रपाली ओसीपी के नाला डायवर्जन पर रिपोर्ट
	76	सोनपुर बाजारी ओसीपी, ईसीएल के ईटीपी हेतु योजना
	77	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 17 ओसीपी का वार्षिक बेंच मार्किंग
	78	एसडीक्यू–3 ओसीपी का विस्तृत डिजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
फार्म–1		
क्षे.सं.–I	1 2	चित्रा ओसीपी बकुलिया भू.ग.
क्षे.सं.–II	1 2 3	पाथरडीह कोल वाशरी सुदामडीह बालुघाट मुनिडीह में सीबीएम परियोजना

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे.सं.–III	1 2 3	राजहरा ओसीपी जीवनधारा ओसीपी पिचरी ओसीपी
क्षे.सं.–IV	1 2 3	जुनाद वि. डीप ओसी जुनाकुनाडा वि. ओसी मकरधोकरा –1 ओसी
क्षे.सं.–VII	1 2 3	सियारमल ओसीपी गरजानबहल ओसीपी संशोधित वसुन्धरा वेस्ट एक्टेंशन
मुख्यालय	1 2	जगन्नाथ रिओ. ओसीपी, एमसीएल जगन्नाथ वाशरी एमसीएल
मसौदा ईएमपी		
क्षे.सं.–I	1 2 3 4 5	मोहनपुर ओसीपी विस्तारन का फार्म–1 एवं ऐडेण्डम ईएमपी सोनपुर बजारी ओसीपी वि. का फार्म–1 एवं ऐडेण्डम परिशिष्ट। दामोदर रिवर बेड में सैण्ड माइनिंग अजय रिवर बेड में सैण्ड माइनिंग कलस्टर–2 खान का फार्म–1 एवं एडेंडम ईएमपी
क्षे.सं.–II	1 2	कलस्टर–4 (संशोधित) मसौदा ईएमपी। पाथरडीह कोल वाशरी (2.5 मी.ट.प्र.वर्ष)
क्षे.सं.–III	1 2 3 4 5 6 7	तापिन ओसीपी का एडेंडम ईएमपी एवं फार्म–1 झारखंड ओसीपी, का एडेंडम ईएमपी एवं फार्म–1 जारंगडीह सैण्ड माइन परियोजना। तापिन साउथ विस्तारण, ओसीपी अरगडा ओसीपी गोविंदपुर बालु खनन परियोजना स्वांग बालू खनन परियोजना
क्षे.सं.–IV	1 2 3 4	न्यू सेठिया ओसी विस्तार । विजापुर ओसी जुनाद डीप एक्स.ओसी हिन्दुस्तान लालपेथ एक्पेंशन ओसी
क्षे.सं.–V	1 2 3 4	महन–2 आोसीपी का फॉर्म–1 एवं परिशिष्ट–ईएमपी कुसमुण्डा ओसी अमाडांड़ ओसीपी का फार्म–1 एवं परिशिष्ट ईएमपी अमेरा ओसी

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे.सं.–VI	1	अमलोहरी वि. ओसीपी का फॉर्म–1 एवं एडेंडम ईएमपी
	2	खादिया वि. ओसीपी का फॉर्म–1 एवं एडेंडम ईएमपी
क्षे.सं.–VII	1 2 3 4 5	बेलपहार ओसीपी, वि., का फॉर्म–1 एवं एडेंडम ईएमपी लाजकुरा ओसी वि. का फार्म–1 एवं एडेन्डम ईएमपी। समलेश्वरी ओसी वि. का फॉर्म–1 एवं एडेंडम ईएमपी कनियाह ओसी वि. का फार्म–1 एवं एवं परिशिष्ट ईएमपी बलराम ओसी वि.
मुख्यालय	1 2 3 4	अमलो ओसीपी, सीसीएल, फॉर्म–1 एवं एडेंडम ईएमपी परेज (ई) ओसीपी, सीसीएल, फॉर्म–1 एवं एडेंडम ईएमपी हिंगुला वाशरी, एमसीएल का मसौदा ईआईए/ईएमपी वसुन्धरा वाशरी, एमसीएल

2.1 कोयला एवं खनिज परिष्करण

कोयला एवं खनिज परिष्करण प्रभाग कोयला वाशरियों, खनिज परिश्करण संयंत्र के लिए तथा वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण/रूपांतरण कार्य के लिए प्रौद्योगिकी सेवा देता है। इन सेवाओं में सर्वांगीण प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, वैचारिक रिपोर्ट, परियोजना आयोजन, निर्माण प्रबन्धन और अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रिया–कलापों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह प्रभाग लेबोरेटरी स्केल अध्ययन करने के लिए नवीनतम और परिष्कृत उपकरणों के साथ–साथ आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुसज्जित है।

कोयला एवं खनिज परिष्करण प्रभाग ने पहले भी खुले बाजार के कठिन मुकाबले में कोयला एवं अन्य खनिजों के परिष्करण के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित कार्य किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :

1. "सीमेंट उद्योग के लिए कोयला वाशरियों के तकनीकी–आर्थिक अध्ययन पर रिपोर्ट" नामक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना।
2. "भारत में कोयला परिष्करण के जरिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन" नामक एडीबी सहायता प्राप्त परियोजना।

सीएमपी के रोस्टर में कुछ सम्मानित ग्राहकों में एमपीईबी–एमईसीएल, निवेली लिग्नाइट, पीएसईबी, एनटीपीसी, टिस्को, आईसीएमपीएल, यूएंडडीपी, एमओआईएल, एससीसीएल तथा कई अन्य शामिल हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए :

(क) रिपोर्ट/अध्ययन

निम्नलिखित के माइन पीआर के लिए वाशरी रिपोर्ट की तैयारी

1. स्वांग (गोविन्दपुर एवं पिपराडीह) (4.0 एमटीवाई), सीसीएल
2. कल्याणेश्वरी (3.6 एमटीवाई), बीसीसीएल
3. वसुन्धरा वेस्ट (7.0 एमटीवाई), एमसीएल
4. ब्लॉक VII (3.0 एमटीवाई), बीसीसीएल
5. समेकित लखनपुर–बेलपहाड़–लिलारी ओसीपी (20.0 एमटीवाई),एमसीएल
6. कोनार ओसीपी (3.5 एमटीवाई), सीसीएल
7. मगध खुली खनन परियोजना (25.0 एमटीवाई), सीसीएल
8. रामगढ़ ब्लॉक–।।। (7.0 एमटीवाई), सीसीएल

(ख) निविदा दस्तावेज की तैयारी (ई–निविदा के माध्यम से)

1. जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीवाई), एमसीएल
2. लखनपुर वाशरी (10.0 एमटीवाई), एमसीएल

(ग) वैचारिक अवधारणात्मक रिपोर्ट की तैयारी

1. जगन्नाथ वाशरी(10.0 एमटीवाई), एमसीएल
2. लखनपुर वाशरी(10.0 एमटीवाई), एमसीएल
3. कोनार वाशरी (7.0 एमटीवाई), सीसीएल

(घ) संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी

1. बीना, ककरी डिशेलिंग प्लांट (5.5 एमटीवाई), एनसीएल

2. अधिक मात्रा में राख तथा गंधक (सल्फर) वाले भारतीय कोयले से साफ (क्लीन) कोयला उत्पादन करने हेतु प्रौद्योगिकी के विकास के लिए संभाव्यता रिपोर्ट ।

(ङ.) निविदा संवीक्षा :

1. निम्नलिखित के लिए बिड दस्तावेज के आरएफपी भाग का मूल्यांकन

(क) भोजुडीह वाशरी (2.0 एमटीवाई), बीसीसीएल

(ख) पाथरडीह वाशरी– ।। (2.5 एमटीवाई), बीसीसीएल

2. निम्नलिखित के लिए बोली दस्तावेज का आरएफक्यू और आरएफपी (दोनों) का मूल्यांकन

(क) दुग्दा वाशरी (2.5 एमटीवाई), बीसीसीएल

(च) संविदा दस्तावेज

1. निम्नलिखित के लिए संविदा दस्तावेज की मसौदे की तैयारी

(क) हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीवाई), एमसीएल

(ख) वसुन्धरा वाशरी (10.0 एमटीवाई), एमसीएल

(छ) निर्माण ड्राईंग का अनुमोदन

(क) मधुबन्द वाशरी (5.0 एमटीवाई), बीसीसीएल

कुल अनुमोदित ड्राईंगों की संख्या : 260

(ख) दहीबारी वाशरी (1.6 एमटीवाई), बीसीसीएल

कुल अनुमोदित ड्राईंगों की संख्या : 225

(ज) डिजाइन उन्नयन

मधुबन्द वाशरी (5.0 एमटीवाई), बीसीसीएल के डिजाइन उन्नयन के संबंध में बीओएम ऑपरेटर के प्रस्ताव की तकनीकी समीक्षा

(झ) अनुसंधान एवं विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना

मधुबन्द वाशरी, बीसीसीएल में कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत " रेडियो मैट्रिक तकनीक (आरडी–शॉट) का प्रयोग कर कोयले का शुष्क परिष्करण" कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं तथा इसे जल्द ही चालू कर दिए जाने की संभावना है।

2.2 परियोजना मूल्यांकन

1. वर्ष 2014–15 के दौरान सीएमपीडीआई के मुख्यालय के विभागों तथा क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार 23 परियोजना रिपोर्टों/संशोधित परियोजना रिपोर्टों/ईपीआर के मसौदा की संवीक्षा तथा मूल्यांकन एवं रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय के विभागों को दिशा–निर्देश देने के लिए सीएमपीडीआई, मुख्यालय में उनकी प्रस्तुति के लिए समन्वयन।
2. क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई 13 वैचारिक टिप्पणियों की संवीक्षा और मूल्यांकन तथा परियोजना रिपोर्ट/आरपीआर/ईपीआर मसौदा की तैयारी के पूर्व प्रमुख तकनीकी पारामीटरों को अन्तिम रूप देने के लिए ओसी/यूएमडी विभाग तथा पीएडी सहित निदेशक(पीएण्डडी), निदेशक (टी/आरडीएण्डटी) द्वारा उनके मूल्यांकन के लिए समन्वयन।
3. सचिव, (कोयला) की तिमाही समीक्षा बैठक के लिए 500 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली चालू परियोजनाएं, विशेष कर सीएमपीडीआई की जिम्मेवारी के तहत कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतन।

सचिव, (कोयला) की तिमाही समीक्षा बैठकों, वीआईपी दौरों और क्षेत्रीय निदेशकों की समन्वयन बैठकों के समय में कोल इण्डिया की 12वीं योजना की कोयला खनन परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टों के निर्माण की स्थिति की अद्यतनस्थिति।

3.0 भूमिगत खनन और खुली खदान खनन

वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए तथा जारी हैं।

3.1 भूमिगत खनन

(क) बाह्य परामर्शी कार्य (पूरे किए गए)

1. सेल की बेगुनिया खानों की आद्रता, गैसीनेस की डिग्री तथा सुरक्षा एवं कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम की विस्तृत जानकारी तथा धँसान अध्ययन ।
2. एमओआईएल की उकवा खान में उदग्र चानक (वर्टिकल साफ्ट) के लिए टीईएफआर की समीक्षा, वर्टिकल साफ्ट का विस्तृत डिजाइन वाइन्डिंग संस्थापन

बाह्य परामर्शी कार्य (जारी)

1. गुमगॉव खान, एम ओ आई एल के लिए प्रारंभिक डिजाइन, निविदा दस्तावेज तथा टी ई एफ आर।

2. गुमगॉव खान, एम ओ आई एल के लिए माइन प्लान तथा एक्सपेंशन पी आर की तैयारी हेतु परामर्शी सेवा।
3. इंडिकट्टा रमनागोर ब्लॉक, आईएसपी, सेल के लिए डीपीआर तथा माइनिंग पलान की तैयारी।
4. बेगुनिया भूमिगत परियोजना, आईएसपी सेल के लिए लागत अद्यतनीकरण

(ख) कोल इण्डिया के कार्य (पूरे किए गए)

1. राजूर खान से सिलेवारा, डब्ल्यूसीएल तक इलेक्ट्रीकल बाईंडिंग की पुनः स्थापना के लिए तकनीकी संभाव्यता अध्ययन।
2. ईसीएल की झांझरा खान का संवातन सर्वेक्षण।
3. जारंडीह कोलियरी, सीसीएल का संवातन सर्वेक्षण।
4. नरसामुण्डा कोलियरी, सोधपुर क्षेत्र, ईसीएल का गैस सर्वेक्षण।
5. सारूबेरा कोलियरी, कूज्जु क्षेत्र, सीसीएल के सीम नं. 1 का गैस सर्वेक्षण।
6. वर्ष 2014–15 के लिए खान क्षमता मूल्यांकन।
7. निम्नलिखित में मैन राइडिंग प्रणाली के लिए योजना की तैयारी।

(क) धेमोमेन इन्क्लाइन।

(ख) कोट्टाडीह कोलियरी।

(ग) ईसीएल की निमचा कोलियरी।

1. सीम–1 इन्क्लाइन, न्यू आकाशकिनारी, गोविन्दपुर क्षेत्र बीसीसीएल में मैनराइडिंग सिस्टम लगाने के लिए योजना की तैयारी।
2. कोट्टाडीह, न्यू इन्क्लाइन के भूमिगत खान थम्हाल का रूपांतरण।
3. डानग्रिटल भूमिगत खान, एनसीएल के लिए परियोजना रिपोर्ट।
4. नटराज भूमिगत खान, एमसीएल के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट।
5. खनन उपकरणों के लिए मानक मूल्य सूची की तैयारी।

कोल इण्डिया के कार्य (जारी)

1. पांडवेश्वर क्षेत्र, ईसीएल के हेड गीयर स्ट्रक्चर की स्थायित्व का विश्लेषण।
2. कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों के विकास एवं संचालन के लिए माइन आपरेटर के चयन हेतु बोली दस्तावेज (आरएफबी) के लिए अनुरोध।
3. असनापानी (पूर्व तरफ) भूमिगत खान, सीसीएल के लिए परियोजना रिपोर्ट
4. कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार निबल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के परिकलन तथा माइन डेडोजियर्स की तैयारी।
5. ईसीएल के सतग्राम क्षेत्र के जे.के.नगर कोलियरी की विजरा (आर–अप) सीम के लिए वाटर डैम का डिजाइन
6. कोरबा क्षेत्र के माणिकपुर खुली खदान की पश्चिमी क्वारी की सुरक्षा पहलू सुनिश्चित करने के लिए न्यूमेरिकल माडलिंग तकनीक का प्रयोग कर वैज्ञानिक अध्ययन।
7. मुनिडीह परियोजना, बीसीसीएल में मैनराइडिंग प्रणाली के लिए एनआईटी एवं निविदा दस्तावेज की तैयारी।

3.2 खुली खदान खनन (पूरे किये गये कार्य)

1. पूरे किए गए प्रमुख (बडे) बाह्य परामर्शी कार्य

1. देवानगुडी लिग्नाइट खान परियोजना का माइन प्लान।
2. एनटीपीसी की पकड़ी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना के लिए अद्यतन लागत प्राक्कलन।
3. एनएमडीसी के बड़े एचईएमएम के कार्य निष्पादन की समीक्षा।

2. कोल इंडिया लिमिटेड के लिए दी गई महत्वपूर्ण/प्रमुख आन्तरिक परामर्शी कार्य

1. हुरा 'सी' ओसीपी (3 एमटी वर्ष), ईसीएल के लिए पीआर का पुर्ननिर्माण।
2. महामाया ओसीपी (1.5 एमटीवाई), एसईसीसीएल के लिए पीआर।
3. जगन्नाथ ओसीपी (6 एमटीवाई), एमसीएल के लिए खनन योजना।
4. लिडु ओसीपी, एनईसी की एफआर पर तकनीकी संमीक्षा नोट।
5. जागुन ओसीपी, एनईसी का यूसीई।
6. समलेश्वरी ओसीपी (20 एमटीवाई), एमसीएल की एफआर का पुर्ननिर्माण।
7. वर्ष 2013–14 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों की क्षमता उपयोग का मूल्यांकन।

8. 2013–14 के दौरान सीआईएल की सभी खुली खानों के एचईएमएम का कार्य निष्पादन।
9. 1.4.2015 तक पूर्वानुमान के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों की क्षमता का मूल्यांकन।
10. वर्ष 2013–14 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों के डीजल, बिजली तथा विस्फोटकों की विशिष्ट खपत।
11. कोल इंडिया द्वारा प्राप्त किए गए एचईएमएम के प्लांट नंबर का आवंटन।

3. कोयला मंत्रालय की खनन योजना तथा अन्य कार्यों की समीक्षा

1. कोयला मंत्रालय के लिए तालचर कोयला फील्ड के ब्रहमांबिल ब्लॉक के लिए एनपीवी के मूल्यांकन हेतु पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट।
2. कोयला मंत्रालय के लिए तालचर कोलफील्ड के करदाबहल ब्लॉक हेतु एनपीवी के मूल्यांकन के लिए संभाव्यता रिपोर्ट।
3. कोयला मंत्रालय द्वारा अग्रसारित खनन योजनाओं (कुल 9) पर त्वपरित टिप्पणी।
4. मेसर्स जीआईपीसीएल के मंगरोल वालिया लिग्नाइट खान के लिए खनन योजना में संशोधन।
5. कोयला ब्लॉकों के ई–ऑक्शन के लिए कोयला ब्लॉकों (101) का इन्ट्रीन्सिक वैल्यू का मूल्यांकन।

4 विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई खुली खनन परियोजना रिपोर्टों की तकनीकी संवीक्षा

1. गेवरा ओसी विस्तारण (35–70 एमटीवाई), एसईसीएल की परियोजना रिपोर्ट
2. अदासा भू.ग. से खु.खान (1.5 एमटीवाई), डब्ल्यूसीएल की परियोजना रिपोर्ट
3. वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल के लिए मास्टर प्लान
4. सिलोरी खु.खा. (2 एमटीवाई), डब्ल्यूसीएल
5. चन्द्रपुरा ब्लॉक (1.5 एमटीवाई), बीसीसीएल की खनन के लिए कंसेप्चुअल रिपोर्ट
6. मगध खु.खा. परियोजना विस्तारण (20–40 एमटीवाई)
7. रामगढ़ ब्लॉक–।।। ओसी (7 एमटीवाई), सीसीएल की परियोजना रिपोर्ट
8. चिरीमिरी ओसीपी (2 एमटीवाई), एसईसीएल के लिए कंसेप्चुअल नोट।
9. कोनार ओसीपी, सीसीएल

4. अभियंत्रण सेवाएँ :

4.1 सिविल इंजीनियरिंग परियोजना आयोजन कार्य

1. निम्नलिखित के लिए पीआर

क) महामाया पुनर्गठन खुली खान परियोजना विश्रामपुर कोलफील्डस्, एसईसीएल

ख) हुरा ओसीपी 3 (एमटीवाई), ईसीएल के लिए परियोजना रिपोर्ट का पुनर्निमाण।

ग) वर्तमान समलेश्वरी ओसीपी का विस्तारण (20 एमटीवाई), एमसीएल।

4.2. निम्नलिखित के लिए परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी जाँच

क) सीसीएल के नार्थ उरीमारी विस्तारण (7 एमटीवाई) की परियोजना रिपोर्ट के मसौदे का मूल्यांकन।

ख) डीपीआर ओजी चित्रा विस्तारण ओसीपी (4 एमटीवाई), ईसीएल के लिए परियोजना मूल्यांकन।

ग) मदनपुरा भू.ग. परियोजना, ईसीएल के लिए पीआर।

घ) कंचन ओसीपी (2.0 एमटीवाई) एसईसीएल की डीपीआर के लिए व्वायस एवं डाटा कम्यूनिकेशन।

ड.) शिवानी भू.ग.विस्तारण, एसईसीएल के लिए आरपीआर।

च) केतकी यूजीपी (0.79 एमटीवाई), एसईसीएल के लिए व्वायस एवं डाटा कम्यूनिकेशन।

छ) गोविन्दपुर फेज–।।। ओसीपी (3 एमटीवाई), सीसीएल के लिए विस्तारण परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए ईडीपी एवं दूर संचार के चेप्टर एवं परिशिष्ट की तैयारी।

ज) कनिहा गोपालजी ओसीपी (30 एमटीवाई) समेकित परियोजना (खनन उपकरण–2013 की मानक मूल्य सूची); एमसीएल।

झ) स्वांग– पिपरडीह ओसीपी (2 एमटीवाई), सीसीएल के लिए पीएडी

ञ) ब्लॉक–VII ओसीपी, बीसीसीएल के लिए वाशरी पर अध्ययन की तैयारी

विस्तृत डिजाइन कार्य

क) एमसीएल के लिए मानक क्वार्टर हेतु वास्तुशील्पीय तथा संरचनात्मक डिजाईन और एमसीएल के वसुंधरा गर्जन बहल तथा हिंगुला के लिए नगर योजना की तैयारी

ख) अमलोहरी परियोजना, एनसीएल में मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय की योजना, डिजाइन/ड्राईंग, प्राक्कलन एवं निर्माण।

ग) अमलोरी परियोजना, एनसीएल में कल्याण मंडप की योजना, डिजाइन/प्राक्कलन एवं निर्माण ।

घ) एमसीएल के वसुंधरा गर्जन बहल तथा हिंगुला क्षेत्र में प्रस्तावित स्टेडियम एवं शॉपिंग कम्प्लेक्स के लिए वास्तुशिल्पीय एवं संरचनात्मक ड्राईंग की तैयारी।

ड.) सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान – 5 बिलासपुर के लिए कार्यालय भवन की योजना, डिजाइन/ड्राईंग, प्राक्कलन तथा निर्माण।

च) सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली के लिए कार्य भवन की योजना, डिजाइन/ड्राईंग, प्राक्कलन तथा निर्माण।

छ) डब्ल्यू जे क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत टाउनशीप के लिए योजना की तैयारी।

ज) बीसीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में खनिक क्वार्टरों की 4020 ईकाई के लिए वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक ड्राईंग की तैयारी।

निविदा मूल्यांकन

क) खादिया सीएचपी फेज–।। (6एमटीपीए इन्क्रीमेंटल) के ड्राईंग की संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण

ख) निगाही सीएचपी फेज–।।। तथा ससपेंशन के डिजाइन, ड्राईंग तथा संवीक्षा

निविदा दस्तावेज की तैयारी

क) जयंत इंक्रीमेंटल सीएचपी (10एमटीवाई), एनसीएल

ख) बीना–बकरी अमलगमेशन (5.5 एमटीवाई), एनसीएल

योजना/रिपोर्ट की तैयारी

क) बैकफील्ड ओपेनकास्ट कोयला खान पर संरचना तैयार करने हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए परियोजना प्रस्ताव : व्यावहारिक पद्धति का सुझाव देने के लिए एक प्रयास।

ख) बरहार साइडिंग सीएचपी, सोहागपुर क्षेत्र, एसईसीएल के कोल बंकर तथा सीएचपी स्ट्रक्चर का एनडीटी।

ग) एसईसीएल की सीएचपी का संरचनात्मक पर्याप्तता अध्ययन।

घ) वर्तमान स्वांग वाशरी, सीसीएल पर निरीक्षण रिपोर्ट।

ड.) आईआईसीएम, राँची के असेम्बली हॉल की मरम्मत तथा नवीकरण के निरीक्षण की संक्षिप्त रिपोर्ट।

डिजाइन/ड्राईंग संवीक्षा

क) कृष्णशीला मुख्य सीएचपी (4 एमटीपीए), एनसीएल का निविदा निर्माण कार्य तथा डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा।

ख) ब्लॉक 'बी' सीएचपी (3.5 एमटीपीए), एनसीएल की निविदा प्रक्रिया तथा कार्य प्रदान करना, डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा एवं अनुमोंदन तथा निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग।

ग) ईसीएल के बंकोला क्षेत्र के एसएसपुर कोलियरी की सारपी परियोजना में सीएचपी के निर्माण से संबंधित ड्राईंग तथा अन्य दस्तावेजों की जाँच एवं अनुमोदन।

घ) जयंत ओसीपी, एनसीएल के इन्क्रीमेंटल सीएचपी 10 एमटीवाई के लिए निविदा दसतावेज की तैयारी, प्राक्कलन, ई–टेंडरिंग, ड्राईंग एवं डिजाइन की संवीक्षा आदि।

कृष्णशीला मुख्य सीएचपी (4 एमटीपीए) तथा ब्लॉक बीसीएचपी, एनसीएल का स्थल चित्र

4.2 विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवाएँ

4.2.1 माइन प्लानिंग (आधारभूत संरचना)

1. कोल इंडिया लिमिटेड की परियोजना

- महामाया ओसीपी, एसईसीएल
- समलेश्वरी ओसीपी (विस्तारण), एमसीएल

4.2.2 कोल हैंण्डलिंग प्लान्ट

- जयंत इन्क्रीमेंटल सीएचपी (10.0 एमटीपीए) एनसीएल : निविदा दस्तावेज तैयार कर अनुमोदन हेतु एनसीएल को सौंप दिया गया है।
- बिना ककरी अमलगमेशन सीएचपी (5.5 एमटीपीए), एनसीएल : निविदा दस्तावेज तैयार कर अनुमोदन के लिए एनसीएल को भेज दिया है।
- निगाही फेज–III सीएचपी (85.0 एमटीपीए), एनसीएल : टर्नकी संवेदक मेसर्स एलएंडटी द्वारा डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा पूर्ण तथा निर्माण के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का कार्य जारी है।
- खादिया फेज–II सीएचपी (5.0 एमटीपीए), एनसीएलः टर्नकी संवेदक द्वारा डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन सौंप दिया गया तथा निर्माण के लिए परियोजना की मानिटरिंग का कार्य जारी है।
- कृष्णाशीला सीएचपी (4.0 एमटीपीए), एनसीएल : टर्नकी संवेदक मेसर्स एचईसी द्वारा डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन सौंप दी गई तथा निर्माण के लिए परियोजना की मानिटरिंग की जा रही है।
- ब्लॉक 'बी' मुख्य सीएचपी (3.5 एमटीपी), एनसीएल : टर्नकी संवेदक मेसर्स एलएंडटी द्वारा डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन सौंप दिया गया है तथा संरचना के लिए परियोजना की मानिटरिंग की जा रही है।
- गेवरा इनपीट कन्वेईंग, एसईसीएल, टर्नकी संवेदक मेसर्स एमबीई द्वारा मेकेनिकल डिजाइन एवं ड्राईंग की संवीक्षा

4.2.3 कर्मशाला एवं स्टोर

1. खादिया खुली खदान परियोजना
2. कुसमुण्डा खुली खदान परियोजना

4.2.4 एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र

- निम्नलिखित एफबीसी आधारित पावर प्लांट के लिए वैचारिक रिपोर्ट

1. मगध ओसीपी, सीसीएल में 5X250 एमडब्ल्यूएफबीसी आधारित टीपीपी।
2. रामगढ़ ओसीपी, सीसीएल में 2X125 मेगावाट एफबीसी आधारित टीपीपी।

4.2.5 ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग

- सीआईएल की 75 चिह्नित खानों में डीजल की खपत की वार्षिक बेंचमार्किंग पर रिपोर्ट
- निम्नलिखित के लिए विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग

1. उमरेर ओसीपी, डब्ल्यूसीएल
2. अमलो ओसीपी, सीसीएल
3. स्वांग ओसीपी, सीसीएल

- निम्नलिखित के लिए विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग

क. आकाशकिनारी कोलियरी, बीसीसीएल

ख. लखनपुर ओसीपी, एमसीएल

ग. पिपरवार ओसीपी, सीसीएल

घ. अशोका ओसीपी, सीसीएल

ड. रजरप्पा ओसीपी, सीसीएल

च. केडीएच ओसीपी, सीसीएल

छ. खादिया ओसीपी, एनसीएल

ज. अमलोरी ओसीपी, एनसीएल

4.2.6 विद्युत आपूर्ति तथा वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली

- एमसीएल मुख्यालय में 1X1.5 एमवीए, 33/11 केवी सब स्टेशन के लिए निविदा दस्तावेज संबलपुर में "एमसीएल के निगमित कार्यालय एवं इससे सम्बद्ध टाउनशीप के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति व्यवस्था"
- 2X5 एमवीए, 33/6.6 केवी ब्लॉक खुली खान परियोजना सबस्टेशन के लिए निविदा दस्तावेज।
- झांझरा क्षेत्र, ईसीएल के झांझरा मुख्य सब स्टेशन के संवर्धन के लिए निविदा दस्तावेज।

4.2.7 निरीक्षण सेवाएँ

कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों द्वारा खरीदे गए उपकरणों एवं सामग्रियों के प्रेषण पूर्व निरीक्षण के लिए सीएमपीडीआई द्वारा तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) निरीक्षण सेवा जारी रखा। वर्ष 2014–15 के दौरान इन सेवाओं से लगभग 4 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया गया।

4.2.8 अन्य रिपोर्ट/कार्य

- सीएमपीडीआई मुख्यालय के कार्यालय भवन की ऊपरी छत पर 190 केडब्ल्यूपी सोलर प्लांट की स्थापना।
- आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से डीजल प्राइस एस्कालेशन फार्मूला बनाने का कार्य।
- कोयला विभाग द्वारा निलाम की गई 60 (लगभग) कोयला ब्लॉकों के लिए ईएंडएम पार्ट की लागत प्राक्कलन की तैयारी।

4.3 नगर अभियंत्रण सेवाएँ

नगर अभियंत्रण विभाग निदेशक टी/ईएस की निगरानी तथा मार्ग–दर्शन में काम करता है तथा इसका नेतृत्व महाप्रबंधक (टीईएवं सीएम) द्वारा किया जाता है और रख–रखाव, निर्माण एवं आकलन से संबंधित कार्यों की देख–रेख करने में सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रानिकल/ इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर्स तथा एचआर (कार्मिक) सहयोग करते हैं। नगर अभियंत्रण विभाग के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. भवनों जैसे, कार्यालय भवन एवं आवासीय स्टाफ क्वार्टर का रखरखाव, स्वच्छता बनाए रखना, आवश्यक बागवानी से स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण रखना तथा इन सबों की रख–रखाव करना।
2. कार्यालय से संबंधित सभी विद्युत, इलेक्ट्रानिक तथा यांत्रिक उपकरणों का रख–रखाव तथा इनकी इंवेटरी मेनटेन करना।
3. कार्यालय के सभी फर्निचरों का रख–रखाव करना।
4. आवश्यक कदम उठाकर जलापूर्ति व्यवस्था कायम रखना।
5. बिजली की संरक्षा तथा बचत करने के लिए आवश्यक कदम उठाकर बिजली का प्रबंधन।
6. बिजली बिल, टेलिफोन बिल, पानी का बिल तथा अन्य संवैधानिक भुगतान के लिए पावती, प्रस्तावों की जाँच एवं सुपुदर्गी आदि सुनिश्चित करना।
7. नगर निगम जैसे स्थानीय सांविधिक ईकाइयों के साथ संपर्क करना।
8. वेस्ट पेपर रिसाइक्लिग प्लांट का परिचालन ।

सीएमपीडीआई, मुख्यालय के नगर अभियंत्रण तथा निर्माण प्रबंधन विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में पूँजीगत कार्य के तहत पूरी की गई तथा चालू कार्य, जारी मरम्मत कार्य, विशेष मरम्मत कार्य तथा सीएसआर कार्यों की सूची निम्नलिखित हैं :

क्र.संख्या	कार्य का नाम	कार्य का मूल्य लाख रू. में
पूरे किए गए कार्य		
1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में मौसमी पौधों के साथ–साथ बाग के रख–रखाव के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा।	30.35
2.	सीएमपीडीआई की सीएसआर योजना के तहत बिरसा विद्यालय, हथियागोंदा में तीन कमरे, लड़कों एवं लड़कियों के शौचालय, खिड़कियाँ एवं दरवाजों की मरम्मत, बिरसा विद्यालय के वर्तमान भवन को डिस्टेम्परिंग एवं पेंटिंग तथा पतरागोंदा गाँव में कंक्रीट सड़क का निर्माण इत्यादि कार्य।	48.54
3.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर का रख–रखाव कार्य।	72.94
4.	एक वर्ष के लिए सीएमपीडीआई मुख्यालय तथा एनटीएस, बरकाकाना के सिविल इंजीनियरिंग कार्य हेतु मेटेनेंस कांट्रैक्ट।	116.43

5.	गोंदवाना प्राईमरी स्कूल, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में दो क्लास रूम, आगे के बरामदा के लिए प्रोफाइल शीट रूफिंग का निर्माण।	18.40
6.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय में प्रलेखन, सुरक्षा, ईएंडएम, सीआईएल सेल एवं भूतल स्थित गवेषण विभाग, पुराने कार्यालय भवन का पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे तल तथा आरएंडडी भवन के शेष भाग की विशेष मरम्मत तथा रख–रखाव।	162.00
7.	सीएमपीडीआई के सीएसआर कार्यक्रम के तहत हथियागोंदा स्थित बिरसा उच्च विद्यालय के परिसर में दो क्लास रूम का निर्माण।	15.54
8.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय परिसर स्थित क्रीडागन का विकास।	14.39
9.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची स्थित वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ–साथ पम्पों के परिचालन तथा रख–रखाव।	6.14
10.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय, परिसर (आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों) में एक वर्ष के लिए विद्युतीय कार्य के लिए वर्ष 2014–15 के लिए रखरखाव ठेका।	59.25

चालू कार्य :

1.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में मौसमी (इंडोर एवं आउटडोर) पौधों के रख–रखाव सहित बागवानी के लिए वार्षिक रख–रखाव का ठेका।	30.51
2.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, परिसर, राँची अनुरक्षण कार्य।	76.98
3.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची तथा एनटीएस, बरकाकाना के लिए एक वर्ष हेतु सिविल इंजीनियरिंग कार्य के लिए रख–रखाव ठेका।	94.55
4.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में एक वर्ष के लिए पंप का संचालन तथा रख–रखाव सहित वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन एवं रख–रखाव।	6.54
5.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची परिसर में आवासीय तथा गैर–आवासीय दोनों का एक वर्ष के लिए वैद्युतीय कार्य हेतु 2014–15 के लिए रख–रखाव का ठेका।	64.91
6.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची, परिसर में एक वर्ष के लिए आवासीय क्वार्टर और कार्यालय भवन के लिए मच्छड़ नियंत्रण एवं टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए रख–रखाव ठेका।	12.70
7.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में आवासीय बहुमंजिली इमारत के आरसीसी छज्जा, लिंटेन बीम की मरम्मत।	28.03
8.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची परिसर में आर्काइव भवन का निर्माण।	141 लाख
9.	धनबाद में क्षेत्रीय संस्थान–2 सीएमपीडीआई कार्यालय का रिनोवेशन एवं रिफर्निशिंग।	142 लाख
10.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची परिसर के कैम्पस के भीतर क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत सहित प्रिमिक्स कारपेट सरफेसिंग।	20.70
11.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में 6 डिजिटल टाईमर 24 घंटे की आपूर्ति एवं फिक्सिंग (निर्धारण)।	1.51

12.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में प्रस्तावित प्रणाली के हेतु आईसीटी डिविजन एवं एएमसी में 9 वर्षों के लिए वर्तमान एसी सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने सहित समान क्षमता वाले स्टैंड बाई के साथ 40 टन क्षमता वाला एयर कंडिशनिंग प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापन और चालू करना।	एएमसी
13.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में वेस्ट पेपर रिसाइक्लिंग प्लांट का परिचालन।	विभागीय
14.	सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची परिसर में 'बी' टाइप क्वार्टर ब्लॉक नं. बी–1 से बी–(36) की रिवाइरिंग।	पार्ट–।। खोला गया
15.	ओवरहॉलिंग 250 केवीए डीजी सेट नं.–1	3.44 लाख
16.	ओवरहॉलिंग 250 केवीए डीजी सेट नं.–3	5.57 लाख

5.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

5.1 कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं परियोजनाएँ :

1. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास क्रिया–कलापों का नियंत्रण स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) नामक एक शीर्षस्थ निकाय द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं। इस शीर्षस्थ निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया के अध्यक्ष, सीएमपीडीआई, एससीसीएल और एनएलसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सम्बद्ध सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना आयोग और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्थाई वैज्ञानिक अनुसंधान समिति के प्रमुख कार्य योजना, कार्यक्रम, बजट बनाना और अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य के निष्कर्षों को लागू करना है।

2. एसएसआरसी की सहायता सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित एक तकनीकी उप–समिति द्वारा की जाती है। यह समिति कोयला गवेषण, खनन, खान–सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव तथा खान पर्यावरण एवं पुररूद्धार पर परियोजना प्रस्ताव पर भी कार्य करता है।

3. कोयला क्षेत्र में अनुसंधान की गतिविधियों के समन्वयन के लिए सीएमपीडीआई नॉडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है। यह पहचान किए गये क्षेत्र में अनुसंधान कार्य, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, कोष का वितरण आदि कार्य करता है।

   शुरू की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं – 383 की कुल संख्या (31.03.2015 तक)

   पूरी की गई वि. एवं प्रौ. परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2015 तक) – 313

4. वर्ष 2014–15 के दौरान भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन।

(अ) भौतिक कार्य निष्पादन :

वर्ष 2014–15 के दौरान कोयला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

1.4.2014 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	–	12
वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ **(परिशिष्ट–ए)**	–	03
वर्ष 2014–15 के दौरान पूरी की गई परियोजनाए **(परिशिष्ट–ए)**	–	03
1.4.2015 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	–	12

(ब.) वित्तीय स्थिति : बजट प्रावधान और वास्तविक खर्च नीचे दर्शाया जा रहा है :

करोड़ रूपये में

2013–14		2014–15	
आरई	वास्तविक	आरई	वास्तविक
11.65	11.76	18.0	16.15 (अन–अंकेक्षित)

5.2 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, निधि का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग आदि के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए प्रत्येक 5.0 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 25.0 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक लागत वाली विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है तथा कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड प्रत्येक आरएंडडी कार्य के लिए 50 करोड़ रूपये तक मंजूरी देने में समर्थ है।

अब तक कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के कोष के अन्तर्गत 73 परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी है, जिसमें से 53 परियोजनाएँ मार्च, 2015 तक पूरी की जा चुकी है।

वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार रही :

1. 1.4.2014 के अनुसार जारी परियोजनाएँ – 18
2. 2014–15 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएँ – 02

   (परिशिष्ट–बी)
3. 2014–15 के दौरान पूरी हुई परियोजनाएँ – 05

   (परिशिष्ट–बी)
4. 1.4.2015के अनुसार चालू परियोजनाएँ – 15

वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राशि 13.52 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

परिशिष्ट–ए

वर्ष 2014–15 के दौरान स्वीकृत कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	रिक्लेम्ड खुली खदान खानों पर सस्टेनेबुल लिवलिहुड क्रियाकलाप भारतीय कोयला सेक्टर में टेक्नोलाजी इनेबल इंटीग्रेटेड एप्रोच	टेरी/टेरी यूनिवसिटी, नई दिल्ली, एमसीएल एवं सीएमपीडीआई, रांची	290.69
2.	कोल इंडिया लिमिटेड के परित्यक्त कोयला क्वारियों में फिश कल्चर को बढ़ाने के लिए उपयुक्त एवं लागत प्रभावी खान वाइड एक्वा इको–सिस्टम का विकास एवं खान जल पर्यावरण का मूल्यांकन	बीएयू, राँची एवं सीएमपीडीआई, राँची	224.27
3.	एससीसीएल कमान्ड वाले क्षेत्र में कोयला संसाधनों के रूफ हजार्ड्स मानचित्रण का विकास तथा डिपर हारिजोन में हारिजेंटल स्ट्रेल फिल्डस का मूल्यांकन	एससीसीएल, कोथागुडेम एवं एनआईआरएम, कोलार	358.40

वर्ष 2014–15 के दौरान पूरी की गई कोयला मंत्रालय द्वारा निधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	भूमिगत कोयला खानों में डिपिलरिंग आपरेशन के लिए सेल्फ (मोबाइल) गोफ एज सपोर्ट्स (एसएजीईएस) का विकास–एमटी (ईओएल)/159	आईएसएम, धनबाद एवं मेसर्स जया भारत इक्यूपमेंट प्राइवेट लिमिटेड(जेबीईपीएल),हैदराबाद	197.75
2.	एससीसीएल खान के लिए 3 डी न्यूमेरिकल माडलिंग द्वारा धँसान पूर्वानुमान के लिए सफ्टवेयर का विकास–एमटी/160	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई एवं एससीसीएल	53.80
3.	नेयवेली लिग्नाइट खान में स्पेशल माइनिंग उपकरण के क्षरण से बचाव के लिए कस्टमाइज्ड आरगेनिक कोटिंग का विकास	एनएलसी एवं सीईसीआरआई, कराईकुडी	79.48

परिशिष्ट–बी

वर्ष 2014–15 के दौरान स्वीकृत कोल इंडिया द्वारा निधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	रानीगंज कोयला क्षेत्र के मोटे सीम में सुरक्षित लिक्विडेशन के प्रणाली का पता लगाना : कोट्टाडीह कोलियरी, ईसीएल में डिजाइन एवं विकास एवं शो–केशिंग डेमोस्ट्रेटिव परीक्षण	सीआईएमएफआर, धनबाद एवं ईसीएल	41.066
2.	ग्रेविटि, मैगनिटिक तथा एएमटी डाटा के 3डी इनवर्स माडलिंग का प्रयोग कर सिंगरौली कोयला क्षेत्र के मोहरेमेन कोल बेसिन में टैक्टोनिक अध्ययन एक समेकित जियो–फिजिकल अप्रोच	आईएसएम, धनबाद तथा सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची	337.18
3.	प्रयोगशाला की परिस्थिति में कोल डस्ट के विस्फोटक क्षमता के गुण का निर्धारण एवं भूमिगत कोयला खानों में विस्फोटन से सुरक्षा के लिए दिशा–निर्देशों का विकास	सीआईएमएफआर, धनबाद	639.37

वर्ष 2014–15 के दौरान पूरी की गई कोल इंडिया द्वारा निधित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित लागत (लाख रू. में)
1.	कोयला खान में श्वशनीय वायु वाहित धूलकण से मुक्त सिलिका(α–क्वार्टज) के निर्धारण पर अध्ययन एवं कोयले के साथ–साथ धूलकण में फ्री सिलिका एवं अन्य खनिजों की उपस्थिति के डाटा बैंक की तैयारी : सीआईएल/आरएंडडी/1/39/10	सीआईएमएफआर, धनबाद एवं एसएंडआर डिविजन, सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता	353.82
2.	कोल इंडिया के क्षेत्रों के लिए विशेष संदर्भ सहित गोंदवाना बेसिन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन–सीआईएल/आरएंडडी/1/46/11	सीएमपीडीआइ तथा एडवांस रिसोर्सेज इंटरनेशनल(एआरआई)यूएसए	512.20
3.	खुली खानों के लिए इंटिग्रेटेड डम्पर कोलिजन एवायडेंश सिस्टम का स्वेदेशी विकास–सीआईएल/आरएंडडी/1/51/2012	माइन इल्क्ट्रानिक्स डिपार्टमेंट, सीएमपीडीआई,मु.,राँची तथा बीईएल पंचकुला, हरियाणा	354.51
4.	डीप सीटेड कोल तथा शेल संसाधनों से सीबीएम की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ भारतीय कोयले के श्रिंकेज स्वेलिंग कैरेक्टरस्टीक पर अध्ययन–सीआईएल/आरएंडडी/1/53/2013	सीबीएम सेल, सीएमपीडीआई,राँची तथा आईआईटी, खड़गपुर	182.60
5.	इफिसियेंट एनर्जी मैनेजमेंट पायलट अध्ययन तथा कार्ययोजना पर अनुसंधान एवं विकास–सीआईएल/आरएंडडी/1/55/2013	आईआईएसडब्ल्यूबीएम, कोलकाता तथा डीएफआईसी–मैनेजमेंट कंसलटेंट, प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता	66.19

6.0 प्रयोगशाला सेवाएँ :

6.1 रासायनिक प्रयोगशाला :

वर्ष 2014–15 के दौरान 20 कोयला क्षेत्रों के 32 ब्लॉकों में बोर होल कोयला कोर के कोयले का गुण–निर्धारण किया गया। कुल 10,000 मी. कोल कोर को संसाधित किया गया तथा मार्च, 2015 तक 30,000 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

उपकरण प्राप्ति की स्थिति

- जाव क्रशर तथा पलवराइजर की प्राप्ति के लिए तकनीकी मूल्यांकन किया गया। तकनीकी कमिटि की अनुशंसा की एमएम विभाग में भेजा गया है।
- 2 प्रोक्सिमेंट एनालाइजर तथा बम्ब कैलोरी मीटर (क्षे.सं. 5 तथा 7 में नए प्रयोगशालाओं के लिए) के लिए पुनः निविदा जारी की गई। जिसके लिए फ्रेश कोटेशन प्राप्त किए गए हैं और इसका तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

6.2 कोयला शैलिकी (पेट्रोग्राफी) प्रयोगशाला :

वर्ष 2014–15 के दौरान 18 कोयला क्षेत्रों के 26 ब्लॉकों का बोरहोल कोयला कोर का गुण–निर्धारण किया गया। मेसरल निर्धारण तथा रिफ्लेक्टेंश अध्ययन के लिए कुल 900 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

कोयला तथा आरगेनिक पेट्रोलॉजी के लिए इस प्रयोगशाला के दो पेट्रोग्राफरों को अंतर्राष्ट्रीय समिति से मान्यता मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार के पेट्रोग्राफिक विश्लेषण करने के लिए सीएमपीडीआई ने पेट्रोग्राफरों की इस प्रमाण–पत्र से योग्यता हासिल है।

उपकरण प्राप्ति की स्थिति

- स्कैनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप की स्थापना तथा इसे चालू करने की प्रक्रिया अप्रैल, 2015 तक पूरी हो जाने की संभावना है।
- एडवांसड पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप की संस्थापना तथा चालन मई, 2015 तक पूरी होने की संभावना है।

- प्वाइंट काउंटर की प्राप्ति के लिए आपूर्ति आदेश 23.5.2015 को दिया गया। 2 महीनों के भीतर डिलिविरी होने की संभावना है।
- एक्स–रे डिफ्रेक्टोमीटर की प्राप्ति के लिए पुनः निविदा जारी कर दी गई है।

6.3 कोयला विनिर्माण प्रयोगशाला :

सीएमपी प्रयोगशाला आवश्यकतानुसार विभिन्न कोयला क्षेत्रों के कोकिंग तथा नन–कोकिंग कोयला नमूनों दोनों के लिए (प्रोक्सीमेट विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई कोकिंग विशेषता इत्यादि) सहित वाशेबलिटी अध्ययन में संलग्न है। उपर्युक्त जाँच नई वाशरियों के निर्माण तथा वर्तमान वाशरियों इत्यादि में किचिंत परिवर्तन के लिए बोर कोर कोयला नमूनों तथा आरओएम कोयला नमूनों की जाँच की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कुछ कोयला नमूनों जिसकी वाशेबलिटी जाँच की गई, नीचे दी जा रही है :

1. बोर कोल नमूने – 32
2. खान से प्राप्त आरओएम नमूने – 5
3. वाशरीफीड कोयला नमूना – 1
4. उपर्युक्त के अतिरिक्त सिंगल स्पेसिफिक ग्रेविटी कट में मोजाम्बिक से प्राप्त 27 बोर कोर नमूनों का फ्लोट तथा सिंक परीक्षण किया गया।

6.4 कोल बेड मिथेन (सीबीएम) प्रयोगशाला :

सीएमपीडीआई में स्थापित सीबीएम प्रयोगशाला ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है तथा शेल गैस से संबंधित पारामीटरीक डाटा के उत्पादन के लिए राक एवल एनालाइजर– रॉक एवल : आरई–6, मॉडल टुर्बो, मेक विंकसी टेक्नोलॉजी (फ्रांस) तथा टोटल आरगेनिक कार्बन एनालाइजर : टीओसी एनालाइजर– मॉडल मल्टी एन/सी 2100 बीयू, मेक एनालाइटिक जेना (फ्रांस) से सुविधा में बढ़ोत्तरी की है तथा इसे चालू किया गया है, जिससे शेल गैस की प्रोसपेक्टिविटि तथा पोटेनशिपलिटि के निर्धारण (मूल्यांकन) में सहूलियत होगी। आगे और प्रयोगशाला की क्षमता में वृद्धि करने के लिए मेसर्स विंसी टेक्नोलॉजी इन्क, फ्रांस को ''आटोमेटिक प्रोसीमीटर–कम–परमिए मीटर'' की प्राप्ति के लिए आपूर्ति आदेश दिए जा चुके हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान सीबीएम प्रयोगशाला ने 8 बोरहोल में बोरहोल स्थल पर क्षेत्र डिजार्पसन अध्ययन किया है तथा कुल गैस कंटेंट (मात्रा) तथा गैस संघटन (कम्पोजीशन) आँकड़ा का सृजन किया है। इसके अतिरिक्त, शेल गैस की संभावना का पता लगाने के लिए 5 बोरहोल में अध्ययन किए गए।

सीबीएम प्रयोगशाला ने 13 शेल नमूनों के लिए रॉक एवल एनालिसिस करने के अतिरिक्त सीएमपीडीआई में इन हाउस फिसिलिटी सृजन के जरिए जीएसआई के 7 कोयला नमूनों सहित वर्ष 2014–15 के दौरान 30 नमूनों (25 कोल तथा 5 शेल) के लिए एडजार्पसन आइसोथर्म परीक्षण किया है। सीसीएल के विभिन्न कोलियरियों से प्राप्त 1163 खान वायु नमूनों तथा सीसीएल एवं ईसीएल से प्राप्त 14 माइन सर्वे सैम्पल का विश्लेषण का परिणाम सौंप दिया गया है।

7.0 पर्यावरण सेवाएँ :

7.1 ईआईए/ईएमपी :

विवेच्य वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई ने कुल 16 फार्म–1 तैयार किया है तथा 33 ईएमपी मसौदा तैयार किया है।

7.2 वायु, जल और ध्वनि का पर्यावरणिक मॉनीटरिंग :

एमओआईएफ द्वारा खनन परियोजनाओं के लिए जब एक बार पर्यावरणिक स्वीकृति दे दी जाती है तब परिचालन के दौरान परियोजना स्तर पर शुरू किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरणिक मानीटरिंग करने की आवश्यकता होती है।

पर्यावरण लैब में जल के नमूने का विश्लेषण

वर्ष 2014–15 के दौरान आसनसोल, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा हसदेव, जयंत, तालचर, ईबवेली एवं राँची में स्थिति पर्यावरणिक प्रयोगशाला के माध्यम से कोल इंडिया के 314 परियोजनाओं/संस्थानों (ईसीएल–42, सीसीएल 71, डब्ल्यूसीएल–81, एसईसीएल 82, एनसीएल 13, तथा एमसीएल 25 की पर्यावरणिक मॉनीटरिंग की गई।

7.3 ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में सीएमपीडीआई को मान्यता :

सीएमपीडीआई को खुली खनन/भूमिगत खनन क्षेत्र तथा कोयला वाशरी क्षेत्र सहित खनिजों के खनन के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की मानद एजेंसी) द्वारा ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई है। ईआईए सेवाओं के हमारे क्षेत्र में शामिल करने के लिए अप्लीकेशन तैयार कर लिया गया है। परामर्शक के रूप में पुनः मान्यता देने के लिए आवेदन पत्र क्यूसीआई, नई दिल्ली को भेज दिया गया है।

7.4 सीएमपीडीआई पर्यावरणिक प्रयोगशाला की मान्यता :

विवेच्य वर्ष के दौरान एमबीएमएल, नई दिल्ली द्वारा मान्यता लिए मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षे.सं.–5 में स्थित सीएमपीडीआई पर्यावर्णिक प्रयोगशाला को मान्यता दी गई है।

7.5 सीएमपीडीआई पर्यावरणिक प्रयोगशाला के ओएचएस 18001–2007 के लिए रजिस्ट्रेशन

वर्ष 2014–15 के दौरान सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल द्वारा पर्यावरण प्रयोगशाला, सीएमपीडीआई को ओएचएसएएस 18001–2007 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र दिया गया।

7.6 पर्यावरणिक प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन

क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद के लिए सीएमपीडीआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यावरणिक प्रयोगशाला की योजना का कार्य प्रगति पर है।

सीएमपीडीआई, मुख्यालय में पर्यावरणिक प्रयोगशाला का दृश्य

7.7 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी

एसईसीएल के अमलाई ओसीपी तथा ईसीएल के सोनपुर बाजारी ओसीपी हेतु वहिःस्त्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) के लिए दो योजनाएँ तैयार की जा चुकी हैं।

7.8 कोयला मंत्रालय द्वारा सीएमपीडीआई को भेजे गए कोयला खनिखंडों हेतु मानइ क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी

विवेच्य वर्ष के दौरान 31 माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी तैयार कर कोयला मंत्रालय को भेज दी गई है।

7.9 स्लोप स्थायित्व/मृदाक्षरण नियंत्रण अध्ययन :

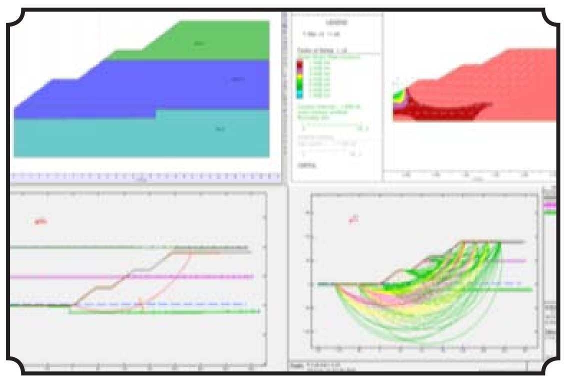

खुली खदान खान के लिए ढाल स्थायित्व अध्ययन और मृदा क्षरण नियंत्रण अध्ययन की आवश्यकता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी पर्यावरणिक तथा वन स्वीकृति की शर्तों में से एक है। तदनुसार 8 ढाल स्थायित्व अध्ययन तथा हाई वाल के अलटीमेंट स्लोप एंगल का निर्धारण कार्य पूरा कर लिया गया।

इसके अतिरिक्त सीसीएल परियोजनाओं के 2 मृदा क्षरण नियंत्रण अध्ययन तथा सीसीएल परियोजनाओं के 1 टॉप मृदा प्रबंधन पूरा किया गया।

7.10 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह :

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2014 को मनाया गया। सीएमपीडीआई के कर्मचारियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अतिथि भाषण वृक्षारोपण, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा बच्चों के लिए ड्राईंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।

7.11 तकनीकी पेपर

निम्नलिखित तकनीकी पेपर कन्ट्रीब्यूट/प्रजेन्ट किया गया :

1. " रोल आफ सीएमपीडीआई इन इनवार्मेंटल क्लियरेंस प्रोसिडियूर एंड सब्सिक्विएंट कमप्लिएंस सपोर्ट"– श्री ए.के.देबनाथ, श्री डी.बासु एवं डा. वी. अरोड़ा, 18–20 सितम्बर, 2014 को एफआईएमआई, बंगलूर में ।
2. "माइन क्लोजर प्रजेंट एंड ग्लोबल प्रैक्टिस"– 21–22 मार्च, 2015 को बीसीसीएल तथा एमओईएफ एवं सीसीई, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कोल माइनिंग सस्टेनेबल वे फारवर्ड में पर्यावरणिक प्रबंधन पर सम्मेलन में श्री ए.के.देबनाथ द्वारा

8. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :

घरेलू सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सीएमपीडीआई का आईसीटी डिवीजन कोल इंडिया और अन्य सहायक अनुषंगी कंपनियों के परामर्शी सेवा दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान

किए गए कुछ प्रमुख कार्यों को नीचे दिया जा रहा है।

1. वेब आधारित आन लाइन कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) : मानव संसाधन सूचना से संबंधित मैनेजिंग एक्जीक्यूटिव के लिए एक सिस्टम की स्थापना करने हेतु वेब समर्थित एक्जीक्यूटिव सूचना प्रणाली का विकास और रख–रखाव आईसीटी विभाग द्वारा किया गया है। यह प्रणाली अधिकारियों द्वारा उपलब्धि पर की गई रिपोर्ट पर आधारित अर्द्ध–वार्षिक और वार्षिक सीमीक्षा को भी सुविधाजनक बनाएगा। निजी गुण और विशेष उपलब्धि के लिए रेटिंग सहित गोल के लिए रेटिंग करने तथा अधिकारियों के कार्यनिष्पादन के फाइनल स्कोर के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाएगा।
2. कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली का विकास तथा कार्यान्वयन जिसमें पारिवारिक पेंशन, सीएमपीएफ, सीएमपीएस, ग्रेच्युटि विवरण, अनुभव एवं दक्षता सेट, ईआईएस के अलावे शिक्षण एवं विकास जिसे पहले ही विकसित कर कार्यान्वित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान ईआईएस का प्रयोग कर श्रमशक्ति रिपोर्ट (कंपनीवार अनुभागवार, श्रेणीवार, स्वीकृति क्षमता, कार्य क्षमता वैकेंसी की स्थिति) को कोल इंडिया द्वारा रिपोटिंग मैकेनिज्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ रिटायरमेंट प्रोफाइल का उपयोग कोल इंडिया में मैनपावर प्लानिंग एक्सरसाइज करने के लिए किया जा रहा है।

3. महानदी कोल फील्ड्स लि., सम्बलपुर, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., संकतोरिया, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि, रांची, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि, नागपुर तथा साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि, बिलासपुर के लिए वेब आधारित आन–लाइन रिक्रूटमेंट अप्लीकेशन पोर्टल का विकास किया गया है। इसी तरह के पोर्टल का विस्तार सीएमपीडीआई के लिए भी किया गया है। एनसीडब्ल्यूए द्वारा शासित गैर–अधिकारी कर्मचारियों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया को तेज करने हेतु भर्ती डिविजन के लिए यह एक टूल (उपकरण) भी है।
4. प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए वेब समर्पित ऑनलाइन भर्ती अप्लीकेशन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती की जा रही है। ऑन लाइन भर्ती, ई–रिक्रूटमेंट या वेब आधारित भर्ती उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए आन लाइन प्रौद्योगिकी अथवा इंटरनेट का प्रयोग, प्रतिभावान उम्मीदवारों की खोज करने तथा भर्ती प्रक्रिया में सहायता के लिए इसका उपयोग किया जा सकती है।
5. कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए सतर्कता क्लियरेंश सिस्टम/विजिलेंश मानिटरिंग प्रणाली का विकास कर कार्यान्वित किया जा रहा है।
6. वर्ष 2014 के लिए कोल इंडिया के सभी अधिकारियों के लिए आन–लाइन वेब आधारित वार्षिक प्रोपर्टी

रिटर्न प्रणाली का विकास एवं कार्यान्वयन। इस सुविधा को गैर–अधिकारी के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट के तहत बढ़ाया गया है।

7. सीएमपीडीआई के सर्वर पर महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड का वेब साइट मेनटेन कर रहा है।
8. एसईसीएल एवं एनसीएल के लिए वेब आधारित कन्ज्यूमर ग्रिवांस सिस्टम, विजिलेंस कम्पलेन सिस्टम का विकास किया गया है।
9. एमसीएल, एससीएल के विद्युत उपभोक्ताओं को कोयला आवंटन के लिए पोर्टल।
10. कोल इंडिया और अनुषंगी कंपनियों के लिए सायबर सुरक्षा की तैयारी।
11. एनसीएल के लिए लेन (एनसीएल मुख्यालय), मेल सर्वर एवं वेब सर्वर के डिजाइन हेतु परियोजना रिपोर्ट की तैयारी।

सीएमपीडीआई के आधारभूत संरचना की वृद्धि :

1. वेब सर्वर, इन्टरनेट लीज्ड लाइन बेंड–विर्डथ की सम्पर्कता (कनेक्टिवीटी) को विकसित करने के लिए इसे 20 एमपीएल से 34 एमपीएल तक बढ़ाया गया है।
2. मुख्यालय में दो एमबीपीएस से 10 एमबीपीएस तक एमपीएलएस बैंडविथ बढ़ाया जा रहा है। साथ ही क्षेत्रीय संस्थानों में 1 एमबीपीएस से 4 एमबीपीएस तक बढ़ाया जा रहा है।
3. अतिरिक्त आटोकैड लाइसेंट सीएमपीडीआई के लिए प्राप्त कर लिया गया है।
4. माइनेक्स के लिए एएमसी को नया रूप दिया गया है तथा डम्प शिड्यूलिंग का नया माड्यूल प्राप्त किया जा चुका है।
5. सीएमपीडीआई में 245 डेस्क टॉप का रिप्लेसमेंट तथा अतिरिक्त 70 डेस्क टाप पीसी प्राप्त किया गया है।

8.1 सूचना प्रबंधन प्रणाली :

प्रकाशन विभाग से संबंधित निम्नलिखित क्रिया–कलाप किए गए :

1. देशकाल सम्पदा का प्रकाशन–विवेच्य वर्ष के दौरान हमारे घरेलू मैगजीन के चार अंक (इश्यू) प्रकाशित किए गए। इसमें सम्पादन, डीटीपी कार्य, खाका और मैगजीन का प्रकाशन शामिल है।
2. 4 ''माइनटेक'' का प्रकाशन किया गया। इसमें सम्पादन, डीटीपी कार्य, खाका और मैगजीन का प्रकाशन शामिल है।
3. मैगजीनों का प्रेषण–कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया अनुषंगी कंपनियों के मुख्यालयों और इकाइयों आदि जैसे विभिन्न स्थानों के लिए दोनों मैगजीनों के लगभग 14000 प्रतियाँ प्रेषित की गयी ।
4. पुस्तक का प्रकाशन–प्रो. इन्द्रजीत राय तथा श्री सोमेश सेनगुप्ता द्वारा लिखित ''भारत के सर्फेस कोयला खानों के ड्रैग लाइन डम्प प्रोफाइल पर एक हैंड बुक'' का प्रकाशन करने की प्रक्रिया जारी है।

8.2 सतर्कता :

सीएमपीडीआई में कर्मचारियों एवं उनके परिवारिक सदस्यों के लिए स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, क्विज एवं कर्मचारियों के लिए आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीवीओ, सीएमपीडीआईएल ने इस वर्ष विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम अर्थात् ''कम्बेटिंग करप्शन– अनेबलर के रूप में टेक्नोलॉजी'' पर अपने विचार व्यक्त किए।

सीएमपीडीआईएल में ईटीई टाइप इन्सपेक्शन किए गए तथा मुख्यालय/क्षेत्रीय संस्थानों में औचक निरीक्षण किए गए।

9.0 विशेष सेवाएँ :

9.1 जियोमेटिक्स :

सीएमपीडीआई, भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग, ओबी मेजरमेंट, वनस्पति आच्छादन मानचित्रण, डीजीपीएस सर्वे, भूमि उपयोग मानचित्रण, कोल माइन फायर मैपिंग, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूमिगत खान–सह'संबंध सर्वेक्षण इत्यादि के लिए रिमोटसेंसिंग तथा सर्वेक्षण के क्षेत्र में सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

9.1.1 सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) के जरिए खुली खानों की मॉनीटरिंग :

सीएमपीडीआई ने वर्ष 2008–09 से सभी खुली खदानों के भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलिएन्स शुरू किया है। विवेच्य वर्ष 2014–15 के दौरान हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइन डाटा पर आधारित 5 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता (कोयला+ओवी) से अधिक वाली 50 ओपेनकास्ट परियोजनाओं का तथा 5 मिलियन क्यूबिक मीटर (कोयला+ओवी) से कम उत्पादन करने वाले 36 ओसी परियोजनाओं का भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग कार्य पूरा किया गया है। बड़ी क्षमता वाले खानों (5 एमसीएम) में भूमि पुनरूद्धार

की स्थिति का मानीटरिंग वार्षिक आधार पर किया गया है तथा छोटी खानों (5एमसीएम) का तीन वर्ष के अंतराल (इंटरवल) पर किया जाता है।

9.1.2 वनस्पति आच्छादन मानचित्रण :

वर्ष 2014–15 के दौरान कोयला क्षेत्रों में भूमि उपयोग/वनस्पति आच्छादन पर कोयला खनन के क्षेत्रीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 7 कोयला क्षेत्रों का वनस्पति आच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

- राजमहल
- रानीगंज
- ईब वैली
- मंद रायगढ़
- सोहागपुर
- पेंच कन्हान
- उमरेर

9.1.3 भूमि उपयोग मानचित्रण :

पर्यावरणिक प्रबंधन योजना के लिए प्रतिपादित बेस लाइन सूचना हेतु ईसीएल, सीसीएल, एनसीएल, एसईसीएल तथा डब्ल्यूसीएल की 16 परियोजना के कोर जोन तथा बफर जोन का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

9.1.4 कोयला खान में लगी आग का मानचित्रण तथा एमएफआईएल :

विवेच्य वर्ष के दौरान एलएएमडीएसएटी थर्मल इन्फ्रारेड डाटा पर आधारित रानीगंज, झरिया, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, कर्णपूरा कोयला क्षेत्रों में कोल माइन फायर का मॉनीटरिंग कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रशामक (मिटिगेटिव) उपायों का प्लानिंग करने के लिए खान की आग (माइन फायर) के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु जीआईएस प्लेटफार्म पर माइन फायर सूचना प्रणाली विकसित की गई है।

9.1.5 हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित वसुंधरा–गर्जनबहल क्षेत्र में अनाधिकृत सेटलमेंट का मान–चित्रण

एमसीएल के वसुंधरा–गर्जनबहल क्षेत्र के 6 गांवों में सितम्बर, 2010 के बाद नए निर्मित घर की पहचान का कार्य डिजीटल ग्लोब, यूएसए से प्राप्त हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट आंकड़ा के आधार पर किया गया है। दावेदारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में पर्याप्त बचत है। डीजीपीएस का प्रयोग कर भूमि पर स्थित नए संरचनाओं की पहचान सेटेलाइट डाटा के आधार पर किया जाता है।

9.1.6 स्थलाकृतिक मानचित्रण :

सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से सुदूर संवेदन तकनीक पर आधारित 2 मीटर कंटूर अंतराल के साथ 1:50000 पैमाने पर 27 कोयला क्षेत्रों का स्थालाकृतिक मानचित्रण का कार्य जारी है। सभी कोयला क्षेत्रों का एयर बोर्न डाटा प्राप्त कर लिया गया है तथा डाटा प्रोसेसिंग का कार्य जारी है। रयोजना दिसम्बर, 2016 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

9.1.7 ओबीआर चेक मेजरमेंट :

वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों में 43 खुली खदान खानों का विभागीय ओबीआर चेक मेजरमेंट का कार्य पूरा किया जा चुका है।

9.1.8 वन वाउण्डरी का डीजीपीएस सर्वेक्षण :

एमओईएफ के नवीनतम दिशा–निर्देशों के अनुसार डीजीपीएस का इस्तेमाल करते हुए खनन करने के लिए प्राप्त की जाने वाली वन भूमि कर डीजीपीएस सर्वे किया जाना है तथा सुपुर्द किए गए एफओई चरण–। वन क्लीयरेंस अप्लीकेशन के साथ–साथ शेष फाइल सुपुर्द किया जाना है। वन क्लीयरेंस के लिए विवेच्य वर्ष के दौरान 21 खनन परियोजनाओं में वन भूमि काडीजीपीएस सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है।

9.1.9 काडस्ट्रल मानचित्रण एवं सेटेलाइट डाटा पर ओवर लेईंग एवं लीज होल्ड बाउण्डरी का जियो–रिफ्रेसिंग

चिरीमिरी क्षेत्र, एसईसीएल के 5 खनन पट्टे के लिए (एमसीआर तथा एमएमआरडी) डिजीटल काडा स्ट्रल मानचित्रण तथा लिस–पअ + कारटोसेट–।। सेटेलाइट डाटा पर 3 सी प्रकार का ओवर लेईंग एवं खान लीज होल्ड बाउण्ड्री तथा आईबीएम के दिशा–निर्देश के अनुसार मेसर्स डीबी पावर के दुर्गापुर/सरिया कोयला ब्लॉक में एक लीज का जियो रेफरेसिंग का कार्य किया जा चुका है।

9.1.10 डीजीपीएस सर्वेक्षण

निम्नलिखित के लिए डीजीपीएस सर्वेक्षण किए गए।

- मेसर्स टिस्को के वेस्ट बोकारो कोलियरी के लीज बाउण्डरी क्षेत्र का प्रमाणीकरण।
- मुराईडीह में परमानेन्ट कंट्रोल प्वाईंट की स्थापना।
- लगभग 120 ब्लॉकों में लोकल ग्रिड से डब्ल्यूजीएस 84 सिस्टम तक के संरक्षण के लिए तथा पुराने बोरहोल, पुराने पीट तथा भू–तल विशेषताओं का को–आर्टिनेट्स पता लगाने के लिए।
- मोजाम्बिक में बीएच सवेक्षण। सीआईएएल के लिए वर्ष के दौरान दूसरी बार टीम की प्रतिनियुक्ति की गई ।
- डीजीपीएस का प्रयोग कर 6 कोयला ब्लॉकों में ब्लॉक बाउण्डरी का सीमांकन किया गया।

9.1.11 भूमिगत–सह–संबंध का ट्रावर्स सर्वेक्षण

विवेच्य वर्ष के दौरान भटगांव भूमिगत खान की 6 सर्किटों में भूमिगत–सह–संबंध तथा ट्रावर्स सर्वेक्षण किए गए।

9.1.12 वाशरी अपशिष्टों की माप

दुग्दा कोयला वाशरी में स्लरी एवं वाशरी अपशिष्टों की माप की गई ।

मासिक आधार पर बीना ओसीपी के अपशिष्ट की माप की गई ।

9.1.13 ओबी डम्प का सर्वेक्षण

सुरक्षा के उद्देश्य से एनसीएल की सभी ओपेन कास्ट माइन में ड्रैगलाइन ओबी डम्प सर्वेक्षण नियमित रूप से किया जाता है।

निगाही के 5 तथा दुधिचुआ, एनसीएल के 2 बाह्य ओबी डम्प की ऊँचाई एवं इसकी ढाल की माप की गई।

9.2 विस्फोटन

सीएमपीडीआई ने नियंत्रण विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन, विस्फोटकों एवं इसकी सहायक सामग्रियों के परीक्षण, विखंडन तथा एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के क्षेत्र में मूल्य सवंर्धित सेवा देने के लिए तकनीकी विशेषता तथा क्षमता को बढ़ाया है। इसके पास जटिल विस्फोटन की समस्याओं को सुलझाने जैसे नई प्रौद्योगिकी/अवधारणा का समावेशन तथा प्रयोग, कास्ट विस्फोटन, विस्फोटन द्वारा ईड्यूस्ड केविंग, गर्म संस्तर में विस्फोट, संरचनात्मक विघटन आदि में तकनीकी विशेषज्ञता है। इसके अतिरिक्त विस्फोटन डोमेन तथा कोल इंडिया लिमिटेड के आरएंडडी द्वारा वित्त प्रदत अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को कोयला खानों में उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

सीएमपीडीआई का विस्फोटन विभाग विस्फोटन एवं विस्फोटकों की जाँच करने के लिए स्टेट–आफ–आर्ट–प्रौद्योगिकी जैसे हाई स्पीड कैमरा, इन–दि–होल वीओडी माप के लिए डाटा ट्रैप–।।, विपफ्रैग साफ्टवेयर द्वारा विखंडन मूल्यांकन एवं माप, जे.के. सीमब्लास्ट द्वारा ब्लास्ट सिमुलेशन हाई सेम्पलिंग वाला हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलोस्कोप से सुसज्जित है।

वर्ष 2014–15 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों तथा बाहरी एजेंसियों को निम्नलिखित तकनीकी सेवाएँ दी गई

1. नियंत्रित विस्फोटन एवं कंपन अध्ययन–बीसीसीएल, सीसीएल तथा एमसीएल की 9 खानों में।
2. विस्फोटन पारामीटरों का अनुकूलन तथा पाउडर फैक्टर में सुधार सीसीएल, बीसीसीएल तथा एमसीएल की 19 खानों में।
3. विस्फोटक और इसकी सहायक सामग्रियों की रैण्डम सेम्पलिंग एवं जाँच : सीसीएल, बीसीसीएल, एनईसी तथा निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन।
4. मेसर्स सुनील हाईटेक इंर्जीनियरिंग लिमिटेड के लिए नियंत्रित विस्फोटन द्वारा इंजीनियरिंग लिमिटेड के लिए नियंत्रित विस्फोटन द्वारा चट्टानों के उत्खनन के विस्फोटन का डिजाइन।
5. एससीसीएल में अन्य विस्फोटकों की तुलना में एएनएफओ से युक्त 8 होलों के लिए डाटा ट्रैप–।। का प्रयोग कर कन्फाइन्ड वीओडी का निर्धारण।
6. नए विस्फोटक उत्पादों का कार्य निष्पादन मूल्याकन।

9.3 खनन इलेक्ट्रॉनिक्स

सी एम पी डी आई का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावर्णिक पारामीटरर्स की

टेली मॉनिटरिंग, संचार नेटवर्क की स्थापना करने हेतु संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने में अपनी सेवाएँ देता है। यह सुरक्षा के लिहाज से भूमिगत खानों में प्रयुक्त मिथेन गैस संसूचक (डिटेक्टर) की मरम्मती एवं अंशशोधन (केलिब्रेशन के साथ–साथ आयातित/स्वदेशी एच ई एम एम कार्डों की मरम्मत करने में अनुषंगी कम्पनियों की मूल्यवान सहायता भी प्रदान करता है। इस विभाग ने खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए आर डी एवं एस एण्ड टी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है। विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए:–

9.3.1 रिपोर्ट/योजना/एनआईटी की तैयारी

1. स्वांग भू.ग. खान सीसीएल के लिए पर्यावरणिक टेलीमानीटरिंग प्रणाली हेतु ईएनआईटी सुपुर्द किया जा चुका है।
2. एमसीएल ओरियेन्ट एरिया की खान संख्या–4 के लिए पर्यावरणिक टेली मानीटरिंग प्रणाली हेतु योजना सुपुर्द की जा चुकी है।
3. केडीएच ओपेनकास्ट एन.के. एरिया, सीसीएल में खुली खानों के लिए समेकित डम्पर कोलिजन एव्याडेंस प्रणाली के स्वदेशी विकास पर कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजना पूरी कर ली गई है।
4. भूमिगत खान के लिए टेली मॉनीटरिंग तथा रिमोट ऑपरेशन प्रौद्योगिकी के विकास पर कोयला मंत्रालय द्वारा अनुसंधान एवं विकास परियोजना रोबोट 3डी मॉडयूल की डिजाइन एवं विभिन्न माड्यूल का स्वेदेशी तथा प्रयोगशाला का परीक्षण कार्य सीएमआरआई दुर्गापुर तथा सीआईएमएफआर, धनबाद में पूरा किया जा चुका है। क्षेत्रीय परीक्षण की प्रतीक्षा है।
5. कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों तथा बाहरी एजेसिंयों की परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने के लिए 24 भूमिगत खानों तथा खुली खनन परियोजना हेतु इलेक्ट्रानिक्स तथा दूर–संचार पर अध्याय (चैप्टर) तैयार किया जा चुका है।

9.3.2 मरम्मती/अंशशोधन/इलेक्ट्रानिक्स कार्डो का परीक्षण/गैस मानिटर्स

एचईएमएम कार्डों की मरम्मती	–	222
मिथेनोमिटर्स की मरम्मती एवं अंशशोधन	–	54

9.4 कोयला प्रौद्योगिकी

सीटी तथा लैब डिवीजन का रासायनिक तथा पेट्रोग्राफिक यूनिट कोकिंग तथा गैर–कोकिंग कोयला के डाउन स्ट्रीम उपयोग के लिए संपूर्ण गुण–निर्धारण सम्पादित करने हेतु पारंपरिक तथा आयातित स्टेट आफ आर्ट उपकरण से सुसज्जित है। भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के सहयोग से रूटिन के आधार पर गवेषण स्तर पर कोयला का योजनाबद्ध गुण–निर्धारण किया जा रहा है। कच्चा क्लीन कोयला नमूना (वाशरी प्रोडक्टस) का योजनाबद्ध गुण–निर्धारण क्लीन कोयला का प्रोपर्टीज सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। सीबीएम तथा शेल गैस डाटा पैकेज के लिए शेष नमूनों के लिए कोयला नमूनों का योजनाबद्ध गुण–निर्धारण किया जा रहा है।

9.5 प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाएँ

कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाएँ। सीएमपीडीआई ने वर्षों से विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों जैसे आईएसओ 9001–क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम (क्यूएमएस), आईएसओ 14001–पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) ओएचएसएएस 18001–ओक्यूपेंशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम (ओएचएसएमएस) आईएसओ 27001 इन्फोरमेशन सिक्यूरिटी मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसएमएस), आईएसओ 50001, इनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (ईएनएमएस) एसए–8000 सोशल एकाउन्टेबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, परीक्षण तथा अंशशोधन प्रयोगशाला की क्षमता के लिए आईएसओ 17025 जेनरल रिक्वायरमेंट के प्रमाणन में कार्यान्वयन एवं सहायता के लिए परामर्शी के क्षेत्र में अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

सीएमपीडीआई इस तरह की सभी परामर्शी या तो विशिष्ट प्रणाली मानक या समेकित प्रबंधन प्रणाली आईएमएस के माध्यम से देता है और साथ–साथ विभिन्न संयोजनों के तहत अपेक्षा के अनुरूप हो। सीएमपीडीआई प्रबंधन प्रणाली का सृजन तथा प्रलेखन की सुविधा प्रदान करता है औरप्रशिक्षण एवं अंकेक्षण सपोर्ट, प्रारंभिक कार्यान्वयन प्रमाणन सपोर्ट तथा प्रमाणोत्तर सपोर्ट/मूल्यांकन इत्यादि उपलब्ध कराता है।

कोल इंडिया में ऐसे सभी कार्यों के लिए नॉडल

सेट–अप होने के नाते सीएमपीडीआई ने विभिन्न खुली खानों तथा भूमिगत खदानों, वर्कशॉप, हॉस्पिटल, वाशरी, प्रशिक्षण, संस्थानों इत्यादि के अंतर्गत मानकों आईएओ 9001, आईएसओ–14001, ओएचएएस 18001, आईएसओ 17025 तथा एसए 8000 के मुकाबले कुल 155 प्रमाणन हासिल करने के लिए सभी अनुषंगी कंपनियों को सुविधा प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त दो अनुषंगी कंपनियों एमसीएल तथा एनसीएल को कंपनीवाइड इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस इन्टीग्रेटिंग आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, तथा ओएसएसएएस 18001) प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई। ये कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के लिए इस प्रकार की पहली उपलब्धि है।

ड्रिलिंग 2014–15

वर्ष 2014–15 के दौरान सीएमपीडीआई के दिशा–निर्देश (गाइड लाइन्स) के अंतर्गत विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों के लिए 101 यूनिट का प्रमाणन / पुनर्प्रमाणन प्राप्त किया गया, जिसमें 39 नये प्रमाणित यूनिट तथा 62 पुनर्प्रमाणित यूनिट शामिल है। इसके समझौता संलेख (एमओयू) के एक पार्ट के रूप में विहित समय–सीमा के अंतर्गत एमओयू लक्ष्य को पूरा करते हुए शीर्ष प्रबंधन के त्वरित सपोर्ट के साथ तथा टीम के सकेंद्रित तथा समर्पित प्रयत्नों सहित इनफार्मेशन सिक्यूरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सीएमपीडीआई ने आईएसओ 27001–2013 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है। इन्फोरमशन सिक्यूरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रमाणन हासिल करते हुए सीएमपीडीआईएल, राँची अब कोल इंडिया में पहली कंपनी बन गई है।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुरोध पर सीएमपीडीआई ने मुख्यालय के प्रबंधन प्रणाली प्रभाग ने आईएसओ 9001 : 2008 के कार्यान्वयन तथा प्रमाणन के लिए परामर्शी कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड, नई दिल्ली द्वारा अक्टूबर, 2014 में आईएसओ 9001–2008 कोयला मंत्रालय को लाइसेंस प्रदान किया गया। आईएसओ 9001 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का यह दूसरा मंत्रालय है।

सीएमपीडीआई सर्वेलाइन्स अंकेक्षण, अंकेक्षण संचालन, प्रशिक्षण जागरूकता संचालन के दौरान पर्यवेक्षित गैर–संपुष्टि के लिए सही एवं निवारक कार्य हेतु सलाह जैसे सलाह, प्रमाणित यूनिट के लिए प्रमाणेत्तर प्रमाणन सपोर्ट तथा दिशा निर्देश (गाइड बाइण्ड) लगातार देते रहा है।

भविष्य की योजनाएँ

एमसीएल तथा एनसीएल में कंपनीवाइड इन्टीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) की शानदार सफलता के साथ आईएमएसका कार्यान्वयन ईसीएस, सीसीएल तथा बीसीसीएल के लिए शुरू किया गया। ईसीएल के प्रलेखन (डाक्यूमेंटेशन) पूरा कर लिया गया है। सीसीएल तथा बीसीसीएल के लिए प्रलेखन तैयार कर लिया गया है तथा अप्रैल, 2015 में इसे अंतिम रूप में दिए जाने की संभावना है। यह आशा की जाती है कि मार्च, 2016 / अप्रैल, 2016 तक ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल की सारी कंपनियाँ कम्पनीवाइड आईएमएस के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी, जिसमें आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001 शामिल होगा।

10. सामग्री प्रबंधन :

1. स्क्रैप तथा परित्यक्त (अबसोलिट) मदों का निपटान :

विभिन्न विभागों तथा क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा सुपुर्द अनुमोदित सर्वे ऑफ रिपोर्ट के आधार पर नियमित रूप से स्क्रैप तथा परित्यक्त मदों का निपटान किया जाता है। कम्पनी ने मेसर्स एम एल टी सी के साथ विक्रय एजेन्सी करार किया है जिससे ई ऑक्सन के माध्यम से इस तरह के मदों का ऑफ लाइन निपटान करना आसान हो गया है। पुनरीक्षण के अन्तर्गत विवेच्य वर्ष के दौरान वार्षिक लक्ष्य 102.00 लाख रूपये के मुकाबले 128.77 लाख रूपये मूल्य के स्क्रैप तथा परित्यक्त मदों का निपटान किया गया है। स्क्रैप के लिए निपटान का वार्षिक लक्ष्य 100.00 लाख रू. का है।

2. वस्तु–सूची नियंत्रण

विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा विभिन्न स्थलों पर 55यांत्रिक ड्रिल लगाये गए हैं जो लगातार संचालन में है। इन ड्रिलों के परिचालन के दौरान उपभोग्य

सामग्री जैसे ड्रिल रॉड, कोर बैरल, ड्रिल बीट, टी सी बीट आदि की नियमित आवश्यकता पड़ती है इसलिए सतत परिचालन के लिए इन मदों का पर्याप्त भण्डार रखना पड़ता है। वस्तु सूची नियंत्रण के भाग के रूप में वस्तु सूची के नियंत्रण को रोकने के लिए उपयोग्य सामग्री के चरणबद्ध तरीके से आपूर्त्ति हेतु आपूर्त्ति आदेश जारी किए जाते हैं। 31.3.2014 के अनुसार वस्तु–सूची का मूल्य 524 लाख रू. के मुकाबले 31. 3.2015 के अनुसार वस्तु–सूची का मूल्य 568.00 लाख रू. मूल्यांकित किया गया। वस्तु–सूची में मुख्य रूप से ड्रिलरॉड, केसिंग, ड्रिल बिट, कोर बैरल, टंग्सटेन कारबाईड (टीसी) बिट इत्यादि शामिल है। वस्तु–सूची में बढ़ोत्तरी 2014–15 में 4 हाड्रोस्टैटिक डिल तथा 2015–16 में 3 हाड्रोस्टैटिक ड्रिल के कारण हुई है। सामग्रियों के फ्रेस लॉट की आपूर्ति के पहले इस वस्तु सूची का यथासमय उपयोग कर लिया जाएगा।

3. विभिन्न प्रयोगशाला मद से सम्बन्धित प्राप्ति

सी एम पी डी आई की योजना के अनुसार सी एम पी डी आई (मुख्यालय) तथा क्षेत्रीय संस्थानों में अतिरिक्त परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला का विस्तार किया गया है। विवेच्य वर्ष 2013–14 के दौरान प्रयोगशाला में 45 नये उपकरण शामिल किए गए एवं 2014–15 में 11 प्रकार के उपकरण बाद में जोड़े गए, जिससे नये जॉब को कार्यान्वित करने के लिए प्रयोगशाला की क्षमता में वृद्धि की गई है।

4. ड्रिलिंग से सम्बन्धित सामग्रियों की खरीद

सी एम पी डी आई के ड्रिलिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय पर ड्रिलों इसकी सहायक सामग्रियों तथा उपयोग्य सामग्रियों की खरीद जरूरी है। इन आइटमों के लिए प्राप्त सभी इंडेन्ट को यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अन्तिम रूप दे दिया गया है ताकि क्षेत्रीय संस्थानों के पास न तो ड्रिल की कमी हो और न ही उपयोग्य की, जिसके कारण ड्रिलिंग कार्य बाधित न हो। क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा अपेक्षित मदों को समय पर उपलब्ध कराया गया है। इसलिए किसी भी ड्रिलिंग कैम्प से उनकी आवश्यकताओं को पूरा न करने सम्बन्धी किसी तरह की शिकायत का उदाहरण भी नहीं हैं। सतत् परिचालन को ध्यान में रखकर इन मदों का पर्याप्त भण्डार रहा।

5. ड्रिल मशीनों की खरीद

वर्ष 2014–15 के दौरान कुल लागत 1329.00 लाख रू. के 8 हाड्रोस्टेटिक ड्रिल की आपूर्ति के आदेश दिए गए, जिनमें 2014–15 के दौरान 3 प्राप्त कर लिए गए हैं। वर्ष 2013–14 में 3233.00 लाख रू. के मुकाबले वर्ष 2014–15 के दौरान 4187.00 लाख रू. के कार्यादेश दिए गए हैं।

6. एमएसई के लिए परचेज प्रिफ्रेंस

डीओ संख्या : 21(1) 2011/–एमए दिनांक : 25.4. 2012 के अनुसार एमएसई से प्राप्ति डीओ पत्र संख्या में उल्लिखित मानक के अनुसार एमएम प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 के लिए पेश किए गए आदेश कुल मूल्य का 20 प्रतिशत से अधिक के लिए एमएसई पर आपूर्ति आदेश दे दिए गए हैं।

7. स्वतंत्र बाह्य मानीटर्स

पत्र संख्या : सीआईएल/सी 2 डी/आईईएम/ सीएमपीडीआईएल/1182 तथा सीआईएल/ सी2डी/आईईएम/ सीएमपीडीआईएल/1183 दोनों दिनांक 13.11.2013 के अनुसार कोल इंडिया द्वारा सीएमपीडीआई के लिए निम्नलिखित आईईएमएस ईगेज्ड है :

क) प्रोफेसर (डा.) एल. सी. सिंह, आई.ए.एस (सेवा निवृत्त)

ख) डा. एस.एन.झनवाल, आईईएस (सेवानिवृत्त)

वर्ष 2014–15 के दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक, सीएमपीडीआई तथा कंपनी के विभागाध्यक्षों के साथ–साथ आईईएमएस के साथ संरचनात्मक बैठक आयोजित की गई। समय–समय पर आईईएमएस के साथ पत्राचार किया जा रहा है। थ्रेस होल्ड वैल्यू से ऊपर सभी निविदाओं में इन्टीग्रिटी पैक्ट शामिल किया जा रहा है तथा कोल इंडिया के पत्र के अनुसार आईईएमएस वचनबद्ध है। रिफ्रेंस के अंतरर्गत विवेच्य वर्ष के दौरान न तो सीएमपीडीआई ने और न तो बिडर्स ने अपने विचार (ओपिनियन) के लिए कोई भी मामला आईएमएस को रेफर किया है। विचार–विमर्श के दौरान आईईएमएस ने निरीक्षण किया है कि सीएमपीडीआई निविदाओं द्वारा तथा प्राप्त किए कांन्ट्रैक्ट में पारदर्शिता को कायम रखे हुए है, मेनटेन कर रहा है तथा जिसके परिणामस्वरूप कोई रिप्रजेंटेशन बिडर्स की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है।

11.0 मानव संसाधन विकास :

वर्ष 2014–15 के दौरान महत्वपूर्ण निम्नलिखित क्षेत्रों में सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को जानकारी दी गई :

महत्वपूर्ण क्षेत्र	एसटीसी	आईआई सीएम	बाहरी	विदेश में	कुल
प्रबंधकीय	277	119	64	00	460
तकनीकी / कार्यकारी	259	22	162	02	445
क्रॉस फंक्शनल	47	08	00	00	55
कुल	583	149	226	02	960

निम्नलिखित क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों को विशेष जानकारी दी गई :

विदेशों में प्रशिक्षण

वर्ष 2014–15 के दौरान सीएमपीडीआई से कुल दो अधिकारियों ने सेमिनार / कॉन्फ्रेस / प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए विदेशों का दौरा किया।

बाहरी प्रशिक्षण :

प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए काफी संख्या में अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों / जगहों में भेजा जा रहा है। इस वर्ष 226 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भारत के कई जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसका नामांकन प्रायः मुख्यालय के विभागाध्यक्षों तथा क्षेत्रीय संस्थान के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा किया जाता है तथा अनुमोदन कंपनी की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है।

कुछ वैसे विषय जिस पर अधिकारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन आदि में भाग लिया है, की सूची नीचे दी गई है :

- खनन संरचना, आरआईएमएस–2016 में रॉक इन्स्ट्रूमेंटेशन पर संक्षिप्त पाठ्यक्रम
- प्रभावी प्रबंधक के विनिंग हैविट्स पर 3 दिनों का राष्ट्रीय सेमिनार
- भारतीय कोयला खानों में गोफ सपोर्ट प्रणाली के डिजाइन पर राष्ट्रीय वर्कशॉप
- अधिकारी विकास कार्यक्रम
- एडवांस एमजीटी कार्यक्रम पर प्रशिक्षण
- जेनरल एमजीटी कार्यक्रम
- इनपिट क्रसिंग, कन्वेयर्स तथा क्रसिंग माईनिंग पर वर्कशॉप
- दो दिनों का राष्ट्रीय कॉन्फ्रेस
- खनन प्रौद्योगिकी तथा खनन यांत्रिकी पर विस्तृत पाठ्यक्रम
- सस्टेनेबुल डेब्लपमेंट तथा इनक्लूसिव ग्रोथ आफ माइनिंग इंडस्ट्री पर एक दिन का सेमिनार
- इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
- सतही जल अध्ययन में रिमोट सेंसिंग तथा जीआईएस अप्लीकेशन
- रिनेवल एनर्जी में पावर इलेक्ट्रानिक्स का एप्लीकेशन
- जीएमएस के उन्नत (एडवांस) एमजीटी कार्यक्रम
- एक्वीफर मैपिंग : कानसेप्ट एवं अप्रोच
- खुली खान तथा भूमिगत खान के लिए खनन उपकरणों का चयन
- सतही खनन सुरक्षा तथा उत्पादकता –2014 पर अल्पकालिक (शॉर्ट टर्म) पाठ्यक्रम
- माइड फुलनेस (सीआईएम) तथा सिम्पल आर्ट आफ मैनेजिंग स्ट्रेस (एसएएमएस) पर एक दिन का वर्कशॉप
- सतही खनन सुरक्षा एवं उत्पादकता–2014 पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम
- ड्रिलिंग फ्ल्यूईड् प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण
- लीडरशिप स्कीम डेब्लपमेंट कार्यक्रम
- रॉक मैकेनिक्स तथा ग्राउण्ड कंट्रोल पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम
- ऊर्जा प्रबंधक परीक्षा, ब्यूरो आफ इनर्जी इफिसियेंसी द्वारा अगस्त, 2014 में आयोजित की गई।
- विप्स
- पंपिंग टेस्ट डाटा
- प्रौद्योगिकी परिवर्त्तन कार्यक्रम ''रॉक ब्लास्टिंग''
- सर्फेस माउंट एसेम्बिलिज का रिपोर्ट एवं रिपेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- माइनिंग माजमा 2014 कॉनवेंशन
- कोर सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी तथा दक्षता पर कान्फ्रेंस
- फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पर दो दिनों की संगोष्ठि
- डायमंड को ड्रिलिंग पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रेसर कोर्स)

- पाँचवा कोयला सम्मिट एवं एक्सपो 2014
- राष्ट्रीय सेमिनार डीजीएमआई 2014
- वर्टजेन सर्फेस माइनर वर्कशॉप
- कोल मीट के लिए 66वाँ अन्तर्राष्ट्रीय समिति
- गवेषण, भूभौतिकी पर 36वाँ वार्षिक कानवेन्शन सेमिनार
- मेथमेटिकल जियोसाइन्स (आईएएमजी) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय असोसियेशन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- सतही जल अध्ययन में भू–भौतिकी तकनीक
- सतही तथा भूमिगत दोनों के लिए खनन प्रौद्योगिकी तथा खनन यांत्रिकी पर विस्तृत पाठ्यक्रम
- आईएसएंडटी मैगनेटिक पार्टिकल टेस्ट लेवल।
- पावर इलेक्ट्रानिक्स (एनडब्ल्यूपीई 2014) पर राष्ट्रीय वर्कशॉप
- डब्ल्यूटीपी / डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी / एसटीपी एसईडीआईजीएन, आपरेशन, रखरखाव तथा जल पुनर्उपयोग रिसाईकिलिंग पर उन्नत स्तरीय आवासीय प्रशिक्षण
- भू तकनीकी ड्रिलिंग पर प्रशिक्षण
- ''डिजाइन डेब्लपमेंट टेस्टिंग में वर्तमान ट्रेंड्स'' पर दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार और एक्जीविशन
- कोयला गैसीकरण पर सेमिनार
- नॉलेज तथा इनोवेशन एमजीटी
- विप्स रिजनल मीट (पूर्वोत्तर क्षेत्र)
- ग्लोबल माइनिंग सम्मीट 2014
- कार्बन फूट प्रिंट तथा वाटर फूट प्रिंट का मैपिंग
- स्थानीय विद्युत सृजन का एकीकरण
- मेजरमेंट अनसरटैनिटि
- अंतर प्रयोगशाला, दबाव दक्षता प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन स्कोर
- परिवेशी वायु तथा सोर्स उत्सर्जन के विश्वनीय मॉनिटरिंग के लिए वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग प्रैक्टिकल अपरोचेज
- सौवेनियर में पूर्ण फेज का खनन उद्योग तथा एडवांसमेंट में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एमजीटी पर अंतरर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस
- उन्नत (एडवांस) कोयला गुण निर्धारण पर प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला (ट्रेनिंग–कम–वर्कशॉप)
- सामाजिक–आर्थिक फंग्शनल एरिया
- 18वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन ई–गवर्नेंस
- जियोस्पैशियल प्रौद्योगिकी तथा अप्लिकेशन
- पुनः निवेश पहला नवीकरण ऊर्जा ग्लोबल निवेश उत्पादन मीट एंड एक्पो
- 3डी एवं 4डी भू–कंपीय डाटा के विकासात्मक मूल्यांकन की मौलिकता
- 56वाँ राष्ट्रीय लागत कन्वेंशन 2015
- सेंटर प्वाईंट पर संगोष्ठी
- विप्स 25वाँ सिलवर जुबली आईसीएआई, आसनसोल, शाखा का वार्षिक सेमिनार
- कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट पर संवैध ाानिक तथा अन्य सांविधिक प्रावधानों पर प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला
- परियोजना एवं संविदा एमजीटी पर कार्यक्रम
- प्रभावी कार्यालय संचारस्कील
- न्यूक्लियोनिक गोन्स – एनजी–128 की रेडियन सुरक्षा
- अशसक्ता (पीडब्ल्यूडी) के साथ व्यक्तियों के वोकेशनल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान
- कोयला खनन मुद्दे का पर्यावरणिक एमजीटी

आई आई सी एम में प्रशिक्षण

आई आई सी एम के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष मानव संसाधन विकास प्रभाग आई आई सी एम में बड़ी संख्या में वरीय अधिकारियों तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित करता है। कम्पनी तथा ग्राहकों की आवश्यकता पर आधारित विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार नामांकन किया जा रहा है।

वर्ष 2014–15के दौरान आई आई सी एम में 149 अधि ाकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

कुछ विषय नीचे सूचीब) हैः–

- कोल इंडिया के युवा प्रबंधक के लिए प्रतियोगिता
- पर्यावरण एवं वन क्लियरेंस
- एचआर (पीएंडए) के लिए फंग्शनल स्किल कार्यक्रम
- युवा प्रबंधकों के लिए अधिकारी विकास कार्यक्रम
- संविदा प्रबंधन – मुख्य मुद्दे
- जन–उपलब्धि प्रक्रियाएँ
- लीडरशिप विकास कार्यक्रम
- टीम बिल्डिंग एवं कॉनफ्लिक्ट रिसॉल्यूशन
- चिकित्सा (पेशेवर स्वास्थ्य) के लिए दक्षता

कार्यक्रम

- कोल नेट/नेटवर्किंग
- जेनरल मैनेजमेंट कार्यक्रम
- संविदा श्रमिक एक्ट
- राजभाषा का इस्तेमाल
- सिस्टम (औरेकल) के लिए फंग्शनल स्किल कार्यक्रम
- (उत्कृष्ट संस्थान के सहयोग से) कोयला कंपनियों के लिए परियोजना प्रबंधन
- सेवा–निवृत अधिकारियों के लिए प्रिपरेटरी कार्यक्रम
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली मानक
- वस्तु, सेवाकर तथा प्रत्यक्षकर कोड
- रिस्क मैनेजमेंट
- सिस्टनेबिलिटी, इनक्लूसीव ग्रोथ एंड सीएसआर
- सूचना एक्ट का अधिकार
- एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम
- सतर्कता जागरूकता
- सव्यासा, बैंगलोर के सहयोग से सेल्फ मैनेजमेंट एक्सेसिव टेंशन पर अल्पकालिक कार्यक्रम
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ
- सेवा क्षेत्र अधिकार
- जमशेदपुर में आउटडोर लीडरशिप पाठ्यक्रम
- भूमि अधिग्रहण, आरएंडआर तथा सीएसआर

स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण

गैर अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा सी एम पी डी आई से सम्बन्धित अधिकारियों का प्रशिक्षण स्टॉफ ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 के दौरान स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में कुल 583 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रशिक्षण, कार्यशाला इत्यादि में भाग लिया है।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त कम्पनी की आवश्यकता के अनुसार एस टी सी, सी एम पी डी आई में अधिकारियों के लिए जैसे कि विभिन्न संकायों (खनन, उत्खनन, भू–भौतिकी, गवेषण) के लिए तकनीकी जागरूकता कार्यक्रम (डीएपी) तथा अधिकारियों के लिए ''माइनेक्स साफ्टवेयर'' पर विशेष तकनीकी कार्यक्रम कंपनी की आवश्यकता एसटीसी, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण/कार्यशाला के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित थे

- आंतरिक अंकेक्षण स्किल तथा एसटीडी आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 27001 का अंडरस्टैंडिंग
- हैंड हैल्ड जीपीएस पर प्रशिक्षण
- संगठनात्मक कलचर बिल्डिंग इनिसियेटिव
- इलेक्ट्रानिक टोटल स्टेशन तथा इसके साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण
- विजुअल फोर्टरेन प्रोग्रामिंग लैगवेज पर प्रशिक्षण
- एमटी (सीपी)/एएम (सीपी) के लिए तकनीकी ज्ञान कार्यक्रम का फंग्शनल तथा अपग्रेडेशन
- हिन्दी कार्यशाला
- विभिन्न ग्लोबल प्रोग्रामिंग प्रणाली पर प्रशिक्षण
- सीएमपीडीआई के आईएसओ तथा पत्र लेखन प्रणाली की जागरूकता
- सीआईएल/एमसीएल पोर्टल में टेंडरिंग के लिए बीओक्यू तथा टीपीएस पर आधारित एक्सल की तैयारी/कटमाइजेशन
- एससी/एसटी/ओबीसी रोस्टर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- एचआईवी/एड्स (मास्टर ट्रेनर)
- टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर (टीएलएस) पर कार्यक्रम
- आईएसओ 27001 (आईएसएमएस) तथा आईएसओ 9001 (क्यूएमएस) की जागरूकता
- हिन्दी साफ्टवेयर प्रशिक्षण
- सालिड एवं हेजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रशिक्षण
- ड्रिलिंग तथा ड्रिलिंग उपकरणों/सहायक सामग्रियों के इस्तेमाल का सिस्टिमेटिक अप्लिकेशन
- ई–ट्रेडिंग के लिए बीओक्यू और टीपीएस के कस्टमाइजेशन पर प्रशिक्षण
- एमएम/एमटी (ईएंडएम) के लिए तकनीकी ज्ञान का उन्नयन (अपग्रेडेशन)
- कोल इंडिया की ई–प्रोक्यिूरमेंट पोर्टल पर प्रशिक्षण
- माइनेक्स साफ्टवेयर
- ई–प्रोक्यिूरमेंट में बिड ओपनिंग प्रोसेस पर प्रशिक्षण
- सीडीए रूल्स
- वित्त से गैर–वित्त तक
- एसटीडी आईएसओ 9001 तथा आईएसओ 27001 का आंतरिक अंकेक्षण स्कील तथा अंडरस्टैडिंग
- ओटो कैट पर प्रशिक्षण

- गैर–खनन अधिकारियों के लिए माईनिंग
- कोल इंडिया के प्रबंधन प्रशिक्षु (एमटी) के लिए तकनीकी जागरूकता कार्यक्रम
- इकोलॉजी तथा बायो डायवर्सीटी में एमटी के साथ इन्टरैक्शन

विभिन्न संस्थानों के छात्रों के लिए सी एम पी डी आई में प्रशिक्षण

निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में विभिन्न संस्थानों के छात्रों को सी एम पी डी आई के विभिन्न विभागों में एच आर डी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 175 छात्रों ने सी एम पी डी आई में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन प्रशिक्षण परियोजना कार्यों के तहत कार्य करने वाले छात्रों को 7 दिनों से लेकर 2 माह की अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण / परियोजना की समाप्ति के बाद प्रशिक्षण / परियोजना के सफलतापूर्वक समापन का प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

वैसे संस्थान जो प्रशिक्षण के लिए अप्रोच किए हैं, वे निम्नलिखित हैं :

1. इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूढ़की
2. आई आई टी, बीएचयू, वाराणसी
3. इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद
4. बी आई टी, मेसरा
5. एनआईटी, जमशेदपुर
6. पेट्रोलियम ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून
7. वीआईटी, वैल्लोर
8. एमआईटी, मणिपाल
9. सत्यभामा यूनिवर्सिटी, चैन्नई
10. रिशिराज इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
11. एसआरएम युनिवर्सिटी, चेन्नई
12. पीडीएलई, नागपुर
13. एक्सिस, राँची
14. किट, बीएसएसआर
15. सेंट जेवियर्स कॉलेज, राँची
16. एलाइन्स यूनिवर्सिटी, बंगलोर

12. कोल इंडिया से बाहर परामर्शी कार्य :

विवेच्य अवधि अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक कोल इंडिया से बाहर संगठनों के 29 कार्यों के लिए परामर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। कुछ मुख्य ग्राहक / संगठन, जिसके लिए सेवाएँ उपलब्ध कराई गई वे नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, एमओआईएल, एनटीपीसी, सेल–आईएसपी, नाल्को, दामोदर वैली कारपोरेशन, सीएमडीसी, महान कोयला लिमिटेड, कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड आदि हैं।

वर्तमान में, एमओआईएल, एनटीपीसी, ओएमसी, ओपीजीसी, मेसर्स बैतरनी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड, दामोदर वेली कॉरपोरेशन लिमिटेड, कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इत्यादि जैसे 18 संगठनों के 28 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में है। वर्तमान में सेल, एमओआईएल, टाटा स्टील, आईडीसीओ, एनटीपीसी, ओएमसी, ओपीजीसी, मेसर्स बैतरनी वेस्ट कोयला कंपनी लिमिटेड, नेयवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी आदि जैसे 16 संगठनों के 26 बाह्य परामर्शी कार्य हाथ में है।

वर्ष 2014–15 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 19 संगठनों से 11.63 करोड़ रूपये मूल्य के 2 7 बाह्य–परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए।

13 श्रमशक्ति और कल्याण संबंधी क्रिया–कलाप

13.1 श्रमशक्ति की स्थिति

विवरण		31.3.2014 के अनुसार	31.3.2015 के अनुसार
अधिकारी		970	934
कर्मचारी	मसिक वेतन भोगी	1253	1280
	दैनिक वेतन भोगी	912	1415
सकल योग		3135	3629

13.2 कल्याण संबंधी गतिविधियाँ

1. सीएमपीडीआई के पास इसके मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में शत–प्रतिशत संतुलित सहित 2518 क्वार्टर हैं।
2. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया गया है।
3. सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को अपने डिस्पेंसरी तथा कोल इंडिया की सहायक कंपनियों के अस्पताल द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करायी जाती है। आवश्यकतानुसार

रोगियों को सुविख्यात संस्थानों में भेजा जाता है।

4. सीएमपीडीआई, डीएवी स्कूल, गाँधी नगर राँची को 1.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता/ अनुदान उपलब्ध कराता है।
5. कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भाड़े के छोटे वाहनों सहित 31 स्कूल बस हैं।
6. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के वैसे बच्चों को जिन्होंने 2014 में आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किया है, को 52000 रू. (बावन हजार रू.) की नकद राशि पुरस्कार दी गई।
7. कर्मचारियों को सेवा–निवृत्ति के अवसर पर उन्हें ग्रेच्यूटी चेक दिया जा रहा है।
8. सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारी बैंक के माध्यम से वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
9. गेट–टूगेदर आयोजित करने के लिए कस्तुरी महिला सभा को 25000/–रू. (पचीस हजार रूपये) का अनुदान दिया गया।
10. 1 दिसम्बर, 2014 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया।
11. अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए 12,000/–रू. (बारह हजार रू.) का अनुदान दिया गया।
12. नये वर्ष का समारोह मनाने के लिए रिक्रियेशन क्लब को 30,000/–रू. (तीस हजार रू.) का अनुदान दिया गया।
13. ''होली मिलन'' मनाने के लिए गोंदवाना क्लब और रिक्रियेशन क्लब को 20,000/–(बीस हजार) रूपये का अनुदान दिया गया है।
14. नेताजी की जयंती मनाने के लिए नेताजी जयंती समिति हजारीबाग को 5000/–(पाँच हजार रू.) का अनुदान दिया गया।
15. कंपनी के गाइड लाइन के अनुसार कर्मचारियों के 15 बच्चों को 40,200/–(चालीस हजार रू.) का कोल इंडिया मेरिट स्कालरशिप दिया गया तथा कर्मचारियों के 119 बच्चों को 1,28,760/–(एक लाख अठाईस हजार सात सौ साठ रू.) का कोल इंडिया जेनरल स्कालरशिप दिया गया।
16. वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार एनआईटी/ आईआईटी में अध्ययन कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को 6,68,360/–रू. (छह लाख अड़सठ हजार तीन सौ साठ रू.) दिया गया।

13.3 खेल–कूद से संबंधित क्रिया–कलाप

1. सुश्री विक्टोरिया कुजूर, वरीय स्पोर्ट्स सहायक, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची ने 20.11.2014 से 23.11.2014 तक श्रीफोर्ट स्पोर्टस कम्पलेक्स तथा जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित चौथे कॉरपोरेटस गेम्स कोल इंडिया का प्रतिनिधित्व किया।
2. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, रांची ने लगभग 20 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद इन्टर रिजनल इन्स्टीच्यूट कलचरल मीट का आयोजन किया।
3. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में बैडमिन्टन, टीटी, कैरम, चेस, अथेलेटिक्स मीट, फुटबॉल, वालीबॉल तथा ब्रिज के लिए इन्टर रिजनल इन्स्टीच्यूट टूर्नामेंट का आयोजन किया।
4. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची ने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–XI तथा निदेशक–XI के बीच 26 जनवरी, 2015 को फ्रेंडली केनवास बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया।

13.4 राजभाषा :

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/ निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका ''देशकाल संपदा'' का प्रकाशन भी लगातार जारी है, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

कंपनी के कामगारों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा इसे प्रोन्नत (प्रमोट) करने केलिए कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार सितम्बर माह 2014 से ''राजभाषा माह'' का आयोजन किया

गया। इस अवसर पर कई हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया तथा प्रतिभागियों जिन्होंने इस प्रतियोगिता 1 से 5 तक स्थान प्राप्त किया, उन्हें क्रमशः 1500/–, 1300/–, 1200/–, 1100/– तथा 1000/–रू. के साथ उपर्युक्त राशि के बराबर उच्च स्तरीय साहित्यिक पुस्तकें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशकगणों द्वारा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में दी गई।

इसके अतिरिक्त मुख्यालय, राँची के दो विभागों तथा इसके क्षेत्रीय संस्थानों में से दो क्षेत्रीय संस्थानों, जिन्होंने हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है, को क्रमशः विजेता एवं उप विजेता का राजभाषा अध्यक्षीय शील्ड प्रदान किया गया।

रोजमर्रा के कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिन्दी को सुलभ एवं सरल बनाने के लिए स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज (मानव संसाधन विकास प्रभाग) के तत्वावधान में वित्तीय वर्ष के दौरान चार हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। सभी हिन्दी कार्यशाला डेली रूटिन वर्क में राजभाषा हिन्दी के इस्तेमाल के क्षेत्र में कामगारों की हिचकिचाहट के दूर करने में काफी प्रभावशाली एवं सफल रही।

गृह– मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा निदेशों के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय संस्थानों में राजभाषा हिन्दी की तिमाही की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 (चार) तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय संस्थानों के रोजमर्रा के कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के इस्तेमाल को विकसित करने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों की समन्वयन समिति की बैठकों में हिंदी की प्रगति को शामिल किया जाता है तथा नियमित रूप से इसका पुनरीक्षण किया जाता है। आपकी कंपनी सीसीएल द्वारा आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में नियमित रूप से भाग लेती रही है।

13.5 महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत डिसक्लोजर एवं सूचना

(निवारण, निषेध, रेडरेसल) अधिनियम–2013 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के तहत डिसक्लोजर एवं सूचना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान सीएमपीडीआई के कार्य स्थलों पर महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी मामले की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

क) विवेच्य वर्ष के दौरान सेक्सुअल हरासमेंट के शिकायतों की संख्या – शून्य

ख) विवेच्य वर्ष के दौरान निपटाये गए शिकायतों की संख्या – शून्य

ग) 90 दिनों से अधिक पेंडिंग केसेज की संख्या– शून्य

घ) विवेच्य वर्ष के दौरान संचालित सेक्सुअल हरासमेंट के विरूद्ध वकशॉप की जागरूकता कार्यक्रम की संख्या– शून्य

ड़) मामले से संबंधित डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की संख्या– शून्य

14.0 सीएमपीडीआई (2014–15) का सीएसआर तथा सस्टेनबिलिटी क्रिया–कलाप

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को बड़े पैमाने पर सस्टेनेबल विकास तथा अंतर्विष्ट विकास को प्रोन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जाता है। सस्टेनविलिटी मुद्दे का पता लगाने के लिए की गई पहल द्वारा विस्तृत स्तर पर स्टेक होल्डर्स एवं सोसाइटी द्वारा बड़े पैमाने पर कारपोरेट को समझा जाता है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसईएस) की महत्वपूर्ण भूमिका है। निगमित सामाजिक दायित्व दीर्घकालिक लाभ तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्ननेंस में सामाजिक पर्यावरणिक एकीकरण तथा नीतिपरक उत्तरदायित्व बढ़ाने में मदद करता है। सीएसआर तथा सामुदायिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने के लिए कॉरपोरेट हेतु यह अनिवार्य है, जिसमें वे संचालित होते हैं, बढ़ते है तथा बड़े पैमाने पर फलते–फूलते हैं।

क्षमता निर्माण, समुदाय का इमपावरमेंट, अंतर्विष्ट सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रीन एवं ऊर्जा की सुरक्षा, पर्याप्त प्रौद्योगिकी, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज अंडर प्रीभलेज्ड के अंतर्गत तथा सीमांत के उत्थान पर सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी का काफी दबाव है।

विकास एवं सुदृढ़ जीवन के लिए प्रभावित समुदाय की आवश्यकता का प्रबंध करने के लिए (जिसमें

देश के 7 राज्यों में फैले ड्रिलिंग कैम्पस शामिल हैं) ऑपरेशन के अंदर एवं चारो ओर सीएमपीडीआई की सीएसआर परियोजना चालू की गई है वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुमोदित बजट दो करोड़ रूपये के मुकाबले पूर्व वर्णित क्षेत्रों में परियोजना हेतु 1.57 करोड़ (अस्थाई) का प्रावधान किया गया।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में सीएमपीडीआई ने अपने सीएसआर तथा सस्टेनबिलिटी से संबंधित क्रिया–कलापों को प्रारंभ किया है।

(क) आधारभूत संरचनात्मक सपोर्ट

विभिन्न संस्थानों में सीएमपीडीआई द्वारा स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, सामुदायिक मंडल तथा पब्लिक टॉयलेट इत्यादि के रूप में कई आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाएँ प्रायोजित (स्पांसर) की गई है।

1. बिरसा हाई स्कूल, काँके रोड, हथियागोंदा, राँची झारखंड में दो क्लास रूम का निर्माण
2. आदिवासी विकास बाल विद्यालय, गददिपा, सारसा ब्लॉक, लापुंग में दो टॉयलेट कम्पलेक्स (छात्राओं तथा छात्रों प्रत्येक के लिए एक–एक) का निर्माण।
3. ओरला पंचायत (माण्डु ब्लॉक) झारखंड के दतमा ग्राम में सामुदायिक प्लेस में प्लेट फार्म एवं शेड का निर्माण

4. जिला परिषद् हायर प्राइमरी स्कूल, सोनेगॉव तहसील चिमुर जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में स्टेज के साथ हॉल का निर्माण
5. जिला परिषद् स्कूल, नन्दोरी तहसील वरोरा जिला चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में आरसीसी स्टेज तथा किचेन शेड का निर्माण

6. ब्राह्मणबिल ग्राम, छेन्दीपाड़ा, उड़ीसा में सामुदायिक भवन का निर्माण
7. कोसला ग्राम, उड़ीसा में (निर्माण के अंतर्गत–एक पार्ट पूरा किया गया) कल्याण मंडप का निर्माण

8. देवरीखुर्द, छत्तीसगढ़ में दो क्लास रूम एवं लेबोरेटरी रूम का निर्माण
9. शिवाजी हाई स्कूल राजुरा, महाराष्ट्र में दो टॉयलेट कम्प्लेक्स (छात्रों तथा छात्राओं के लिए एक–एक) का निर्माण

(ख) शिक्षा

अध्ययन सामग्रियों की आपूर्ति, बेंच, यूनिफार्म, वित्तीय सपोर्ट/सहायता जैसे शैक्षणिक सपोर्ट कई विद्यालयों को स्कालरशिप के रूप में सीएमपीडीआई द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

1. गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, राँची में वार्षिक दिवस, स्पोर्टस डे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए वित्तीय सहायता।
2. बिरसा हाई स्कूल, काँके रोड, राँची में वार्षिक दिवस, स्पोर्टस डे, स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए वित्तीय सहायता
3. आदिवासी बाल विकास विद्यालय, गधदीपा, सारसा, लापुंग, राँची, झारखंड के छात्रों के लिए डेस्क, बेंच (तीन सीटर) 100 सेट की आपूर्ति

4. राज्यक्रियकृत प्राथमिक विद्यालय, मायापुर, राँची के छात्रों के लिए तीन सीटर डेस्क एवं बेंच (30 सेट) तथा राज्यक्रियकृत प्राथमिक विद्यालय, लापरा, राँची के छात्रों के लिए डेस्क–बेंच (70 सेट) का वितरण

5. भाग्या पंचायत बालूमाथ, लातेहार, झारखंड के निम्नलिखित चार विद्यालयों में तीन सीटर डेस्क–बेंच के 160 सेट का वितरण

क) उत्क्रमित प्राइमरी स्कूल, जमुनियाटाढ़ – 40 सेट

ख) राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भगिया – 40 सेट

ग) राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सीरम – 40 सेट

घ) राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ओकईया – 40 सेट

6. राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, नुतनडीह, धनबाद के छात्रों के लिए तीन सीटर डेस्क तथा 25 सेट बेंच एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दामोदरपुर, धनबाद के छात्रों के लिए 50 सेट का वितरण
7. इथोरा शिरीष चन्द्र संस्थान, पो.–इथोरा, जिला–वर्द्धवान, पष्चिम बंगाल के छात्रों के लिए 5 सीटर डेस्क तथा 50 सेट बेंच का वितरण

8. आसनसोल विवेकानन्द मठ, कृष्णा टावर, विद्यासागर, सारणी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के लिए पुरानी सामग्रियों का वितरण

क) ड्राईंग की सामग्रियाँ, स्टैंड के साथ ड्राईंग बोर्ड (पुराना तथा इस्तेमाल किया हुआ)– 50

ख) पारंपरिक मैनुअल टाइपराईटर (पुराना एवं इस्तेमाल किया हुआ)– 1

ग) सीपीयू एक्सटर्नल फ्रेम्स (पुराना एवं इस्तेमाल किया हुआ)– 4

घ) मॉनिटर एक्सटर्नल फ्रेम्स (पुराना एवं इस्तेमाल किया हुआ)– 3

ड़) प्रिंटर एक्सटर्नल फ्रेम्स (पुराना एवं इस्तेमाल किया हुआ)– 1

च) की–बोर्ड एक्सटर्नल फ्रेम्स (पुराना एवं इस्तेमाल किया हुआ)– 2

छ) लकड़ी टेबुल (पुराना एवं इस्तेमाल किया हुआ)– 20

ज) कुर्सियाँ (पुराना एवं इस्तेमाल की हुई)– 50

झ) जीएल वाटर टैंक (पुराना एवं इस्तेमाल किया हुआ)–23

9. गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, काँके रोड, राँची के 262 छात्रों तथा बिरसा हाई स्कूल, काँके रोड, राँची के 200 छात्रों के लिए स्कूल यूनिफार्म (स्वेटर का वितरण)

10. आसनसोल, आनन्दम (स्पेषल चाईल्ड डवलपमेंट तथा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर) के छात्रों के हाईड्रोथेरेपी तथा साइकोथेरेपी कराने के उद्देश्य से विषेषकर विद्युत चार्जों की लागत की प्रतिपूर्ति

11. आसनसोल आनन्दम (स्पेशल चाईल्ड डवलपमेंट तथा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर) के 10 छात्रों जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पिछड़े तथा वहिर इत्यादि का स्पांसरशिप, वर्ष 2014–15 के लिए।

12. एक वर्ष के लिए गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, राँची के 20 गरीब एवं मेधावी छात्रों के स्कूल फी के रूप में 40,800/–रू. (चालीस हजार आठ सौ रू.) तथा बिरसा हाई स्कूल, राँची के 42 गरीब एवं मेधावी छात्रों के लिए फी के रूप में 83,700/–रू. का भुगतान

(ग) हेल्थ केयर

सीएमपीडीआई द्वारा हेल्थ केयर पहल के अंतर्गत में विभिन्न चेरिटेबुल हास्पीटलों को चिकित्सा उपकरण तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी गई है।

1. रामकृष्ण मिशन टियूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, टिपूदाना, राँची, झारखंड में सिंगल हास्पीटल बेड मेटेन करने के लिए 15,0000/–रू. (पन्द्रह लाख रू.) की वित्तीय सहायता

2. रामकृष्ण मिशन टियूबरक्लोसिस सेनेटोरियम, टिपूदाना, राँची, झारखंड को कम्प्यूटरीकृत रेडियोग्राफी(सीआर) सिस्टम के साथ हाई फ्रिक्वेंसी 100एमए एक्स–रे मशीन की प्रतिस्थापना के लिए 19.80 लाख रू. की वित्तीय सहायता

3. निम्नलिखित चिकित्सा उपकरणों के लिए के. सी.राय मेमोरियल चेरेटेबुल हास्पिटल को 16.90 लाख रू. की वित्तीय सहायता

क) मल्टीपारा मॉनिटर–3

ख) सीरिंज पम्प–1

ग) इनफ्यूजन पम्प–1

घ) ओटो रिफ्रेक्टो मीटर–1

ड़) अनेसथिसिया, वर्क स्टेशन–1

च) पेसेंट बेड/अटेंडेंट बेड–22

छ) बेड साइट लॉकर–10

ज) स्ट्रेचर/मशीन ट्राली–3

झ) आई.वी.स्टैंड राड–16

4. के.सी.राय मेमोरियल चेरिटेबुल हास्पिटल, राँची को 4 ओल्ड मॉडल अलमीरा दिया गया।

(घ) दक्षता (स्किल) विकास/महिला समर्थता (इमपावरमेंट)

सीएमपीडीआई में समाज में अत्यंत पिछड़ी तथा उपेक्षित महिलाओं की प्रोसिडिंग को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को दक्षता विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराकर महिलाओं की समर्थता (इमपावरमेंट) के लिए पहल की है।

1. सीएमपीडीआई की सीएसआर गतिविधिओं के अंतर्गत हथमा ग्राम की महिलाओं के लिए ऊषा इन्टनैशनल लिमिटेड द्वारा प्रषिक्षण मुहैया कराकर 6 सिलाई मषीन का वितरण

2. पतरागोंदा ग्राम, काँके रोड, राँची झारखंड के गरीब गांववासियों के लिए (175) ऊनी कंबल का वितरण

3. एक वर्ष की अवधि के लिए स्किल डबलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हेतु ब्रज किषोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, राँची के 10 नेत्रहीन लड़कियों के लिए स्पान्सरशिप

(ङ) पेय जल

1. कोसला ग्राम, उड़ीसा में पेयजल तथा बोरहोल का प्रतिष्ठापन

(च) स्पोर्ट्स

1. 1.ग्रामीण उत्थान संस्थान, राँची में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए 25,000/–(पचीस हजार रू.) की वित्तीय सहायता

(छ) स्वच्छ भारत अभियान

1. सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के चार विभिन्न विद्यालयों के लिए डस्टबीन का वितरण

- गवरमेंट हायर सेंकेंडरी छात्र चरकाभाटा
- गवरमेंट हायर सेंकेंडरी छात्रा चरकाभाटा
- गवरमेंट मिडिल स्कूल खामताराई
- गवरमेंट मिडिल स्कूल नागपुरा

2. आदिवासी बाल विकास विद्यालय, गधदीपा सरसा ब्लॉक लापुंग, राँची, झारखंड में 5 डस्टबीन का वितरण

(ज) सस्टनेबिलिटी

समेकित प्रयास तथा कार्यक्रम कंपनी गतिविधियों के स्टैंड डवलपमेंट तथा एक्सपेंशन में अपेक्षित परिणाम दे रहा है।

1. सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली द्वारा सिंगरौली सीएमपीडीआई कॉलोनी में रेनवाटर हारवेस्टिंग का निर्माण
2. सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर के कॉलोनी में पारंपरिक लाईट को बदलते हुए उसके स्थान पर एलईडी लाईट (60) द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन
3. प्रशिक्षण वारंटी अवधि (यानि स्थापना की तिथि के बाहर माह के बाद) के पूरा होने के बाद प्रशिक्षण बिल तथा संयंत्र स्थापना का भुगतान ।

(झ) सेमिनार एवं कानक्लेव

1. क्रॉसिंग झारखंड में भाग लेने के लिए 50000/–रू. का भुगतान : टेलीग्राफ, राँची द्वारा सीएसआर कॉनक्लेव 2015 का आयोजन किया गया।

(ञ) सीएसआर एवं सस्टेनेब्लिटी लेखा (2014–15) पर किया गया व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान सीएसआर सस्टेनेब्लिटी पर किया गया खर्च 2.0 करोड़ रू. बजट की तुलना में 1.81 करोड़ रू. (औपबंधिक) था। वर्ष 2013–14 में यह खर्च 2.01 करोड़ रू. था।

15.0 वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआईएल के समझौता संलेख (एमओयू) का कार्य निष्पादन

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सीएमपीडीआईएल भौतिक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन के लिए विभिन्न पारामीटर सुनिश्चित करने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करता है। 1– 5 के पैमाने पर उपलब्धियों की कोटि निर्धारित की जाती है। 1.0 से 1.5 तक ग्रेड रहने पर उत्कृष्ट तथा 4.51 से 5.0 तक रहने पर निकृष्ट माना जाता है। 2013–14 के लिए

सीएमपीडीआईएल का निर्धारण उत्कृष्ट (1.395) के रूप में किया गया है, जबकि वर्ष 2012–13 में यह 1.11 था।

16.0 वर्ष 2014–15 के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सीएमपीडीआईएल में महिला संघ (फोरम ऑफ विमेन) के क्रिया–कलाप

पर्यवलोकन

विप्स, सीएमपीडीआई (स्कोप के तत्वावधान में) एक दशक से अधिक से लगभग सुसुप्तावस्था में था। वर्ष 2009 में इसको पुनर्जीवित करने के बाद 2010 में इस फोरम में एक संगठन के रूप में सीएमपीडीआई को कारपोरेट सदस्य के रूप में निबंधित किया।

श्रीमती सुचिन्द्रा सिन्हा, वरीय प्रबंधक (ईएंडएम) के विप्स, सीएमपीडीआई के समन्वयक बनाने के बाद जून, 2012 से नई समिति कार्य करने लगी। सीएमपीडीआई प्रबंधन के सहयोग से इस फोरम ने कंपनी के संगठनात्मक लक्ष्य में योगदान देने में नई ऊँचाई प्राप्त की है।

वर्ष 2014–15 में विप्स, सीएमपीडीआई की प्रमुख्या उपलब्धियाँ

1. सभी कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छया अपनाए जाने वाले ड्रेस कोड पर खास ध्यान देते हुए महिला कर्मियों के लिए आचार–व्यवहार के सामान्य नियम पर विचार–विमर्श किया गया। सदस्यों के लिए अपेक्षित कुछ मूलभूत साधनों जैसे साफ एवं स्वच्छ शौचालय, शौचालय के दरवाजे पर जरूरी लेबेल लगाना, मौलिक सुविधाओं का अभाव, कॉमन रूम तथा क्रेच के अभाव चर्चा की गई। इस प्रस्ताव से सीएमपीडीआई प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है तथा इसे आंशिक रूप से कार्यान्वित भी किया गया है।
2. नई समिति ने 86 महिला कर्मचारियों (22 अधिकारी तथा 64 कर्मचारी) के साथ कार्यभार सम्हाला जो कुल महिला श्रमशक्ति का 5.5 प्रतिशत था। नए सदस्यता अभियान में 122 नए सदस्यों (55 अधिकारी तथा 155 कर्मचारी) को शामिल किया गया। इससे इसकी सदस्यता बढ़कर 208 हो गई। कफी लंबे अंतराल के बाद नये महिला कर्मियों की नियुक्ति के बावजूद यह संख्या कुल श्रमशक्ति का 5.5 प्रतिशत ही है। कोलकाता में आयोजित 2014 की विप्स की राष्ट्रीय बैठक में विप्स ईस्टर्नरीजन को सर्वाधिक सदस्यता पुरस्कार (हाइएस्ट मेम्बर शिप एवार्ड) से नवाजा गया। इस बैठक में सीएमपीडीआईएल के सर्वाधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. इस फोरम में सीएसआर अनुमोदित परियोजना ''परियोजना स्वाबलंबी'' के तहत निम्नलिखित कार्य शुरू किया है। हातमा बस्ती, काँके रोड, राँची में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए रोजगार सृजन, वयस्क साक्षरता एवं शिशु विकास (सीएमपीडीआईएल विप्स सेल द्वारा सुविधा देने तथा किया जाने वाला)

- एक से दो घंटे तक शनिवार एवं रविवार को सीएमपीडीआई परिसर स्थित गोंदवाना प्राइमरी स्कूल की सुविधा का उपयोग कर सीएमपीडीआई के कर्मचारियों द्वारा हातमा बस्ती के 40 सुविधाहीन बच्चों (जो विद्यालय में पढ़ते रहे हैं, परंतु प्राईवेट ट्यूशन फी देने में समर्थ नहीं हैं) के लिए रेमिडियल क्लासेस आयोजित करना। इस स्वैच्छिक सेवा के लिए विप्स ने कंपनी के 20 कर्मचारियों को प्रेरित किया है। यह प्रयास जनवरी, 2014 में शुरू किया गया तथा विप्स के इस प्रयास से आज की तिथि (1 वर्ष से अधिक) तक यह कार्य अनवरत जारी है। पूरे वर्ष के दौरान निजी योगदान से स्वच्छता संबंधी आदतों में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया जाता है तथापाठ्य सामग्री, खाद्य पदार्थ एवं दैनिक उपयोग के सामग्री भी वितरित किए जाते हैं,
- सीएमपीडीआई के कर्मचारियों द्वारा ''हातमा महिला संघर्ष संस्था'' के निरक्षर महिलाओं के लिए वयस्क साक्षता क्लास का आयोजन तथा साथ–ही–साथ निजी योगदान से मूलभूत अध्ययन सामग्री ।
- सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री ए.के.देबनाथ, श्रीमती निलंजना देबनाथ, सभी निदेशकगण, सीएसआर के नोडल अधिकारी/क्षेत्रीय निदेशक तथा विभागाध्यक्षों ने 8.8.2014 को हातमा महिला संघर्ष संस्थान को 3 स्वचालित सिलाई मशीनें दीं।
- फोरम ने अक्टूबर, 2014 से मार्च, 2014 तक कौशल विकास तथा रोजगार सृजन के लिए तीन माह तक सप्ताह में पाँच दिन सीएमपीडीआई कार्यालय परिसर में चार महिलाओं को स्टीचिंग तथा सिलाई के प्रमाणिक तथा अधिकृत प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की, आयोजित करवाया, मानिटरिंग की तथा सफलतापूर्व इसे पूरा किया गया।

- नवम्बर, 2014 में सीएमपीडीआई में आयोजित कोल इंडिया स्थापना दिवस के अवसर पर विप्स के स्टॉल पर परिष्कृत उत्पादों को प्रदर्शित किया गया जहाँ 10000/– मूल्य का आदेश प्राप्त हुआ तथा सामान बाद में भेजा गया। यह काफी उत्वाहवर्द्धक रहा। श्रीमती निलंजना देबनाथ प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हुई, यह विप्स के प्रयास के लिए प्रेरणास्रोत बना।
- कस्तुरी महिला सभा, सीएमपीडीआई ने अपने सदस्यों को वार्षिक गिफ्ट देने के लिए बारह हजार रूपये का कार्यादेश दिया जिसे हातमा बस्ती की महिलाओं ने सफलतापूर्वक पूरा कर सौंप दिया।

4. फोरम ने श्रीमती निलंजना देबनाथ के साथ 20.10. 2014 को ''महिला सशक्तिकरण दिवस'' मनाया। उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रशंसा कर उन्हें प्रेरित किया।
5. फोरम के सदस्यों ने वार्षिक शुल्क के भुगतान तथा समय–समय पर पड़ने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए गोंदवाना स्कूल (सीएमपीडीआई प्रबंधन द्वारा संरक्षित) में छात्रों के स्वैच्छिक रूप से गोद लिया है।
6. हिन्दी दिवस, सतर्कता जागरूकता, खेल–कूद

- सितम्बर, 2014 में हिन्दी माह का आयोजन किया गया तथा निबंधन, लेखन, नारा (स्लोगन) लेखन तथा कविता में विप्स के विजयी सदस्यों को पुरस्कृत किया गया।
- अक्टूबर, 2014 के अंतिम सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। नारा लेखन तथा आशु भाषण प्रतियोगिता ने विप्स की सदस्यों ने पुरस्कार प्राप्त किया।
- सितम्बर, 2014 में आयोजित अंतर–टेनिस तथा बैडमिंटन टूर्नामेंट में विप्स के सदस्यों ने पुरस्कार प्राप्त किया

7. 5.11.2014 को ''कोल इंडिया स्थापना दिवस'' समारोह

क) समन्वयक, विप्स ने फोरम के क्रिया–कलापों की रूप–रेखा तैयार की तथा सभी कर्मचारियों एवं सीएमपीडीआई प्रबंधन से प्राप्त सहयोग के लिए उन्हें बधाई दी।

ख) फोरम द्वारा आयोजित एवं मॉनिटर्ड एक माह 15 दिन के सफल प्रशिक्षण के बाद प्रोज स्वाबलंबी द्वारा तैयार उत्पादों के प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए काउन्टर का निरीक्षण किया गया तथा उनके नमूनों को दस हजार रूपये का कार्यादेश प्राप्त हुआ।

ग) फोरम के सदस्यों ने सोलर माईक्रोग्रिड की स्थापना, पेपर रिसाईकिलिंग प्लांट तथा पर्यावरणिक मान्यता के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया।

8. उपर्युक्त समारोह के दौरान 5.11.2014 को विप्स, सीएमपीडीआई न्यूज लेटर ''आरोहन'' का द्वितीय अंक जारी किया गया।
9. सीएमपीडीआई शाखा के विप्स सदस्यों द्वारा सीएमपीडीआई के बाहर आयोजित निम्नलिखित सेमिनार तथा सभाओं में भाग लिया गया :

- 11 एवं 12 फरवरी, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित विप्स नेशनल मीट में 5 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 4 एवं 5 जुलाई, 2014 को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोलकाता में ''वार्षिक सेमिनार'' तथा ''समन्वयक मीट'' का आयोजन किया गया।
- तीन अवसरों पर पूर्व भारत के सभी पीएसयू के लिए कोलकाता में विप्स की ''क्षेत्रीय कार्यकारी निकाय'' की बैठक में समन्वयक, विप्स सीएमपीडीआई ने भाग लिया

10. नाल्को, भुवनेश्वर में विप्स सेल, सीएमपीडीआई को ''बेस्ट इन्टरप्राईज एवार्ड'' दिया गया।

- सुचन्द्रा सिन्हा तथा डा. शिल्पी स्वरूप के नेतृत्व में सीएमपीडीआई (मु.), राँची , क्षेत्रीय संस्थान–3, राँची, क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली, तथा क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 5.12.2014 को नाल्को, भुवनेश्वर में आयोजित सभी पूर्व क्षेत्र के पीएसयू के विप्स क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।
- सम्मेलन (मीट) का उद्‌घाटन नाल्को के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री अंशुमन दास, निदेशक (व्यावसायिक), नाल्को श्रीमती सोमा मंडल, विप्स ईआर के अध्यक्ष एमएसटीसी के श्रीमती अमिता शाहा, विप्स ईआर के सचिव श्रीमती संचिता बनर्जी, मुख्य अभियंता, ऑयल इंडिया, दुलियाजन एवं पूर्वी पीएसयू के सभी समन्वयकों ने भाग लिया।
- 'स्वच्छ भारत'' मीशन प्राप्त करने में महिलाओं का योगदान '' विषय पर आयोजित सत्र तथा पैनल के विचार–विमर्श काफी शिक्षाप्रद था।
- सीएमपीडीआई ने नाल्को के सीएमडी से मिनीरत्न कैटगरी में ''बेस्ट इंटरप्राइज एवार्ड'' प्राप्त किया। यह समय कंपनी के लिए गौरवान्वित करने वाला था, क्योंकि सीएमपीडीआई ने लगातार

दो वर्षों से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। यह पुरस्कार 10.12.2014 को सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री ए.के.देबनाथ को सौंप दिया गया।

11. वर्ष 2014–15 में सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थानों में विप्स के क्रिया–कलाप

सभी सातों क्षेत्रीय संस्थानों के विप्स के प्रतिनिधि काफी सक्रिय रहे हैं तथा सभी संबंधित हमारे क्षेत्रीय निदेषकों के साथ–साथ सीएमपीडीआई मुख्यालय में सीएमपीडीआई प्रबंधन के सहयोग से एक ही छत के नीचे विप्स फोरम, सीएमपीडीआई को स्थापित करने में उनके सहयोग से हमें सहायता मिली है। फोरम में सभी महिला कर्मचारी को लाने हेतु सदस्यता अभियान में विप्स के ऊर्जावान प्रतिनिधियों ने काफी अच्छी भूमिका निभाई जिससे कि संस्थागत उद्देष्य को पूरा करने में उनके संभावित लाभप्रद उपयोग की क्षमता का उपयोग किया जा सके। विप्स के प्रतिनिधियों ने मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय संस्थानों के बीच विप्स नेटवर्क को मजबूत कर आपसी बातचीत, मुद्दों का आपस में आदान–प्रदान तथा संचार के लिए गेटवे खोलने में वृद्धि कर सहायता पहुँचायी है।

वर्ष 2014–15 में फोरम ऑफ विमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स), सीएमपीडीआई के क्रिया–कलाप का फोटो

'स्वाबलंबी योजना'' एवं विप्स के रोल : स्किल डबलपमेंट एवं इम्पलाईमेंट जेनरेशन के तहत हातमा बस्ती की महिलाओं को सर्टिफाइड ट्रेनिंग के लिए सिलाई मशीन दी गई

''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' में प्राप्त पुरस्कार, हिन्दी दिवस एवं खेल–कूद

''कोल इंडिया स्थापना दिवस'' के अवसर पर स्वालंबी योजना एवं विप्स द्वारा जारी की गई सीएमपीडीआई न्यूज लेटर

''कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह'' के दौरान विप्स के सदस्यों को इक्सलेंस अवार्ड दिया गया

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक नाल्को, भुवनेश्वर द्वारा क्षेत्रीय मीट में विप्स सीएमपीडीआई को स्कोप ''बेस्ट इन्टरप्राईज एवार्ड'' प्रदान किया गया।

17.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व उक्ति

17-1 वार्षिक लेखा को तैयार करने के लिए सामग्रियों के विचलन से संबंधित उपयुक्त व्याख्या सहित उपयोग्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

17-2 निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया जिससे निर्णय और आक्लन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत में और इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ–हानि के विषय में कंपनी मामलों की स्थिति पर सत्य एवं स्पष्ट विचार दे सके।

17-3 निदेशकों ने लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनियों की परिसम्पतियों की सुरक्षा, जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।

17-4 निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंगकर्न्सन) पर वार्षिक लेखा तैयार किया।

17-5 निदेशकों ने सम्पुष्टि की है कि उन्होंने सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की है। इस प्रकार की प्रणाली पर्याप्त था तथा प्रभावी तरीके से काम कर रहा था।

अंकेक्षण :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स के.सी.टॉक एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंड, राँची को वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा (44 एबी) के तहत आयकर अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया। वर्ष 2014–15 के लिए झारखंड वैट अंकेक्षक तथा एमओयू अंकेक्षक के लिए भी उन्हें नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति :

आपके निदेशकगण, भारत सरकार कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों, जिसके सम्पर्क में आपकी कंपनी ने काम किया है तथा कम्पनी के कार्यों को पूरा करने में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है, उसके प्रति आभारी हैं। हम अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के तहत अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत अपेक्षित सूचनाएँ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, तथा प्रबंधन के जवाब,कार्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर अंकेक्षक की रिपोर्ट, सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणन तथा 2014–15 के एमओयू पर रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

वास्तेनिदेशक मंडल की ओर से एवं

ह/–
ए.के.देबनाथ
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

राँची
तिथि : 22.06.2015

परिशिष्ट–I

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं खर्च के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ पठित नियम 8 में शामिल किए जाने वाले मामले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित की सूचना।

ए. ऊर्जा संरक्षण

सीएमपीडीआई ने बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों से वर्ष 2014–15 में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन शुरू किया तथा कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में स्थित विभिन्न खुली खदान खानों तथा भूमिगत खानों में विशिष्ट वैद्युतीय ऊर्जा खपत के बेंचमार्किंग तथा इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण के साथ–साथ विशिष्ट डीजल खपत की बेंचमार्किंग एवं डिजल अंकेक्षण करवाया है।

1. लगाए गए एचईएमएम के लिए लीकेज की पहचान तथा उसे कम (न्यूनतम) करने के लिए प्रीवेंटिव (निवारक) रख–रखाव उपाय।
2. हाऊल रोड की स्थिति पर विचार करते हुए एचईएमएम की गति का ऑप्टीमाइजेशन (अनुकूलतम)
3. एचईएमएम के अनावश्यक चालन पर रोक तथा आदर्श समय को न्यूनतम करने के लिए समय अध्ययन
4. इलेक्ट्रिकल व्हील माउन्टेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर प्रति बीएचपी घंटे तथा व्हील माउन्टेड के लिए 0.06 लीटर प्रति/वीएचपी घंटे, ट्रैक माउन्टेड के लिए 0.1 लीटर/बीएचपी घंटे, को सीएमपीडीआई आयोजन एवं अभिकल्पन के नार्म्स (मानदंड) के साथ तुलना।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में **'इलेक्ट्रीकल एनर्जी आडिट एवं बेंचमार्किंग'** अध्ययन किया गया। भूमिगत और खुली खदान खानों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रीकल मेजरमेंट एवं विगत 3 वर्षों के हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर ट्रेंड एनालिसिस (प्रवृति विश्लेषण) किया गया। निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधि अपनाई गई है :

- डिमांड साइड मैनेजमेंट
- संचरण एवं वितरण हानि में कमी
- पावर फैक्टर में सुधार
- इफिशिएंट इल्यूमिनेशन सिस्टम
- ट्रांसफार्मर की पहचान कर ट्रांसफामेंशन हानि में कमी लाना
- ऊर्जा की मॉनीटरिंग के लिए एनर्जी मीटर की स्थापना
- पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण उपाय
- एचईएमएम के लिए ऊर्जा संरक्षण उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों के द्वारा ऊर्जा अंकेक्षण तथा ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययन किए गए। कृपया नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दिया जाए :

वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा उठाए गए ऊर्जा संरक्षण की पहल

क्र0 सं0	कार्य विवरण	प्रस्तावित निवेश (लाख में)	प्रस्तावित बचत संभावना
	2014–15 सीएमपीडीआई, मु. द्वारा किया गया ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग अध्ययन		
ए	**ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग**		
1.	सीसीएल द्वारा चिन्हित 14 खु.खा.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	1778 किलो लीटर प्रति वर्ष
2.	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 3 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	2284 किलो लीटर प्रति वर्ष
3.	एनसीएल द्वारा चिन्हित 8 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	4493 किलो लीटर प्रति वर्ष
4.	एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	2203 किलो लीटर प्रति वर्ष
5.	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 14 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	1774 किलो लीटर प्रति वर्ष
6.	ईसीएल द्वारा चिन्हित 9 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	1640 किलो लीटर प्रति वर्ष
7.	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 17 खु.ख.प. का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	3605किलो लीटर प्रति वर्ष
8.	उमरेर ओसीपी का डीजल ऑडिट एवं बेंचमार्किंग	–	89.5 किलो लीटर प्रति वर्ष
9.	स्वांग ओसीपी का डीजल ऑडिट एवं बेंचमार्किंग	–	269 किलो लीटर प्रति वर्ष
10.	अमलो ओसीपी का डीजल ऑडिट एवं बेंचमार्किंग	–	141.4 किलो लीटर प्रति वर्ष
11.	एसडीक्यू–3 ओसीपी का विस्तृत डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	–	142 किलो लीटर प्रति वर्ष
बी	**इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग**		
1.	गोविन्दपुर क्षेत्र के आकाशकिनारी कोलियरी का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	26.99	26.69 लाख प्रति वर्ष
2.	रजरप्पा ओसीपी का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	62.42	51.68 लाख प्रति वर्ष
3.	अमलोहरी ओसीपी का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	43.17	102.51 लाख प्रति वर्ष
4.	खादिया ओसीपी का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	15.82	90.75 लाख प्रति वर्ष
5.	पिपरवार ओसीपी का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	27.74	201.92 लाख प्रति वर्ष
6.	अशोका ओसीपी का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	44.82	25.5 लाख प्रति वर्ष
7.	केडीएच ओसीपी का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	103.74	202.93 लाख प्रति वर्ष
8.	लिंगराज ओसीपी का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	10.56	57.67 लाख प्रति वर्ष

बी टेक्नोलॉजी एबजार्पसन

1. सीएमपीडीआई में लेड लाइट फिटिंग की स्थापना

क्र.सं	स्थान	स्थापित लेड फिटिंग्स
1.	सीएमपीडीआई, मुख्यालय	40 वाट–64 60 वाट–46 8 वाट–30
	उप योग	5.56 किलो वाट
2.	सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–1	इंडोर टाइप 40 वाट–18 इंडोर टाइप 15 वाट–30 लेड ट्यूब लाइट 20 वाट–6
	उप योग	1.29 किलो वाट

क्र.सं	स्थान	स्थापित लेड फिटिंग्स
3	सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–2	इंडोर टाइप 9–12 वाट लेड फिक्चर–59
	उप योग	0.59 किलो वाट
4.	सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–5	90 वाट, लेड स्ट्रीट लाइट–75
	उप योग	6.75 किलो वाट
5.	सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–6	25 वाट–90
	उप योग	2..25 किलो वाट
6.	सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–7	25 वाट के स्ट्रीट लाइट 35
	उप योग	0.875 किलो वाट
	कुल	17.315 किलो वाट

सीएमपीडीआई में लेड लाइट फिक्चर की कुल स्थापित क्षमता 17.315 किलो वाट है

2. सीएमपीडीआई परिसर में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं वाला 200 किलो वाट क्षमता का रूफ टॉप सोलर प्लांट

स्थापना की तिथि : 1 सितम्बर, 2014

सौर संयंत्र की क्षमता : 190.8 किलो वाट (पिक)

कुल लागत : 194 लाख रू.

आवश्यक क्षेत्र : 2400 वर्ग मीटर

25 वर्षों के लिए सोलर पैनल की गांरटी है ।

प्रति इकाई उत्पादन लागत : 8.30 रू. (12 वर्षों संयंत्र की जीवन अवधि मानते हुए)

6.38 रू. (16 वर्षों संयंत्र की जीवन अवधि मानते हुए)

प्राक्कलित वार्षिक उत्पादन : 1.95 लाख यूनिट

प्रति दिन औसत उत्पादन : 795 इकाई (मार्च माह में दर्ज)

वायु मंडल में उत्सर्जित कार्बन डायआक्साइड (सीओ 2) में बचत : 1.65 लाख किलो ग्राम प्रति वर्ष

1.10.2014 से 2.4.2015 तक कुल बचत : 113550 इकाई

औसत मासिक बचत : 102195.00 रू.

सी. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

क्र.सं	विवरण	2014–15
1.	निर्यात को बढ़ावा देने की पहल, उत्पाद और सेवाओं के नये निर्यात बाजार को विकास तथा निर्यात योजनाएँ, आयात से संबंधित क्रिया–कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है।
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी मुद्रा क. अर्जित कुल विदेशी मुद्रा (लाख रू. में) ख. उपयोग किए गए कुल विदेशी मुद्रा (लाख रू. में) (राजस्व 631 पूंजीगत सामान 604)	

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी एबजार्पसन

i " विद्युत आपूर्ति के बहुस्रोत के आप्टिमाजेशन तथा नियंत्रण के लिए एक माक्रोग्रिड प्रणाली का डिजाइन, विकास और प्रदर्शन" नामक एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना का कार्यान्वयन सीएमपीडीआई, राँची तथा गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट, गुजरात के द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 351.30 लाख रू. (सीएमपीडीआई, राँची– 33.80 लाख रू., जीईआरएमआई, गुजरात– 317.50 लाख रू.) है।

सीएमपीडीआई कार्यालय भवन के छत पर सोलर फोटो वोलटैक संयंत्र को चालू कर दिया गया है। संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता लगभग 191 किलो वाट है, जिससे कुल स्थापित क्षमता का 30 प्रतिशत वर्तमान में ऊर्जा मिल रही है। संयंत्र की स्थापना में दो तरह के टेक्नोलॉजी, स्ट्रिंग इनर्वटर तथा दूसरा माइक्रो इनभर्टर के साथ की गई है। इस परियोजना के तहत जब कभी यूटिलिटी ग्रिड (जेएसईबी) से आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है तो इंटरनल ग्रिड (सीएमपीडीआई) को फिड करने के लिए ग्रिड इन्टर एक्टिव इन्भरटर्स के जरिए सोलर पीवी सिस्टम और डीजी सेट के साथ कन्वेशनल ग्रिड (परम्परागत) (यूटिलिटी सप्लाई) को क्लब (मिलाया गया) किया गया है।

जेरनेटर को चालू करने के लिए डीजल की खपत में पर्याप्त कमी भी की जा सकती है। आगे और इस स्वच्छ सौर ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण में कार्बन डायक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आयेगी। संयंत्र की कुल जीवन अवधि लगभग 25 वर्षों की है और इसकी रख–रखाव बहुत कम करना पड़ता है। सौर ऊर्जा के 1 यूनिट के लिए उत्पादन लागत लगभग 6.0 रू. है जो जेन सेटों से उत्पादित ऊर्जा से कहीं अधिक सस्ती है। इस परियोजना की सफलता को कोल इंडिया की अन्य अनुषंगी कंपनियों में दुहराया जा सकता है।

ii " कोल टू लिक्विड (सीटीएल) कनवर्जन टेक्नोलॉजी के पायलट स्केल अध्ययन के जरिए स्वदेशी काटालिस्ट का विकास" नामक एक एसएंडटी परियोजना सीएमपीडीआई, राँची तथा सीआईएमएफआर, धनबाद के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 860.44 लाख रू. है। सीएमपीडीआई, राँची 116.90 लाख रू. तथा सीआईएमएफआर, धनबाद 743.54 लाख रू.)

परियोजना का उद्देश्य कोयला से तरल (सीटीएल) में बदलने के लिए स्वदेशी काटालिस्ट का विकास है। विकसित काटालिस्ट का परीक्षण करने के लिए सीआईएमएफआर, डिग्वाडीह परिसर, धनबाद में एक पायलट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना का आउट कम (परिणाम) कोयले से लिक्विड में बदलाव के दौरान काटालिस्ट की आपूर्ति के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं पर निर्भरता को कम करेगा।

प्रौद्योगिकी एवजार्पसन

कोयला सेक्टर में आरएंडडी मुख्यतः खान सुरक्षा तथा कोयला परिष्करण (विनिर्देशन)/उपयोग तथा खान पर्यावरण पर नियंत्रण जैसे सम्बद्ध क्रिया–कलाप सहित खनन परिचालन में दक्षता मापदंड (पारामीटर) में वृद्धि के लिए है। जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाएँ उद्योग पर सीधे प्रभाव डाली है, जबकि कुछ अन्य, ने चालू खानों तथा भावी खनन परियोजनाओं दोनों के लिए जरूरी खान आयोजन अभिकल्पन तथा तकनीकी सेवाओं को मजबूत बनाया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान इस दिशा में, दो अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है तथा एक का कार्य जारी है। परियोजनाओं का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

i- भूमिगत कोयला खानों में डिपलरिंग आपरेशन के लिए सेल्फ एडवासिंग (मोबाइल) गोफ ऐज स्पोर्टस (एसएजीईएस)

इस परियोजना के तहत सेल्फ एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ ऐज स्पोर्टस का विकास किया गया। डिपिलरिंग आपरेशन के दौरान रूफ की सुरक्षा के लिए गोफ ऐज में प्रॉप तथा उडेन चॉक निर्माण में लेबर इंटेंसिव एवं टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया को दूर किया जा सका। यह सेल्फ प्रोपेल्ड मोबाइल सपोर्ट आफ मिडियम डयूटि (2X200 टीई) को बंद किया गया तथा 1.85 से 3.2 मी. तक हाइट के रेंज में वृद्धि की गई और 71.4 टी/एम 2 को ऑफर सपोर्ट रिसिसटेंस किया गया।

स्वेदेशी विकसित गोफ ऐज सपोर्ट यूनिट की लागत 20.0 लाख रू. (लगभग) आई, जो समान विशेषता के साथ आयातित की अपेक्षा बहुत सस्ता है। बीसीसीएल के बस्ता कोलियरी में सपोर्ट का क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 197.75 लाख रू. है। (आईएसएम धनबाद– 62.10 लाख रू. तथा मेसर्स जे.बी.ई.पी.एल. हैदराबाद – 135.65 लाख रू.)

ii. खुली खदान खानों के लिए समेकित डम्पर कोलिजन एव्याडेंस सिस्टम का स्वदेशी विकास

खुली खदान खानों में डम्पर के कोलिजन के कारण उपकरण की क्षति से सुरक्षा करने तथा मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कोष के तहत डम्पर कोलिजन एव्याडेंस सिस्टम का स्वदेशी विकास किया गया है। यह सिस्टम सीसीएल के केडीएच खुली खदान में चालू है। इस तीन स्तरीय प्रणाली में 100 मी. के आसपास में उपस्थित डम्परों को दिशा–निर्देश देने तथा दूरी 10 मी. रेंज में आब्जेक्ट का पता लगाने के लिए तीनों तरफ से डम्परों पर प्रोक्सिमिटि सेंसर माउंटेड शामिल है।

यह पहली बार है कि भारत में ऐसी विशेषताओं के साथ समेकित लागत प्रभावी डम्पर सुरक्षा प्रणाली का विकास किया गया है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध नहीं है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 354.51 लाख रू. है। (सीएमपीडीआई, राँची– 60.00 लाख रू. तथा बीईएल, पंचकुला 294.51 लाख रू.)

iii. भूमिगत कोयला खानों के लिए टेली रोबिटिक्स तथा रिमोट ऑपरेशन टेक्नालॉजी का विकास

इस परियोजना को सीएमपीडीआई, राँची सीएमईआरआई, दुर्गापुर तथा सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य भूमिगत खान के पर्यावरण तथा रूफ स्ट्राटा से संबंधित विभिन्न खान पारामीटर के लिए टेली रोबोट ऑन लाइन कंटीन्यूवस मानीटरिंग सिस्टम का विकास करना है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 440.12 लाख रू. है। (सीएमपीडीआई – 63.00 लाख रू., सीएमईआरआई, दुर्गापुर 251.57 लाख रू. तथा सीआईएमएफआर, धनबाद –125.55 लाख रू.

परिशिष्ट II

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,

निदेशक मंडल,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,

हम ए.के.देबनाथ, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं डी.के.राव, महाप्रबंधक (वित्त) जो कि वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेवार है, प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा नकद प्रवाह के विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

I इन विवरणों में न तो कोई भी महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल है, न ही कोई प्रमुख तथ्य छोड़ दिया गया है और न ही कोई गुमराह करने वाला विवरण शामिल किया गया है।

II एकत्रित रूप से ये विवरण कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन–देन कपटपूर्ण, गैर–कानूनी एवं कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में यदि कोई कमियाँ हैं तो उनके बारे में आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को बताया है एवं इनके बारे में उन्हें जानकारी है वे इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित हैं।

घ. हमने आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को निम्नलिखित जानकारी दी है :

i संदर्भ के अंतर्गत तिमाही में विभिन्न रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

ii वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

iii किसी बड़े धोखाघड़ी के किसी भी दृष्टांत के बारे में, जिसमें प्रबंधन की भूमिका हो अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, की कोई जानकारी हमें नहीं है।

ह./–	ह./–
(डी.के.राव)	(ए.के.देबनाथ)
महाप्रबंधक(वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट III

फार्म संख्या एमजीटी–9
31.3.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक रिटर्न का सारांश

(कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 92(3) तथा कंपनी के नियम 12(1) के संदर्भ में
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014)

1. रजिस्ट्रेशन एवं अन्य विवरण :

i सीआईएन : यू14292जेएच1975जीओआई001223
ii रजिस्ट्रेशन की तिथि : 1.11.1975
iii कंपनी का नाम : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
iv कंपनी की कैटेगरी/उप–कैटेगरी : मिनी रत्न
v पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण : गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची, झारखंड–834031
vi कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं हाँ/नहीं : नहीं
vii रजिस्टर तथा ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण–एन.ए

2. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक क्रिया–कलाप

कंपनी के कुल टर्न ओवर (उत्पादन) जो 10 प्रतिशत या उससे अधिक का व्यावसायिक क्रिया–कलापों को नीचे दर्शाया गया है :–

क्र.सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादन/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल टर्न ओवर का प्रतिशत
1.	माइन प्लानिंग एंड डिजाइन	लागू नहीं	30.42
2.	भूवैज्ञानिक एवं वेधन	लागू नहीं	65.59
3.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं क्षेत्र सेवाएँ	लागू नहीं	3.99

3. धारक (नियंत्रक), अनुषंगी तथा सम्ब) कंपनी का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/अनुषंगी/सम्बद्ध	धारित शेयर का प्रतिशत	लागू सेक्शन
1.	कोल इंडिया लि.	एल 23109डब्ल्यूबी1973जीओआई028844	नियंत्रक	100 प्रतिशत	92(1) (ए)

4. शेयर धारक के तरीके (पैटर्न) (कुल इक्विटी का प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक–अप)

i- कैटेगरीवाईज शेयर होल्डिंग

शेयर धारक की कैटगरी	वर्षारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्षांत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत में
	डीमेंट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	डीमेंट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
ए प्रमोटर्स									
1. भारतीय									
(ए)व्यक्तिगत/एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(बी) केंद्रीय सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(सी). राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(डी)निकाय कार्पोरेशन	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**
(ई) बैंक/एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(एफ) कोई अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
उप योग (ए) (1)	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**

2. विदेशी									
ए. एनआरआई व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
बी अन्य व्यक्तिगत	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
सी. निकाय कारपोरेशन	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
डी बैंक/एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
ई अन्य कोई....	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
उप योग (ए) (2)कुल	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
प्रोमोटर का कुल शेयरहोल्डिंग (ए) = (ए)(1)+(ए) (2)	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**	190400	190400	100%	**शून्य**
बी. पब्लिक शेयर होल्डिंग									
1.संस्थान									
ए. मियूचुअल फंड	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(बी) बैंक/एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(सी).केंद्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(डी) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(ई) वेंचरपूंजीगत निधि बिमा कंपनी	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(एफ) बिमा कंपनी	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(जी) एफआईआईएस	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(एच)विदेशी वेंचर पूंजीगत निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(आई) अन्य(उल्लेख करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
उप योग (बी) (1)	–	–	–	–	–	–	–	–	.–

2. गैर संस्थान									
(1) निकाय कार्पोरशन									
i भारतीय									
ii ओवर्सिज									
(2) इंडिविजुअल									
i.-एक लाख तक के नाममात्र के शेयर कैप्टिल धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
ii.-एक लाख से अधिक तक के नाममात्र के शेयर कैप्टिल धारक व्यक्तिगतशेयर होल्डिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
(3) अन्य (उल्लेख करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
उप योग(बी) (2) :–	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (बी) = (बी)(1)+(बी) (2)	–	–	–	–	–	–	–	–	.–
सी. जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए कस्टोडियम द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समग्र योग (ए+बी+सी)	शून्य	190400	190400	100%	शून्य	190400	190400	100%	शून्य

ii- प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल शेयर की :	कुल शेयर का शेयर प्लेज्ड / इनकम्बर्ड का :	शेयर की संख्या	कंपनी की कुल शेयर की :	कुल शेयर का शेयर प्लेज्ड / इनकम्बर्ड का :	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलाव का :
1	कोल इंडिया लि.	190400	100%	..	190400	100%		परिवर्तन नहीं
	कुल	190400	100%	..	190400	100%		परिवर्तन नहीं

iii- प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग (यदि कोई बदलाव नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) में परिवर्तन

क्र.सं	शेयर धारक का नाम	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का :	शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का :
	वर्ष के आरंभ में	190400	100%	190400	100%
	वर्ष के दौरान प्रोमोटर शेयर होल्डिंग तिथिवार वृद्धि / कमी वृद्धि / कमी (अर्थात आवंटन / हस्तातंरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) के लिए कारण का उल्लेख करें	परिवर्तन नहीं	परिवर्तन नहीं	परिवर्तन नहीं	परिवर्तन नहीं
	वर्ष के अंत में	190400	100%	190400	100%

iv- टॉप 10 शेयर होल्डरों (डायरेक्टर, प्रोमोटर तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के होल्डर के अलावे) के शेयर होल्डिंग का पैटर्न :

क्र.सं		वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	टॉप 10 शेयर होल्डरों के प्रत्येक के लिए	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का :	शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का :
	वर्ष के आरंभ में	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग तिथिवार वृद्धि/कमी वृद्धि/कमी (आवंटन/हस्तातंरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के लिए कारण का उल्लेख करें	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में (या सेपरेशन की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	–	–	–	–

v- निदेशकों तथा की–मैनेजरियल पर्सनेल का शेयर होल्डिंग :

क्र.संख्या		वर्ष की शुरूआत में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का :	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का :
	वर्ष के प्रारंभ में	1	0	1	0
	वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण भार 1. मुख्य राशि 2. बकाया ब्याज लेकिन देय नहीं 3. प्राप्त ब्याज किन्तु देय नहीं	.	.	.	.
	वर्ष के अंत में	1	0	1	0

5. ऋण भार (इनडेब्टनेस)

बाकाया/प्राप्त व्याज जो भुगतान के लिए देय नहीं है सहित कंपनी का ;ण भार

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण भार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण भार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i) प्रधान राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) देय व्याज किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii) प्राप्त व्याज किन्तु बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्त्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घटाकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल बदलाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण भार मुख्य राशि बकाया ब्याज लेकिन देय नहीं प्राप्त ब्याज किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

6. निदेशकों तथा की–मैनेजेरियल पर्सेनल का पारिश्रमिक

ए. प्रबंधक निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी / डब्ल्यूटीडी / प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		श्री अमल कुमार देबनाथ	श्री सेखर सरन	श्री वी.के. सिन्हा	श्री दिलीप कुमार घोष	श्री राजेश कुमार चोपड़ा	
1. i	सकल वेतन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन	1899732	1754925	1611024	1780512	1755345	8801538
ii	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभों / परिलब्धि का मूल्य	443152	391500	343073	396995	408000	1982720
iii	आयकर अधिनियम 1981 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	.	.	.	.	.	.
2.	स्टाक विकल्प	.	.	.	.	.	.
3.	स्वीट इक्विटि	.	.	.	.	.	.
4.	अन्य लाभ के : के रूप में कमीशन उल्लेख करें	.	.	.	.	.	.
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (सीएमपीएफ कर्मचारी का सहयोग)	263394	244521	209776	247020	245745	1210456
	कुल (ए)	2606278	2390946	2163873	2424527	2409090	11994714
	अधिनियम के अनुसार सिलिंग						27500000

बी. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम			कुल राशि
		श्री राकेश कु. मित्तल	श्री डी.एन.प्रसाद	श्री एन.कुमार	
1	स्वतन्त्र निदेशक	–	–	–	–
	बोर्ड कमिटी में उपस्थिति के लिए शुल्क	120000.00			120000.00
	अन्य उल्लेख करें				
	कमिटि की बैठक	120000.00			120000.00
	कुल (1)	240000.00	एनए	एनए	240000.00
2	अन्य गैर अधिकारी निदेशक	–	–	–	–
	बोर्ड मिटिंग,	–	–	–	–
	कमीशन,अन्य	–	–	–	–
	में उपस्थिति हेतु	–	–	–	–
	शुल्क,कृपया उल्लेख करें		–		
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (बी) = (1+2)	240000.00	–	–	240000.00
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	–	–	–	12234714
	अधिनियम के अनुसार समग्र सिलिंग	–	–	–	27500000

सी. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीबी के अलावे की–मैनेजरियल पर्सनल की पारिश्रमिक

क्र.सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**की–मैनेजरियल पर्सनल**			
		सीईओ	**कंपनी सचिव**	**सीएफओ**	**कुल**
1.	सकल वेतन	1899732.00	1543998.00	1739630.00	5183360.00
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन				
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत लाभ का मूल्य	443152.00	360360.00	393828.00	1197340.00
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–

2.	स्टॉक ऑप्सन	–	–	–	–
3.	स्वीट इक्विटी	–	–	–	–
4.	लाभ के : के रूप में कमीशन अन्य उल्लेख करें	–	–	–	–
5.	अन्य कृपया उल्लेख करें (सीएमपीएफ कर्मचारी का अंश दान)	263394.00	84878.00	241032.00	589304.00
	कुल	2606278.00	1989236.00	2374490.00	6970004.00

7. अपराध के लिए जुर्माना/दण्ड/कम्पाऊडिंग

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	पेनाल्टी/पनिशमेंट/ कम्पाउडिंग के लिए लगाया गया शुल्क का विवरण	प्राधिकारी(आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट)	किया गया अपील यदि हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
पेनाल्टी	शून्य	–	–	–	–
पनिशमेंट	शून्य	–	–	–	–
कंपाउंडिंग	शून्य	–	–	–	–
बी. निदेशक					
पेनाल्टी	शून्य	–	–	–	–
पनिशमेंट	शून्य	–	–	–	–
कंपाउंडिंग	शून्य	–	–	–	–
सी. डिफाल्टर में अन्य अधिकारी					
पेनाल्टी	शून्य	–	–	–	–
पनिशमेंट	शून्य	–	–	–	–
कंपाउंडिंग	शून्य	–	–	–	–

परिशिष्ट IV

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर अंकेक्षकों का रिपोर्ट

निगमित शासन प्रमाण पत्र

कंपनी का सीआईएन	:	U14292JH1975GOI001223
नोमिनल पूंजी	:	500,000,000.00 (पाँच कारोड़ रू. मात्र)
प्रदत्त पूँजी	:	190,400,000.00 (उन्नीस करोड़ चार लाख रू. मात्र)

सेवा में,
सदस्यगण,
सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
गोंदवाना प्लेस : काँके रोड
राँची – 834008

हमने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (लोक) उद्यम के लिए निगमित शासन के आधार पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देश 2010 में दिए गए अनुबंध के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (दि कम्पनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है। हमारी जाँच के साथ–साथ इस पर टिप्पणियाँ शामिल कर नीचे दी गई हैं :

1. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी की जिम्मेवारी है। मेरे द्वारा की गई जाँच भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निगमित शासन (सर्वोत्कृष्ट कार्य–व्यवहार) के अनुरूप है तथा निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा उसके अनुपालन तक ही सीमित थी यह न तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर राय है और न ही अंकेक्षण पर। हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वो सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जो प्रमाणीकरण के उद्देश्य से आवश्यक थे, तथा जैसा कि हमारे द्वारा अपेक्षित थे, वे सभी अभिलेख, दस्तावेज, प्रमाण–पत्र आदि उपलबध कराये गये हैं।

2. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अच्छी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कानून एवं मानक तथा इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी विभिन्न मानदंड एवं मानक के अनुपालन की समीक्षा हेतु कदम उठाया है।
3. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे प्रेक्षण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निदेशक मंडल तथा अंकेक्षण समिति, मूलतः स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित मामलों को छोड़कर, कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
4. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता एवं प्रभावकारिता का जिसके अनुसार प्रबंधन से कंपनी मामले को कार्यान्वित किया है और न ही उसका आश्वासन है।

वास्ते सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

ह/–
सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सीपी सं. 9788
एसीएम सं. 25228

दिनांक : 15/05/2015
स्थान : राँची

परिशिष्ट V

अंकेक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
1. टिप्पणी संख्या 15 ''वस्तुसूची'' जो 0.41 करोड़ रू. (लेखा शीर्ष संख्या 890101) (गत वर्ष 0.42 करोड़ रू.), के लिए प्रावधान, अनुपयोगी स्टोर, स्पेयर्स आदि मदों के पुराने, मंद गतिमान, गैर–गतिमान, क्षतिग्रस्त एवं बेकार वस्तुसूची का तकनीकी अंकेक्षण/मूल्यांकन से संबंधित वित्तीय विवरण का भाग है, की ओर ध्यान दिया जाए। यह रिपोर्टिंग की तिथि तक लंबित है। इसमें अंतिम विवरण पर आगे प्रावधान, यदि कोई हो, अपेक्षित है।	सीडीएस, बरकाकाना में गैर–गतिमान आइटमों के लिए केंद्रीकृत प्रावधान किया गया है।
2. टिप्पणी संख्या 9 ''अल्पकालीन प्रावधान'' तथा टिप्पणी संख्या 34 का मद संख्या 7.3 ''लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी'' जो पीआरपी दायित्व, देयता से संबंधित वित्तीय विवरण का भाग है, की ओर ध्यान दिया जाए। रिपोर्टिंग की तिथि तक निश्चित रूप दिए जाने के लिए लंबित है तथा लक्ष्य अधिकारी द्वारा पीआरपी दायित्व अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। वर्ष के अंत तक पीआरपी का दायित्व के लिए प्रावधान 192.50 करोड़ रू. (गत वर्ष 165.48 करोड़ रू) था, जो अंतिम समायोजन के लिए लंबित है।	कोल इंडिया लिमिटेड की सलाह के अनुसार पीआरपी का प्रावधान किया गया है।
3. टिप्पणी संख्या 16 ''ट्रेड रीसिवेबुल'' तथा टिप्पणी संख्या 34 का प्वाइन्ट नं. 3.1.2 '' लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी'' जो वित्तीय विवरण का भाग है, की ओर ध्यान दिया जाए। इस संबंध में 239.14 करोड़ रू. (गत वर्ष 201.18 करोड़ रू.) कर्जदारों से वसूली के लिए बकाया है, जिसमें वैसे मद शामिल हैं, जो विश्लेषित/समायोजित/जोड़े जाने या वसूली, यदि कोई हो के लिए लंबित है परिणामतः उसे समायोजित किया जाना है।	कर्जदारों से संग्रह करने/समायोजित करने का कार्य सतत् प्रक्रिया है। लगभग 83 प्रतिशत कर्ज का बकाया एक ही प्रबंधन के अधीस्थ कंपनियों के पास है तथा वे वसूली योग्य हैं।
4. टिप्पणी संख्या 16 ''ट्रेड रीसिवेबुल''की ओर ध्यान दिया जाए जो वित्तीय विवरण का भाग है, कर्जदारों में बिलों से समय–समय पर काटे गए टीडीएस के कारण समायोजन लंबित है, जिसे टीडीएस खाते (खाता को 350016) तथा समयोजन, यदि कोई हो, में स्थानांतरित नहीं किया गया है।	प्रथम दृष्टि में टीडीएस की पहचान (फार्म 24 एएस) के पिछले निकटतम तीन वर्षों के लिए की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुराने उदाहरणों की पहचान की गई है। कुछ उदाहरण/वाद की पहचान की गई है तथा समुचित जाँच एकाउन्टस पर विचार किया गया है/किया जाएगा। उदाहरण ाार्थ मेसर्स सारदा मिनरल्स ससन पावर लिमिटेड।
5. टिप्पणी संख्या 18 ''अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम'' की ओर ध्यान दिया जाए जो वित्तीय विवरण प्राप्य दावे (लेखा कोड 340003) का भाग है, में 0.12 करोड़ रू.(गत वर्ष 0.12 करोड. रू.) शामिल है जो सेवाकर विभाग को सेवा कर की तुलना में किए अधिक भुगतान के कारण वापस प्राप्त करने हेतु लंबित है। यह वापसी सेवाकर अनुभाग, नागपुर के आदेश के अनुसार 22.3.2012 को गैर–सीआईएल ब्लॉकों की ड्रिलिंग दर में कमी के कारण हुई।	सीईएटीएटी के पास अपील की गई। अभी भी इसकी सुनवाई की जानी है।

6. टिप्पणी संख्या 16/7/12/18 ''ट्रेड रीसिवेबुल/ट्रेड पेयेबुल/दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम/अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम'' की ओर ध्यान दिया जाए जो डेबटर, क्रेडिटर्स तथा ऋण एवं अग्रिम से संबंधित 31 मार्च, 2015 को लागू बैलेंस, वित्तीय विवरण का भाग है, पार्टियों से बैलेंस की संपुष्टि के समाधान के बाद समायोजन, यदि कोई हो, के अनुसार है।	कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों डेबटर्स के मामले में सीएमपीडीआई के बकाए के लिए उनके लेखे में हमारे द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार प्रावधान किया गया है। उनके साथ समाधान के समय विवादों का ख्याल रखा जाता है। डेबटर्स के मामले में शेष की संपुष्टि के लिए पत्र जारी कर दिया गया है।
7. टिप्पणी संख्या 7/12/18 ''ट्रेड पेयबुल/दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम/अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम'' क्रेडिटर्स ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के तहत वित्तीय विवरण, शेष का भाग है, की ओर ध्यान दिया जाए। इसमें विश्लेषण/समायोजन सम्बद्ध या वसूली तथा परिणामतः समाधान के बाद समायोजन, यदि कोई हो, के लिए लंबित पुराने मद शामिल हैं।	लेखे में विश्लेषण/समायोजन या वसूली के लंबित पुराने मदों के लिए पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।
8. टिप्पणी संख्या 12 ''दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम'' की ओर ध्यान दिया जाए, जो क्षे.सं.–5 (बिलासपुर) के मामले में सुरक्षा जमा (एकाउन्ट कोड 380006) से संबंधित वित्तीय विवरण का भाग है, सर्वेक्षण कार्य के संबंध में 30.12.2010 से वसूली के लंबित 0.03 करोड़. रू. (गत वर्ष 0.05 करोड़. रू.) शामिल है, जो विधिवत् पूरा कर संबंधित पार्टियों को सूचित कर दिया गया।	कंपनी ने सुरक्षा जमा की वापसी के लिए अप्लाई किया है, परंतु आज की तिथि तक जमा को वापस करने के लिए मंजूर नहीं किया गया है। अप्रैल, 2015 में अनुस्मारक दिया गया है। इस मामले पर क्षे.सं.–5 के साथ के अनुसार किया जा रहा है।
9. व्यावसायिक कर रिटर्न दाखिल करने के उद्देश्य के लिए अपेक्षित संबंधित राज्य व्यावसायिक/वेट के तहत लागू क्षे.सं.–1,5 एवं 7 के संबंध में निबंधन अभी प्राप्त करना लंबित है।	क्षे.सं.–1 को टीआईएन नंबर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह किसी तरह की बिक्री से संबंध नहीं रखता है। यह कार्य संविदा के लिए स्रोत पर बिक्री कर पहले से ही जमा कर रहा है तथा उसका इनरॉलमेंट नंबर 410000442 है। क्षेत्रीय संस्थान–5 द्वारा टीआईएन नंबर के लिए आवेदन दे दिया गया है परंतु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्षेत्रीय संस्थान–7 के लिए आवश्यक कार्यवाई की जा रही है।
10. टिप्पणी संख्या 18 ''अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम'' की ओर ध्यान दिया जाए, जो वित्तीय विवरण का भाग है, बिल लेजर (खाता कोड 350034) के आधार पर भुगतान किया गया। सेवाकर तथा अनुषंगी रिकार्ड के बीच अंतिम समाधान रिपोर्टिंग की तिथि तक समायोजन हेतु लंबित है।	सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।
11. टिप्पणी संख्या 8 ''अन्य चालू देयताएँ'' की ओर ध्यान दिया जाए जो वित्तीय विवरण का भाग है, प्रबंधन प्रशिक्षु से प्राप्त मनिबॉन्ड जिसमें वैसे कर्मचारियों के मामले भी शामिल है, जो अनुपस्थित हैं तथा कंपनी में अपना पूर्ण योगदान नहीं किया है, रिपोर्टिंग की तिथि तक यह अंतिम मूल्यांकन के लिए लंबित है।	कार्मिक एवं प्रशासन विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की गई है। कार्मिक एवं प्रशासन विभाग से जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक गणना की जाएगी।

12. टिप्पणी संख्या 24 ''कर्मचारियों के लाभ पर खर्च'' की ओर ध्यान दिया जाए जो वित्तीय विवरण का भाग है तथा अधिकारियों के परिलंबित का सेवा–निवृति कोष में 6.84 प्रतिशत तथा पेंशन कोष में 3 प्रतिशत की दर से क्रमशः 42.16 करोड़ रू. तथा 18.60 करोड़ रू. (गत वर्ष 35.26 करोड़ रू.) तथा 15.58 करोड़ रू. योगदान से संबंधित है, यह 31 मार्च, 2015 तक समय–समय पर किया गया है। कंपनी ने न तो इसका भुगतान किया है और न ही इसे अलग एस्क्रो फंड एकाउन्ट में रखा है।	इस उद्देश्य के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से दिशा–निर्देश प्राप्त किया जाएगा।
13. मद संख्या 14– टिप्पणी संख्या 33 ''महत्वपूर्ण लेखा नीति'' के पूर्व अवधि समायोजन तथा पूर्व में किया गया भुगतान की ओर ध्यान दिया जाए जो वित्तीय विवरण का भाग है। प्रत्येक ट्रॉन्जेक्शन में लागू 0.10 करोड़ रू. से अधिक के आय और व्यय के मदों को ही पूर्व–अवधि मद में रखा गया है। यह लेखा नीति भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वित्तीय विवरण में समायोजन/प्रकटीकरण के लिए किसी भी सीमा पर अलग–अलग आधार के बदले समग्र (एग्रीगेट) रूप से विचार किया जाता है।	कोल इंडिया लिमिटेड की नीति के अनुसार प्रत्येक ट्रांजेक्शन में 10,00000/–रू. से अधिक के आय या व्यय के मद को ही से सिर्फ पूर्व अवधि मद माना जाता है, जिसे वार्षिक लेखा की टिप्पणी संख्या 33 में उल्लेख किया गया है।
14. टिप्पणी संख्या 20 ''परिचालन से प्राप्त राजस्व'' एवं टिप्पणी संख्या 24 ''कर्मचारियों के लाभ एवं व्यय'' की ओर ध्यान दिया जाए जो वित्तीय विवरण का भाग है, सेवाओं की बिक्री के लिए राजस्व की पहचान एक्यूरल आधार यानि कट आफ डेट 31 मार्च के आधार पर किया गया है, जबकि अभियंत्रण दिवस के लिए सिर्फ 20 मार्च तक तथा वेतन के लिए 10 मार्च तक। 11 मार्च से 31 मार्च के दौरान हुई नई बहाली/सेवा–निवृत्ति तथा छोड़ने आदि के कारण डिलिशन की वजह से समायोजन तथा 21 से 31 मार्च के बीच ईडी बुकिंग के कारण कोई समायोजन चालू वर्ष में नहीं किया जा रहा है।	संबंधित माह के अंत तक वेतन के वितरण का यह पद्धति अपनाए जाने की जरूरत है। बिक्री के समय पर बुकिंग के लिए सिर्फ 20 तक ही अभियंत्रण दिवस पर विचार किया जाता है।
15. टिप्पणी संख्या 34 ''लेखा 7.2 पर अतिरिक्त टिप्पणी'' हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 ('' एमएसएमईडी अधिनियम–2006'') तहत आने वाले इकाईयों की पहचान करने के लिए संबंधित दस्तावेज का संकलन किया जा रहा है। संबंधित सूचना को अंतिम रूप में नही दिए जाने के कारण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि III तथा एमएसएमईडी 2006 के तहत यथा–अपेक्षित स्पष्टीकरण के रूप में इसे प्रकट नहीं किया गया है। उस संबंध में लेखा मानक 1–''लेखा नीति का स्पष्टीकरण'' के तहत स्पष्टीकरण आवश्यकता का अनुपालन नहीं हुआ है।	कंपनी द्वारा इस अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित सूचना संकलित करने की प्रक्रिया जारी है।

16. विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने पट्टे वाली भूमि पर भवन निर्माण/व्यावसायिक तथा आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के अधिकार (हित) पर खर्च किया है। लेखा मानक 6– मूल्यह्रास लेखा (डेप्रिसियेशन एकाउन्टिंग) के अनुसार पट्टे वाली भूमि पर बने भवनों पर मूल्यह्रास भवन की अधिकतम लाभकारी जीवन के अनुसार लीज एग्रीमेंट के अवधि पर किया जाना चाहिए। हमारे सामने पेश किए गए राइट/टाइटल/भूमि में हित/लीज नवीकरण आदि के दस्तावेज के अभाव में खर्च की गई रकम के लेखा प्रतिपादन (निरूपण) की वास्तविकता का निर्धारण संभव नहीं था। वस्तुतः प्रभारित मूल्यह्रास की मात्रा लेखा मानक पद्धति तथा इसके कारण वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, के अनुसार है {देखें टिप्पणी संख्या 34 '' लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी का प्वाईंट नं. 1.1,'' जो वित्तीय विवरण का भाग है।}	पट्टे वाली भूमि की लागत पर पट्टे वाली अवधि के आधार मूल्यह्रास किया जाता है, जो नवीकरण योग्य है तथा भवन की लागत पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया जाता है।
17. 0.68 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.66 करोड़ रू.) के अनुपयोगी (सर्वेआफ) अचल परिसंपत्तियों के रीसिड्यूल वैल्यू को डब्ल्यूडीवी तथा निबल वसूली योग्य मूल्य से कम मूल्य होने के बदले परिसंपत्तियों के डब्ल्यू डीवी में दर्शाया गया है जो लेखा मानक 10–''अचल परिसंपत्तियाँ'' के अनुरूप नहीं है और इसमें वैसे कई परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है, जो काफी पहले से निपटान के लिए लंबित हैं। संदर्भ टिप्पणी संख्या 10ए ''अचल परिसंपत्तियाँ'' जो वित्तीय विवरण का भाग है।	कंपनी ने अनुपयुक्त (सर्वे ऑफ) परिसंपत्तियों का निबल वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित की है। सभी अनुपयुक्त मदों को एमटीएससी के जरिए निलामी किया जाता है। जब कभी भी निलामी का मूल्य रिजर्व वैल्यू से अधिक होता है, तब अनुपयोगी (सर्वे आफ) परिसंपत्तियों को बेच दी जाती है।
18. कंपनी ने सेगमेंट रेवन्यू की रिपोर्ट की है तथा इसे टिपपणी संख्या 34 जो वित्तीय विवरण का भाग है, के प्वाईंट नं. 13 में यथा–उद्धत सेगमेंट के अनुसार (अलग) किया है। तथापि लेखा मानक 17–''सेगमेंट रिपोर्टिंग'' के अनुरूप सभी प्राइमरी सेगमेंट के लिए सेगमेंट वाइज परिसंपत्तियाँ, देयताएँ, मूल्यह्रास, पूँजीगत व्यय तथा गैर नकद मदों को स्पष्ट (प्रकट) नहीं किया है। हमारी राय में, यह कंपनी के सेगमेंट वाइज परिचालन का सही एवं सुस्पष्ट विचार (राय) नहीं देता है।	सीएमपीडीआई की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को सेगमेंट वाइज विभाजित नहीं किया गया है। यथापि परिसंपत्तियों को सेगमेंट वाइज वितरण के लिए आवश्यक कारकों की पहचान कर ली जाएगी।
19. कंपनी ने 31 मार्च, 2015 के अनुसार तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए इमपेयरमेंट लॉस तथा उसका प्रावधान, यदि कोई हो, की पहचान नहीं की गई है। हमारी राय में, यह लेखा मानक 28– '' परिसंपत्तियों की क्षति (इमपेयरमेंट) '' के अनुरूप नहीं है। इमपेयरमेंट लॉस, यदि कोई हो तथा वित्तीय विवरण पर उसका प्रभाव सुनिश्चित करने पर इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।	कोई भी ऐसा बाहरी या आंतरिक या बाहरी सूचक यह दर्शाने के लिए मौजूद नहीं की तुलन–पत्र की तिथि तक सीएमपीडीआई की परिसंपत्ति को इमपेयर नहीं किया गया है।

परिशिष्ट VI

सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
कंपनी सचिव
फ्लैट नं. 201, द्वितीय तल्ल, उर्मिला अपार्टमेंट
उद्धव बाबू लेन, थरपकना
राँची 834001
फोनरू. 09334606570ध्0651.2212943ध्0651.6571423
ई–मेल:- cssatish26@gmail.com/csservices26@gmail.com
पीएन : बीजीओपीके 8640एम
एसटीबीजीओपीके 8640एमएसडी001

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) तथा प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक तथा कंपनीज अप्वाइन्टमेंट नियम सं. 9, के नियम, 2014 के आलोक में

सेवा में,
सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
गोंदवाना प्लेस : काँके रोड
राँची – 834008

हमने निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (दी कंपनी) के रजिस्टर, रिकार्ड, हिसाब–किताब तथा कागजात की जाँच की है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तक इसके तहत बनाए गए नियम
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
3. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, 2010 के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश
4. कंपनी पर लागू अन्य अधिनियम एवं कानून

1. हमारे द्वारा की गई जाँच, हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर कंपनी सचिव तथा कंपनी के अधिकारियों द्वारा पेश की गई सूचना के अनुसार हमारी राय में निम्नलिखित के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) तथा उसके तहत बनाए गए नियम, कंपनी के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, प्रावधान, जैसा कि खास कर इसमें उल्लिखित प्रावधान के अनुसार है, का पालन किया है :

1. अनेक सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टि।
2. भाग 1 के तहत दिए गए निदेश के अनुसार तुलन–पत्र का फार्म, भाग–2 में दिए गए निदेश के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण का फार्म, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 में दिए गए निदेश के अनुसार इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश।
3. संविदा, कॉमन शील, निबंधित कार्यालय तथा कंपनी के नाम का प्रकाशन।
4. अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए नियम के तहत निर्धारित समय के भीतर, कंपनी निबंधक (रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी) के पास अपेक्षित फार्म तथा रिटर्न भरना।
5. निदेशक मंडल तथा इसकी समितियों की बैठक आयोजित करवाना।
6. 15 मई, 2014 वृहस्पतिवार को 39वीं वार्षिक आम बैठक तथा 27 मार्च, 2015 को 9वीं असाधारण बैठक आयोजित करवाना
7. लूज लिफ फार्म में विधिवत् दर्ज वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक, बोर्ड की बैठक तथा बोर्ड की समितियों की बैठक की कार्यवाही का रख–रखाव, जिसे नियमित अंतराल पर बुक फार्म (पुस्तक के स्वरूप) में बनाया जा रहा है।
8. निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान।
9. संस्था –संलेख (आर्टिकल ऑफ असोसियेशन) में बदलाव।
10. अंकेक्षकों तथा कास्ट आडिटरों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
11. शेयरों का हस्तांतरण एवं संचारन (ट्रांसमिशन)
12. (1)अंकेक्षण समिति तथा सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटि कमेटी का संगठन एवं विचारार्थ विषय।
13. अपने सदस्यों एवं अंकेक्षकों पर कंपनी द्वारा प्रलेखन की व्यवस्था (सर्विस)।
14. कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं दोनों के भविष्य निधि से संबंधित भविष्य अंशदान को इस उद्‌देश्य के लिए गठित समिति के पास जमा करना।
15. कंपनी अधिनियम (दि एक्ट) तथा इस अधिनियम के तहत बने नियमों के सामान्यतः अन्य सभी लागू प्रावधान

2. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

1. निदेशकों ने अपने शेयरों तथा अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशीप तथा इन्टीटीज में अपनी रूचि को, जब और जहाँ आवश्यक हुआ है, स्पष्ट (प्रकट) किया है तथा बोर्ड द्वारा उनकी रूचि को नोट कर दर्ज कर लिया गया है।
2. निदेशकों ने नियुक्ति संबंधी अपनी योजना, अपने को स्वतंत्र होने एवं निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कर्मियों के आचार संहिता के पालन के संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यकताओं का पालन किया है।
3. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों एवं अधिकारियें पर कोई अभियोग नहीं लगाया गया है और न ही कोई जुर्माना लगाया गया है तथा न ही उन्हें कोई दंड दिया गया है।
4. कंपनी ने निदेशक–मंडल के गठन तथा कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान के अनुसार सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज, 2010 के लिए निगमित शासन पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया है।

- **अन्य वैसी टिप्पणियाँ, (रिमार्क्स) जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है की रिपोर्ट नीचे दी गई है:**

1. बोर्ड एवं अंकेक्षण समिति का गठन, खासकर स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित, को छोड़कर कंपनी ने लोकउद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी निगमित शासन पर दिए गए दिशा–निर्देश के प्रावधानों का विधिवत् पालन किया है।

2. कंपनी के बोर्ड में श्री नागेन्द्र कुमार अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं लेकिन उनका नाम कंपनी द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए अपेक्षित कार्य डीआईआर–12 भरने के बावजूद कुछ तकनीकी कारणों से निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के पास मेनटेन किए गए हस्ताक्षर सूची में नहीं है, जिसके लिए कंपनी ने हस्ताक्षर सूची को अद्यतन करने हेतु एमसीए के पास शिकायत दर्ज किया है।

वास्ते सतीश कुमार एंड एसोसियेट्स

ह/–
सतीश कुमार
कंपनी सचिव
सीपी नं : 9788
एसीएस नं. : 25228

स्थान : राँची
दिनांक : 22.05.2015

सचिवीय अंकेक्षकों की टिप्पणियाँ तथा प्रबंधन का स्पष्टीकरण

	टिप्पणी	प्रबंधन का जवाब
1.	बोर्ड के गठन के मामले, यानि कंपनी को बोर्ड के कुल सदस्यों की एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक के रूप में रखनी चाहिए, को छोड़ कर कंपनी ने भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन के दिशा–निर्देशों का विधिवत् पालन किया है।	कंपनी तथा कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के मामले को कोयला मंत्रालय के समक्ष उठाया है।
2.	कंपनी बोर्ड में श्री नागेन्द्र कुमार अंशकालिक सरकारी सदस्य है लेकिन उनकी नियुक्ति के लिए अपेक्षित फार्म डीआईआर–12 भरने के बावजूद उनका नाम कुछ तकनीकी कारणों से निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा रखी जाने वाली हस्ताक्षर सूची में नहीं है, जिसके लिए, कंपनी ने निगमित मामलों के मंत्रालय के समक्ष सूची अद्यतन करने संबंधी मामले को उठाया है।	डीआईआर–12 भरा जा चुका है तथा सूची अद्यतन करने संबंधी मामले को एमसीए के समक्ष उठाया जा चुका है।

परिशिष्ट VII

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 04.06. 2015 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0 की वित्तीय विवरण का अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत पूरक अंकेक्षण किया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जांच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा
बोर्ड की ओर से एवं वास्ते

ह0 / –
(यशोधरा राय चौधरी)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान
निदेशक एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–।।
के पदेन सदस्य
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 11.06.2015

परिशिष्ट VIII

अनुच्छेद 188 (1).फार्मएओसी.–2 के तहत संबंधित पक्षों के साथ संविदा या करार

फार्म सं. एओसी.–2

इस नियम की धारा–1 34 की उप धारा के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में

तृतीय उपबंध के तहत कुछ आर्म्स लेन्थ ट्रांजेक्शन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 की उपधारा (1) में उल्लिखित संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदा/ व्यवस्था के विवरण के प्रकटीकरण हेतु फार्म।

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	आर्म लेन्थ आधार पर नहीं किए गए संविदा या व्यवस्था या लेन–देन का विस्तृत ब्यौरा	
क.	संबंधित पार्टी का नाम एवं संबंध की प्रकृति	शून्य
ख	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की प्रकृति	एनए
ग.	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की अवधि	एनए
घ.	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्त	एनए
ड़.	इस प्रकार के संविदा या व्यवस्था या लेनदेन (ट्रांजेक्शन) करने का औचित्य	एनए
च.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ)	एनए
छ.	अग्रिम रूप में भुगतान की गई रकम, यदि कोई हो,	एनए
ज.	धारा 188 की पहली शर्त के तहत अपेक्षित आम बैठक में पारित विशेष संकल्प की तिथि	एनए
2.	आर्म्स लेन्थ आधार पर किए गए महत्वपूर्ण (मैटेरियल) संविदा या व्यवस्था या लेनदेन (ट्रांजेक्शन) का ब्यौरा	
क.	संबंधित पार्टी का नाम संबंध की प्रकृति	शून्य
ख	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की प्रकृति	एनए
ग.	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की अवधि	एनए
घ.	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्त	एनए
ड़.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो,	एनए
च.	अग्रिम रूप में भुगतान की गई रकम, यदि कोई हो	एनए

ह0/–
(ए.के.देबनाथ)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

तिथि : 22.06.2015
स्थान : राँची

परिशिष्ट IX

के सी टॉक एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

समझौता संलेख (मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग) पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,

गोंदवाना प्लेस : काँके रोड : राँची

हमने सीआईएल तथा सीएमपीडीआई के बीच समझौता संलेख (एमओयू) के साथ संलग्न ''परिशिष्ट–।। एवं ।। ए में कार्य–निष्पादन मूल्यांकन का विवरण,'' वर्ष 2014–15 वित्तीय वर्ष के लिए एमओयू स्कोर की गणना तथा सीपीएसई की ग्रेडिंग के लिए उन पारामीटरों (मूलतः निर्धारित (सेट) तथा ऑफसेट के दावा करने के लिए उसे संशोधित) की लेखा परीक्षा की है, जैसा कि ''सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यू'' के बारे में डीपी द्वारा जारी किया गया है। कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, इसके साथ संलग्न ''परिशिष्ट क(ए)'' में यथावर्णित हमारे टिप्पणी के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि

1. कंपनी की उपलब्धि का दावा, जैसा कि संलग्न ''कार्य–निष्पादन (उपलब्धि) मूल्यांकन प्रपत्र में दिया गया है, वित्तीय एवं गैर वित्तीय पारा मीटर के संबंध में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम (एमओयू विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, डीपीई मूल्यतः स्वीकृत लक्ष्य के विपरीत है तथा इसे संशोधित वित्तीय एवं गैर–वित्तीय पारा मीटर सहित बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित सीएमपीडीआई द्वारा दावा किए गए ऑफ–सेट के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एमओयू हेतु दिशा–निर्देश के टर्म में परिकलित किया गया है।
2. डीपीई के किए गए एमओयू के अनुसार कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रपत्र (परिशिष्ट ।।) में समेकित स्कोर 92.58 (उत्कृष्ट) है तथा कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित लक्ष्य के अनुसार कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रपत्र में (परिशिष्ट ।। ए) कंपनी का समेकित स्कोर 99.96 (उत्कृष्ट) है।
3. वित्तीय एवं गैर–वित्तीय पारा मीटरों की तुलना में उपलब्धि हमारे सत्यापन (जाँच) के उद्देश्य से हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए आंतरिक दस्तावेज के अनुरूप है, हमारी समक्ष में संबंधित पारा मीटर में दिए गए विवरण सत्य है।

वास्ते **के सी टॉक एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएनरू 000216सी

ह0 / –
(अनिल जैन)
सदस्य
एम नं0 079005

दिनांक रू 18.06.2015
स्थान : राँची

परिशिष्ट–ए

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के समझौता संलेख (मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग) पर लेखा परीक्षकों (अंकेक्षकों) की रिपोर्ट का भाग

1. कोल इंडिया लिमिटेड तथा सीएमपीडीआई के बीच हुए समझौता संलेख के परिशिष्ट ।। तथा परिशिष्ट ।। ए के फुट नोट टिप्पणी (नोट) संख्या 1 के संदर्भ में यह पाया गया कि वर्ष 2014–15 के लक्ष्य में कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए 1773.05 करोड़ रू. के जुर्माने के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए जुर्माने के कारण सीएमपीडीआई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तरह के जुर्माने का प्रभाव कोयले की बिक्री पर पड़ता है, जो सीएमपीडीआई का काम नहीं है। यह कार्य कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों का है। इसलिए यह सीएमपीडीआई पर लागू नहीं होता है।

2. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार परिशिष्ट ।। एवं परिशिष्ट ।।ए ''यदि एमएमडीआर बिल का प्रभाव अधिनियम बन जाता है और कार्यान्वित हो जाता है तो इसके प्रभाव (इम्पैक्ट) को अलग कर दिया जाएगा'' के संबंध में सीएमपीडीआई पर एमएमडीआर बिल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन मूल्यांकन में इस पर विचार नहीं किया गया है।

3. अंकेक्षित लाभ एवं हानि लेखा में प्रकाशित ट्रेड रिसिवेबुल उत्पाद शुल्क को घटाकर सकल बिक्री (क्रेडिट) तथा अन्य सभी लेवियो को औसत संग्रहण अवधि की गणना के लिए सीआईएल तथा सीएमपीडीआई के बीच हुए समझौता संलेख (एमओयू) के परिशिष्ट ।। एवं ।।ए में उस पर विचार किया गया है। तथापि, यह पाया गया कि परिशिष्ट ।। एवं ।।ए के फुट नोट की टिप्पणी संख्या 2 में किए गए स्पष्टीकरण से पता चलता है कि सकल बिक्री (क्रेडिट) में उत्पाद कर एवं अन्य सभी लेवी शामिल हैं तथापि डीपीई के दिशा–निर्देश के अनुसार बिक्री की वास्तविक उत्पाद कर तथा अन्य सभी लेवी को हटाकर यानि निबल क्रेडिट सेल (सकल बिक्री (क्रेडिट) में से उत्पाद कर तथा अन्य सभी लेवी को घटाकर) विचार किया गया है।

4. सीआईएल तथा सीएमपीडीआई के बीच हुए समझौता संलेख (एमओयू) के परिशिष्ट।। एवं ।।ए के मूल्यांकन मापदंड के तहत ''डायनेमिक/गैर–वित्तीय पारामीटर'' के संबंध में यह पाया गया है कि '' सर्टिफिकेशन फॉर आइएसओ/आईईसी फॉर सीएमपीडीआई, मुख्यालय'' के संबंध में वास्तविक उपलब्धि का कार्य–निष्पादन में सीएमपीडीआई को सितम्बर, 2014 में जारी तथा मार्च, 2015 तक वैध औपबंधिक प्रमाण पत्र की तिथि पर विचार किया गया है, जबकि मूल्य प्रमाण पत्र जनवरी, 15 में जारी किया गया तथा 15 जनवरी, 2018 तक वैध पाया गया। जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि वास्तविक एचीवमेंट पर विचार करने के लिए सीएमपीडीआई को जारी औपबंधिक प्रमाण पत्र की तिथि ही प्रासंगिक है। इस संबंध में किसी तरह का दिशा–निर्देश नहीं होने से हमने इस रिपोर्ट में सीएमपीडीआई के दावे पर विचार किया है।

समझौता संलेख – 2014 – 15

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित लक्ष्य के साथ–साथ वित्तीय पारामीटर तथा गैर–वित्तीय पारामीटर का वास्तविक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन का विवरण

अनुषंगी : सीएमपीडीआई

परिशिष्ट–II

	मूल्यांकन मानदंड			ईकाई	भार (% में)	समझौता संलेख का लक्ष्य					सत्यापन के साधन	कार्य निष्पादन	रॉ	प्रस्तावित
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब		वास्तविक	स्कोर	भारित
						5	4	3	2	1		उपलब्धि		रॉ स्कोर
1	स्टैटिक / वित्तीय पारामीटर										वार्षिक रिपोर्ट			
	अनिवार्य पारामीटर													
	(i)	वृद्धि / आकार / क्रिया–कलाप												
		(अ)	सेल्स टर्न ओवर (निबल बिक्री)	करोड़ रू. में	10	811.91	788.78	749.34	711.87	676.28		726.72	2.40	24
		(ब)	ग्रास आपरेटिंग मार्जिन रेट	अनुपात	10	0.0993	0.0991	0.0941	0.0894	0.0850		0.1195	5	50
	(ii)	लाभप्रदता												
		(अ)	पीएटी / कुल मूल्य	अनुपात	5	0.1460	0.1436	0.1364	0.1296	0.1231		0.1406	3.58	17.9
		(ब)	ईबीआईडीए / नेट ब्लॉक	अनुपात	7	0.4324	0.4256	0.4043	0.3841	0.3649		0.6173	5	35
	(iii)	लागत एवं आउटपुट क्षमता												
		(अ)	सेल्स टर्न ओवर / नेट ब्लॉक	अनुपात	10	7.0102	6.8105	6.4700	6.1465	5.8392		8.9907	5	50
	वैकल्पिक पारा मीटर													
	(iv)	परिसंपत्ति उपयोग की क्षमता												
		(अ)	ट्रेड रिसिवेबुल का औसत संकलन अवधि	दिवस की संख्या	8	146.50	148.05	155.45	163.23	171.39		109.17	5	40
			उप योग		50									
	टिप्पणी : 1. बीई 2014–15 के लक्ष्य में कम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए 1773.05 करोड़ रू. के जुर्माने के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी द्वारा कंपीटिशन अपीलीय न्यायाधीकरण में इसके विरूद्ध अपील की गई है। यदि लगाए गए जुर्माने का 2014–15 में भुगतान कर दिया जाता तो इसे अलग कर दिया जाएगा तथा तद्नुसार वित्तीय पारा मीटर (पीएंडएल ए/सी तथा तुलन पत्र) को एमओयू 2014–15 के मूल्यांकन के समय फिर से तैयार करना होगा।													
	2. ट्रेड रिसिवेबुल की औसत संग्रह अवधि की गणना करने के उद्देश्य सकल बिक्री, जैसा कि अंकेक्षित लेखे के पीएंडएल एकाउन्ट में दिखाया गया है (उत्पादन शुल्क तथा सभी प्रकार की लेवी एवं कर सहित) तथा औसत ट्रेड रिसिवेबुल, जैसा कि अंकेक्षित लेखे में दर्शाया गया है (बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स के लिए नेट आफ प्रावधान) पर विचार किया गया है।													
	3. सकल परिचालन मार्जिन की गणना के लिए विचार किए गए लेखा शीर्ष परिशिष्ट में दिया गया है तथा मूल्यांकन के समय इसी पद्धति को अपनाया जाएगा।													
	4. इम्पैक्ट आफ एमएमडीआर बिल, यदि अधिनियम बन जाता है तथा इसे लागू कर दिया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट शामिल नहीं किया जाएगा।													

	(i)	अनुसंधान एवं विकास/नई पहल			2	परिशिष्ट ए के रूप मे संलग्न					स्वतंत्र आरएंडडी की सलाहकार समिति की रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट		5	10
	(ii)	निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी			3						स्वतंत्र एक्सपर्ट रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट			
		(a)	सीएमपीडीआई क्षे.सं.6, सिंगरौली की कॉलोनी में वर्षा जल संरक्षण	समापन तिथि	1.5	1 मार्च, 15	9 मार्च, 15	17 मार्च, 15	24 मार्च, 15	31 मार्च, 15		29 जनवरी, 15	5	7.5
		(b)	सीएमपीडीआई क्षे.सं. 5 बिलासपुर की कॉलोनी में परम्परागत लाइटों को बदल कर ऊर्जा संरक्षण	बदले गए पारंपरिक लाइटों की संख्या	1.5	60	50	40	30	<30		60	5	7.5
	(iii)	वृद्धि के लिए पहल									वार्षिक रिपोर्ट			
	(v)	भौतिक लक्ष्य/परिणाम			11									
	(i)	वेधन		000 मीटर		1200.00	1100.00	1000.00	900.00	800.00				
		(ia)	विभागीय	000 मीटर	2	350.00	340.00	320.00	300.00	280.00		356	5	10
		(ib)	आउट सोर्सड	000 मीटर	1	850.00	760.00	680.00	600.00	520.00		472	1	1
	(ii)	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट		नहीं	8	16	15	14	13	12		16	5	40
	(iv)	परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन												
	(v)	क्षमता वृद्धि			10									
	(i)	परियोजना रिपोर्ट की तैयारी		नम्बर	7	30	29	27	25	23		30	5	35
	(ii)	परियोजना रिपोर्ट की तैयारी (इनक्रिमेंटल) के द्वारा क्षमता वृद्धि		एमटीवाई	3	50	45	40	35	30		116	5	15
	(v)	उत्पादकता एवं आंतरिक प्रोसेस												
	(lh)	श्रमशक्ति/संसाधन की दक्षता एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए उठाए गए उपाय			10									
	i)	वेधन उत्पादकता में वृद्धि के लिए ड्रिलों में वृद्धि/बदलाव		नम्बर	4	4	3	2	1	-		4	5	20
	ii)	औसत वेधन उत्पादकता (विभागीय)		एम/ड्रील/महीना	4	455	450	428	406	386		514	5	20
	ii)	क्षेत्र के अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजना बनाना तथा अनुमोदन के लिए कोल इंडिया को सुपुर्द करना		दिनांक	2	सितम्बर, 14	अक्टूबर,, 14	नवम्बर, 14	दिसम्बर, 14	जनवरी,, 15		सितम्बर, 14	5	10
	(vi)	प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस			4						बाह्य प्रमाणन निकाय से आईएसओ/आईईसी 27001 प्रमाण			
	सी	सीएमपीडीआई, मुख्यालय के लिए आईएसओ/आईईसी 27001 प्रमाणन		दिनांक	4	सितम्बर, 14	अक्टूबर,, 14	नवम्बर, 14	दिसम्बर, 14	जनवरी,, 15		सितम्बर, 14	5	20

	(vii)	मानव संसाधन प्रबंधन		5									
		(i)	डीपीई गाइडलाइन के अनुसार एचआरएम कार्य निष्पादन	1	परिशिष्ट बी के रूप मे संलग्न					स्वतंत्र एचआर अंकेक्षक रिपोर्ट/ वार्षिक रिपोर्ट		5	5
		(ii)	परियोजना प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	2	10	8	6	4	2	10	5	10
		(iii)	संविदा प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	5	4	3	2	1	5	5	5
		(iv)	माइन प्लानिंग साफ्टवेयर में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	10	8	6	4	2		10	5	5
			उप योग		45								
3	सेक्टर स्पेसिफिक पारामीटर/इन्टर प्राइजेज स्पेसिफिक पारामीटर :												
	(i)	ईआईएस/ईएमपी (फॉर्म–। सहित)	नम्बर	2	32	31	29	27	25	वार्षिक रिपोर्ट	49	5	10
	(ii)	परिचालन योजनाओं सहित अन्य रिपोर्ट	नम्बर	2	124	118	112	106	101		174	5	10
	(iii)	कोल इंडिया की खुली खदान खानों के आवधिक विभागीय ओबीआर चेक मेजरमेंट (1 एमटी प्रति वर्ष से अधिक कोयला उत्पादन वाली)	नम्बर	1	42	38	35	33	31		43	5	5
			उप योग		5								
			समग्र योग		100								462.9
												स्कोर	92.58

अभियुक्ति

वर्ष 2014–15 के दौरान आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाले ड्रिलिंग में कमी का मुख्य कारण कानून एवं व्यवस्था की विपरीत स्थिति तथा वन क्लियरेंस (सीएमपीडीआई के नियंत्रण से पूर्णतः बाहर की बाधा) न मिलना रहा जिसके परिणामस्वरूप आउटसोर्सिंग वाले ब्लॉकों में 3.51 लाख मी. की कमी आयी।

टिप्पणी :

1. वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई तथा सीआईएल के बीच हुए एमओयू (संदर्भ फुट नॉट क्रम सं. 1 नीचे) में यह शर्त है कि एमओयू मूल्यांकन के समय सीएमपीडीआई के अथक प्रयास के बावजूद इसके नियंत्रण से बाहर की बाधा को दूर नहीं किए जाने के कारण प्रतिकूलतः प्रभावित ड्रिलिंग लक्ष्य की पहचान पीईआरटी चार्ट (परिशिष्ट।। ए के रूप में संलग्न) से की जाएगी और तदनुसार वित्तीय एवं पारामीटरों का मूल्यांकन किया जाएगा।
2. निगमित शासन का अनुपालन न करने पर ऋणात्मक अंक (मार्किंग : डीईपी के ओएम 3/19/2013– डीपीई (एमओयू), दिनांक : 11 नवम्बर, 2013 के स्पष्टीकरण के अनुसार निगमित शासन का अनुपालन न करने पर ऋणात्मक मार्किंग किया जाएगा।
3. अन्य दिशा–निर्देश/विनियमन (रेगुलेशन) का अनुपालन नहीं करने पर ऋणात्मक अंक मार्किंग :

क एमएसएमई से प्राप्ति : डीओ नंबर 21(1)/2011–एमए, दिनांक : 25 अप्रैल, 2012 के द्वारा जारी आदेश अनुसार सीपीएमई को सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए सार्वजरिक प्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नीति का अनुपालन करना होगा। उपर्युक्त आदेश का अनुपालन न करने पर एमओयू के मूल्यांकन के समय टास्क फोर्स के विवेक पर 1 अंक (1 मार्क) तक जुर्माना लगाया जाएगा।

ख डीपीई के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न होना : दिनांक : 28 जून, 11 के ओएम डीपीई/14(38)/10एफआईएन के अनुसार दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पेश किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारण डीपीई के दिशा–निर्देश का अनुपालन नहीं करने (नन–कम्प्लायन्स) पर एमओयू के मूल्यांकन के समय टास्क फोर्स के विवेक पर 1 अंक (1 मार्क) तक का दंड लगाया जाएगा।

ग अन्य नन–कम्प्लायन्स : डीपीई के 11 नवम्बर, 2013 के ओएम 3/19/2013–डीपीई के परिशिष्ट के रूप में सरकारी दिशा–निर्देश तथा नियामकों (रेगुलेटर्स) की आवश्यकता के अनुपालन संबंधी प्रमाण पत्र डीपीई के 11 नवम्बर, 2013 के ओएम/3/19/2013 के परिशिष्ट 8 में दिया जाएगा। लोक उद्यम (पीई) सर्वेक्षण आदि के आँकड़े की सुपुदर्गी सहित सरकार के किसी भी दिशा–निर्दश के नन'कम्प्लायन्स तथा गंभीर मामले में नियामक की आवश्यकता का नन–कम्प्लायन्स के लिए नन–कम्प्लायन्स की अवस्था (डिग्री) तथा गंभीरता के आधार पर 1 अंक (1 मार्क) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ह0/–
विभागाध्यक्ष (टी एस)
सीएमपीडीआई

ह0/–
महाप्रबन्धक (वित्त)
सीएमपीडीआई

ह0/–
स्टेच्यूटरी ऑडिटर

समझौता संलेख – 2014 – 15

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित लक्ष्य के साथ–साथ वित्तीय पारामीटर तथा गैर–वित्तीय पारामीटर का वास्तविक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन का विवरण

अनुषंगी : सीएमपीडीआई

परिशिष्ट - II ए

	मूल्यांकन मानदंड			इकाई	भार (%में)	समझौता संलेख का लक्ष्य					सत्यापन के साधन	कार्य निष्पादन	रॉ	प्रस्तावित
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब		वास्तविक	स्कोर	भारित
						5	4	3	2	1		उपलब्धि		रॉ स्कोर
1	स्टेटिक / वित्तीय पारामीटर										वार्षिक रिपोर्ट			
	अनिवार्य पारामीटर													
	(i)	वृद्धि/आकार/क्रिया–कलाप												
		(a)	सेल्स टर्न ओवर (निबल बिक्री)	करोड़ रू. में	10	714.64	699.55	664.57	631.34	599.78		726.72	5	50
		(b)	ग्रास आपरेटिंग मार्जिन रेट	अनुपात	10	0.1098	0.1092	0.1037	0.0986	0.0936		0.1195	5	50
	(ii)	लाभप्रदता												
		(a)	पीएटी/कुल मूल्य	अनुपात	5	0.1393	0.1380	0.1311	0.1245	0.1183		0.1406	5	25
		(b)	ईबीआईडीए/नेट ब्लॉक	अनुपात	7	0.4137	0.4099	0.3894	0.3699	0.3514		0.6173	5	35
	(iii)	लागत एवं आउटपुट क्षमता												
		(a)	सेल्स टर्न ओवर /नेट ब्लॉक	अनुपात	10	6.1704	6.0401	5.7381	5.4512	5.1786		8.9907	5	50
	वैकल्पिक पारा मीटर													
	(iv)	परिसंपत्ति उपयोग की क्षमता												
		(a)	ट्रेड रिसिवेबुल की औसत संकलन अवधि	दिवस की संख्या	8	148.05	146.50	153.83	161.52	169.59		109.17	5	40
			उप योग		50									

टिप्पणी : 1.बीई 2014–15 के लक्ष्य में कम्पीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए 1773.05 करोड़ रू. के जुर्माने के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी द्वारा कंपीटिशन अपीलीय न्यायाधीकरण में इसके विरूद्ध अपील की गई है। यदि लगाए गए जुर्माने का 2014–15 में भुगतान कर दिया जाता तो इसे अलग कर दिया जाएगा तथा तदनुसार वित्तीय पारा मीटर (पीएंडएल ए/सी तथा तुलन पत्र) को एमओयू 2014–15 के मूल्यांकन के समय फिर से तैयार करना होगा।

2. ट्रेड रिसिवेबुल की औसत संग्रह अवधि की गणना करने के उद्देश्य सकल बिक्री जैसा कि अंकेक्षित लेखे के पीएंडएल एकाउन्ट में दिखाया गया है (उत्पादन शुल्क तथा सभी प्रकार की लेवी एवं कर सहित) तथा औसत ट्रेड रिसिवेबुल जैसा कि अंकेक्षित लेखे में दर्शाया गया है (बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स के लिए नेट आफ प्रावधान) पर विचार किया गया है।

3. सकल परिचालन मार्जिन की गणना के लिए विचार किए गए लेखा शीर्ष परिशिष्ट में दिया गया है तथा मूल्यांकन के समय इसी पद्धति को अपनाया जाएगा।

4. इम्पैक्ट आफ एमएमडीआर बिल, यदि अधिनियम बन जाता है तथा इसे लागू कर दिया जाता है, तो इसका इम्पैक्ट शामिल नहीं किया जाएगा।

		मूल्यांकन मानदंड		इकाई	भार (%में)	समझौता संलेख का लक्ष्य					सत्यापन के साधन	कार्य निष्पादन	रॉ	प्रस्तावित
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब		वास्तविक	स्कोर	भारित
						5	4	3	2	1		उपलब्धि		रॉ स्कोर
2	सक्रिय / गैर–वित्तीय पारामीटर													
	(i)	अनुसंधान एवं विकास / नई पहल			2	परिशिष्ट ए के रूप मे संल्गन					स्वतंत्र आरएंडडी की सलाहकार समिति की रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट		5	10
	(ii)	निगमित सामाजिक दायित्व एवं सस्टेनेबिलिटी			3						स्वतंत्र एक्सपर्ट रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट			
		(a)	सीएमपीडीआई क्षे.सं.6, सिंगरौली के कॉलोनी में वर्षा जल संरक्षण	समापन तिथि	1.5	1 मार्च, 15	9 मार्च, 15	17 मार्च, 15	24 मार्च, 15	31 मार्च, 15		29 जनवरी, 15	5	7.5
		(b	सीएमपीडीआई क्षे.सं. 5 बिलासपुर के कॉलोनी में परम्परागत लाइटों को बदल कर ऊर्जा संरक्षण	बदले गए पारम्परिक लाइटों की संख्या	1.5	60	50	40	30	<30		60	5	7.5
	(iii)	वृद्धि के लिए पहल									वार्षिक रिपोर्ट			
	(v)	भौतिक लक्ष्य / परिणाम			11									
	(i)	वेधन		000 मीटर		839.00	739.00	639.00	539.00	439.00				
		(ia)	विभागीय	000 मीटर	2	350.00	340.00	320.00	300.00	280.00		356	5	10
		(ib)	आउट सोर्सड	000 मीटर	1	489.00	399.00	319.00	239.00	159.00		472	4.81	4.81
	(ii)	भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट		नहीं	8	16	15	14	13	12		16	5	40
	(iv)	परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन												
	(v)	क्षमता वृद्धि			10									
	(i)	परियोजना रिपोर्ट की तैयारी		नम्बर		30	29	27	25	23		30	5	35
	(ii)	परियोजना रिपोर्ट की तैयारी (इनक्रिमेंटल) के द्वारा क्षमता वृद्धि		एमटीवाई	3	50	45	40	35	30		116	5	15
	(v)	उत्पादकता एवं आंतरिक प्रोसेस												
	(lh)	श्रमशक्ति / संसाधन की दक्षता एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए उठाए गए उपाय			10									
	i)	वेधन उत्पादकता में वृद्धि के लिए ड्रिलों में वृद्धि / बदलाव		नम्बर	4	4	3	2	1	-		4	5	20
	ii)	औसत वेधन उत्पादकता (विभागीय)		एम / ड्रील / महीना	4	455	450	428	406	386		514	5	20

			मूल्यांकन मानदंड	इकाई	भार (%में)	समझौता संलेख का लक्ष्य					सत्यापन के साधन	कार्य निष्पादन	रॉ	प्रस्तावित
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	साधारण	खराब		वास्तविक	स्कोर	भारित
						5	4	3	2	1		उपलब्धि		रॉ स्कोर
	ii)		क्षेत्र के अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजना तथा अनुमोदन के लिए कोल इंडिया को सुपुर्दगी	दिनांक	2	सितम्बर, 14	अक्टूबर,, 14	नवम्बर, 14	दिसम्बर, 14	जनवरी,, 15		14 सितम्बर	5	10
	(vi)		प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस		4						बाह्य प्रमाण ान निकाय से आईएसओ/ आईईसी 27001 प्रमाण			
	सी		सीएमपीडीआई, मुख्यालय के लिए आईएसओ/आईईसी 27001 प्रमाणन	दिनांक	4	सितम्बर, 14	अक्टूबर,, 14	नवम्बर, 14	दिसम्बर, 14	जनवरी,, 15		14 सितम्बर	5	20
	(vii)		मानव संसाधन प्रबंधन		5						स्वतंत्र एचआर अंकेक्षक रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट			
		(i)	डीपीई गाइडलाइन के अनुसार एचआरएम कार्य निष्पादन		1	परिशिष्ट बी के रूप मे संल्गन							5	5
		(ii)	परियोजना प्रबंधन में प्रमाणि ात प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	2	10	8	6	4	2		10	5	10
		(iii)	संविदा प्रबंधन में प्रमाणित प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	5	4	3	2	1		5	5	5
		(iv)	माइन प्लानिंग साफ्टवेयर में प्रशिक्षण	अधिकारियों की संख्या	1	10	8	6	4	2		10	5	5
			उप योग		45									
3	सेक्टर स्पेसिफिक पारामीटर/इन्टर प्राइजेज स्पेसिफिक पारामीटर :													
	(i)		ईआईएस/ईएमपी (फॉर्म–I सहित)	नम्बर	2	32	31	29	27	25	वार्षिक रिपोर्ट	49	5	10
	(ii)		परिचालन योजनाओं सहित अन्य रिपोर्ट	नम्बर	2	124	118	112	106	101		174	5	10
	(iii)		कोल इंडिया की खुली खदान खानों के आवधिक विभागीय ओबीआर चेक मेजरमेंट (1 एमटी. प्रति वर्ष से अधिक कोयला उत्पादन वाली)	नम्बर	1	42	38	35	33	31		43	5	5
			उप योग		5									
			समग्र योग		**100**									**499.81**
													स्कोर	**99.96**

अभियुक्ति

1. वर्ष 2014–15 के दौरान आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाले ड्रिलिंग में कमी का मुख्य कारण कानून एवं व्यवस्था की विपरित स्थिति तथा वन्य क्लियरेंस (सीएमपीडीआई के नियंत्रण से पूर्णतः बाहर की बाधा) न मिलना रहा जिसके परिणामस्वरूप आउटसोर्सिंग वाले ब्लॉकों में 3.61 लाख मी. की कमी आयी। वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई तथा सीआईएल के बीच हुए एमओयू (संदर्भ फुट नोट क्रम सं. 1 नीचे) में यह शर्त है कि एमओयू मूल्यांकन के समय सीएमपीडीआई के अथक प्रयास के बावजूद इसके नियंत्रण से बाहर की बाधा को दूर नहीं किए जाने के कारण प्रतिकूलतः प्रभावित ड्रिलिंग लक्ष्य की पहचान पीईआरटी चार्ट (परिशिष्ट।। ए के रूप में संलग्न) से की जाएगी और तद्नुसार वित्तीय एवं पारामीटरों का मूल्यांकन किया जाएगा। तद्नुसार लक्ष्य (उत्कृष्ट) को आउटसोर्सिंग वेधन से संबंधित 489 हजार मी. के लिए संशोधित किया गया है। ड्रिलिंग में कमी के लिए लक्ष्य में कमी हेतु कोयला ब्लॉकों में प्रतिकूल कानून एवं व्यवस्था से संबंधित समस्या पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि विभागीय लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
2. उत्कृष्ट के लिए आउटर्सोस वेधन लक्ष्य अर्थात् 489 हजार मी. में संशोधन के आधार पर वित्तीय पारामीटर के लिए लक्ष्य में संशोधन किया गया है।

टिप्पणी :

1. वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई तथा सीआईएल के बीच हुए एमओयू (संदर्भ फुट नोट क्रम सं. 1 नीचे) में यह शर्त है कि एमओयू मूल्यांकन के समय सीएमपीडीआई के अथक प्रयास के बावजूद इसके नियंत्रण से बाहर की बाधा को दूर नहीं किए जाने के कारण प्रतिकूलतः प्रभावित ड्रिलिंग लक्ष्य की पहचान पीईआरटी चार्ट (परिशिष्ट।। ए के रूप में संलग्न) से की जाएगी और तद्नुसार वित्तीय एवं पारामीटरों का मूल्यांकन किया जाएगा।
2. निगमित शासन का अनुपालन न करने पर ऋणात्मक अंक (मार्किंग : डीईपी के ओएम 3/19/2013– डीपीई (एमओयू), दिनांक : 11 नवम्बर, 2013 के स्पष्टीकरण के अनुसार निगमित शासन का अनुपालन न करने पर ऋणात्मक मार्किंग किया जाएगा।
3. अन्य दिशा–निर्देश/विनियमन (रेगुलेशन) का अनुपालन नहीं करने पर ऋणात्मक अंक मार्किंग :

क) एमएसएमई से प्राप्ति : डीओ नंबर 21(1)/2011–एमए, दिनांक : 25 अप्रैल, 2012 के द्वारा जारी आदेश अनुसार सीपीएमई को सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए सार्वजरिक प्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नीति का अनुपालन करना होगा। उपर्युक्त आदेश का अनुपालन न करने पर एमओयू के मूल्यांकन के समय टास्क फोर्स के विवेक पर 1 अंक (1 मार्क) तक जुर्माना लगाया जाएगा।

ख) डीपीई के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न होना : दिनांक : 28 जून, 11 के ओएम डीपीई/14(38)/10एफआईएन के अनुसार दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पेश किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारण डीपीई के दिशा–निर्देश का अनुपालन नहीं करने (नन–कम्प्लायन्स) पर एमओयू के मूल्यांकन के समय टास्क फोर्स के विवेक पर 1 अंक (1 मार्क) तक का दंड लगाया जाएगा।

ग) अन्य नन–कम्प्लायन्स : डीपीई के 11 नवम्बर, 2013 के ओएम 3/19/2013–डीपीई के परिशिष्ट के रूप में सरकारी दिशा–निर्देश तथा नियामकों (रेगुलेटर्स) की आवश्यकता के अनुपालन संबंधी प्रमाण पत्र डीपीई के 11 नवम्बर, 2013 के ओएम/3/19/2013 के परिशिष्ट 8 में दिया जाएगा। लोक उद्यम (पीई) सर्वेक्षण आदि के आँकड़े की सुपुदर्गी सहित सरकार के किसी भी दिशा–निर्देश के नन'कम्प्लायन्स तथा गंभीर मामले में नियामक की आवश्यकता का नन–कम्प्लायन्स के लिए नन–कम्प्लायन्स की अवस्था (डिग्री) तथा गंभीरता के आधार पर 1 अंक (1 मार्क) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

ह0/– विभागाध्यक्ष (टी एस) सीएमपीडीआई	ह0/– महाप्रबन्धक (वित्त) सीएमपीडीआई	ह0/– स्टेच्यूटरी ऑडिटर

परिशिष्ट – ए

वर्ष 2014–15 के लिए आरएंडडी कार्य–निष्पादन लक्ष्य निर्धारण–सह–मूल्यांकन टम्पलेट

सीएमपीडीआई द्वारा चुनी गई परियोजनाएँ

				लक्षित मूल्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
क्र.सं.	चुनी गई परियोजना	कार्य निष्पादन संकेतक	वेटेज	उत्कृष्ट (100%)	बहुत अच्छा (80%)	अच्छा (60%)	साधारण (40%)	खराब (20%)	वास्तविक #	अभियुक्ति
2.1	डिप सीटेड कोल तथा शेल रिर्सोस से सीबीएम की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ भारतीय कोयले के श्रिंकेज स्वेलिंग कैरेक्टरस्टिक पर अध्ययन	प्रक्रिया विकास/ इमप्रुभमेंट	1.0	निम्नलिखित तक पूरी की गई कोल तथा शेल नमूनों का अनुपातिक विश्लेषण						
				28 फरवरी 15	7 मार्च 15	15 मार्च 15	21 मार्च 15	31 मार्च 15	30 दिसम्बर 14	सेट–अप को तैयार करने के बाद संघटकीय विश्लेषण के लिए चयनित नमूनों का श्रिंकेज स्वेलिंग टेस्ट किया गया। दिनांक : 30.12.2014 के पत्र द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में परिणाम का विस्तृत ब्योरा दिया गया है।
				आवंटित वेटेज						
				1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	1.0	
2.2	बिजली आपूर्ति के बहुस्रोतों के ऑप्टिमाइजेशन तथा नियंत्रण के लिए माईक्रोग्रिड सिस्टम का डिजाइन, विकास तथा प्रदर्शन	ऊर्जा के ऑप्टिमम उपयोग के लिए प्रणाली का विकास	1.0	निम्नलिखित तक संयंत्र का निर्माण तथा चालू करना						
				31 जनवरी 15	7 फरवरी 15	15 फरवरी15	21 फरवरी 15	28 फरवरी 15	31 दिस. 14	सीएमपीडीआई के कार्यालय भवन की ऊपरी छत पर सोलर फोटो भोलटेइक संयंत्र लगाकर चालू कर दिया गया है। स्थापित संयंत्र की कुल क्षमता लगभग 191 के.डब्ल्यू. है। इस संयंत्र की स्थापना में स्ट्रींग इन्वर्टर तथा माइक्रो इन्वर्टर दो प्रकार के टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। इस परियोजना के तहत, जेएसईबी की आपूर्ति नहीं रहने पर कन्वेंशनल ग्रिड (यूटिलिटी सप्लाई) को इर्न्टनल ग्रिड (सीएमपीडीआई) को फिड करने के लिए ग्रिड इंटरएक्टिव इन्वर्टर के जरिए सोलर पीवी सिस्टम तथा डीजी सेट को क्लब किया गया है। संयंत्र के निर्माण तथा परिचालन पर रिपोर्ट दिनांक : 31.12.2014 के पत्र द्वारा सौंप दिया गया है।
				आवंटित वेटेज						
				1.0	0.8	0.6	0.4	0.2	1.0	

 # समझौता संलेख के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन प्रस्तुति के समय भरा जाएगा।

क्रम सं. 2.1

1	परियोजना कोड	:	सीआईएल/आरएंडडी/1/53/13		
2	शीर्षक (टाइटल)	:	डिप सीटेड कोल तथा शेल रिर्सोस से सीबीएम की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ भारतीय कोयले के श्रिंकेज स्वेलिंग कैरेक्टरस्टिक पर अध्ययन		
3	प्रारंभ की तिथि	:	मार्च 2013		
4	समापन की निर्धारित तिथि	:	फरवरी, 2015		
5	उद्देश्य	:	कोल एवं शेल नमूनों के श्रिंकेज–स्वेलिंग की माप के लिए उपयुक्त प्रयोगात्मक सेट–अप का विकास विभिन्न दबाव पर मीथेन अथवा कार्बन डायक्साइड के एडजॉर्पसन/डिजार्पसन सहित भारतीय कोयले के श्रिंकेज–स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन कोल/शेल नमूनों में स्ट्रेन एनीसोट्रॉफी का अध्ययन कोल/शेल नमूनों के परमीएबिलिटि पर मैट्रिक्स श्रिंकेज–स्वेलिंग के इनफ्लूएंस का कम्प्यूटेशन भारतीय कोयले/शेल के अपने रासायनिक संगठन के श्रिंकेज–स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक का सह–संबंध		
6	विवरण की पृष्टभूमि (बैकग्राउण्ड)	:	मीथेन के डिजार्पशन के कारण कोल मैट्रिक्स का श्रिंकेज, परिणामतः क्लीट/फ्रैक्चर आयतन में बदलाव/मीथेन के डिजार्पशन के परिणामस्वरूप छिद्र (पोर्स) खुल जाते हैं तथा कोयले में सुराख हो जाता है, और इस प्रकार कोयले की रंध्रता (पोरोसीटी) बढ़ जाती है। बढ़ी हुई रंघता (पोरोसीटी) कोयले की परमिएब्लिटी पर प्रभाव डालेगा और अंततः सीबीएम क्रिया–कलाप से मीथेन गैस प्राप्त होता है। मीथेन के डिजार्पशन के साथ संबद्ध श्रिंकेज के कारण कोयले की परमिएब्लिटी मैग्निच्यूट के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।		
7	बेस लाइन सर्वेक्षण	:	मैट्रिक श्रिंकेज गुणांक श्रिंकेज प्रयोग कर प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है तथा बढ़े हुए सीबीएम उत्पादन का आकलन करने के लिए इस गुणांक को सीबीएम प्रोड्यूसिंग सिमुलेटर में डाला जाता है, मीथेन के डिर्जाप्सन के कारण मैट्रिक्स श्रिंकेज के साथ सम्बद्ध बढ़े हुए परमिएब्लिटी के कारण इसे प्राप्त कर किया जाएगा। इस प्रकार श्रिंकेज/स्वेलिंग गुण जानना तथा मैट्रिक श्रिंकेज गुणांक निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।		
8	माइल स्टोन (कार्य योजना)	:	(i) संपूर्ण प्रयोगात्मक सेट–अप का असम्बलेज तथा कैलिब्रेशन (ii) कोयला एवं शेल नमूनों का संगठनात्मक विश्लेषण		
9	कार्य योजना	:	कार्य	2014-15	
				प्रारंभ होने की तिथि	पूरा होने की संभावित तिथि
			संपूर्ण प्रयोगात्मक सेट–अप का असेम्बलेज तथा कैलिब्रेशन	जारी	नवम्बर 2014
			कोयला एवं शेल नमूनों का संगठनात्मक विश्लेषण	दिसम्बर 2014	फरवरी 2015
10	सहयोग, यदि कोई हो,	:	इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर		

11	विस्तृत प्रलेखन	:	संबंधित ब्यौरा तथा स्थिति रिपोर्ट सहित परियोजना फाइल
12	नियोजित संसाधन	:	आईआईटी, खड़गपुर के सहयोग से सीएमपीडीआई, मुख्यालय के सीबीएम सेल के अधिकारी
13	परियोजना लागत	:	₹ 182.60 लाख (सीएमपीडीआई के लिए 55.70 लाख य आईआईटी, खड़गपुर के लिए - 126.90 लाख)
14	लाभुक	:	कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य
15	प्रभाव	:	यह अध्ययन इंडियन कोयला/शेल मैट्रिक के श्रिंकेज–स्वेलिंग का अध्ययन उपलब्ध कराएगा जो कोयले की परमिएब्लिटी को बढ़ाता तथा सरल बनाता है और अंत में इससे सीबीएम की प्राप्ति बढ़ेगी।
16	स्थिति	:	प्रयोगिक सेट–अप तथा सेंपुल सेल पूरा किया जा चुका है तथा हाई प्रेशर हिलियम गैस के साथ लिकेज के लिए परीक्षण पूरा किया जा चुका है। पूरे प्रायोगिक सेट–अप का असेम्बली पूरा कर लिया गया तथा इसका कैलिब्रेशन जारी है ।
17	स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट	:	कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा निर्णय किया जाना है।

क्रम सं. 2.2

1	परियोजना कोड	:	सीआईएल/आरएंडडी /1/56/2013
2	शीर्षक (टाइटल)	:	विद्युत आपूर्ति की बहुस्रोतों के आप्टिमाइजेशन तथा नियंत्रण के लिए एक माइक्रो ग्रिड सिस्टम का डिजाइन, विकास तथा प्रदर्शन
3	प्रारंभ की तिथि	:	14 अगस्त 2013
4	समापन की निर्धारित तिथि	:	13 अगस्त 2015
5	उद्देश्य	:	• सीएमपीडीआई कार्यालय परिसर तथा आवासीय कॉलोनी में एक पायलट माइक्रो ग्रिड परियोजना का डिजाइन एवं प्रदर्शन • सोलर पीवी सिस्टम के डिजाइन तथा कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य सभी ग्रुप कंपनियों में इसे दोहराव के लिए घरेलू (स्वदेशी) तकनीकी विशेषज्ञता का विकास • कोलफील्ड क्षेत्र में एटमॉस्फेयरिक तथा क्लाइमेंट की स्थिति के लिए उपयुक्त इनवर्टर टेक्नोलॉजी तथा बेस्ट माड्यूल की पहचान और अध्ययन करने के लिए दीर्घकालीन कार्यनिष्पादन मूल्यांकन
6	विवरण की पृष्ठभूमि (बैकग्राउण्ड)	:	भारत में रिन्यूएबल/ग्रीन एनर्जी की संभावना तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य के आलोक में ऊर्जा सुरक्षा की समस्या प्रधान होती जा रही है, क्योंकि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बड़ी तेजी से खत्म होते जा रहे हैं, तथा यह देश के सतत् विकास के लिए चिंता का विषय है। यह वैश्विक रूप से स्वीकार्य हो गया है कि भविष्य में ग्रीन एनर्जी/रिन्यूएबल एनर्जी का बड़े पैमाने पर एनर्जी सिक्यूरिटी में योगदान होगा। इस दिशा में संभावनाओं को पता लगाने की आवश्यकता कोल इंडिया की है। इस अध्ययन के तहत इन्वर्टर तथा डीजी सेटों के प्रोग्रामेबल स्पेशल टाइप के जरिए सोलर पीवी सिस्टम के साथ परंपरागत ग्रिड को क्लब्ड करने का प्रस्ताव किया गया है। यह अवधारणा '' माइक्रोग्रिड'' के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में, भारत में माइक्रोग्रिड सिस्टम का विकास शैशवावस्था में है।

<table>
<tr><td>7</td><td>बेस लाइन सर्वेक्षण</td><td>:</td><td colspan="3">सौर ऊर्जा की लागत डीजल से उत्पन्न विद्युत की लागत से काफी कम है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) से प्राप्त अनुदान के बाद परंपरागत ऊर्जा की अपेक्षा सोलर पावर अधिक प्रतिस्पर्द्धि हो गया है। विद्युत आपूर्ति के बहुस्रोतों के आप्टीमाइजेशन तथा नियंत्रण के लिए माइक्रो ग्रिड के डिजाइन चुनौतीपूर्ण कार्य हैं तथा पर्याप्त विशेषज्ञता की आवश्यकता है। सीएमपीडीआई में यदि एक बार माइक्रो ग्रिड के डिजाइन तथा संचालन में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली जाती है तो इसे बाद के स्टेज में कोल इंडिया के अन्य क्षेत्रों में दुहराया जा सकेगा।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>माइल स्टोन ; कार्य योजनाद्ध</td><td>:</td><td colspan="3">i) संयंत्र निर्माण तथा संयंत्र को चालू करना
ii) सीएमपीडीआई स्टाफ को प्रशिक्षण</td></tr>
<tr><td rowspan="4">9</td><td rowspan="4">कार्य योजना</td><td rowspan="4">:</td><td rowspan="2">क्रिया–कलाप</td><td colspan="2">2014-15</td></tr>
<tr><td>आरंभ की तिथि</td><td>समापन की संभावित तिथि</td></tr>
<tr><td>संयंत्र का निर्माण तथा इसे चालू करना</td><td>अप्रैल 2014</td><td>जनवरी 2015</td></tr>
<tr><td>सीएमपीडीआई स्टाफ को प्रशिक्षण</td><td>जनवरी 2015</td><td>फरवरी 2015</td></tr>
<tr><td>10</td><td>सहयोग, यदि कोई हो</td><td>:</td><td colspan="3">गुजरात एनर्जी रिसर्च तथा मैनेजमेंट इस्टीच्यूट, गांधीनगर, गुजरात</td></tr>
<tr><td>11</td><td>विस्तृत प्रलेखन</td><td>:</td><td colspan="3">सम्बद्ध विवरण के साथ परियोजना एवं स्थिति रिपोर्ट</td></tr>
<tr><td>12</td><td>नियोजित संसाधन</td><td>:</td><td colspan="3">जर्मी, गांधी नगर के वैज्ञानिकों के सहयोग के साथ ईएंडएम डिविजन सीएमपीडीआई, राँची के अधिकारी</td></tr>
<tr><td>13</td><td>परियोजना लागत</td><td>:</td><td colspan="3">₹ 351.30 लाख</td></tr>
<tr><td>14</td><td>लाभुक</td><td>:</td><td colspan="3">कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य</td></tr>
<tr><td>15</td><td>प्रभाव</td><td>:</td><td colspan="3">यदि एक बार सीएमपीडीआई में माइक्रो ग्रिड के डिजाइन एवं संचालन में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली जाती है तो इसे बाद में कोल इंडिया लिमिटेड के अन्य क्षेत्रों में दुहराया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>16</td><td>स्थिति</td><td>:</td><td colspan="3">स्थल सवेक्षण तथा डिजाइन डाटा का संकलन पूर्ण। प्रस्तावित संयंत्र का विस्तृत डिजाइन पूरा कर लिया गया है। प्रस्तावित संयंत्र के निर्माण तथा उपकरण प्राप्ति के लिए एनआईटी जारी कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>17</td><td>स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट</td><td>:</td><td colspan="3">कोल इंडिया प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाना है।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट–बी

समझौता संलेख के तहत एचआरएम कार्य–निष्पादन मूल्यांकन

क्र.सं.	एचआरएम कार्य–निश्पादन संकेतक	माप की इकाई	वेटेज	पाँच प्वाईट स्केल– बेसिक टारगेट के अंतर्गत टारगेट वैल्यू (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्य निश्पादन (सीपीएसई द्वारा कार्यनिश्पादन मूल्यांकन की सुपुर्दगी के समय भरा जाएगा)	स्वयं मूल्यांकन स्कोर (सीपीएसई द्वारा कार्यनिश्पादन मूल्यांकन की सुपुर्दगी के समय भरा जाएगा)
		वेटेज का % के रुप में आवंटित की जाने वाली स्कोर								
		95	100	90	85	80				
ए	सक्षमता एवं लीडरशिप विकास									
	ए1 आवश्यक									
1	प्रशिक्षण योजना का एक्व्यूअलाइजेश न % में	पूर्ति % में (29 प्रशिक्षण योजना में से)	5	93% (27 प्रशिक्षण योजना)	100% (29 प्रशिक्षण योजना)	90% (26 प्रशिक्षण योजना)	86% (25 प्रशिक्षण योजना)	79% (23 प्रशिक्षण योजना)	30	5
	प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष प्रशिक्षण / दिवस प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष	5	0.70 प्रशिक्षण दिवस प्रति कर्मचारी	0.80	0.60	0.50	0.40	1.26	5	
2	कैरियर प्लानिंग एवं विकास के सिस्टम के जरिए लीडर का क्रिटिकल मॉस डेवलपिंग	नियोजित लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की पूर्ति % में	5	67% (आईआईसीएम/अ–न्य में लीडरशिप डबलपमेंट पर 2 नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकतम 3 में से 2 व्यक्तियों को नामित करना)	100% (3 व्यक्ति)	33% (1 व्यक्ति)	.	.	3	5
3	कर्मचारी लागत का % के रूप में प्रशिक्षण बजट	कर्मचारी लागत का %	5	कर्मचारी लागत का 0.08% (2013-14) (बजट)	0.09	0.07	0.06	<0.06	0.18	5
4	कर्मचारियों के बहु–दक्षता/दक्षता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण योजना की पूर्ति % में	%	5	67% (नियोजित 3 में से 2 कार्यक्रम)	100% (3 कार्यक्रम)	33% (1 कार्यक्रम)	.	.	3	5

क्र.सं.	एचआरएम कार्य–निश्पादन संकेतक	माप की इकाई	वेटेज	पाँच प्वाईंट स्केल– बेसिक टारगेट के अंतर्गत टारगेट वैल्यू (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्य निश्पादन (सीपीएसई द्वारा कार्यनिश्पादन मूल्यांकन की सुपुर्दगी के समय भरा जाएगा)	स्वयं मूल्यांकन स्कोर (सीपीएसई द्वारा कार्यनिश्पादन मूल्यांकन की सुपुर्दगी के समय भरा जाएगा)
		वेटेज का % के रुप में आवंटित की जाने वाली स्कोर								
		95	100	90	85	80				
	ए2 वैकल्पिक									
5	नये/एडवांस टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग इन्टरवेसन–न्यू टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण योजना की पूर्ति % में	%	5	67%नियोजित 3 कार्यक्रमों में से 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने चाहिएद्ध	100% ;3 कार्यक्रमद्ध	33% ;1 कार्यक्रमद्ध	.	.	3	5
	कुल		30							30
बी	भर्ती, रिटेंशन एवं प्रतिभा प्रबंधन									
6	निम्नलिखित के जरिए श्रमशक्ति का पूणर्गठन	%	10	0-8 % (स्थानान्तरण/ पदस्थापन के जरिए) (3177 की कुल श्रमशक्ति में से लगभग 25 (1.11.2013 के अनुसार)	0.85	0.75	0.70	0.65	23.38	10
	- स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति									
	- पुनर्नियोजन									
	- कोई अन्य									
7	कुल कर्मचारियों के % के रूप में एट्रिशन (अपूर्णता)	%	10	3%(वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति) (3177 के कुल श्रम–शक्ति का लगभग 100) (1.11.2013 के अनुसार)	3.2	2.8	2.6	2.4	5.26	10

क्र.सं.	एचआरएम कार्य–निश्पादन संकेतक	माप की इकाई	वेटेज	पाँच प्वाईंट स्केल– बेसिक टारगेट के अंतर्गत टारगेट वैल्यू (बहुत अच्छा)	उत्कृष्ट	अच्छा	साधारण	खराब	वास्तविक कार्य निश्पादन (सीपीएसई द्वारा कार्यनिश्पादन मूल्यांकन की सुपुर्दगी के समय भरा जाएगा)	स्वयं मूल्यांकन स्कोर (सीपीएसई द्वारा कार्यनिश्पादन मूल्यांकन की सुपुर्दगी के समय भरा जाएगा)
		वेटेज का % के रुप में आवंटित की जाने वाली स्कोर								
		95	100	90	85	80				
8	जॉब रोटेशन सिस्टम, रिवार्ड सिस्टम, जैसे टैलेंट का प्रबंधन के लिए सिस्टम का फार्मूलेशन/कार्यान्वयन, एडवींस प्रबंधन कार्यक्रम, वृद्धि का अवसर आदि के लिए वरीय अधिकारियों को स्पोंसर करना	योजना/प्रोत्साहन एवं उनका विवरण	10	एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम के लिए 1 अधिकारी को नामित किया जाना	2	.	.	.	2	10
	कुल		30							30
सी	कर्मचारी संबंध एवं कल्याण									
9	शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावकारिता–वर्ष के दौरान प्राप्ति के साथ–साथ निपटाए गए शिकायतों का :	निपटारा % में	15	10% (प्राप्त कुल शिकायत संबंधी आवेदनों में से)	10.2	9.5	9	8.6	100%	15
10	पेंशन, चिकित्सा, जहाँ कार्य दबाव वाला है वहाँ दबाव को कम करने के लिए योगा क्लास	कार्यक्रम की संख्या/योजना के कार्यान्वयन की तिथि	10	2 (योगा क्लास) (पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा पहले से वर्तमान है)	3	1	.	.	3	10
11	कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	15	2	3	1	.	.	4	15
	कुल		40							40
	समग्र योग		100							100
	एनबी : सीपीएसई को एचआरएम पर प्रदत्त 100 में से कुल स्कोर को प्रो–राटा आधार पर एमओयू में 1 में से बदला जाएगा।									

परिशिष्ट X

31.3.2015 की तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग का परिशिष्ट कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक), नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 5 (2) के अनुसार सूचना

क्र.सं.	नाम	पदनाम/कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रू.)	नियुक्ति की प्रकृति स्थाई/ अस्थाई	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2015 को उम्र (वर्ष)	अंतिम नियोजन	धारित इक्विटीशेयर का %	क्या निदेशक/प्रबंधक से संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(अ)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित तथा उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 60,00000/–रू. से कम नहीं था। .... शून्य										
(ब)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए संपूर्ण योग के दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 5,00000/–रू. से कम नहीं था। .... शून्य										
(स)	पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान नियोजित एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर द्वारा मिलने वाले पारिश्रमिक से अधिक की प्राप्ति तथा जिसके पास कंपनी की इक्विटी शेयर का 2%से अधिक नहीं था। .... शून्य										

परिशिष्ट XI

सीएसआर रिपोर्ट का परिशिष्ट

निबल लाभ (42.82 लाख रू.) के 2 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2014–15 के लिए सीएसआर बजट तथा व्यय

ईकाई	बजट	सीएसआर एवं एसडी कार्यों पर किया गया व्यय (लाख रू. में)	सीएसआर पर किया गया खर्च (लाख रू. में)
मुख्यालय	53.32	80.78	77.81
आरआई. I	14.65	8.38	8.38
आरआई. II	2.10	2.06	2.06
आरआई. III	14.00	13.25	13.26
टारआई. IV	29.20	28.48	28.48
आरआई. V	42.70	14.06	8.04
आरआई. VI	16.75	16.21	12.66
आरआई. VII	38.27	17.70	17.70
कुल	**210.99**	**180.92**	**168.39**

वर्ष 2014–15 के लिए कार्यानुसार सीएसआर व्यय

क्रम सं.	कार्य	खर्च (लाख रू में)	व्यय (लाख रू में)
1	शिक्षा	53.27	53.27
2	आधारभूत संरचना	56.78	56.78
3	जलापूर्ति	2.32	2.32
4	स्वास्थ्य सेवा	51.70	51.70
5	सस्टैनेबिलिटी	12.53	-
6	सामाजिक/महिला सशक्तिकरण	3.53	3.53
7	अन्य	0.79	0.79
	कुल	**180.92**	**168.39**

सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्य तथा नीति के अनुरूप ही है

ह/–
अध्यक्ष
सीएसआर समिति

ह/–
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
सीएमपीडीआई

वार्षिक प्रतिवेदन

2014-15

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

करोड़ रू.में

		टिप्पणी		31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)		31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
I	इक्विटी एवं देयताएँ					
(1)	अंशधारकों की निधि					
	क) शेयर पूँजी	1	19.04		19.04	
	ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	159.02		136.84	
				178.06		155.88
(2)	गैर चालू देयताएँ					
	क) दीर्घकालीन उधारी	3	-		-	
	ख) आस्थगित कर देयताएँ(निबल)		-		-	
	ग) अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	4	-		-	
	घ) दीर्घकालीन प्रावधान	5	183.29		183.51	
				183.29		183.51
(3)	अल्पसंख्यक अंश(माइनोरिटी इंटरेस्ट)			-		-
(4)	चालू देयताएँ					-
	क) अल्पकालीन ऋण	6	-		-	
	ख) पेशागत देय	7	50.47		45.80	
	ग) अन्य चालू देयताएँ	8	238.41		222.99	
	घ) अल्पकालीन प्रावधान	9	259.38		222.34	
				548.26		491.13
	कुल			**909.61**		**830.52**
II	परिसम्पत्तियाँ					
(1)	गैर चालू परिसम्पत्तियाँ					
	क) अचल परिसम्पत्तियाँ	10 अ				
	1) वास्तविक परिसम्पत्तियाँ- सकल ब्लॉक		195.92		181.60	
	घटाकर : मूल्यह्रास, क्षति एवं प्रावधान		119.62		109.49	
	निबल वहनीय मूल्य			76.30		72.11
	2) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ-सकल ब्लॉक	10 अ	7.55		2.21	
	घटाकर : मूल्य ह्रास, क्षति एवं प्रावधान		3.02		2.21	
	निबल वहनीय मूल्य			4.53		-
	3) पूंजीगत कार्य-प्रगति में	10 ब		29.44		24.93
	4) परिवृद्धि के अंतर्गत अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10 स		-		-
	ख) गैर चालू निवेश	11		-		-
	ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ(निबल)			106.43		101.59

	घ) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	12		4.07		2.02
	ड.) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	13		0.02		0.02

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

	जारी					
		टिप्पणी		31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)		31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित))
(2)	चालू परिसम्पत्तियाँ					
	क) चालू निवेश	14	-		-	
	ख) वस्तु सूची	15	6.10		5.77	
	ग) व्यवसायिक प्राप्य	16	236.36		198.34	
	घ) नकद एवं तुल्यमान नकद	17	85.92		109.18	
	ड.) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	360.39		316.51	
	च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	19	0.05		0.05	
				688.82		629.85
	कुल			**909.61**		**830.52**

सार्थक लेखा नीति 33

लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणी 34

उपर्युक्त फार्म में उल्लेखित टिप्पणियाँ तुलन–पत्र का अभिन्न अंग है।

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(पी. लाजर)	**(डी.के. राव)**	**(डी.के. घोष)**	**(ए.के. देबनाथ)**
कंपनी सचिव	**महाप्रबंधक (वित्त)**	**निदेशक**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000216सी

ह. / –
(सी.ए.अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य संख्या 079005

दिनांक : 22 मई, 2015
स्थान : रांची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण

करोड़ रू.में

आय	टिप्पणी	31-03-2015 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)		31-03-2014 समाप्त वर्ष के लिए (अंकेक्षित)	
परिचालन से राजस्व					
(क) सेवाओं की बिक्री		816.54		727.45	
घटाकर : उत्पाद शुल्क		-		-	
अन्य उगाहियाँ		89.82		80.02	
निबल बिक्री			726.72		647.43
ख) अन्य प्रचालन आय			-		-
i) परिचालन से प्राप्त राजस्व(क+ख)	20		726.72		647.43
ii) अन्य आय (i +ii)	21		5.48		5.01
सकल राजस्व			**732.20**		**652.44**
व्यय					
सामग्री खपत की लागत	22		21.43		19.99
ट्रेड में स्टाक तथा चालू फिनिश्ड गुडस की वस्तु सूची में परिवर्त्तन	23		-		-
कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय	24		402.73		378.04
विद्युत एवं ईंधन			2.97		3.11
सीएसआर व्यय	25		1.68		1.82
मरम्मती	26		15.22		14.25
संविदात्मक व्यय	27		191.09		152.27
वित्तीय लागतें	28		0.24		0.17
मूल्य हास/ऋण/क्षति			10.32		9.83
प्रावधान	29		(0.07)		(0.19)
बट्टे खाते में डालना	30		-		-
अधिभार निराकरण समायोजन			-		-
अन्य-व्यय	31		47.25		39.06
कुल व्यय			**692.86**		**618.35**
आपवादात्मक एवं असाधारण आइटम के पहले लाभ,हानि			**39.34**		**34.09**
समय पूर्व समायोजन (शुल्क/(आय)	32		0.01		(0.51)
आपवादिक मद			-		-
विशेष मदों तथा कर से पूर्व लाभ/हानि			**39.33**		**34.60**

असाधारण मद (शुल्क / (आय)			-		-
घटाकर : कर व्यय			**39.33**		**34.60**
घटाकर : कर व्यय					
– चालू वर्ष			19.13		19.15
– आस्थगित कर			(4.84)		(6.05)
– पूर्व वर्ष			-		1.93
वर्ष के लिए लाभ / हानि			**25.04**		**19.57**
प्रति इक्विटी शेयर में अर्जन (रू. में)					
(प्रति शेयर 1000 रू. के अंकित मूल्य पर)					
1. बेसिक (रूपये में)			1315.00		1028.00
2. मंदी (रूपये में)			1315.00		1028.00
महत्वपूर्ण लेखा नीति	33				
लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी	34				
उपर्युक्त फार्म उल्लेखित टिप्पणी लाभ एवं हानि लेखे का अभिन्न भाग है					

ह./–	ह./–	ह./–	ह./–
(पी. लाजर)	**(डी.के. राव)**	**(डी.के. घोष)**	**(ए.के. देबनाथ)**
कंपनी सचिव	**महाप्रबंधक (वित्त)**	**निदेशक**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000216सी

ह. / –
(सी.ए.अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य संख्या 079005

दिनांक : 22 मई, 2015
स्थान : रांची

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 1

करोड़ रू.में

	शेयरपूँजी		
		31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
	अधिकृत		
(i)	1000/–रू. प्रति इक्विटी शेयर वाले 500000 इक्विटी शेयर	50.00	50.00
		-	-
		50.00	**50.00**
	निर्गमित अभिदत्त एवं चूकता पूँजी		
	(कोल इंडिया नियंत्रक कंपनी तथा इनके मनोनीति के हैं)	-	-
	पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर(गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू. के 8 इक्विटी शेयर)	-	-
	नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 85392 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/–रू.के 85392 इक्विटी शेयर)	8.54	8.54
	ऋण को इक्विटी शेयर में बदल कर होल्डिंग कंपनी को पूर्णतः चूकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/–रू. के 105000 इक्विटी शेयर	10.50	10.50
		19.04	**19.04**
	शेयर होल्डरों के नाम	**मूल से हिन्दी रेंखे**	**कुल शेयर का प्रतिशत**
	कोल इंडिया लिमिटेड	190400	100%

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 2

करोड़ रू.में

आरक्षित एवं अधिशेष	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
आरक्षित		
पूंजीगत रिजर्व		
गत तुलन पत्र के अनुसार	12.59	11.17
जोड़कर : वर्ष कें दौरान वृद्धि	0.27	2.72
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	3.13	1.30
(अतिरिक्त टिप्पणी– 34 पैरा 5.1 पूंजीगत रिजर्व	9.73	12.59
पूंजीगत क्षतिपूर्ति रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार		
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि		
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
विदेशी विनिमय ट्रान्जेक्शन के लिए रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	-	-
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	-	-
सीएसआर रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	-	0.57
जोडकर : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	1.25
घटाकर : सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	-	1.82
	-	-
सतत् विकास रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	0.03	0.67
जोड़कर : वर्ष के दौरान वृद्धि	-	1.37
घटाकर : सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	0.03	2.01
	0.00	0.03
सामान्य रिजर्व		
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	5.74	3.73
जोड़कर : सीएसआर रिजर्व से स्थानान्तरण	0.03	2.01
जोड़कर / घटाकर : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	5.77	5.74

लाभ एवं हानि लेखे में सरप्लस	-	-
विगत तुलन–पत्र के अनुसार	118.48	100.28
वर्ष के दौरान कर के उपरांत लाभ/(हानि)	25.04	19.57
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि)	143.52	119.85
घटाकर : विनियोग		
विदेशी विनिमय ट्रान्जेक्शन के लिए रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरण	-	-
सीएसआर रिजर्व में स्थानान्तरण	-	1.37
अंतरिम लाभांश	-	-
इक्विटि शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-
	143.52	118.48
विविध खर्च		
(बट्टे शाते में नहीं डाला गया		
प्रारंभिक व्यय	-	-
पूर्व परिचालन व्यय	-	-
कुल	159.02	136.84

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 3

करोड़ रू.में

दीर्घकालीन कर्ज	**31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)**	**31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)**
टर्म लोन		
आईबीआरडी	-	-
जेबीआईसी	-	-
निर्यात विकास कॉरपोरेशन कनाडा		
लाईभेर फ्रांस, एस.ए.फ्रांस	-	-
कोल इंडिया से ऋण	-	-
कुल(अ+ब)	-	-
वर्गीकरण 1		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूत	-	-
वर्गीकरण 2		
निदेशकों तथा अन्य द्वारा ऋण गारंटी		
ऋण के विवरण	करोड़ रू. में धनराशि	गारंटी की प्रकृति
	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 4

करोड़ रू.में

अन्य दीर्घकालीन देयताएँ	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि		
अथ शेष	-	-
जोड़कर : निधि के निवेश से लाभ	-	-
जोड़कर : प्राप्त अंशदान	-	-
घटाकर : उपयोग की गई राशि	-	-
	-	-
प्रतिभूति जमा		
अन्य (ब्यौरेवार प्रकृति)	-	-
कुल	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 5

करोड़ रू.में

दीर्घकालीन प्रावधान	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
कर्मचारियों के लिए लाभ		
ग्रेच्यूटी	98.22	103.21
छुट्टी नकदीकरण	70.15	67.20
अन्य कर्मचारी लाभ	14.92	13.10
विदेशी विनिमय ट्रान्जेक्शन के लिए(मार्क्ड टू मार्केट)	-	-
ओबीआर समायोजन लेखा	-	-
खान बन्दी	-	-
अन्य के लिए	-	-
कुल	183.29	183.51

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 6

करोड़ रू.में

अल्पकालीन ऋण	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
बैंक से ऋण	-	-
मांग के अनुसार प्रतिदेय ऋण		
कोल इंडिया लिमिटेड एवं अन्य अनुषंगियों के पास शेष	-	-
नियत तिथि पर जमा की गई गिरवी के विरूद्ध ओवर ड्राफ्ट	-	-
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
आस्थगित क्रेडिट	-	-
कुल	-	-
वर्गीकरण 1		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूत	-	-
वर्गीकरण 2		
निदेशक तथा अन्य के द्वारा प्रत्याभूत ऋण	करोड़ रू. में धनराशि	गारंटी की प्रकृति
ऋण के विवरण	शून्य	शून्य

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 7

करोड़ रू.में

पेशागत देय	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
राजस्व भंडारों/अन्य के लिए विविध लेनदार	50.47	45.80
कुल	50.47	45.80

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 8

करोड़ रू.में

अन्य चालू देयताएँ	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
दीर्घकालीन उधारियों की चालू परिपक्वता		
आईबीआरडी से टर्म लोन	-	-
जेबीआईसी से टर्म लोन	-	-
निर्यात विकास कॉरपोरेशन कनाडा से टर्म लोन	-	-
लाईभेर फ्रांस एस.ए.फ्रांस से टर्म लोन	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड से टर्म लोन	-	-
कोल इंडिया से अधिशेष निधि	-	-
पूंजी के लिए (स्टोरों सहित)	4.90	5.98
व्यय के लिए		
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	33.24	29.62
विद्युत एवं ईंधन	0.84	0.65
अन्य	89.69	80.20
	128.67	116.45
सांविधिक देय		
विक्रय कर/वैट	-	-
भविष्य निधि तथा पेंशन निधि	19.28	16.09
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
कोयला पर उपकर तथा राजस्व	-	-
स्टोविंग उत्पाद शुल्क	-	-
स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-
अन्य सांविधिक उगाहियाँ	1.50	1.78
	20.78	17.87
स्रोत पर आयकर कटौती	0.42	0.42
प्रतिभूति जमा	4.05	2.15
पेशगी राशि	2.38	2.37
ग्राहक एवं अन्य से अग्रिम तथा जमा	5.30	4.74
ब्याज प्राप्ति तथा ऋणों पर देय	-	-
ब्याज प्राप्ति लेकिन ऋणों पर देय नहीं	-	-
उपकर समकरण लेखा	-	-
आईआईसीएम के पास चालू लेखा	-	-
अनपेड लाभांश	-	-
राष्ट्रीयकरण से पूर्व अन्य अग्रिम जमा	-	-
अन्य देयताएँ	76.81	78.99
कुल	238.41	222.99

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 9

करोड़ रू.में

अल्पकालीन प्रावधान	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
कर्मचारियों के लिए लाभ		
– ग्रेच्यूटी	23.84	19.68
– छुट्टी नकदीकरण	15.58	12.43
– पीपीएलबी	9.33	7.22
– पीआरपी (अतिरिक्त टिप्पणी पैरा 34, 7.3)	192.50	165.48
– अन्य कर्मचारी लाभ	18.11	17.51
प्रस्तावित लाभांश के लिए	-	-
कॉरपोरेट लाभांश कर के लिए	-	-
कोयले की समाप्त भंडार पर उत्पाद शुल्क के लिए	-	-
अन्य देयताएँ	0.02	0.02
कुल	259.38	222.34

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 10 अ

अचल परिसम्पत्तियाँ

करोड़ रू.में

	कुल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				इम्पेयरमेंट लॉस					निबल ब्लॉक	
विवरण	1.4.2014 के अनुसार	वर्ष 2014.15 के दौरान वृद्धि	2014–15 में समायोजन/विक्रय/स्थानान्तरण	31.3.2015 के अनुसार	1.4.2014 के अनुसार	वर्ष 2014.15 के दौरान वृद्धि	2014–15 में समायोजन/विक्रय/स्थानान्तरण	31.3.2015 के अनुसार	1.4.2014 के अनुसार	वर्ष 2014.15 के दौरान वृद्धि	2014–15 में समायोजन/विक्रय/स्थानान्तरण	31.3.2015 के अनुसार	कुल मूल्य ह्रास/क्षतिपूर्ति घाटा	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
वास्तविक परिसम्पतियाँ															
जमीन															
(क) पूर्ण स्वामित्व	1.15	-	-	1.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15	1.15
(ख) पट्टेदार	2.19	-	-	2.19	0.83	0.02		0.85	-	-	-	-	0.85	1.34	1.36
भवन/जल आपूर्ति/रोड एवं पुलिया	41.86	0.80	0.05	42.71	15.26	1.56	0.06	16.88	-	-	-	-	16.88	25.83	26.60
संयंत्र एवं मशीनरी	09.73	10.56	(1.62)	118.67	76.90	7.21	(1.22)	82.89	-	-	-	-	82.89	35.78	32.83
दूर संचार	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
फर्निचर तथा फिटिंग/कार्यालय साधन एवं उपकरण/विद्युतीय फिटिंग/अग्निशामक यंत्र	14.00	1.62	-	15.62	9.12	2.12	(0.17)	11.07	-	-	-	-	11.07	4.55	4.88
वाहन	12.01	3.59	(0.70)	14.90	7.38	1.22	(0.67)	7.93	-	-	-	-	7.93	6.97	4.63
एयरक्राफ्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
राष्ट्रीयकरण के बाद ली गई परिसम्पत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल–अ	180.94	16.57	(2.27)	195.24	109.49	12.13	(2.00)	119.62	-	-	-	-	119.62	75.62	71.45
सर्वेड आफ परिसंपत्तियाँ–ब	0.66	0.39	(0.37)	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68	0.66
समग्र योग (अ+ब)	181.60	16.96	(2.64)	195.92	109.49	12.13	(2.00)	119.62	-	-	-	-	119.62	76.30	72.11
सर्वेड आफ रिसंपत्तियाँ (31.3.14 के अनुसार	0.54	0.12	-	0.66	-	-	-	-	-	-		-	-	0.66	0.54
इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ (31.3.14के अनुसार)	181.85	6.06	(6.97)	180.94	106.67	10.39	(7.57)	109.49	-	-	-	-	109.49	71.45	75.18
समग्र योग (31.3.14 के अनुसार)	182.39	6.18	(6.97)	181.60	106.67	10.39	(7.57)	109.49	-	-	-	-	109.49	72.11	75.72
इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ															
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	2.21	5.85	(0.51)	7.55	2.21	1.32	(0.51)	3.02	-	-	-	-	3.02	4.53	-
विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्वेक्षण एवं बोरिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	2.21	5.85	(0.51)	7.55	2.21	1.32	(0.51)	3.02	-	-	-	-	3.02	4.53	-
इंटेन्जेबुल परिसम्पत्तियाँ (31.3.14के अनुसार)	5.61	0.75	(4.15)	2.21	5.61	0.75	(4.15)	2.21	-	-	-	-	2.21	-	-

टिप्पणी – 10 ब

चालू पूँजीगत कार्य

करोड़ रु.में

	लागत				प्रावधान				इम्पेयरमेंट हानि					निबल ब्लॉक	
विवरण	1.4.14 के अनुसार	वर्ष 2014–15 के दौरान वृद्धि	2014–15 में समायोजन/विक्रय/ सीनांतरण	31.3.15 के अनुसार	1.4.14के अनुसार	वर्ष 2014–15 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2014–15 में समायोजन/विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.15 के अनुसार	1.4.14 के अनुसार	वर्ष 2014–15 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2014–15 में समायोजन/विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.15 के अनुसार	कुल मूल्य ह्रास/ इम्पेयरमेंट हानि	31.3.15 के अनुसार	31.3.14 के अनुसार
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ															
भवन / जलापूर्ति / रोड एवं पुलिया	7.34	6.11	(0.74)	12.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.71	7.34
संयंत्र एवं मशीनरी	17.59	13.16	(14.02)	16.73	-		-	-	-	-	-	-	-	16.73	17.59
रेलवे साईडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	24.93	19.27	(14.76)	29.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.44	24.93
वास्तविक परिसम्पत्तियाँ (31.3.14 के अनुसार)	10.83	17.92	(3.82)	24.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.93	10.83

टिप्पणी – 10 स

करोड़ रु.में

विकासाधीन इंटेन्जबल परिसम्पत्तियाँ

	लागत				प्रावधान				इम्पेयरमेंट					निबल ब्लॉक	
विवरण	1.4.14 के अनुसार	वर्ष 2014–15 के दौरान वृ़ि	2014–15 में समायोजन/ विक्रय/सीन. तरण	31.3.15 के अनुसार	1.4.14के अनुसार	वर्ष 2014–15 के दौरान वृ़ि	वर्ष 2014–15 में समायोजन/ विक्रय/स्थ. नान्तरण	31.3.15 के अनुसार	1.4.14 के अनुसार	वर्ष 2014–15 के दौरान वृद्धि	वर्ष 2014–15 में समायोजन/ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.3.15 के अनुसार	कुल मूल्य ह्रास/ इम्पेयरमेंट हानि	31.3.15 के अनुसार	31.3.14 के अनुसार
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ															
विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पूर्ववेक्षण एवं वेधन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.3.14 को समाप्त वर्ष के अनुसार															
अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 11

करोड़ रू.में

गैर चालू निवेश–लागत पर अनुद्धृत	शेयरों/अनुबंध पत्र/प्रतिभूति/ चालू वर्ष/ (विगत वर्ष)	प्रति शेयर अंकित मूल्य/ अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति चालू वर्ष (विगत वर्ष)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
व्यवसाय				
8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबन्ध पत्र				
(पूर्ण रूप से भुगतान किया हुआ)				
(विविध देनदारों के प्रत्याभूति पर)				
अधिकांशः राज्य–वार विघटित	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-
हरियाणा	-	-	-	-
महाराष्ट्र	-	-	-	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	-
गुजरात	-	-	-	-
प.बंगाल	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों में इक्विटी शेयर				
(संयुक्त कंपनियों के नाम सहित)	-	-	-	-
अनुषंगी कंपनियों में इक्विटी शेयर				
(अनुषंगियों के नाम सहित)	-	-	-	-
अन्य (को–ऑपरेटिव) में शेयर				
अव्यावसायिक	-	-	-	-
7.55 प्रतिशत अविनिमय आईआरएफसी कर मुक्त			-	-
अनुबंध पत्र 20–21 अनुक्रम			-	-
कुल			-	-
उद्धृत निवेश का संकलन				
अनुद्धृत निवेश का संकलन				
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान				

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 12

करोड़ रू.में

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण		
अग्रिम		
पूंजी के लिए		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	3.28	1.29
– संदिग्ध	-	-
	3.28	1.29
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	3.28	1.29
राजस्व के लिए		
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– संदिग्ध	-	-
	-	-
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-
– प्रतिभूत वसूली योग्य	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य	0.13	0.13
– संदिग्ध	-	-
	0.13	0.13
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-	-
	0.13	0.13
पीएंडटी बिजली इत्यादि के लिए जमा		
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.60	0.51
– संदिग्ध	-	-
	0.60	0.51
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध ऋण प्राप्ति योग्य व्यवसाय हेतु प्रावधान	-	-
	0.60	0.51
कर्मचारियों एवं अन्य को ऋण		
भवन के लिए		
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	0.06	0.09
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-	-
–संदिग्ध	-	-
	0.06	0.09

मोटर कार तथा अन्य वाहन के लिए				
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-		-	
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-		-	
– संदिग्ध	-		z-	
अन्य के लिए				
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-		-	
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-		-	
– संदिग्ध	-		-	
घटाकर : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान	-		-	
सहायक कंपनियों को ऋण				
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-		-	
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान	-		-	
– संदिग्ध	-		-	
कुल	4.07		2.02	
टिप्पणी				
	इति शेष		किसी समय पर देय अधिकम राशि	
	31-03-2015	31-03-2014	2014-15	2013-14
समरूप प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक(कों) सम्बद्ध हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 13

करोड़ रू.में

अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ		**31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)**		**31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)**
प्राप्ति योग्य दीर्घकालीन व्यवसाय				
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
– संदिग्ध		-		-
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान		-		-
गवेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य				
– प्रतिभत वसूली योग्य सामान		-		-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
– संदिग्ध		-		-
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान		-		-

अन्य प्राप्ति योग्य				
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.02		0.02
– संदिग्ध		-		-
		0.02		0.02
घटाकर : खराब एवं संदिग्ध प्राप्ति योग्य व्यवसाय के लिए प्रावधान		-		-
		0.02		0.02
कुल		0.02		0.02
टिप्पणी				
	इतिशेष		किसी समय पर देय अधिकतम राशि	
	31.3.15 के अनुसार	31.3.14 के अनुसार	2014–15 के दौरान	2013–14 के दौरान
एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियाँ द्वारा देय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक(कों) सम्बद्ध है/हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 14

करोड़ रू.में

चालू निवेश में उद्धृत/ अनुद्धृत लागत पर	**चालू वर्ष में शेयर/ बांड/सिक्यिू– रिटी संख्या/(गत वर्ष)**	**प्रति शेयर अंकित मूल्य/अनुबंध पत्र/ प्रतिभूति चालू वर्ष/ (विगत वर्ष)**	**31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)**	**31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)**
अव्यावसायिक				
म्यूचूअल फंड निवेश	-	-	-	-
(म्यूचूअल फंड के नाम सहित)				
7.55 प्रतिशत अविनिमय आईआरएफसी करमुक्त अनुबंध पत्र 2021 अनुक्रम				
व्यवसाय				
8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध पत्र(पूर्णतः भुगतान किया हुआ				
(संडरी टेब्टर्स का प्रतिभूतिकरण)				
अधिकांशतः राज्यवार विघटित				
कुल :			-	-
उद्धृत निवेश का पूर्ण योग			-	-
अनुद्धृत निवेश का पूर्ण योग			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
अनुद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए निर्मित प्रावधान			-	-

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 15

करोड़ रू.में

		31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
	वस्तु सूची		
	(लेखा नीति संख्या 5.1 टिप्पणी–33 के अनुसार मूल्य निर्धारण)		
	कोयले का भंडार	-	-
	विकास के अधीन कोयला	-	-
	घटाकर : प्रावधान	-	-
क.	कोयले का भंडार(निबल)	-	-
	स्टोरों का भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों (लागत पर)	6.42	6.13
	स्टोर : मार्गस्थ	0.09	0.06
	घटाकर : प्रावधान (अतिरिक्त टिप्पणी 34 पैरा 2.1.2	0.41	0.42
ख.	भण्डारों तथा अतिरिक्त पुर्जों का शुद्ध भंडार(लागत पर)	6.10	5.77
ग.	वर्कशाप जॉब :		
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	-	-
	घटाकर : प्रावधान	-	-
	वर्कशाप जॉब का निबल भंडार	-	-
घ.	प्रेस		
	कार्य प्रगति में तथा तैयार माल	-	-
ड.	सेंट्रल अस्पताल में दवाइयों का भंडार	-	-
च.	पूर्वेक्षण तथा वेधन/विकासात्मक व्यय/कोल ब्लॉकों के	-	-
	कुल (क से च)	6.10	5.77

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 16

करोड़ रू.में

व्यावसायिक प्राप्य		31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)		31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
भुगतान तिथि से छह माह से अधिक समय का बकाया ऋण				
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		.		.
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		67.94		88.90
– संदिग्ध		2.78		2.84
		70.72		91.74

घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान		2.78		2.84
		67.94		88.90
अन्य बकाया ऋण				
–प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
–अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		168.42		109.44
–संदिग्ध		-		-
		168.42		109.44
घटाकर : खराब एवं संदिग्धपूर्ण व्यवसायिक प्राप्ति के लिए प्रावधान		-		-
		168.42		109.44
कुल		236.36		198.34
टिप्पणी				
	इतिशेष		किसी भी समय देय अधिकम राशि	
	31.3.15 के अनुसार	31.3.14 के अनुसार	2014–15 के दौरान	2013–14 के दौरान
एक ही प्रबधंन के अंतर्गत कंपनियों से बकाया				
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	13.42	20.52	48.72	32.22
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	42.93	31.02	71.44	45.43
सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड	20.89	40.52	82.19	58.60
वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	4.50	3.42	23.37	18.45
साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	32.82	3.13	44.86	70.87
नादर्न कोलफील्डस लिमिटेड	23.27	15.67	42.35	17.99
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	20.50	23.75	32.96	30.64
नार्थ ईस्ट कोलफील्डस	0.59	0.74	0.74	0.89
ककरी सीएचपी (एनसीएल)	0.14	0.14	0.14	0.14
दानकुनी कोल कम्पलेक्स (सीआईएल)	0.02	0.02	0.02	0.02
भरतपुर सीएचपी,(एमसीएल)	0.01	0.01	0.01	0.01
कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा	0.97	0.00	0.97	0.00
सीआईएल, कोलकाता	37.44	24.94	37.44	43.15
एमजेएसजे कोल कंपनी लि0	0.24	0.24	0.24	0.24
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0.29	0.30	0.40	0.29
कुल	198.03	164.42	385.85	318.94
पार्टियों से बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक (को) सम्बद्ध है(हैं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 17

करोड़ रू.में

	नकद एवं तुल्यमान नकद	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	नकद एवं तुल्यमान नकद		
	अधिसूचित बैंक के पास शेष		
	– एसबीआई लाभांश लेखा(अदेय/दावारहित/अस्वाभाविक लाभांश लेखा)	-	-
	– तीन महीने से भुगतान तिथि तक के साथ जमा खाते में	-	-
	– चालू खाते में	82.61	108.05
	– नकद जमा खाते में	-	-
	गैर अधिसूचित बैंक के पास शेष	-	-
	भारत से बाहर के बैंक के पास खाते में	-	-
	मार्गस्थ भेजी गई रकम	-	-
	चेक डाफ्ट एवं हाथे टिकट	0.01	0.05
	नकद हाथे में	0.09	0.08
	पुनःस्थापन तथा स्थानान्तरण के अंतर्गत अधिसूचित बैंक के पास जमा तीन महीने से परिपक्वता तिथि तक निधि योजना	-	-
	अन्य बैंक शेष		
	अधिसूचित बैंक के पास शेष		
	– तीन महीने से अधिक के भुगतान तिथि के साथ जमा खाते में	3.21	1.00
	पुन : स्थापन तथा स्थानान्तरण के अंतर्गत अनुसूचित बैंक के पास जमा तीन महीने से अधिक के परिपक्वता तिथि तक के साथ निधि योजना	-	-
	माइन क्जोजर प्लान स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित बैंक के पास जमा	-	-
	कुल	85.92	109.18
	वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिसूचित बैंक के आलावा अन्य बैंकों के साथ बकाया		
	अधितकम लेखा	.	.
	– तीन महीने से अधिक के भुगतान तिथि के साथ जमा खाते में		
	टिप्पणी		
1	सीमान्त राशि अथवा उधारी के एवज में सुरक्षा, गारंटियाँ अन्य जिम्मेदारियों के रूप में रखे गए बैंक में जमा, अन्य चिन्हित जमा अलग से दिखाये जाएंगें	शून्य	शून्य
2	नकद तथा बैंक बैलेंस के संदर्भ में प्रत्यावर्तन प्रतिबंध यदि कोई हो, तो अलग से नियत किए जाएंगें	शून्य	शून्य
3	बारह (12) महीने से अधिक के परिपक्वता तिथि (मिच्यूरिटी) सहित बैंक जमा	शून्य	शून्य
4	इस्क्रो में	शून्य	शून्य

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 18

करोड़ रू.में

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम		31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)		31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
ऋण				
अग्रिम				
(नकद वसूली योग्य या उसी रूप में या प्राप्ति योग्य मूल्य)				
आपूर्तिकर्त्ता को पेशगी				
राजस्व के लिए				
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		.		.
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.67		0.58
– संदिग्ध		-		-
		0.67		0.58
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		-		-
		0.67		0.58
		0.67		0.58
सांविधिक बकाया या अग्रिम भुगतान				
विक्रय कर				
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		3.72		1.67
– संदिग्ध		-		-
		3.72		1.67
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		-		-
		3.72		1.67
अग्रिम आयकर/स्रोत पर काटा गया कर (संदर्भ अतिरिक्त टिप्पणी 34 पारा 6.0		207.44		144.14
घटाकर : आयकर के लिए प्रावधान		103.61		84.47
		103.83		59.67
अन्य		-		-
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.44		0.09
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
– संदिग्ध		0.44		0.09
घटाकर : डुबंत एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		0.44		0.09

		107.99		61.43
कर्मचारियों के लिए अग्रिम		38.90		41.06
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		-		-
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान (संदर्भ अतिरिक्त टिप्पणी पारा 7.3)		38.90		41.06
– संदिग्ध		-		-
		38.90		41.06
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान		192.20		190.27
कोल इंडिया लिमिटेड तथा कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा				
अनुषंगियों के साथ ऋण लेखा		.		.
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		.		.
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		.		.
– संदिग्ध		.		.
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान				
प्राप्ति योग्य दावे		20.03		22.78
– प्रतिभूत वसूली योग्य सामान		0.08		0.09
– अप्रतिभूत वसूली योग्य सामान		20.11		22.87
– संदिग्ध		0.08		0.09
		20.03		22.78
घटाकर : अयोग्य एवं संदिग्ध व्यवसायिक प्राप्य के लिए प्रावधान				
		0.60		0.39
पूर्व प्रदत्त व्यय		251.73		254.50
कुल		360.39		316.51
टिप्पणी				
	इतिशेष		किसी भी समय के दौरान अधिकम देय राशि	
	31.3.15 के अनुसार	31.3.14 के अनुसार	2014–15 के दौरान	2013–14 के दौरान
एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा देय	192.20	190.27	192.20	190.27
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध हैं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
तुलन पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी – 19

करोड़ रू.में

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)
ब्याज उपार्जित		
– निवेश	-	-
– बैंकों में जमा	-	-
– अन्य	-	-
पूर्व स्वामी का खाता	-	-
अन्य अग्रिम	-	-
घटाकर : प्रावधान		
जमा		
सीमा शुल्क के लिए जमा, पत्तन देय इत्यादि	-	-
कोल इंडिया लिमिटेड के पास जमा	-	-
रॉयल्टी के लिए जमा, उपकर तथा विक्रयकर	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
अन्य	0.05	0.05
घटाकर : प्रावधान	-	-
भूतपूर्व कोल बोर्ड की ओर से लेन–देन हेतु भारत सरकार से प्राप्य रकम	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
अन्य प्राप्ति	-	-
घटाकर : प्रावधान	-	-
कुल	0.05	0.05

टिप्पणी – 20

करोड़ रू.में

प्रचालन से राजस्व	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)		31-03-2014 के अनुसार (अंकेक्षित)	
(क) सेवाओं की बिक्री	816.54		727.45	
घटाकर : अन्य घटाकर : उत्पाद कर				
घटाकर : अन्य उगाहियाँ	-		-	
रायल्टी	-		-	
कोयला पर उपकर	-		-	
बालू भराई उत्पाद शुल्क	-		-	
केंद्रीय विक्रय कर	-		-	
शुद्ध ऊर्जा उपकर	-		-	
राज्य विक्रय कर/वैट	-		-	
अन्य उगाहियाँ(सेवाकर)	89.82		80.02	
कुल उगाहियाँ	89.82		80.02	
निबल बिक्री (क)				
ख) कोयले के आयात हेतु सुविधा शुल्क		**726.72**		**647.43**
बालू भराईयाँ बचाव कार्य हेतु सहायता	-			-
लदान एवं अतिरिक्त परिवहन शुल्क	-			-
घटाकर : उत्पाद शुल्क	-			-
घटाकर : अन्य उगाहियाँ	-			-
अन्य परिचालन राजस्व (ख)	-			-
ग) प्रचालनों से राजस्व(क+ख)		**726.72**		**647.43**

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
तुलन पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी – 21

करोड़ रू.में

अन्य आय	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
दीर्घकालीन निवेश से आय		
संयुक्त जोखिम से लाभांश	-	-
अनुषंगियों से लाभांश	-	-
सरकारी प्रतिभूति से ब्याज		
(8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध–पत्र)(व्यवसाय)	-	-
चालू निवेश से आय		
म्यूचुअल फंड निवेश से लाभांश	-	-
सरकारी प्रतिभूति से ब्याज		
(8.5 प्रतिशत कर मुक्त विशेष अनुबंध–पत्र)(व्यवसाय)	-	-
7.55 प्रतिशत अविनिमेय आईआरएफसी कर मुक्त अनुबंध–पत्र 2021 अनुक्रम(अव्यवसायिक)		
	-	-
अन्य से आय		
ब्याज (सकल)		
बैंक के पास जमा से	0.52	0.61
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम से	-	0.12
आयकर प्रत्यपर्ण से	-	-
कोल इंडिया से	-	-
अन्य	-	-
शीर्ष शुल्क		
बालू भराई तथा बचाव कार्य के लिए आर्थिक सहायता	-	-
परिसम्पत्तियों के विक्रय पर लाभ	0.22	0.18
परिवहन एवं लदान लागत की वसूली	-	-
विदेशी विनियम मामलों से प्राप्ति	-	-
विनिमय दर विविधता	-	-
पट्टा (लीज) किराया	-	-
देयताओं से सही समय पर वापसी	-	-
अनुषंगियों से गारंटी शुल्क	-	-
अन्य अप्रचालनीय आय	4.74	4.10
कुल	5.48	5.01

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 22

करोड़ रू.में

	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
उपभोग की गई सामग्री की लागत		
विस्फोटक	-	-
इमारती लकड़ी	-	-
पीओएल	7.95	7.55
एचईएमएम पार्ट पुर्जे	-	-
अन्य उपभोग्य भंडार एवं पार्ट पूर्जे	13.48	12.44
कुल	21.43	19.99

टिप्पणी – 23

करोड़ रू.में

	तैयार मालों की सूची में परिवर्त्तन, चालू कार्य तथा व्यवसायिक स्टाक	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
	कोयला का ओपनिंग स्टॉक	.	.
	जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	.	.
	घटाकर : कोयले का अपकर्ष	.	.
	घटाकर :		
	कोक / कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	.	.
	घटाकर : कोयले का अपकर्ष	.	.
क	वस्तु की सूची में परिवर्त्तन		
	वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक	.	.
	घटाकर : प्रावधान	.	.
	घटाकर :		
	वर्कशॉप में तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक	.	.
	घटाकर : प्रावधान	.	.
ख	वर्कशॉप के वस्तुसूची में परिवर्त्तन		
	प्रेस ओपनिंग जॉब		
	i) तैयार माल	.	.
	ii) चालू कार्य	.	.
	घटाकर :		
	प्रेस क्लोजिंग जॉब		
	i) तैयार माल	.	.
	ii) चालू कार्य	.	.
ग	प्रेस के कार्यो द्वारा तैयार मालों तथा डब्ल्यूआईपी के क्लोजिंग स्टॉक की सूची में परिवर्त्तन		
	स्टॉक आफ ट्रेड की सूची में परिवर्त्तन	.	.
	(क+ख+ग)		
	(अवमूल्यन / (अभिवृद्धि) ,		

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
तुलन पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी – 24

करोड़ रू.में

कर्मचारियों की सुविधाओं पर व्यय	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
वेतन, मजदूरी, यात्रा, बोनस एवं सुविधाएँ	237.04	222.88
कृपानुदान	10.75	8.17
पीआरपी	27.02	28.33
भविष्य निधि में अंशदान एवं अन्य निधि	32.84	30.00
ग्रेच्यूटी	16.25	8.60
छुट्टी नकदवीकरण	23.41	15.68
स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति	-	-
कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	0.02	0.02
वर्त्तमान कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय	7.47	6.22
सेवा निवृत्त कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय	0.04	13.51
विद्यालय एवं संस्थानों के अनुदान	0.09	0.12
खेलकूद एवं मनोरंजन	0.51	0.36
कैंटीन एवं क्रेच	0.21	0.19
विद्युत टाऊनशिप	2.31	2.51
बस अम्बुलेंस आदि का भाड़ा शुल्क	0.40	0.27
अन्य कर्मचारी सुविधाएँ	44.37	41.18
कुल	402.73	378.04

टिप्पणी – 25

करोड़ रू.में

सीएसआर खर्चे	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
सीएसआर खर्चे	1.68	1.82
कुल	1.68	1.82

टिप्पणी – 26

करोड़ रू.में

मरम्मती	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
भवन	5.73	4.05
संयंत्र एवं मशीनरी	2.69	1.98
अन्य	6.80	8.22
कुल	15.22	14.25

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
तुलन पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी – 27

करोड़ रू.में

संविदात्मक व्यय	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
परिवहन शुल्क		
–बालू	-	-
–कोयला तथा कोक	-	-
–स्टोर एवं अन्य इत्यादि	-	-
–वैगन लदाई	-	-
–पी एवं एम को किराये पर लेना	-	-
–अन्य संविदात्मक कार्य	191.09	152.27
कुल	191.09	152.27

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
तुलन पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी – 28

करोड़ रू.में

वित्तीय लागत	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
ब्याज		
आस्थगित भुगतान	-	-
बैंक ओवर ड्राफ्ट/नकद जमा	-	-
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋण पर ब्याज	-	-
सीआईएल निधि ब्याज ऋण	-	-
अनुषंगियों से ब्याज	-	-
अन्य	0.24	0.17
कुल (अ)	0.24	0.17

अन्य उधारी लागत		
ऋण(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गारंटी फीस	-	-
अन्य व्यय/बैंक शुल्क	-	-
कुल (ब)	-	-
कुल (अ+ब)	0.24	0.17

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
तुलन पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी – 29

करोड़ रू.में

प्रावधान	**31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)**	**31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)**
(क) निम्नलिखित के लिए किए गए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	-	-
संदिग्ध एवं अग्रिम एवं दावे	-	-
विदेशी विनिमय मामले	-	-
भंडार एवं अतिरिक्त	-	-
भूमि पुनरूद्धार/खदान बंदी व्यय	-	-
स्थिर परिसम्पत्तियों/डब्ल्यूआईपी पूँजी का सर्वे आफ	-	-
अन्य		0.18
कुल (क)	-	0.18
(ख) प्रावधान वापस लाया गया		
संदिग्ध ऋण	0.06	0.27
संदिग्ध एवं अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं अतिरिक्त	0.01	0.10
भूमि का उद्धार	-	-
स्थिर परिसम्पत्तियों/डब्ल्यूआईपी पूँजी का सर्वे आफ	-	-
अन्य	-	-
कुल (ब)	0.07	0.37
कुल (अ+ब)	(0.07)	(0.19)

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
तुलन पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी – 30

करोड़ रू.में

बट्टे खाते डालना	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
संदिग्ध ऋण	-	
संदिग्ध अग्रिम	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
तुलन पत्र पर टिप्पणी
टिप्पणी – 31

करोड़ रू.में

अन्य व्यय	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
यात्रा व्यय		
–घरेलू (देश के अंदर)	15.72	13.58
–विदेशी	0.47	0.96
प्रशिक्षण व्यय	0.62	0.65
दूरभाष एवं डाक–खर्च	1.13	0.72
विज्ञापन एवं प्रचार	1.95	1.62
ढुलाई भाड़ा	-	-
विलम्बन शुल्क	-	-
चन्दा/अंशदान	-	-
सुरक्षा व्यय	6.80	5.85
सीआईएल का सर्विस शुल्क	-	-
किराया शुल्क	3.92	3.17
सीएमपीडीआई व्यय	-	-
वैधानिक खर्च	0.29	0.13
बैंक शुल्क	0.05	0.05

अतिथि गृह व्यय	0.13	0.13
परामर्श शुल्क	2.58	0.57
लदाई के अंतर्गत शुल्क	-	-
विक्रय में घाटा/अलग कर देना/सर्वे ऑफ परिसंपत्तियों से हानि	-	-
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अंकेक्षक शुल्क के लिए	0.02	0.04
काराधान मामलों के लिए	0.01	0.01
कंपनी के विधि विषयों के लिए	-	-
प्रबंधन सेवाओं के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	0.14	0.10
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	-	-
आंतरिक अंकेक्षण व्यय	0.41	0.37
पुनः स्थापना शुल्क	-	-
रॉयलटी तथा उपकर	-	-
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
किराया	0.80	0.81
दर एवं कर	0.62	0.48
बीमा	-	0.01
विनिमय दर विसंगति पर घाटा	-	-
लीज किराया	-	-
बचाव/सुरक्षा खर्चें	-	-
निष्क्रिय किराया/सतही किराया	-	-
साइडिंग रख–रखाव शुल्क	-	-
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	-	-
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण	-	-
विविध व्यय	0.28	0.13
कुल	47.25	39.06

माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी – 32

करोड़ रू.में

पूर्व अवधि समायोजन अपवादात्मक मद	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)	31-03-2015 के अनुसार (अंकेक्षित)
(क) व्यय		
यात्रा व्यय	-	-
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	-	
संविदात्मक व्यय	-	
अन्य खर्चें	-	
कुल (क)	-	-
(ख) आय		
सेवाओं की बिक्री	(0.01)	0.51
कुल (ख)	(0.01)	0.51
कुल (क–ख)	0.01	(0.51)

कैश फ्लो स्टेटमेंट

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

करोड़ रू.में

	विवरण		चालू वर्ष 2014–15 के लिए आंकड़ें	गत वर्ष 2013–14 के लिए आंकड़े
	1		2	3
I	**कैश फ्लो (अर्न्तवाह)**			
(1)	**परिचालित क्रिया–कलापों से**			
	(क) परिचालित क्रिया–कलापों से लाभ		39.33	34.60
	समायोजन			
	मूल्य ह्रास तथा परिशोधन (ऋण चुकाना)		10.94	-
	मूल्य ह्रास एमोरटाजेशन			
	भंडार का एमोरटाजेशन			
	सीएसआर में राशि स्थान्तरित			
	क्षतिपूर्ति			
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि)			
	बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्ति			
	संदेहपूर्ण कर्ज/अग्रिम के लिए प्रावधान/(रिवर्सल)			
	(ख) कार्यशील पँजी में परिवर्त्तन			
	वस्तुपूर्ति में कमी		-	0.27
	प्राप्य व्यवसाय में कमी		-	125.46
	अल्पकालीन ऋण तथा अग्रिम में कमी		-	-
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी		-	-
	भुगतान योग्य व्यवसाय में वृद्धि		4.67	13.37
	चालू देयताओं में वृद्धि		15.42	7.81
	प्रावधान मे वृद्धि–अल्पकालीन		37.04	23.89
	प्रावधान मे वृद्धि–दीर्घकालीन		-	1.40
	(ग) आस्तगित कर परिसंपत्तियाँ/देयताएँ		-	-
	(1) **का कुल**		**107.40**	**206.80**
(2)	**निवेश क्रिया–कलापों से**			
	(क) अचल परिसंपत्तियों से विक्रय से प्राप्ति/चालू पूँजीगत कार्य			
	(ख) विकास के तहत इनटेंजीबुल परिसंपत्ति/परिसंपत्ति की बिक्री		-	3.40
	(ग) अचल परिसंपत्ति की बिक्री से प्रोसिड			
	(घ) निवेश किए गए बिक्रय से प्राप्ति			
	(ड.) अनुषंगियों/सहयोगियों/व्यवसायिक से दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम की वसूली			

	(च) अन्य दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम में कमी			
	(छ) प्राप्त महीने से अधिक के परिपक्वता सहित जमा लेखे में कमी		-	-
	(ज) प्राप्त लाभांश			
	(झ) प्राप्त ब्याज			
	(ण) अन्य आय			
	(2) का कुल			3.40
(3)	**वित्तीय क्रिया–कलापों से**			
	(क) शेयर पूंजी निर्गमन से प्राप्ति			
	(ख) आवंटित लंबित शेयर विनियोग			
	(ग) दीर्घकालीन उधारी/प्रावधानों से प्राप्ति			
	(घ) अल्पकालीन उधारी/सरकारी अनुदान से प्राप्ति			1.42
	(3) का कुल			**1.42**
	कुल कैश फ्लो इन फ्लो (1+2+3)		**107.40**	**211.62**

करोड़ रु.में

	विवरण		**चालू वर्ष 2014–15 के लिए आंकड़ें**	**गत वर्ष 2013–14 के लिए आंकड़े**
	1		**2**	**3**
II	**कैश आउट फ्लो (बर्हिगमन)**			
(1)	**परिचालित क्रिया–कलापों से**			
	(क) परिचालित क्रिया–कलापों से हानि			
	(क) परिचालित क्रिया–कलापों से हानि			
	समायोजन		-	0.58
	मूल्य ह्रास तथा परिशोधन			
	(ख) कार्यशील पूंजी में परिवर्त्तन		0.33	
	वस्तु–सूची में वृद्धि		38.02	-
	प्राप्य व्यवसाय में वृद्धि		43.88	184.08
	अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि			
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि			-
	व्यापाल देय में कमी			-
	चालू देयताओं में कमी		0.22	-
	प्रावधान में कमी–दीर्घकालीन			
	प्रावधान में कमी–अल्पकालीन			
	(ग) आस्थगित परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ		4.84	6.05
	(घ) प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निबल वापसी)		14.29	15.03
	(1) का कुल		101.58	205.74
(2)	**निवेश क्रिया–कलापों से**			
	क. वास्तविक परिसम्पत्तियों /चालू पूंजीगत कार्य में वृद्धि		18.83	13.31

	ख. अवास्तविक परिसम्पत्तियों की खरीद / विकासाधीन परिसम्पत्तियाँ में वृद्धि		5.34	
	ग. निवेशों की खरीद			
	घ. अनुषंगियों / सहयोगियों / जोखिमो (व्यावसायिक) में निवेश			
	ड. अनुषंगियों / सहयोगियों / जोखिमो (व्यावसायिक) से दीर्घकालीन		2.05	
	ऋण तथा अग्रिम का भुगतान			
	च. अन्य दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम में वृद्धि		-	1.28
	छ. अन्य अचालित परिसम्पत्तियों में वृद्धि			
	(2) का कुल		26.22	14.59
(3)	**वित्तीय क्रिया-कलापों से**			
	क. दीर्षकालीन उधारी का पुनर्भुगतान			
	ख. अल्पकालीन उधारी का पुनर्भुगतान			
	ग. चुकाया हुआ लाभांश (वितरण कर सहित)			
	घ. अल्पकालीन उधारी / सरकारी अनुदान से प्राप्त		2.86	-
	(3) का कुल		2.86	
	कुल कैश आउट फ्लो (1+2+3)		130.66	220.33
III	**नकद (कैश) तथा समतुल्य नकद द्धकैशत्र में निबल कमी/वृद्धि (I-II)**		-23.26	-8.71
	जोड़कर अवधि के प्रारंभ में नकद तथा समतुल्य नकद		109.18	117.89
IV	**अवधि के अंत में नकद तथा नकद समतुल्य**		85.92	109.18
	तीन महीने से अधिक के परिपक्वता के साथ जमा लेखा		3.21	1.00
	टिप्पणी 17 के अनुसार शेष		85.92	109.18

ह./-	**ह./-**	**ह./-**	**ह./-**
(पी. लाजर)	**(डी.के. राव)**	**(डी.के. घोष)**	**(ए.के. देबनाथ)**
कंपनी सचिव	**महाप्रबंधक (वित्त)**	**निदेशक**	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000216सी

ह. / -
(सी.ए.अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य संख्या 079005

दिनांक : 22 मई, 2015
स्थान : रांची

31 मार्च, 2015को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति

टिप्पणी–33

महत्वपूर्ण लेखा नीति

(31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखे का भाग है)

1.0 लेखागत परिपाटी :

यदि कोई अन्यथा उल्लेख न हो, तो वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासांगिक (सम्बद्ध) प्रावधान के साथ–साथ उनके तहत अधिसूचित लेखा मानक के अनुरूप ऐतिहासिक लागत परंपरा और लेखा के वास्तविक (एक्यूरल) आधार तथा चालू संस्थागत अवधारणा (गोईंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किया जाता है।

1.1 आकलन का उपयोग :

सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा नीति के अनुरुप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन को कभी–कभी आकलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि विवेच्य अवधि में किए गए खर्च और राजस्व की मात्रा तथा वित्तीय विवरण की तिथि के कारण आकस्मिक देयता के डिसक्लोजर (प्रकटन) तथा देयताओं एवं परिसंपत्तियों की उल्लेखित राशि पर प्रभाव पड़ता है। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न हो सकता है। इस प्रकार के आकलन में किसी भी प्रकार का संशोधन की पहचान इसे निर्धारित करने वाली अवधि में की जाती है।

2.0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदान

2.1 पूँजीगत लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को उस सम्बद्ध परिसंपति की लागत से काट लिया जाता है जिससे वे संबंधित है। अप्रयुक्त रकम, यदि कोई हो, को चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।

2.2 राजस्व लेखे पर आर्थिक सहायता/अनुदान को अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के तहत लाभ एवं हानि लेखा में क्रेडिट किया गया है तथा व्यय को संबंधित शीर्ष के तहत डेबिट किया जाता है अप्रयुक्त रकम, यदि कोई है, को चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।

2.3 <u>कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सरकार से प्राप्त सहायता/अनुदान :</u>

2.3.1 कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान एवं परिसम्मपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूंजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यह्रास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है।

2.3.2 नोडल/कार्यान्वयक एजेसी के रूप में प्राप्त अनुदान/फंड की गणना प्राप्ति एवं अदायगी के आधार पर की जाती है।

3. अचल परिसम्पत्तियाँ

3.1 भूमि :

भूमि के मूल्य में अधिग्रहण की लागत,नकद पुनर्वास खर्च, पुनर्वास की लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के नियोजन के बदले दी गई क्षतिपूर्ति शामिल है।

3.2 संयंत्र एवं मशीनरी

संयंत्र एवं मशीनरी में इसके निर्माण/संस्थापन तथा उनके अभिष्ट इस्तेमाल के लिए ठीक ढंग से काम करने हेतु किये गये अन्य खर्च शामिल है।

4.0 निवेश

चालू निवेश को तुलन पत्र की तिथि के अनुसार न्यूनतम लागत पर एवं वास्तविक मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है।

गैर चालू निवेश को लागत पर मूल्यांकित किया गया है। तथापि, यदि कमी आती है, स्थायी के अतिरिक्त तो दीर्घकालीन निवेश के मूल्य में कैरिंग एमाउन्ट रिकोगनाइज्ड डिक्लाइन तक घट जाएगा।

5.0 वस्तु सूची

5.1 भंडार एवं पार्ट–पूर्जे

5.1.1 सेंट्रल स्टोर के मूल्यांकित स्टोर लेजर में दर्ज शेष के अनुसार तथा कोलियरी/इकाई में पड़े भंडारों के प्रत्यक्ष जाँच के आधार पर लेखे में स्टोर तथा पार्ट–पूर्जों के इतिशेष भंडार पर विचार किया गया है।

5.1.2 सेंट्रल तथा एरिया स्टोर के स्टोरों तथा पूर्जों के भंडार को भारित औसत प्रणाली के आधार पर गणना की गई लागत पर मूल्यांकित किया गया है। कोलियरी/सब स्टोर/ड्रिलिंग कैम्प/उपभोग करने वाले केंद्र पर पड़े स्टोरों तथा पार्ट–पूर्जों जिन्हें शुरूआत में प्रभार रहित (चाटर्ड ऑफ) कर दिया गया था, को एरिया स्टोर के निर्गम मूल्य, लागत/प्राकलित लागत पर मूल्यांकित किया गया है। प्रिटिंग प्रेस के स्टेशनरी स्टॉक तथा दवावों को इसी प्रकार लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

5.1.3 सामानों एवं अतिरिक्त पूर्जों में खुले औजार भी शामिल हैं ।

5.1.4 जो स्टोर मरम्मत योग्य नहीं है, क्षतिग्रस्त तथा अनुपयोगी हों, के लिए 100 प्रतिशत की दर से तथा जिन स्टोरों तथा अतिरिक्त पूर्जों को 5 और इससे अधिक वर्षों से संचालित नहीं किया गया है, के लिए 50 प्रतिशत की दर से प्रावधान किया गया है।

6. मूल्य ह्रास

6.1 निम्नलिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ii में उल्लिखित दर पर एवं ढंग से सरल रेखा प्रणाली पर किया गया है। इसके लिए मूल्य ह्मस की दर को अधिक वास्तवित तथा सही रूप से निरूपित करने के लिए कंपनी अधिनियम की अनुसूची ii के अनुसार विचार किया गया है से कम है जिसके लिए तकनीकी रूप से आकलित उपयोगी जीवन अवधि के आधार पर मूल्य ह्मस का प्रावधान किया है। :

दूर संचार उपकरण	:	6 वर्ष
फोटो कापी मशीन	:	4 वर्ष
फैक्स मशीन	:	3 वर्ष
कम्प्यूटर	:	3 वर्ष
मोबाइल फोन	:	3 वर्ष
डिजीटली इनहास कोर्डलेस टेलीफोन	:	3 वर्ष
प्रिंटर एवं स्कैनर	:	3 वर्ष
अर्थ साईंस म्यूजियम	:	19 वर्ष
हाई वाल्यूम रेसपरेटरी डस्ट सैम्पलर्स	:	3 वर्ष

6.2 मूल्यह्रास के उद्देश्य के लिए सभी परिसंपत्तियों की रिसिडूअल मूल्य को परिसंप्पतियों के मूल (आरिजिनल) लागत के 5 प्रतिशत पर विचार किया गया है।

6.3 वर्ष के दौरान सवंर्धित/ डिस्पोज्ड परिसंपत्ति पर मूल्य ह्रास वृद्धि/डिस्पोजल वाले माह के साथ प्रो–राटा बेसिस पर उपलब्ध कराया गया है।

6.4 साफ्टवेयर जिसे इंटेनजिबुल परिसंपत्ति माना गया है, की लागत को तीन वर्ष या उपयोग के विधिक अधिकार की अवधि तक, जो कम हो, शून्य रिसिड्यूअल मूल्य के साथ परिशोधित किया गया है।

7.0 परिसम्पत्तियों की क्षति

इमपेयरमेंट हानि की वहाँ पहचान की जाती है, जहाँ परिसम्पत्तियों की कैरिंग रकम वसूली योग्य रकम से अधिक हो तथा इसकी पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय के रूप में की जाती है तथा परिसम्पत्तियों के कैरिंग रकम को वसूली योग्य रकम में से घटा दिया जाता है।

पूर्व के वर्षों में पहचान की गई इम्पेयरमेंट हानि की उत्क्रमण/निराकरण को तब दर्ज किया जाता है, जब वहाँ एक संकेत हो कि परिसम्पत्तियेां के लिए पहचान की गई इमपेयरमेंट क्षति लम्बे समय तक विद्यमान नहीं रहे या समाप्त हो चुका हो।

8.0 विदेशी मुद्रा में विनिमय

8-1 विदेशी मुद्रा लेनदेन के शेष को तुलन पत्र की तिथि पर प्रचलित दर पर परिवर्तित किया जाता है तथा संगत प्रभाव को संबंधित लेखे में दिया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूरे किए गए लेन–देन (ट्रांजेक्शन) को वास्तविक आधार पर समायोजित किया जाता है।

8-2 आगामी तिथि में निपटाए जाने (सेटल) वाले क्रास कन्ट्रीस्वैप आप्शन कान्ट्रेक्ट्स के तहत आने वाले अन्डर लेईंग फारेन करेंसी के लेन–देन की पहचान तुलन पत्र की तिथि के प्रचलित दर पर की गई है। इस प्रकार के संविदा के कारण पड़ने वाले प्रभाव की गणना निपटाए जाने की तिथि पर की गई है।

9.0 सेवा–निवृत्ति लाभ/कर्मचारियों के अन्य लाभ

क) **निर्धारित (परिभाषित) अंशदान योजना**

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भविष्य–निधि तथा पेंशन फंड लाभ के लिए अंशदान योजना निर्धारित की है। इस तरह के भविष्य–निधि कोष तथा पेंशन कोष का रख–रखाव तथा संचालन कोयला खान भविष्य–निधि (सीएमपीएफ) प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

इस योजना के नियम के अनुसार इस लाभ के फंड के लिए कंपनी को सीएमपीएफ प्राधिकारियों को पे–रोल कास्ट का एक विहित (निर्धारित) प्रतिशत योगदान करना अपेक्षित है।

ख) **निर्धारित लाभ योजना :**

ग्रेच्यूटी तथा छुट्टी नकदीकरण के कारण तुलन पत्र तिथि पर देयता को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड को लागू करते हुए एकचुअरियल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराया गया है।

ग) **कर्मचारियों के अन्य लाभ**

कर्मचारियों के अन्य लाभ जैसे एलटीसी/एलएलटीसी के कारण होने वाले लाभ, जीवन सुरक्षा योजना, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम, सेटलमेंट एलाउएन्स, सेवा–निवृत अधिकारियों का चिकित्सा लाभ तथा खान दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति आदि को तुलन पत्र की तिथि पर देयताओं को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड प्रयोग कर वास्तविक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

10.0 आय एवं व्यय की पहचान

आय एवं व्यय को प्रायः वास्तविक (एक्यूअरियल) आधार पर पहचाना जाता है तथा सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

10.1 बिक्री

(क) बिक्री से संबंधित राजस्व की पहचान वहाँ की जाती है, जहाँ माल (गुड्स) के रूप में सम्पत्ति के साथ – साथ मालिक की जोखिम तथा प्रतिफल क्रेताओं को हस्तांतरित किया जाता है।

(ख) राजस्व की पहचान वहाँ की जाती है जहाँ वसूली (कॉलेकशन) की पर्याप्त सुनिश्चितता हो। दूसरी ओर, राजस्व की पहचान स्थगित कर दी जाती है यदि प्रबंधन द्वारा अनिश्चितता का अनुमान लगाया गया हो।

10.2 मूल्य निर्धारण :

गवेषण, खान आयोजन/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियांत्रिकी सेवाओं के लिए परामर्शी सेवाओं की प्राइसिंग (मूल्य निर्धारण करना) ग्राहकों की केटेगरी (श्रेणी) के आधार पर किया गया है। कोल इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं का मूल्य निर्धारण पीएंडडी सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत तथा विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क के साथ–साथ एक समान लागत पर किया जाता है। बाह्य एजेंसियों द्वारा किए गए ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की दर से सेवा–शुल्क लिया जाता है। पर्यावरणिक मॉनीटरिंग का 90 प्रतिशत कार्य केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से किया जाता है।

11.0 कराधान

चालू आयकर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार बनाया गया है। एक अवधि में उत्पन्न कर योग्य आय तथा लेखा आय में अंतर होने से समय अवधि के आधार पर प्रुडेंस पर किए गए विचार के अनुसार आस्थगित कर देयता तथा परिसम्पत्तियों की पहचान यथोचित ढंग से इन्टेक्टेड टैक्स रेट पर की गई है।

12.0 प्रावधान

वित्तीय प्रावधान की पहचान (रिकोगनाइज) तब की जाती है जब कोई उद्यम के पास विगत की घटना के परिण ामस्वरूप वर्तमान में दायित्व (ओब्लिगेशन) हो। यह हो सकता है कि आर्थिक लाभ सम्मिलित करने वाले संसाधन का आउटफ्लो को सेटल किए जाने की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। प्रावधान को वर्तमान मूल्य से काटा नहीं जाता है तथा इसे तुलन पत्र तिथि पर दायित्व (ओब्लिगेशन) को सेटल करने केलिए अपेक्षित सर्वोत्तम आकलन के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है।

13.0 आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है जो किसी उद्यम के पूर्णतः नियंत्रण में न रह सकने वाले एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटना के होने या न होने से संपुष्ट किया जाएगा या वर्तमान दायित्व जो विगत की घटना से उत्पन्न होता है लेकिन उसकी पहचान नहीं की गई है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभ स्वीकार करने वाले संसाधन के आउटफ्लो की आवश्यकता दायित्व के निराकरण करने की होगी या दायित्व के रकम को विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता। आकस्मिक देयता को लेखे के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है तथा टिप्पणी के जरिए प्रकट नहीं किया जाता है।

14.0 पूर्व अवधि समायोजन तथा पूर्वदत्त खर्च

पूर्व अवधि या पूर्वदत खर्च से संबंधित आय व्यय जो प्रत्येक मामले में 0.10 करोड़ से अधिक नहीं है, को वर्तमान वर्ष का आय/व्यय माना जाएगा।

15. बट्टे खाते डाला गया :

15.1 वैसे पुराने चेक जो सवीक्षाधीन वर्ष के अंत तक तीन साल से अधिक पुराने हैं, को बट्टे खाते डाला गया है।

15.2 न्यायालय/न्यायाधिकरण के पास लंबित विवादित मामले को छोड़कर विवेच्य अवधि तक वैसे अग्रधन तथा प्रतिभूति जमा को बट्टे खाते डाला गया है, जो पाँच वर्ष से अधिक पुराने हैं।

15.3 न्यायालय/न्यायाधिकरण में लंबित विवादित मामले को छोड़कर पाँच वर्ष से अधिक पड़े कर्मचारियों से इतर की दावारहित देयता को बट्टे खाते डाला गया।

लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी

टिप्पणी– 34

(31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखे का भाग है)

1.0 अचल परिसम्पत्तियाँ एवं मूल्यह्रास

1.1 अचल परिसम्पत्तियाँ

1.1.1 01.11.1975 को नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के पुनर्गठन होने पर इससे प्राप्त परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का कानूनी हस्तांतरण होना अभी बाकी है।

1.1.2 कंपनी ने बीसीसीएल टाउनशिप, धनबाद में 3.80 करोड़ रूपए (गत वर्ष 3.74 करोड़) तथा एनसीएल टाउनशीप, सिंगरौली में 4.21 करोड़ रूपये (गत वर्ष 4.20 करोड़ रूपए) के वैसी जमीन पर मकान एवं कार्यालय बनवाए हैं, जो नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों के हैं।

1.2 मूल्यह्रास

1.2.1 साफ्टवेयर की प्राप्ति के करार के अनुसार उसकी जीवन अवधि अथवा तीन वर्षों के अंदर जो न्यूनतम हो, के अनुसार परिशोधित होगा। कंपनी द्वारा पूर्व के दर पर 100 प्रतिशत परिशोधित किया गया था। परिशोधित आँकड़ा 7.55 करोड़ रू. रहा होगा। साफ्टवेयर के परिशोधन से संबंधित लेखानीति में परिवर्तन के कारण इनटेंजेबुल परिसंपत्ति का नेट ब्लॉक 4.33 करोड़ रू. तक ज्यादा दिखाया गया।

1.2.2 पट्टे वाली जमीन के मूल्य को पट्टे की अवधि में एमोर्टाइज किया जाता है।

1.2.3 परिसंपत्ति के महत्वपूर्ण घटकों के लंबित पहचान का कार्य, यदि कोई हो, संपूर्ण परिसंपत्ति के लिए समान उपयोग जीवन अवधि के आधार पर मूल्य ह्रास को दर्शाने के लिए वर्तमान में व्यवहार में लाया जाता है, वह जारी है।

2.0 स्टोर एवं अतिरिक्त पूर्जो का भंडार

2.11 मशीन–विशिष्ट पुर्जों को मशीन के साथ पूंजीकृत किया जाता है। कोई भी पुर्जा मशीन विशिष्ट तथा लगातार इस्तेमाल होने वालो नहीं है, जिसे ए.एस 10 के साथ पठित लेखा मानक (एएस) 2 के संदर्भ में पूंजीकृत किया जाए।

2.1.2 31.3.15 के अनुसार अचल (नन मूविंग) तथा अप्रयुक्त/पुराने स्टोरों का प्रावधान 0.41 करोड़ रूपए(गत वर्ष 0.42 करोड़ रू.) रहा। (संदर्भ टिप्पणी सं. 15)

3.0 ऋण एवं अग्रिम/देनदार

3.1 कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के पास चालू लेखा एवं देनदार

3.1.1 31.3.2015 तक कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा (एकाउंट) में अंतर–कंपनी लेन–देन का सामांजस्य कर लिया गया है। 31.3.2015 के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के पास सम्मत चालू लेखा को कोल इंडिया लिमिटेड चालू खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद अंकेक्षण के दौरान या अन्य प्रकार से 31.3.2015 तक की अवधि से संबंधित अन्य सहायक कंपनियों से/को प्राप्त/भेजी गई किसी भी प्रकार का डेबिट/क्रेडिट सलाह पर अनुषंगी कंपनी उचन्त लेखा के तहत विचार किया गया है।

3.1.2 238.87 करोड़ रूपए के फुटकर देनदार गत वर्ष (201.18 करोड़ रूपए) में एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों से 198.03 करोड़ रूपए (गत वर्ष 164.42 करोड़ रूपए) का बकाया शामिल है (संदर्भ टिप्पणी संख्या–16)/1.4.93 से सीआईएल के लेखे से समायोजन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा बिल की स्वीकृति की पद्धति लागू की गई है। बिल की स्वीकृति की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

4.0 टिप्पणी सं. 10 ए के अनुसार परिसम्पत्तियों का ब्यौरा

(क) अचल परिसंपत्ति एवं साफ्टवेयर (परिसंपत्ति–एस एंड टी, सीसीडीए, यूएनडीपी, पीआरई,सीआईएल, आरएंडडी आदि को छोड़ कर)

राशि (करोड़ रू. में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्य ह्रास				नेट ब्लाक	
	1.4.2014 के अनुसार	2014–15 के दौरान वृद्धि	समायोजन/ बिक्री/ हस्तांतरण 2014–15	31.3.15 के अनुसार	1.4.14 के अनुसार	वर्ष 2014–15 के दौरान वृद्धि	2014–15 में समायोजन/ बिक्री/हस्तां–तरण	31.3.15 के अनुसार	31.3.15 के अनुसार	31.3.14 के अनुसार
भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली	1.15	–	–	1.15	–	–	–		1.15	1.15
(ख) पट्टे वाली	2.19	–	–	2.19	0.83	0.02	–	0.85	1.34	1.36
भवन	41.55	0.80	0.05	42.40	15.21	1.56	0.05	16.82	25.58	26.34
संयंत्र एवं मशीनरी	74.26	10.56	(1.21)	83.61	48.33	4.80	(1.10)	52.03	31.58	25.93
फर्निचर एवं फिटिंग्स/ कार्यालय उपकरण आदि	13.32	1.61	(0.25)	14.68	8.64	2.01	(0.16)	10.49	4.19	4.68
वाहन	11.97	3.59	(0.71)	14.85	7.34	1.22	(0.67)	7.89	6.96	4.63
कुल(क)–अचल संपत्ति	144.44	16.56	(2.12)	158.88	80.35	9.61	–	88.08	70.80	64.09
साफ्टवेयर	1.26	4.63	(0.51)	5.38	1.26	0.71	(0.51)	1.46	3.92	–
कुल (ख) अचल परिसम्पत्ति एवं साफ्टवेयर (एसएंडटी, सीसीडीए, ईएमएससी, यूएंडडीपी, पीआरई, सीआईएल, आरएंडडी आदि)										
भूमि										
(क) पूर्ण स्वामित्व वाली	–	–	–	–	–	–	–		–	–
(ख) पट्टे वाली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भवन	0.31	–	–	0.31	0.05	–	0.01	0.06	0.25	0.26
संयंत्र एवं मशीनरी	35.47	–	(0.41)	35.06	28.57	2.41	(0.12)	30.86	4.20	6.90
फर्निचर एवं फिटिंग्स/ कार्यालय उपकरण आदि	0.68	0.01	0.25	0.94	0.48	0.11	(0.01)	0.58	0.36	0.20
वाहन	0.04	–	0.01	0.05	0.04	–	–	0.04	0.01	–
कुल (ख)–अचल संपत्ति	36.50	0.01	(0.15)	36.36	29.14	2.52	(0.12)	31.54	4.82	7.36

साफ्टवेयर	0.95	1.22		2.17	0.95	0.61		1.56	0.61	—
कुल(क+ख) अचल परिसम्पत्ति	180.94	16.57	(2.27)	195.24	109.49	12.13	(0.12)	119.62	75.62	71.45
कुल (क+ख) साफ्टवेयर	2.12	5.85	(0.51)	7.55	2.21	1.32	(0.51)	3.02	4.53	—

5.1 पूँजीगत भंडार : (टिप्पणी संख्या–2) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एसएंडटी, पीआई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त अनुदान एवं कोष तथा परिसम्पत्ति के सृजन के लिए किए गए उपयोग को पूंजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा उस पर मूल्यहास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व उस प्राधिकारण का होता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया गया है। पूंजीगत भंडार का व्यौरा नीचे दिया गया है।

करोड़ रू. में

विवरण	वि.एवं प्रो. अनुदान	यूएंनडीपी अनुदान	सीसीडीए अनुदान	ईएमएससी अनुदान	कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास अनुदान	पीआरई अनुदान	सीएमएम/ सीबीएम क्यिरिंग हाउस अनुदान	कुल
गत लेखे के अनुसार	4.69	0.05	0.08	.	6.48	1.21	0.08	12.59
वृद्धि	.	.	.	.	.	0.27	.	0.27
	4.69	0.05	0.08	.	6.48	1.48	0.08	12.86
घटाकर मूल्यहास एवं समायोजन	2.14	.	0.01	.	0.32	0.65	0.01	3.13
31.3.2015 के अनुसार कुल	2.55	0.05	0.07	.	6.16	0.83	0.07	9.73
31.3.2014 के आँकड़े	4.69	0.05	0.08	.	6.48	1.21	0.08	12.59

5.2 वर्ष के दौरान एसएंडटी, पीआरई, विस्तृत वेधन, आरएंडडी आदि के तहत प्राप्त अनुदान/निधि तथा उसका वितरण नीचे दिए गए हैं :

करोड़ रू. में

विवरण	वि.एवं प्रौ. अनुदान	पीआरई अनुदान	सीसीडीए अनुदान	नन–सीआईएल के लिए विस्तृत गवेशण	इस्पात मंत्रालय	कोल इंडिया आरएंडडीं फंड
1.4.2014 के अनुसार अथ शेष	1.47	3.18	0.20	45.90	0.43	3.49
वृद्धि						
कोयला मंत्रालय	17.94	57.05	–	135.71	–	–
इस्पात मंत्रालय	–	–	–	–	–	–
सीआईएल, कोलकाता	–	–	–	–	–	14.92
समायोजन	–	0.30	–	–	–	–
निधि पर बैंका व्याज	0.39	0.29	0.01	2.35	–	0.94
कुल	19.80	60.82	0.21	183.96	0.43	19.35
घटाकर : वितरण/उपयोग	16.16	60.42	–	143.32	0.17	13.52
31.3.2015 के अनुसार इतिशेष	3.64	0.40	0.21	40.64	0.26	5.83

6.0 आयकर

6.1 207.44 करोड़ रूपए आयकर अग्रिम (गत वर्ष 144.14 करोड़ रू.) (संदर्भ टिप्पणी सं.18) में मूल्यांकन वर्ष 2012–13 तक के लिए मूल्यांकन के विरूद्ध प्रतिवाद के तहत 22.31 करोड़ रू. शामिल है। 103.57 करोड़ रूपए के आयकर प्रावधान (संदर्भ टिप्पणी सं.18) में मूल्यांकन वर्ष 31.3.2015 तक के लिए समायोजन से संबंधित प्रावधान शामिल है।

6.2 सेवाकर :

प्राप्ति योग्य दावे में गत वर्षों के विवादित कर, ब्याज तथा दंड के बदले सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा वसूले गए 5.05 करोड़ रूपये शामिल है। कंपनी ने कमीशनर, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय झारखंड मुख्य न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है।

7.0 चालू देयता एवं प्रावधान

7.1 कोयला खान पेंशन योजन के तहत देयताएँ

7.1.1 चालू देयता में 0.15 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.27 करोड़ रूपए) जिसमें 0.11 करोड़ की कटौती शामिल है क्योंकि कुछ गैर सीएमपीएफ सदस्य के कर्मचारी तथा कुछ वैसे मृत कर्मचारी जिन्होंने पेंशन का विकल्प नहीं चयन किया था, इसे जमा नहीं किया जा सका।

7.1.2 कंपनी द्वारा 1.7.1995 से स्वीकृत अतिरिक्त वेतन वृद्धि के कारण सदस्यों को देय 0.01 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.02 करोड़ रूपए) की भी देयता है।

7.1.3 उपर्युक्त दायित्व की रकम में सीएमपीएफ के अनुसार प्रयोज्य दर पर ब्याज शामिल है।

7.2 अन्य

7.2.1 संविदात्मक ड्रिलिंग की देयता का प्रावधान उस अवधि के लिए ड्रिल किए गए मिटरेज का 100 प्रतिशत मूल्य में से इस तरह की ड्रिलिंग के लिए किए गए भुगतान को घटाकर किया गया है।

7.2.2 वास्तविक (अक्चुअरियल) मूल्यांकन के अनुसार 1.1.2007 से पेंशन तथा सेवा–निवृति लाभ (केवल अधिकारियों के लिए) क्रमशः 18.60 करोड़ रूपए (गत वर्ष 15.58 करोड़ रूपए) तथा 42.16 करोड़ रूपए (गत वर्ष 35.26 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है।

7.2.3 सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 जो 2 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ है, के तहत सुक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण किए जाने हैं। कंपनी इस अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में अपने आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित जानकारी संकलन करने की प्रक्रिया कर रही है। चूँकि संबंधित जानकारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए लेखे में इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

7.3 कार्य निष्पादन, (उपलब्धि) से संबंधित वेतन

कंपनी ने अधिकारियों के लिए कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) के विरूद्ध 192.50 करोड़ रूपए (वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10, 20010–11, 2011–12,2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 के लिए संबंधित वर्ष में क्रमशः 16.05 करोड़ रूपए, 10.90 करोड़ रूपए, 28.20 करोड़ रूपए, 29.77 करोड़ रू., 24.53 करोड़ रूपए,27.70 करोड़ रूपए 28.33 करोड़ रू. तथा 27.02 करोड़ रू. एकमुस्त वसूली योग्य अग्रिम का प्रावधान किया है (संदर्भ टिप्पण ी सं. 9) टिप्पणी 18 में ''कर्मचारियों को अग्रिम'' में शामिल 37.57 करोड़ रूपए पीआरपी की रकम पीआरपी अग्रिम का निबल (नेट) है जो सेवा–निवृत होने वाले कर्मचारियों से वसूली गई है।

8.0 चोरी एवं छिनतई के मामले

विवेच्य अवधि के दौरान चोरी के मामलों में 0.01 करोड़ रूपए की रिपोर्टिंग की गई।

9.0 निदेशकों के पारिश्रमिक

रकम (करोड़ रूपये में)

		चालू वर्ष 2014-15	गत वर्ष 2013-14
(i)	एल.टी.सी/छुट्टी नकदीकरण–– सहित वेतन एवं भत्ते	1.02	0.74
(ii)	भविष्य निधि	0.12	0.09
(iii)	चिकित्सा व्यय	0.10	0.04
(iv)	पूर्वापेक्षा (प्रीक्यूजिट) का वैल्यू	0.19	0.16
(v)	प्रदत्त उपदान	0.00	0.10
(vi)	सिटिंग फिस	0.02	0.04

10 विदेशी मुद्रा में उपार्जन, खर्च आदि :

10.1 विदेशी मुद्रा में खर्च

रकम (करोड़ रूपये में)

		चालू वर्ष 2014-15	गत वर्ष 2013-14
(i)	विदेशी प्रशिक्षण/ दौरा, पुस्तके एवं अन्य	6.31	1.59
(ii)	परामर्श शुल्क	0.00	0.00
	कुल	6.31	1.59

10.2 सी.आई.एफ. के आधार पर परिकलित आयात मूल्य

रकम (करोड़ रूपये में)

		चालू वर्ष 2014-15	गत वर्ष 2013-14
(i)	पूँजीगत सामान	4.96	0.62
(ii)	अतिरिक्त पूर्जे एवं संघटक	1.08	0.03
	कुल	6.04	0.65

10.3 विदेशी मुद्रा में आय : शून्य

10.4 उपयोग में लाये गये आयातित एवं देशी सामानों तथा अतिरिक्त पूर्जो का मूल्य और कुल खपत में उनका प्रतिशत

रकम (करोड़ रूपये में)

		चालू वर्ष 2014-15		गत वर्ष 2013-14	
		मूल्य	प्रतिशत	मूल्य	प्रतिशत
(i)	आयातित	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	देशी	21.43	100.00	19.99	100.00
	कुल	21.43	100.00	19.99	100.00

11.0 आकस्मिक देयता

11.1 कम्पनी के विरूद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

11.1.1 आयकरः अपील में लंबित पूरे गए मूल्यांकन के संबंध में 23.06 करोड़ रूपये (गत वर्ष 22.34 करोड़ रू.)

11.1.2 प्रवेश कर : वर्ष 2002–03 के संबंधी में व्यावसायिक कर आयुक्त के समक्ष लंबित 0.17 करोड रूपए (गत वर्ष 0.17 करोड़ रूपए)

11.1.3 सेवा कर के मामले : (1)पूरे किए गए मूल्यांकन के संबंध में 5.46 करोड़ (गत वर्ष 5.46 करोड़ रूपए) न्यायाधिकरण स्वीकार नहीं किया गया। कंपनी न्यायाधिकरण के समक्ष पुनः अपील दायर करने की प्रक्रिया कर रही है। प्रतिवाद के तहत 0.75 करोड़ रूपऐ का भुगतान कर दिया गया है।

(2) केंद्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर विभाग भुवनेश्वर द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्यवेक्षण के संबंध में 0.58 करोड़ रूपए

(3) ओएसएचबी भुवनेश्वर द्वारा उठाई गई माँग के संबंध में 0.22 करोड़ रूपए (4) सीआईटी के ऑरिजनल ऑर्डर के विरूद्ध अपील करने वाले विभाग के संबंध में 0.22 रू. (2003–04 के लिए) जो सीएमपीडीआई के पक्ष में है।

11.1.4 न्यायालय में लंबित अन्य विवादास्पद मामले, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है– 8.45 करोड़ रूपए (गत वर्ष 7.11 करोड़ रूपए)।

11.2 विवेच्य वर्ष के दौरान परिपक्वता तक लंबित खोले गए एलसी शून्य रूपए (गत वर्ष 31.3.14 तक शून्य रू.)

11.3 पूँजीगत लेखे पर कार्यान्वित किए जाने वाले शेष संविदा का प्राक्कलित मूल्य तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया है 30.35 करोड़ रूपए (गत वर्ष 18.57 करोड़ रू.)

11.4 अन्य मामले

11.4.1 औद्योगिक एवं अन्य विवाद के कारण न्यायालय में कुछ मामले लंबित हैं। इस मामले में आकस्मिक (फुटकर) देयता की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।

11.4.2 कंपनी की ओरसे बैंक गारंटी जारी करने के लिए बैंक के पक्ष में कंपनी द्वारा 0.14 करोड़ रूपए (गत वर्ष 0.14 करोड़ रूपए) की प्रति गारंटी (काउन्टर गांरटी) जारी की गई है।

12.0 आस्थगित कर :

चार्टर्ड एकाउटेंड आफ इंडिया के इन्स्टीच्यूट द्वारा जारी आय पर कर के लिए लेखे पर लेखा मानक (एएस 22) के अनुसार 31.3.2015 को आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को क्रमशः 112.65 करोड़ रूपए तथा 6.22 करोड़ रूपए परिकलित किया गया है। 31.3.2015 के अनुसार निबल आस्थगित कर में निम्नलिखित शामिल है :

रकम (करोड़ रूपये में)

		31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
(ए)	आस्थगित कर परिसंपत्ति		
	साफ्टवेयर के डब्ल्यू डीवी में अंतर	0.00	0.17
	अप्रयुक्त / गैर–गतिशील के लिए प्रावधान	0.14	0.14
	संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	0.97	0.99
	छुट्टी नकदीकरण ग्रेच्यूटी तथा टर्मिनल लाभ	111.54	106.59
	कुल (ए)	112.65	107.89
(बी)	आस्थगित कर देयता परिसम्पत्तियों		
	परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी में अंतर	5.89	6.30
	साफ्टवेयर के डब्ल्यूडी में अंतर	0.33	0.00
	कुल (बी)	6.22	6.30
(सी)	आस्थगित कर परिसम्पत्तियों (निबल ए–बी)	106.43	101.59

13.0 क्षेत्रवार (सेगमेंट वाइज) लाभ एवं हानि विवरण :

रकम (करोड़ रूपये में)

विवरण	पीएंडडी	गवेषण	पर्यावरण	कुल
राजस्व				
सेवाओं की बिक्री	221.08	476.68	28.96	**726.72**
विविध–आय	5.00	0.43	0.05	**5.48**
कुल राजस्व	**226.08**	**477.11**	**29.01**	**732.20**
परिणाम	**62.94**	**85.42**	**6.26**	**154.62**
अनअलॉटेड निगमित व्यय				**115.29**
कर के पूर्व लाभ/हानि				**39.33**
आयकर के लिए प्रावधान				**19.13**
आस्थगित कर के लिए प्रावधान				**-4.84**
कर के पश्चात् लाभ				**25.04**

14.0 31.3.2015 के अनुसार उपदान (ग्रेच्यूटी) देयता का एक्चुअल मूल्यांकन

तालिका–1 : प्रकटीकरण मद 120 (सी)
दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दिखलाने वाली तालिका

रकम (करोड़ रूपये में)

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दिखलाने वाली तालिका	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	122.72	130.33
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
अग्रधन लागत	9.22	10.72
गत सेवा मूल्य	0.00	0.00
वतर्मान सेवा मूल्य	7.94	7.25
काट–छाँट (कर्टेलमेंट) लागत	0.00	0.00
परिशोधन (सेटलमेंट) लागत	0.00	0.00
भुगतान किया गया लाभ	14.91	8.44
दायित्व पर वास्तविक प्राप्ति / हानि	-3.59	-17.14
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	121.38	122.72

तालिका–2 : प्रकटीकरण मद 120 (ई)
योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित (फेयर) मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका: लागू नहीं, क्योंकि योजना वित रहित है।

तालिका–3 : प्रकटीकरण मद 120 (एफ)
कोष प्रदान करने की स्थिति दर्शाने वाली तालिका
लागू नहीं, क्योंकि योजना वितरहित है।

तालिका 4 : प्रकटीकरण मद 120 (जी)
लाभ/हानि के विवरण में पहचान की गई व्यय दर्शाने वाली तालिका

रकम (करोड़ रूपये में)

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दिखलाने वाली तालिका	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
चालू सेवा लागत	7.94	7.25
गत सेवा लागत	0.00	0.00
व्याज लागत	9.22	10.72
योजनागत लागत का संभावित रिटर्न	0.00	0.00
काँट–छाँट (कर्टेलमेंट) लागत	0.00	0.00
परिशोधन (सेटलमेंट) लागत	0.00	0.00
वर्ष में पहचान की गई वास्तविक प्राप्ति/हानि	-3.59	-17.14
लाभ एवं हानि के परिशोधन में चिन्हित व्यय	**13.57**	0.83

तालिका– 7 : प्रकटीकरण मद 120 (I)
वास्तविक कंजम्पशन दर्शाने वाली तालिका

	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
मोर्टालिटी तालिका	आईएएलएम(2006–08)यूएलटी	आईएएलएम(2006–08)यूएलटी
सेवा–निवृति उम्र	60	60
समय पूर्व सेवा–निवृति एवं अक्षमता	10 प्रति हजार पीए	10 प्रति हजार प्रति वर्ष पीए
	45 से उपर 6	45 से उपर के 6
	29 तथा 45 के बीच 3	29 से 45 के बीच 3
	29 से नीचे 1	29 से नीचे के 1
छूट दर	8.00 प्रतिशत	8.50 प्रतिशत
मुद्रा स्फीति दर	6.25 प्रतिशत	6.25 प्रतिशत
परिसम्पत्तियों पर रिटर्न	एन/ए	एन/ए
शेष कार्यकारी जीवन	11 वर्ष	11 वर्ष
प्रयुक्त फार्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड

तालिका– 8 प्रकटीकरण मद 120 (एम)
योजना के रूप में लागू नहीं इसलिए यह चिकित्सीय लागत से संबंधित नहीं

तालिका–9 प्रकटीकरण मद 120 (एन)
उत्पादन हेतु कंपनी का गत 4 मूल्यांकन रिकार्ड का सारांश

तालिका–10 : प्रकटीकरण तालिका 120 (ओ)
तुलन–पत्र में चिन्हित देयता में गतिशीलता

रकम (करोड़ रूपये में)

	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
प्रारंभिक निबल देयता	0.00	0.00
उपर्युक्त के अनुसार खर्च	13.57	0.83
अंशदान	0.00	0.00
अंतिम निबल देयता	13.57	0.83
वर्ष के अंत में अंतिम कोष/प्रावधान	121.38	122.72

एएस–15 के परिशिष्ट 'बी' पर टिप्पणी (संशोधित 2005) चूंकि यह योजना वित्त रहित है, इसलिए लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभार निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है :

(1) गत के दायित्व को अंतिम लेखा तिथि में उपलब्ध कराया गया है।

(2) एकजिस्ट के लाभ का भुगतान उपर्युक्त प्रावधान के डेबिट को किया गया है।

(3) चालू (वर्तमान) दायित्व को चालू लेखा तिथि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

15.0 31.3.2015 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का एक्चुरियल (वास्तविक) मूल्यांकन

तालिका : 1 प्रकटीकरण मद 120 (सी)
दायित्वों का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाती तालिका

रकम (करोड़ रूपये में)

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दिखलाने वाली तालिका	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
वर्षारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	76.50	74.03
अर्जन समायोजन	0.00	0.00
ब्याज की लागत	5.37	5.76
पूर्व की सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	5.43	5.96
करटेलमेंट लागत	0.00	0.00
निपटारा लागत	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	18.74	12.55
दायित्व पर वास्तविक लाभ/हानि	12.61	3.30
वर्षांत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	81.17	76.50

तालिका : 2 प्रकटीकरण मद 120 (ई)
प्लान परिसंपत्तियों का उचित मूल्य में परिवर्तन दर्शाती तालिका
लागू नहीं क्योंकि योजना निधित नहीं है।

तालिका : 3 प्रकटीकरण मद 120 (एफ)
निधि की स्थितिदर्शाती तालिका
लागू नहीं क्योंकि योजना निधित नहीं है।

तालिका : 4 प्रकटीकरण मद 120 (जी)
लाभ/हानि के विवरण में स्वीकृत खर्च दर्शाती तालिका

रकम (करोड़ रूपये में)

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दिखलाने वाली तालिका	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
वर्तमान सेवा लागत	5.43	5.96
गत सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज की लागत	5.37	5.76
प्लान परिसंपत्ति पर अनुमानित रिटर्न	0.00	0.00
करटेलमेंट लागत	0.00	0.00
निपटारा लागत	0.00	0.00
वर्ष के मान्य वास्तविक लाभ/हानि	12.61	3.30
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य खर्च	23.41	15.02

तालिका : 7 प्रकटीकरण मद 120 (आई)
वास्तविक खपत दर्शाती तालिका

रकम (करोड़ रुपये में)

	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
मृत्यु दर तालिका	आईएलएम(2006–08)यूएलटी	आईएलएम(2006–08)यूएलटी
सेवानिवृत्ति उम्र	60	60
शीघ्र सेवानिवृत्ति तथा अक्षमता	प्रति हजार में 10 प्रतिवर्ष	प्रति हजार में 10 प्रतिवर्ष
	45 से उपर 6	45 से उपर 6
	29 से 45 के बीच 3	29 से 45 के बीच 3
	29 से नीचे 1	29 से नीचे 1
छूट दर	8.00 प्रतिशत	8.50 प्रतिशत
मुद्रास्फीति दर	6.25 प्रतिशत	6.25 प्रतिशत
परिसम्पत्ति से रिटर्न	एन/ए	एन/ए
कार्य की शेष अवधि	11 वर्ष	11 वर्ष
उपयोग किए गए सूत्र	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिमेथेड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिमेथेड

तालिका : 10 प्रकटीकरण मद 120 (ओ)
तुलन–पत्र में मान्य देयताओं की मूवमेंट

रकम (करोड़ रुपये में)

	31.3.2015 के अनुसार	31.3.2014 के अनुसार
अधिशेष निबल देयता	0.00	0.00
उपर्युक्त पर खर्च	23.41	15.02
सहयोग राशि	0.00	0.00
इतिशेष निबल देयता	23.41	15.02
वर्षांत में क्लोजिंग निधि/प्रावधान	81.17	76.50

एएस का परिशिष्ट बी–15 (संशोधित 2005) के लिए टिप्पणी चूँकि योजना लाभ/हानि लेखा के लिए शुल्क अनिधित है, इसलिए निम्नलिखित खपत आधारित है :

(4) अंतिम लेखा तिथि के लिए गत वर्ष के दायित्व को बताया गया है।

(5) उपर्युक्त प्रावधान के डेबिट को एक्जिट के लाभ में दिखाया गया है।

(6) वर्तमान दायित्व को वर्तमान लेखा तिथि में दर्शाया जाएगा।

16.0 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

पीएंडएल एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट से क्यू वन एकाउन्ट में सृजित रिजर्व को वापस लाया गया है तथा कोल इंडिया के पत्र संख्या : सीआईएल/जीएम(एफ)/08/1540, दिनांक : 15.10.2014 के अनुसार कोल इंडिया के दिशा–निर्देशानुसार आगे और कोई रिजर्व का एकाउन्ट नहीं बनाया गया है।

17.0 गत वर्ष के आँकड़े

जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है, चालू वर्षों के साथ उसकी तुलना करने के लिए गत वर्ष के आँकड़े को पुनर्व्यस्थित/पुनर्गठित/पुनः समूहित किए गए हैं।

समीक्षा के तहत वित्तीय विवरण का मसौदा बनाते समय सभी विवरणों में एकरूपता लाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ लेखे से संबंधित आँकड़ों का समाकलन किया गया है। इस परिस्थिति में दर्शाये गए आँकड़ों को 2.दशमलव के स्थान तक रूपये को करोड़ के निकट में दर्शाया गया है।

18-0 टिप्पणी संख्या 33 तथा अन्य लेखा नीतियों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ, अगर कोई अन्यथा उल्लेख न हो तो, कंपनी द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है।

तुलन–पत्र के लिए 1 से 19, लाभ तथा हानि लेखा के लिए 20 से 32 तथा लेखा नीति एवं लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी के लिए 33 एवं 34 के लिए हस्ताक्षरित।

ह./–	**ह./–**	**ह./–**	**ह./–**
(पी. लाजर)	**(डी.के. राव)**	**(डी.के. घोष)**	**(ए.के. देबनाथ)**
कंपनी सचिव	**महाप्रबंधक (वित्त)**	**निदेशक**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 000216सी

ह./–
(सी.ए.अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य संख्या 079005

दिनांक : 22 मई, 2015
स्थान : रांची

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट।

सेवा में,

सदस्यगण, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (दि कंपनी) की संलग्न एक मात्र वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, उपर्युक्त तिथि के समाप्त तिथि के लिए कैश फ्लो विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जानकारी) शामिल है।

एक मात्र वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम (दि एक्ट) की धारा 133 के तहत विहित लेखा मानक सहित भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखा मानक के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन तथा कैश फ्लो के बारे में सत्य एवं सही–सही विवरण देने वाले इन स्टैंडएलोन विवरण की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 134 (5) में कथित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेवार होता है। इस जिम्मेवारी में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून (दि एक्ट) के प्रावधान के अनुरूप पर्याप्त एकाउटिंग रिकार्ड का रख–रखाव के लिए तथा धोखा–धड़ी एवं अन्य अनियमिताओं को रोकने, समुचित लेखा नीति का चयन एवं प्रयोग, निर्णय तथा प्राक्कलन जो पर्याप्त तथा विवेकपूर्ण हो, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का डिजाइन कार्यान्वयन एवं रख–रखाव जो लेखा अभिलेखों की शुद्धता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने, वित्तीय विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुति की प्रासंगिकता, जो सत्य एवं न्यायोचित राय देने तथा वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे वह धोखा–धड़ी या भूलवश हुई हो, को सुनिश्चित करने के लिए कारगर तरीके से संचालित किए जा रहे थे।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण पर अपनी राय देना है। हमने अधिनियम के प्रावधान, इस अधिनियम (दि एक्ट) के तहत अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले सामग्री, लेखा तथा लेखा मानक को ध्यान में रखा है। हमने इस अधिनियम (दि एक्ट) की धारा 143 (10) के तहत विहित अंकेक्षण मानक के अनुरूप अंकेक्षण किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया तथा वित्तीय विवरण मौखिक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं, इसके बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है तथा अंकेक्षण किया है।

इस अंकेक्षण में रकम के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही (प्रक्रिया) शामिल है। चयनित कार्यवाही (प्रक्रिया) अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण में मौखिक गलतबयानी की जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूलवश। उन जोखिमों के मूल्यांकन करने में अंकेक्षक वित्तीय विवरण के लिए कंपनी की तैयारी के अनुकूल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है, जो अंकेक्षण प्रक्रिया को डिजाइन करने के उद्देश्य से सत्य एवं स्पष्ट विचार देता है, जो इस परिस्थिति में उचित है लेकिन इनटीटी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता पर राय देने के उद्देश्य से उचित नहीं है। अंकेक्षण में प्रयुक्त लेखा नीति का औचित्य तथा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा तैयार किए गए लेखा प्राक्कलन की पर्याप्तता के मूल्यांकन के साथ–साथ वित्तीय विवरण की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण पर हमारे अंकेक्षण राय के आधार देने के लिए पर्याप्त एवं उचित है।

विचार (राय)

हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपयुक्त (कथित) वित्तीय विवरण उचित

ढंग से ''दि एक्ट'' द्वारा अपेक्षित सूचना देता है तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीति के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट विचार देता है :

क) 31 मार्च, 2015 की तिथि के अनुसार कंपनी स्टेट ऑफ एफेयर्स के तुलन पत्र के मामले में ।

ख) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का लाभ एवं हानि लेखा के विवरण के मामले में तथा

ग) उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कैश फ्लो का कैश फ्लो विवरण के मामले में ।

मामले का महत्व

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1. टिप्पणी संख्या : 15– ''वस्तुसूची'' जो वित्तीय विवरण का भाग है, की ओर ध्यान दिया जाए। यह चार्ज्ड ऑफ स्टोर्स, स्पेयर्स आदि के मदों के 0.41 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.42 करोड़ रू.) के अनुपयोगी आइटम (लेखा शीर्ष संख्या : 890101) के लिए प्रावधान, पुराने, मंद गतिमान, गैर–गतिमान (नन मूविंग), क्षतिग्रस्त एवं गैर–मरम्मत योग्य वस्तुसूची से संबंधित है, जो रिपोर्टिंग की तिथि तक लंबित है। अंतिम मूल्यांकन में और प्रावधान की आवश्यकता हो सकती है, यदि कोई हो।

2. टिप्पणी संख्या : 9– ''अल्पकालीन प्रावधान'' तथा टिप्पणी संख्या : 34 का 7.3 ''लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी'' की ओन ध्यान दिया जाए, जो वित्तीय विवरण का भाग है। पीआरपी के मामले में निश्चित रूप देने (क्राइस्टलाइज) दिए जाने के लिए देयताएँ अभी तक लंबित है तथा पीआरपी ऑब्लिगेशन सक्षम अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग की तिथि तक मंजूर नहीं किया गया है। वर्षान्त तक पीआरपी दायित्व के लिए 192.50 करोड़ रू. (गत वर्ष 165.48 करोड़ रू.) की रकम अंतिम समायोजन के लिए लंबित है।

3. टिप्पणी संख्या : 16– '' ट्रेड रिसिबेबुल'' तथा टिप्पणी संख्या : 34 का प्वाईंट संख्या : 3.1.2 ''लेखे पर अतिरिक्त टिप्पण ी'' की ओर ध्यान दिया जाए जो वित्तीय विवरण का भाग है।239.14 करोड़ रू. (गत वर्ष 201.18 करोड़ रू.) कर्जदारों के लिए वसूली से बकाया है। इसमें वैसे मद शामिल हैं जो विश्लेषित/समायोजित/संयोजित या प्राप्त किये जाने के लिए लंबित है। परिणामतः समायोजन, यदि हो, लंबित है।

4. टिप्पणी संख्या : 6– ''ट्रेड रिसिबेबुल'' (प्राप्य व्यवसाय), की ओर ध्यान दें, समय–समय पर बिल से काटे गए टीडीएस लेखे में लंबित रिकन्सिलिएशन भी शामिल है, जो वित्तीय विवरण, देनदार (डेब्टर्स) का भाग है, को टीडीएस लेखे (एकाउन्ट कोड– 350016) तथा समायोजन, यदि कोई हो, में स्थानांतरित नहीं किया गया है।

5. टिप्पणी संख्या : 18– ''अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम'' की ओर ध्यान दें, जो वित्तीय विवरण, सेवाकर अनुभाग, नागपुर के आदेश के आलोक में 22.3.2012 को गैर–कोल इंडिया खनिखंडों के लिए वेधन की दर में कमी के कारण सेवाकर के रूप में पूर्व में किए गए अधिक भुगतान को सेवाकर विभाग से वापस लेने के लिए लंबित 0.12 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.12 करोड़ रू.) सहित क्लेम रिसीबेबुल (ए/सी कोड– 340003) का भाग है।

6. टिप्पणी संख्या : 16/7/12/18– ''ट्रेड रिसिबेबुल''/''ट्रेड पेएबल''/ ''लॉग टर्म लोन एडवांसेज''/ '' अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम'' की ओर ध्यान दें, जो पार्टियों के पास बकाया (शेष) तथा रिकन्सिलिएशन पर समायोजन, यदि कोई हो की संपुष्टि होने पर देनदार, लेनदार तथा ऋण एवं अग्रिम के संबंध में 31 मार्च, 2015 के अनुसार वित्तीय विवरण, बैलेंस स्टैंडिग का भाग है।

7. टिप्पणी संख्या : 7/12/18– ''ट्रेड पेएबुल''/ ''दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम''/''अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम'' की ओर ध्यान दें, जो वित्तीय विवरण, लेनदार के शीर्ष (मद) में शेष तथा ऋण एवं अग्रिम जिसमें विश्लेषित /समायोजित/ जुड़ा हुआ अथवा वसूली और रिकन्सिलिएशन पर तद्नुरूप समायोजन, यदि कोई हो, के लिए लंबित पुराने आइटम शामिल है, का भाग है।

8. टिप्पणी संख्या : 12– ''दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम'' की ओर ध्यान दें, जो क्षेत्रीय संस्थान–5 (बिलासपुर) से संबंधित सिक्यूरिटी डिपॉजिट (ए/सी कोड–380006) से संबंधित वित्तीय विवरण का भागहै,इसमें सर्वे कार्यसे संबंधित 0.05करोड़ रू. (गत वर्ष0.05 करोड़ रू.)दिनांक 30.12.2010 से वसूली के लिए लंबित है, जिसे विधिवत् पूरा कर संबंधित पार्टियों को सूचित कर दिया गया है, भी शामिल है।

9. क्षेत्रीय संस्थान–1,5 एवं 7 हेतु व्यावसायिक टैक्स रिटर्न फाइल करने के उद्‌देश्य के लिए आवश्यक संबंधित स्टेट कमर्शियल/वैट अधिनियम के तहत लागू/प्रयोज्य टीन (टीआईएन) पंजीकरण लंबित है और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

10. टिप्पणी संख्या : 18– ''अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम'' की ओर ध्यान दें, जो वित्तीय विवरण, ''बिल लेजर (एकाउन्ट कोड 350034) पर प्रदत सेवा कर'' तथा सहायक रिकॉर्ड के बीच अंतिम रिकन्सिलिएशन तक रिपोर्टिंग तिथि तथा समायोजन यदि कोई हो, लंबित है, का भाग है।

11. टिप्पणी संख्या : 8– ''अन्य चालू देयताएँ'' की ओर ध्यान दें, जो वित्तीय विवरण, प्रबंधन प्रशिक्षु से प्राप्त ब्रांड मनी, इसमें वैसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो अनुपस्थित रहें तथा कंपनी में पुनः ज्वाइन नहीं किया, वैसे मामले रिपोर्टिंग तिथि तक अंतिम मूल्यांकन के लिए लंबित हैं, का भाग है।

12. टिप्पणी संख्या : 24– ''कर्मचारियों के लाभ व्यय'' की ओर ध्यान दिया जाए, जो वित्तीय विवरण का भाग है यह समय–समय पर 31 मार्च, 2015 तक अधिकारियों की परिलब्धि पर 6.84 प्रतिशत की दर से सेवा–निवृति कोष तथा 3 प्रतिशत की दर से पेंशन कोष में क्रमशः 42.16 करोड़ रू. तथा 18.60 करोड़ रू. (गत वर्ष 35.26 करोड़ रू. एवं 15.58 करोड़ रू.) का योगदान किया गया है, से संबंधित है। कंपनी ने न तो इस तरह की रकम का भुगतान किया और न ही पृथक इस्क्रो फंड एकाउन्टिग में इसे रखा है।

13. टिप्पणी संख्या 14 की ओर ध्यान दें– टिप्पणी संख्या 33 के पूर्व अवधि समायोजन तथा पूर्व प्रदत्त व्यय वित्तीय विवरण, प्रत्येक ट्रांजेक्सन पर लागू होने वाले 0.10 करोड़ रू. से ज्यादा के आय एवं व्यय जो महत्वपूर्ण लेखा नीति भाग है, को केवल पूर्व अवधि आइटम के रूप में विचार किया गया है। कथित लेखा नीति भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है क्योंकि वित्तीय विवरण में समायोजन/प्रकटीकरण के लिए अलग–अलग न मानकर कोई भी सीमा लिमिट को समग्र में विचार किया जाता है।

14. टिप्पणी संख्या 20 ''परिचालन से प्राप्त राजस्व'' एवं 24 की ओर ध्यान दें– ''कर्मचारी के लाभ पर व्यय,'' जो वित्तीय विवरण का भाग है, सेवाओं की बिक्री के लिए राजस्व की पहचान को एक्रुएल आधार अर्थात् 31 मार्च, को कट–ऑफ के लिए आधार माना गया है, जबकि इंजीनियरिंग दिवस को 20 मार्च और वेतन पर व्यय/खर्च को 10 मार्च तक का कट–ऑफ मानकर गणना की गई है। 11 से 31 मार्च के अवधि के दौरान 21 से 31 मार्च के बीच ईडी की बुकिंग के कारण कोई समायोजन तथा सेवानिवृत्ति एवं सेवा छोड़कर जाने वाले के कारण नए कर्मचारियों की भर्ती/हटाने के कारण समायोजन आदि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में विचार नहीं किया गया है। यह वर्ष दर वर्ष इस प्रचलन का अनुसरण किया जा रहा है, तथा लेखे की टिप्पणी में इसे अच्छी तरह प्रकट किए जाने की आवश्यकता है।

इस मामले में हमारा विचार महत्वपूर्ण नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट।

1. कंपनी अधिनियम, 2015 की धारा 143 के उप–धारा (।।) की ओर ध्यान दें । केंद्र सरकार, भारत द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षक के रिपोर्ट) आदेश, 2015 (''द आर्डर'') के आवश्यकतानुसार हमने परिशिष्ट ''ए'' आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लेखित मामलों, जिस सीमा तक लागू/प्रयोज्य है, उस सीमा तक विवरण दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने वैसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में हमारी लेखा–परीक्षा के उद्‌देश्य के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारे विचार में कंपनी के पास कानून के अनुसार लेखा की समुचित पुस्तिकाएँ उपलब्ध है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जाँच से पता चलता है।

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा तथा नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा–पुस्तिका के अनुसार है।

घ) हमारी राय में निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी अधिनियम (लेखा), 2014 के नियम 7 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के तहत उल्लेखित लेखा मानकों के साथ कथित स्टौण्डालोन (लाजबाब) वित्तीय विवरण का पालन/अनुसरण किया गया है :

i. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 34 ''लेखे 7.2 के अतिरिक्त टिप्पणी'' की ओर ध्यान दें, कंपनी माइको, स्मॉल एवं मीडियम इंटर प्राइजेज डेवलपमेंट अधिनियम, 2006 तथा (''एमएसएमईडी अधिनियम, 2006'') के तहत शामिल इकाइयों की पहचान करने के लिए सम्बद्ध सूचनाओं को कम्पाइल (तैयार) करने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार के सम्बद्ध सूचनाओं के फाइनलाइजेशन के अभाव में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा एमएसएमईडी अधिनियम 2006 उसके लेखा मानक 1– '' लेखा नीति का प्रकटीकरण'' के तहत आवश्यक प्रकटीकरण/उद्घाटन के नन कम्पलियांस (गैर अनुपालन) के अनुसूची ।।। के तहत जरूरी डिस्क्लोजर (प्रकटन) के संदर्भ में इसे डिस्क्लोज (प्रकट) नहीं किया जा सका।

ii. विवेच्य वर्ष के दौरान, कंपनी ने व्यावसायिक तथा आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले भूमि में लीज होल्ड/इंट्रेस्ट (हित) में भवन के निर्माण पर व्यय/खर्च किया है। लेखा मानक 6– ''मूल्यह्रास लेखा'' (डिप्रेशिएसन एकाउंटिंग) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे वाली भूमि पर निर्मित भवनों पर मूल्यह्रास को, भवन के अधिकतम उपयोगी जीवन अवधि के तहत लीज एग्रीमेंट की अवधि के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए भूमि/लीज पुननवीकरण आदि के अधिकार/टाइटल/हित के दस्तावेजों के अभाव में लेखा मानक के अनुसार ऐसे मूल्यह्रास और वित्तीय विवरण यदि कोई हो, पर पड़ने वाले इसके अनुवर्ती प्रभाव को प्रसारित किया गया है, हुए व्यय के एकाउंटिंग ट्रीटमेंट की उपयुक्तता का पता करना संभव नहीं था।
[टिप्पणी संख्या 34– ''लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी'' के प्वाईट संख्या 1.1 की ओर ध्यान दें जो वित्तीय विवरण का भाग है।]

iii. 0.68 करोड़ रू. (गत वर्ष 0.66 करोड़ रू.) की लागत वाली सर्वे–ऑफ अचल परिसंपत्तियों का रिसिड्यूअल वैल्यू को डब्ल्यूडीवी तथा नेट रियलाइजेबुल वैल्यू जो लेखा मानक 10– '' अचल परिसंपत्ति''केअनुरूपनहींहै,को कम मूल्यांकित किए जाने की बजाय परिसंपत्ति को डब्ल्यूडीवी में दर्शाया गया है तथा इसमें लंबे समय से डिस्पोजल (निबटान) के लिए लंबित है वैसी कुछ परिसंपत्तियाँ भी शामिल है।
[टिप्पणी संख्या 10 ए की ओर ध्यान दें– ''अचल परिसंपत्ति'' जो वित्तीय विवरण का भाग है।]

iv. कंपनी ने सेगमेंट रेवेन्यू एवं रिजल्ट की रिपोर्टिंग की हैऔर टिप्पणी 34के प्वाईंट संख्या 13.0 – ''लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणी'' में उल्लेखित सेगमेंट के अनुसार सेग्रीगेट (अलग–अलग) किया है, जो वित्तीय विवरण का भाग है। हालाँकि, सेगमेंटवार (खंड–खंड) परिसंपत्ति, देयताएँ, मूल्यह्रास, पूँजीगत व्यय तथा बिना कैश वाले आइटमों को लेखा मानक 17– '' सेगमेंट रिपोर्टिंग'' के साथ पूरा करने/अनुपालन करने के लिए सभी प्राइमरी सेगमेंट को डिसक्लोज (प्रकट) नहीं किया गया है। हमारे विचार में, यह कंपनी के सेगमेंटवाइज– परिचालन (आपरेशन) के विचार/आलोक में सत्य और न्यायोचित नहीं है।

v. कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को/के अनुसार तकनीकी, आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया है तथा इसलिए इम्पेयरमेंट हानि की और उससे संबंधित कोई प्रावधान, यदि हो, की पहचान नहीं की गई है। हमारे विचार में, यह लेखा मानक 28– ''परिसंपत्ति की हानि'' (इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट) के अनुसार नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस, यदि हो, तथा वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव का पता लगाना लंबित रहने के कारण इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सका।

ड.) 31 मार्च, 2015 को/के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदन (रिप्रेजेन्टेशन) तथा निदेशक मंडल द्वारा दर्ज किए गए रिकॉर्ड के आधार पर अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जा रहे कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 को डिसक्वालिफायड (अयोग्य) नहीं है।

च) कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में अंकेक्षकों के रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में तथा हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित विवादों के प्रभाव को प्रकट किया है। – वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या 34 की ओर ध्यान दिया जाय।

ii. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी के पास कोई दीर्घकालिक संविदा के साथ–साथ ब्यूत्पन्न संविदा नहीं थे, जिसके लिए भविष्य में कोई आर्थिक नुकसान होने की संभावना हो।

iii. प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के अनुसार ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन में स्थानांतरित करना अपेक्षित था।

वास्ते, के.सी.टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन संख्या : 000216 सी

ह/–
सीए अनिल जैन
सदस्य
सदस्यता संख्या : 079005

स्थान : राँची
तिथि : 22.05.2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के अंकेक्षकों की रिपोर्ट का ''परिशिष्ट ए''

1. **अचल परिसंपत्ति के संबंध में :**

क) यह पाया गया कि कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों का सामान्यतः समुचित रिकार्ड रखा है। तथापि यह देखा गया कि परिसंपत्तियों वाले रिकार्ड में परिसंपत्तियों के व्यापक विवरण, पहचान तथा वर्तमान लोकेशन/परिस्थिति आदि आवश्यक विवरण को शामिल करने का काम लंबित है। हमारे विचार में अचल परिसंपत्तियों के ऊपर समुचित आंतरिक नियंत्रण रखने के लिए परिसंपिप्ति के रिकार्ड में आवश्यक रूप से विस्तृत विवरण अपलोड (दर्ज) होना चाहिए। परिस्थितियों के तहत, ऐसे आवश्यक विवरणों के अभाव में हम कंपनी के परिसंपत्तियों के सेफगार्ड (सुरक्षा) पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ख) जैसा कि हमें बताया गया, बहुमूल्य अचल परिसंत्तियों के प्रमुख भाग को कंपनी द्वारा अपनाये गए जाँच (वेरीफिकेशन) के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष (फिजिकली) रूप से जाँच की गई है। यह देखा गया कि कंपनी ने 1.00 लाख रू. से अधिक मूल्य वाली अचल परिसंपित्तयों की जाँच के लिए विधिवत रूप से गठित टीम को प्रतिनियुक्त किया है। जैसा कि हमें सूचना दी गई, इस प्रकार की जाँच के दौरान कोई असंगति नहीं पाई गई। तथापि कंपनी ने पुस्तकों के अनुसार परिसंपित्तयों एवं प्रत्यक्ष स्टॉक के अनुसार किए गए प्रत्यक्ष जाँच तथा उपर्युक्त दोनों के बीच समन्वय में पाई गई विसंगति, यदि हो, तो ''वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों के वार्षिक क्लोजिंग स्टॉक विवरण तथा वित्तीय विवरण पर इसके संगत प्रभाव जो वर्तमान में समन्वयन के समय उत्पन्न हो सकता है तथा जिसे पता नहीं लगाया जा सकता है,'' को छोड़ कर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी।

हमारी राय में, प्रबंधन को 1.00 लाख रू. से कम मूल्य वाली सभी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष जांच को शामिल कर समय के समुचित सावधिक स्पान में कम-से-कम एक बार सत्यापन कर लेना चाहिए। 1.00 लाख रू. से कम मूल्य वाली एंसी परिसंपत्तियों के संबंध में कमी/असंगति यदि कोई हो, तो उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

2. **वस्तु-सूची के मामले में :**

क) विवेच्य वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भंडारों एवं अतिरिक्त पार्ट-पूर्जों के स्टॉक की वस्तु-सूची की प्रत्यक्ष रूप से जाँच की गई। हमारे विचार में जाँच की आवृति यथोचित है।

ख) यह पाया गया कि कंपनी ने भंडारों एवं अतिरिक्त पार्ट-पूर्जों आदि की जाँच के लिए विधिवत् गठित टीम (दल) को नियुक्त किया है। हालाँकि, कंपनी वर्ष के अंत में ''भंडारों एवं अतिरिक्त पार्ट-पूर्जों आदि के वार्षिक क्लोजिंग स्टॉक के विवरण को छोड़कर पुस्तक अभिलेख के अनुसार एवं रखे गए प्रत्यक्ष भंडार के अनुसार वस्तु-सूची की प्रत्यक्ष जाँच तथा समन्वयन पर दोनों के बीच पायी गई असंगति,'' यदि हो पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी। तदनुसार हम प्रत्यक्ष जाँच और उसके यथोचितता की प्रक्रिया पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ग) कंपनी ने अपनी वस्तु-सूची का समुचित रिकार्ड रखा है। जैसा कि हमें बताया गया है कि पुस्तक अभिलेखों की तुलना में स्टॉक प्रत्यक्ष जाँच पर पायी गई असंगति महत्वपूर्ण नहीं थी तथा इस पर लेखे की पुस्तक में उचित रूप से विचार किया गया है।

3. जैसा कि, बताया गया कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में किसी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टियों को/से कंपनी द्वारा प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिए/लिए गए हैं। तदनुरूप, कंपनी (अंकेक्षकों के रिपोर्ट) आदेश 2015 (यथा संशोधित) के अनुच्छेद (।।।) (क), (ख) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु-सूची और अचल परिसंपत्तियों की खरीद तथा सामानों एवं सेवाओं की बिक्री के मामले में इसके आंतरिक नियंत्रण की समुचित पद्धति कंपनी के आकार और इसके कार्य-व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है। अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान, ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमी नहीं पायी है।

5. कंपनी ने धारा 73 से 76 अथवा प्रावधान से सम्बद्ध कोई अन्य अर्थ में जनता से किसी प्रकार का जमा स्वीकार्य नहीं किया है।

6. हमें बताया गया कि केन्द्र सराकर ने इस कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम की उपधारा (1) 148 के तहत लागत रख-रखाव का निर्धारण नहीं किया है।

7. **सांविधिक बकाया के मामले में :**

क) कंपनी के अभिलेख के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधिक बकाया जैसे : भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क सेस एवं अन्य बकाया सक्षम प्राधिकारी के पास प्रायः नियमित रूप से जमा करा रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस कंपनी में कर्मचारी राज्य जीवन बीमा योजना लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित बकाए के मामले में कोई अविवादित बकाया 31 मार्च, 2015 को उसके भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है।

ख) निम्नलिखित विवादित सांविधिक बकाया को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लंबित रहने के कारण कंपनी जमा नहीं करा सकी, वे इस प्रकार है। :

क्र.सं.	सांविधिक का नाम	बकाया की प्रकृति	रकम (लाख रू. में)	वित्तीय वर्ष जिससे रकम संबंधित है	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1.	आयकर एक्ट	आयकर	6.89	2010–11	सीआईटी(ए), राँची
2.	आयकर एक्ट	आयकर	68.06	2011–12	सीआईटी(ए), राँची

ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) तथा उसके तहत बनाए गए नियम से सम्बद्ध प्रावधान के अनुसरण में ''शिक्षा निवेशक और संरक्षण कोष'' में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

8. कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष तथा तत्काल प्रीसिडिंग वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन क्रिया–कलाप से संचित हानि और कोई नकद हानि नहीं उठायी है।

9. हमें दी गई सूचना एवं जानकारी के अनुसार, हमारी राय यह है कि वित्तीय संस्थानों, बैंकों या डिबेंचर होल्डरों के पास कंपनी का बकाया नहीं है।

10. हमे दिया गया स्पष्टीकरण और सूचना के अनुसार कंपनी ने बैकों या वित्तीय संस्थानों से अन्य के द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी नहीं दिया है।

11. वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी अवधि ऋण की उगाही नहीं की है।

12. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा किसी तरह की धोखा–धड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई/पाई गई है।

ह/–

सीए अनिल जैन

तिथि : 22.05.2015

स्थान : राँची